Digital India
Power To Empower

Azadi Ka Amrit Mahotsav

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2023-24

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेटंर सर्विसिज़ इनकॉरपोरेटेड (निकसी)

रा.सू.वि.के. के अन्तर्गत भारत सरकार का एक उद्यम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED (NICSI)

A Government of India Enterprise under NIC Ministry of Electronics and Information Technology

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC., NEW DELHI

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) was set up in 1995 as a section 8 Company (erstwhile Section 25 Company) under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to provide total ICT solutions to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us.

Vision

"Achieve leadership position in the technology enablement of India and other developing countries thereby contributing effectively to accelerate socio-economic growth".

Mission

To promote and provide transparent value added Information and Communication Technology on end to end solutions including procurement services and business solutions to customers at competitive prices with a focus on socio-economic development".

Objectives

To provide the economic, scientific, technological, social and cultural development of India by promoting the utilization of Information Technology, Computer-Communication Networks, Informatics etc. by a spinoff of the services, technologies, infrastructure and expertise developed by the National Informatics centre of the Government of India including its computer-communication network, NICNET and associated infrastructure and services. To promote further development of services, technologies, infrastructure and expertise to supplement what NIC has developed, in order to increase NIC's revenue earning capacity. To develop and promote value added computer and computer-communications services over the basic infrastructure and services developed by NIC including NICNET. In furtherance of these objectives, NICSI has been providing following Products & services to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, state governments, UTs and PSUs etc.:

- Data Analytics
- Website Development
- Rollout Services
- Manpower Services
- Data Centre Services
- Productization
- Video-conferencing
- I.T. Consultancy
- Call Centre Services
- Training Services

NICSI is truly a Total ICT solutions
Company in the Service of the Nation.

NICSI:

Is truly a total ICT Solutions Company in the Service of the Nation.

Creating Synergy for Technology Diffusion in e-governance.

Networks people in Government Industry & academia to permeate the technology benefits to the remotest part of India.

Harnessing Information & Communication Technologies.

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक, नई दिल्ली

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कंपनी धारा–8 के रूप मे (भूतपूर्व धारा 25 कंपनी) की गई, जो मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के संगठनों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करती है ।

दूरदृष्टि:

"भारत की प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व स्थिति को प्राप्त करना तथा अन्य विकासशील देशों को प्रभावी रुप से योगदान देकर सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लाना।"

मिशन:

सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ – साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्राहकों के लिए सेवाओं की प्राप्ति तथा व्यापार के समाधान को शामिल करते हुए पारदर्शी मूल्य आधारित सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को एंड टू एंड सोल्यूशन की सुविधा प्रदान करना तथा उसे संवर्धित करना।

उद्देश्यों:

सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, सूचना विज्ञान आदि का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र, भारत सरकार द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता तथा कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, निकनेट व संबंध अवसरंचना व सेवाओं को लाभदायक बनाते हुए भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोन्नत करना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र की राजस्व अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए एनआईसी ने जो कुछ भी विकसित किया है, उसे पूरक करने के लिए सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता के आगे विकास को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र तथा निकनेट द्वारा विकसित मूल अवसरंचना व सेवाओं पर मूल्य संवर्धित कंप्यूटर और कंप्यूटर–संचार सेवाओं को विकसित एवं संवर्धित करना ।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिस इंक. अपने उद्देश्यों के अनुसार मंत्रालय, विभागों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में निम्नलिखित उत्पाद व सेवाएँ प्रदान कर रही है:–

- डेटा एनालिटिक्स
- वेबसाइट विकास
- रोलआउट सर्विसिस
- जनशक्ति सेवाएँ
- डाटा सेंटर सेवाएं
- उत्पादकता
- वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग
- आई.टी. कंसल्टेंसी
- कॉल सेंटर सेवाएं
- प्रशिक्षण सेवाएँ

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में सलंग्न है।

निकसीः

पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है ।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंकः ई–शासन में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु सहक्रिया का विनिर्माण।

भारत के दूरस्थ भागों में प्रौद्योगिकी लाभों के समावेशन हेतु निकसी सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत में लोगों के नेटवर्क स्थापित करती है।

जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को कार्यगत किया जा सके।

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-24

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेटंर सर्विसिज़ इनकॉरपोरेटेड (निकसी)
नई दिल्ली

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED (NICSI)
New Delhi

विषय सूची

निदेशक मंडल 07

29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 09

निदेशकों की रिपोर्ट 12

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार बैलेंस सीट 41

आय व व्यय खाता 43

नकदी प्रवाह विवरण 45

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ 60

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 104

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 113

CONTENTS

Board of Directors 140

Notice for 29th Annual General Meeting 142

Directors' Report 145

Balance Sheet as at 31st March, 2024 177

Income and Expenditure Account 179

Cash Flow Statement 181

Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2024 183

Auditor's Report 236

Comments of the Comptroller and Auditor General of India 246

निदेशक मंडल

(31–03–2024 तक)

अध्यक्ष	:	श्री भुवनेश कुमार, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, एमईआईटीवाई
निदेशक	:	श्री राजेश सिंह, आईएएस, जेएस एंड एफए, एमईआईटीवाई श्री संकेत भांडवे आईएएस, जेएस, एमईआईटीवाई श्री एस.के. मारवाह, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई श्रीमती सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई श्री वी.टी.वी. रमना, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी डॉ. सुशील कुमार, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी डॉ. शुभांग चंद, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी श्री प्रमोद कुमार सिंह, वैज्ञानिक–जी और एसआईओ (गुजरात), एनआईसी सुश्री जयंती एस., वैज्ञानिक–जी, (कर्नाटक) एनआईसी डॉ. विनय ठाकुर, एमडी, एनआईसीएसआई
कंपनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखा परीक्षक	:	मेसर्स जे. एन. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जे–85, दूसरा तल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉलसं. 2 और 3, छठातल, एनबीसीसीटावर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110066
बैंकर	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसीआई बैंक लिमि., सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, केनरा बैंक, जनपथ शाखा, एक्सिस बैंक, कटवरिया सराय शाखा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डियर पार्क शाखा, इंडसइंड बैंक, अफ्रीका एवेन्यू शाखा
एनआईसीएसआई का पैन नंबर	:	AAACN2185J
एनआईसीएसआई का जीएसटीएन नंबर	:	07AAACN2185J1ZE
एनआईसीएसआई की वेबसाइट	:	www.nicsi.com

निदेशक मंडल

(30–09–2024 तक)

अध्यक्ष	:	श्री भुवनेश कुमार, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, एमईआईटीवाई
निदेशक	:	श्री राजेश सिंह, आईएएस, जेएस एंड एफ, एमईआईटीवाई श्री संकेत भांडवे, आईएएस, जेएस, एमईआईटीवाई श्री एस. के. मारवाह, वैज्ञानिक–जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई श्रीमती सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक–जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई श्री संदीप कुमार सिंघल, आई.टी.एस. वैज्ञानिक–जी, एनआईसी डॉ. सुशील कुमार, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी डॉ. शुभाग चंद, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी सुश्री जयंती एस., वैज्ञानिक–जी, (कर्नाटक) एनआईसी श्री प्रमोद कुमार सिंह, वैज्ञानिक–जी, और एसआईओ (गुजरात), एनआईसी श्री वी. टी. वी. रमना, वैज्ञानिकदृ जी, एनआईसी डॉ. राजेश कुमार मिश्रा, एमडी, एनआईसीएसआई
कंपनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखा परीक्षक	:	मेसर्स जे. एन. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जे–85, दूसरा तल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉलस. 2 और 3, छठा तल, एनबीसीसी टावर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110066
बैंकर	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसीआई बैंक लिमि., सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, केनरा बैंक, जनपथ शाखा, एक्सिस बैंक, कटवरिया सराय शाखा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डियर पार्क शाखा, इंडसइंड बैंक, अफ्रीका एवेन्यू शाखा शाखा
एनआईसीएसआई का पैन नंबर	:	AAACN2185J
एनआईसीएसआई का जीएसटीएन नंबर	:	07AAACN2185J1ZE
एनआईसीएसआई की वेबसाइट	:	www.nicsi.com

सूचना

उनतीसवीं वार्षिक आम बैठक

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंकॉर्पोरेटेड (निकसी) के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य–व्यापार संपन्न करने के लिए इसकी उनतीसवीं वार्षिक आम बैठक शॉर्टर नोटिस पर सोमवार, दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 को दोपहर 04:40 बजे, कांफ्रेंस कक्ष सं0 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में आयोजित की जायेगी:

सामान्य कार्यव्यापार :

1. दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक के अनुसार कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और नकदी प्रवाह का विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना, साथ ही सामग्री लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ–साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उनपर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड

(सन्नी जैन)
कंपनी सचिव
(एम.संख्या ए31700)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.09.2024

सेवा में,

1. महानिदेशक, एनआईसी – सदस्य
2. सुश्री रचना श्रीवास्तव – सदस्य
3. श्री आर. एस. मणि – सदस्य
4. सुश्री अलका मिश्रा – सदस्य
5. श्री राजीव राठी – सदस्य
6. श्री आई.पी.एस. सेठी – सदस्य

इसके अलावा :

1. अध्यक्ष, एनआईसीएसआई
2. एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल

और इन्हें भी :

1. मेसर्स जे एन मित्तल एंड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक, एनआईसीएसआई

प्रपत्र सं. एमजीटी - 11

प्रॉक्सी फार्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और नियम 19 (3)
के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014)

सीआईएन	:	यू 74899 डीएल 1995 एनपीएल 072045
कंपनी का नाम	:	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉलर्स. 2 और 3. छठा तल, 15, एनबीसीसी टावर, भीका जी कामा प्लेस, नई दिल्ली– 110066.

सदस्य(यों)के नाम:

पंजीकृत पता:

ई – मेल आईडी: dg@nic-in

फोलियोरा. / क्लाइंट आईडी

डीपीआईडी

मैं / हम, उपरोक्त नामित कंपनी के 199995 शेयरों के सदस्य होने के नाते, एत द्वारा नियुक्त करते है

1. नाम ....
   पता ....
   ई मेल आईडी ....
   हस्ताक्षरः ,या उनके न होने पर

2. नामः ....
   पताः ....
   ई – मेल आईडी ....
   हस्ताक्षरः

ध्यान दें

सोमवार, 07 अक्टूबर, 2024 को 4:40 बजे सम्मेलन कक्ष 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, में होने वाली कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे और मेरी/ हमारी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए और नीचे दर्शाए गए किसी भी संकल्प के स्थगन के संबंध में मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने की अनुमति देता हूँ/देते हैं:

संकल्पसं .	
1.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता एवं नकद प्रवाह विवरण को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने, साथ हीमहत्व पूर्ण लेखांकन नीतियों एवं वित्तीय विवरणों पर नोट्स, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ–साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, और
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के तहत भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों का वेतन निर्धारित करना।

हस्ताक्षरित ....

1 रु. का
राजस्व का
स्टाम्प
लगाए

शेयर धारक का हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक (कों) का हस्ताक्षर

ध्यान दें: प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह प्रपत्र विधिवत पूरा किया जाना चाहिए और बैठक आरंभ होने के कम– से–कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड ("कंपनी") के व्यवसाय और संचालन पर उनतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सारांशित वित्तीय परिणाम, पिछले वर्ष 2022–23 की तुलना में निम्नानुसार हैं

(करोड़ रु. में)

वित्तीय विशेषताएं

क्र. सं.	विवरण	2023–24	2022–23
(क)	आय :		
	संचालन से राजस्व	2223.60	1604.18
	अन्य आय	134.60	98.52
	कुल (क)	2357.85	1702.71
(ख)	अन्य व्यय		
	बिक्री माल की खरीद	358.59	190.31
	सेवा समर्थन व्यय	1537.32	1147.70
	कर्मचारी लाभ व्यय	14.31	12.95
	वित्त लागत	8.02	9.05
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	83.64	72.93
	अन्य व्यय	90.05	69.41
	कुल (ख)	2091.93	1502.35
	आय / कर पूर्व (हानि) (क)–(ख)	265.92	200.36
	कर व्यय	69.10	50.85
	वर्ष लिए आय / (हानि)	196.82	149.78

वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 में परिचालन से राजस्व में 38.61% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आय में 31.41% की वृद्धि हुई है।

(1) प्रचालन लाभ

निदेशक मंडल ने क्रमशः 26.03.2022 और 03.06.2022 को आयोजित अपनी 121 वीं और 122वीं बैठक में परियोजनाओं / सेवाओं के लिए एनआईसीएसआई के प्रचालन लाभ की संशोधित दरों को निम्नानुसार अनुमोदित किया था :

परियोजना मूल्य (राशि रु. में)	प्रचालन लाभ की दर
50 करोड़ रु. तक	9%
50 करोड़रु. से अधिक और 100 करोड़ रु. तक	7%
100 करोड़ रु. से अधिक	5%

(2) लाभांश

यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है और धारा के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने से प्रतिबंधित किया गया है।

(3) आरक्षित निधि में स्थानांतरण

कंपनी ने किसी भी राशि को आरक्षित निधि यानी सामान्य आरक्षित निधि, पूंजी आरक्षित निधि, पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि आदि में स्थानांतरित नहीं किया है।

(4) डीपीई द्वारा एनआईसीएसआई की ग्रेडिंग

वित्त वर्ष	लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर एमओयू समग्र स्कोर के अनुसार डीपीई द्वारा ग्रेडिंग
2022-23	अच्छा
2021-22	अच्छा
2020-21	छूट – प्राप्त
2019-20	अच्छा
2018-19	खराब
2017-18	ठीक – ठाक
2016-17	सर्वोत्तम

(5) वित्त वर्ष 2023–24 में जारी परियोजनाएं / गतिविधियाँ

5.1 राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन परियोजना)
मार्च, 2010 में शुरू की गई एनकेएन परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एनमईआईटीवाई – MeitY) द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 5990 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। एनआईसी इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जबकि एनआईसीएसआई खरीद और आईटी सहायता प्रदान करने में सहायता कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित करना है जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों को आपस में जोड़ेगा ताकि उनके बीच ज्ञान संसाधनों का सृजन, अधिग्रहण और स्थापना हो सके। यह संस्थानों को एनआईसी जिला केंद्रों से जोड़ने, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में केंद्र स्थापित करने के माध्यम से सहयोगी अनुसंधान, देशव्यापी कक्षाएं आदि की सुविधा भी प्रदान करेगा। एमईआईटीवाई (MeitY) ने परियोजना को दो साल के लिए यानी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है और 20.04.2020, 30.03.2021, 25.02.2022, 22.03.2023 और 28.02.2024 के समसंख्यक परिशिष्टों के माध्यम से परियोजना की अवधि को 31.03.2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एनआईसीएसआई (NICSI) को इस परियोजना के लिए एमईआईटीवाई (MeitY) से581.70 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल निधि 31.03.2024 तक प्राप्त हुई है। एनकेएन (NKN)परियोजना को एमईआईटीवाई (MeitY)द्वारा एक और वर्ष यानी मार्च, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

5.2 एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरएडी/ iRAD):
आज, 'सड़क सुरक्षा' पूरे देश में सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में से एक है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों के कारण हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। एक व्यक्ति के साथ–साथ पूरे देश के लिए खुशहाल और स्वस्थ जीवन के लिए सड़क सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज सड़क यातायात की चोटें दुनिया भर में गंभीर सामाजिक–आर्थिक लागतों के साथ मृत्यु, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं। सड़क दुर्घटनाओं से न केवल जान जाती है और पीड़ितों को बहुत दर्द और पीड़ा होती है, बल्कि देश की जीडीपी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, रोकथाम हेतु प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए इन दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले कारकों की गहरी समझ विकसित करना महत्वपूर्ण है।

एमओआरटीएस (MoRTH) विभिन्न पहलुओं जैसे कि चालक व्यवहार, सुरक्षित सड़क अवसंरचना और वाहन मानक, यातायात नियमों का बेहतर प्रवर्तन और दुर्घटना की रोकथाम में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर काम कर रहा है। MoRTH ने विभिन्न संबंधित संगठनों और हितधारकों के साथ मिलकर 4E के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति लागू की है – शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल।

एमओआरटीएच (MoRTH) ने विभिन्न संबंधित संगठनों और हितधारकों (पुलिस, परिवहन, सड़क–स्वामित्व वाली एजेंसियां, स्वास्थ्य) के साथ मिलकर नीचे दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति लागू की है:

- मोबाइल आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन–साइट दुर्घटना डेटा संग्रह (दुर्घटना स्थल से जीपीएस स्थान कैप्चर करके)

- ब्लैक–स्पॉट (दुर्घटना–प्रवण क्षेत्र) की पहचान

- ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना–प्रवण क्षेत्र) में सुधार

इस दिशा में, एनआईसीएसआई ने देश में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी सड़क दुर्घटनाओं के डेटा को एकत्र करने, संग्रहीत करने, रिपोर्टिंग करने, प्रबंधित करने, व्याख्या करने, दावा प्रसंस्करण और विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय भंडार, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD) परियोजना को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया है। iRAD वर्तमान में सभी 36राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंमें लाइव है।

iRAD (एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस) परियोजना 2020 में शुरू की गई थी। इसके बाद जनवरी 2022 में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक नए कार्यात्मक मॉड्यूल, अर्थात eDAR (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) का विकास शुरू हुआ, जैसा कि 25 फरवरी 2022 को जीएसआर संख्या 164E द्वारा अधिसूचित किया गया था। विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (eDAR) का डिजिटलीकृत रूप एक एकीकृत पोर्टल है जिसे विशेष रूप से सड़क दुर्घटनाओं की दावा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पहले एप्लिकेशन के विस्तार के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है। eDetailed दुर्घटना रिपोर्ट (eDAR) पीड़ितों के दावों के शीघ्र निपटान और सड़क दुर्घटनाओं के पीडितों को समय पर मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। यह एप्लिकेशन झूठे दावे दायर करने पर लगाम लगाने में भी मदद करेगा।

इस कार्यात्मक मॉड्यूल, यानी eDAR को "दावा निपटान" प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जहाँ दुर्घटना के शिकार लोग बीमाकर्ता से मुआवजा मांग सकते हैं। ये दोनों एप्लिकेशन अब eDAR नाम से विलय हो गए हैं।

eDAR प्रक्रिया में कार्यप्रवाह ने अतिरिक्त हितधारकों को शामिल किया गया है, जिससे हितधारकों के बीच वास्तविक समय डेटा हस्तांतरण की सुविधा मिलती है, जिससे दावों की प्रक्रिया आसान और कम समय लेने वाली हो जाती है। अतिरिक्त हितधारकों में शामिल है– बीमा कंपनियाँ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), महानगरीय न्यायालय और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी)। eDAR का पुलिस मॉड्यूल वर्तमान में 5 राज्यों – दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु में लाइव है।
नागरिकों के नेक काम के लिए एक नई योजना शुरू की गई है– सड़क दुर्घटना पीडितों के लिए गोल्डन ऑवर के दौरान कैशलेस उपचार योजना, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से एमओआरटीएच (MoRTH) द्वारा शुरू किया गया है, जहाँ सड़क दुर्घटना पीडित पीएमजेएवाई (PMJAY)के पैनल में शामिल अस्पताल से अधिकतम 1.5 लाख रुपये या 7 दिनों तक (जो भी पहले हो) का कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस को एनएचए के टीएमएस एप्लीकेशन पर iRAD एप्लीकेशन के माध्यम से सड़क दुर्घटना पीडित की वास्तविकता की पुष्टि करनी होगी। यह योजना वर्तमान में 2 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों– चंडीगढ़ और असम में चल रही है।

6) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एनआईसीएसआई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कार्यान्वयन के लिए 2355 नई परियोजनाएँ प्राप्त हुई।

(7) एनआईसीएसआई में व्यापार विभाग

उत्पाद व्यवसाय विभाग (पीबीडी)

पीबीडी का उद्देश्य दक्षिण आसियान, अफ्रीका, लातिन अमेरिका आदि में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एनआईसी/एनआईसीएसआई सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के उत्पादीकरण, मानकीकरण और संवर्धन की सुविधा प्रदान करना है। प्रत्येक विदेशी परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जाएगी। लागत लचीली होनी चाहिए क्योंकि इसका विकास एनआईसी बजट से पूरा किया जाता है।

सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए)

डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता और उत्कृष्टता का केंद्र बनाकर उन्नत विश्लेषणात्मक/मशीन लर्निंग क्षमताओं को अपनाना शुरू करना और तेजी से ट्रैक करना। यह उचित उपकरणों, प्रौद्योगिकियों की पहचान करके, सही विशेषज्ञता वाले लोगों को तैनात कर और जटिल नीतिगत मुद्दों को हल करने में मदद कर सभी स्तरों पर सरकारी विभागों की गुणवत्तापूर्ण डेटा विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करेगा।

क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर व्यापार विभाग

एनआईसीएसआई शास्त्री पार्क, पुणे और भुवनेश्वर में एनडीसी से क्लाउड सर्विसेज का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्तमान क्लाउड सर्विसेज और भविष्य के लिए अधिक कुशल और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु नया विभाग बनाया गया है।

(8) वित्त वर्ष 2023–24 की मुख्य विशेषताएं वित्त वर्ष 2022–23 की गतिविधियों से तुलना

8.1 प्रोफार्मा चालान (पीआई) विवरण

सेवा प्रकार	वित्त वर्ष 2023–24		वित्त वर्ष 2022–23	
	जारी किए गए पीआई की संख्या	पीआई की कुल राशि (करोड़ रु. में)	जारी कि एगएपीआई की संख्या	पीआई की कुल राशि (करोड़ रु. में)
जनबल	5812	2227.15	5142	1404.55
विविध	3933	1119.35	2696	308.37
नेटवर्क	8	39.96	13	3.61
सुरक्षा लेखा परीक्षा	299	3.31	190	3.65
वेबसाइट डेवलपमेंट	39	32.19	158	105.58
ई– ऑफिस	288	85.61	282	81.12
ई– ग्रंथालय	548	2.98	374	3.24
समग्र मद	859	1446.11	810	1300.74
कुल योग	**11786**	**4956.66**	**9665**	**3210.86**

8.2 कार्य आदेश (डब्ल्यूओ) विवरण

सेवा प्रकार	वित्त वर्ष 2023–24		वित्त वर्ष 2022–23	
	जारी किए गए डब्ल्यूओ की संख्या	डब्ल्यूओ की कुलराशि (करोड रु. में)	जारी किए गए डब्ल्यूओ की संख्या	डब्ल्यूओ की कुल राशि (करोड़ रु. में)
जनबल	8514	1407.44	7560	1160.75
विविध	1407	255.25	708	196.64
नेटवर्क	26	79.09	77	17.83
रोल आउट	11	1.79	0	0
सुरक्षा लेखा परीक्षा	338	14.40	114	1.09
वेबसाइट डेवलपमेंट	172	153.63	135	81.71
ई– ऑफिस	125	58.17	59	29.94
ई– ग्रंथालय	276	82.49	19	79.72
समग्रमद	975	1589.71	669	1082.10
कुल योग	**11844**	**3641.97**	**9341**	**2649.78**

8.3 प्राप्त हुई नई परियोजनाओं का खंड–वार विवरण

आइटम		01.04.2023 से 31.03.2024	01.04.2022 से 31.03.2023
(i)	हार्डवेयर आइटम	91	9
(ii)	जनबल	785	666
(ii)	वेबसाइट / सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	157	112
(ii)	नेटवर्क	123	4
(i)	सामान्य परियोजनाएं (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जन बल आदि का संयोजन)	457	302
(ii)	अन्य परियोजनाएं (एसएमएस / बीएएस / ई–मेल आदि)	742	915
कुल		**2355**	**2008**

8.4 निविदाएं

जारी की गई निविदाएं			
(I)	खुली निविदाओं की संख्या	11	62
(II)	सीमित निविदाओं की संख्या	1	-
कुल		**12**	**62**

8.5 एमओयू / अनुबंध

एनआईसीएसआई द्वारा अलग – अलग विभागों/संगठनों के साथ किया गया अनुबंध।	94	83

9 जनबल

दिनांक 03.03.1998 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित जनबल प्रोफाइल के अनुसार, एनआईसीएसआई में जनबल एनआईसी से उनके पदों के साथ अस्थायी घूर्णी प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी।

31 मार्च 2024 को एनआईसीएसआई में एनआईसी से कर्मचारियों की कुल संख्या 30 थी।

(10) कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5 (2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

(11) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एनआईसीएसआई का उद्देश्य आईसीटी समाधान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और अपने लाभ, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने प्रयोजनों में बढ़ावा देने में लागू करना है और अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने से रोकना है।

बोर्ड ने 26 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ सीएसआर समिति का गठन किया था:

- एक सीएसआर नीति बनाना और बोर्ड को उसकी अनुशंसा करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एनआईसीएसआई द्वारा की जानेवाली गतिविधियों के बारे में बताएगी;
- कंपनी द्वारा की जाने वाली गति विधियों पर होने वाले व्यय की राशि की समीक्षा करना और उसकी अनुशंसा करना;
- समयवृ समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना;
- कोई अन्य मामला जिसे सीएसआर समिति निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद उचित समझे या निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाए।

एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

सीएसआर समिति की बैठक के लिए कोरम उस की कुल संख्या का एक तिहाई (उस एक तिहाई में शामिल किसी भी अंश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा।

बोर्ड ने 15 सितंबर, 2023 को आयोजित अपनी 128वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क. सं.	नाम	पद
1	श्री संकेत भोंडवे, जेएस एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
2	सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी*	सदस्य
3	श्री शुभाग चंद, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य
4	श्री वी.टी.वी. रमना, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य

*सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी 30.09.2023 तक कंपनी से जुड़ी रहीं।

सीएसआर समिति की 11वीं बैठक और 12वीं बैठक 19.12.2023 और 21.02.2024 को आयोजित की गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एनआईसीएसआई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि 3.02 करोड़ रुपये होगी।

कंपनी ने सीएसआर के व्यय के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए खातों में 3.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सीएसआर समिति और निदेशक मंडल की क्रमशः दिनांक 19.12.2023 और 26.12.2023 की स्वीकृति के अनुसार, एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एनआईसीएसआई की ओर से सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 8 संगठनों/एनजीओ को 2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की थी। इसके अलावा, शेष 1.02 करोड़ रुपये की राशि सीएसआर समिति और बोर्ड की क्रमशः दिनांक 21.02.2024 और 04.03.2024 की स्वीकृति के साथ वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एनआईसीएसआई की ओर से सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए6 संगठनों/एनजीओ को वितरित की गई है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, कंपनी सीएसआर गतिविधियों पर 2.5 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकी। नतीजतन, कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में 2.5 करोड़ रुपये की देनदारी बनाई। वित्त वर्ष 2023–24 में, 2.5 करोड़ रुपये में से, 2.2 करोड़ रुपये सीएसआर कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित किए गए, और 0.3 करोड़ रुपये कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में जमा किए गए। हालांकि, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर परियोजनाओं के लिए बोर्ड से अनुमोदन लेते समय, अनजाने में, इसे "चालू परियोजनाओं" के बजाय "चल रही परियोजनाओं के अलावा" के रूप में उल्लेख किया गया था और सीएसआर रिटर्न तदनुसार आरओसी के साथ दायर किया गया था। तदनुसार, कंपनी वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय विवरण और सीएसआर रिटर्न दाखिल करते समय आरओसी को इसकी जानकारी देगी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, एनआईसीएसआई ने सीएसआर परियोजनाओं की श्रेणी को "चालू परियोजनाओं" में बदलने के लिए बोर्ड की मंजूरी ले ली है।

(12) बोर्ड की प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल ने 19.1.2023 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के साथ 13.12.2022 को आयोजित अपनी 125वीं बैठक में निम्नलिखित संरचना के साथ बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया है:

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार;
(ख) भारत सरकार के ऐसे संयुक्त सचिव या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समकक्ष रैंक के अधिकारी जो मंत्रालय में ई–गवर्नेंस प्रभाग के प्रभारी समूह समन्वयक हैं;
(ग) प्रबंध निदेशक
(घ) ऐसे अन्य निदेशक जो दो से अधिक नहीं होंगे, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।'

उसके बाद, अध्यक्ष ने दिनांक 14.2.2023 के अपने ई–फाइल नोट के माध्यम से एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 90(सी) के अनुसार निम्नलिखित दो निदेशकों को नामित किया है:

(i) श्री एस. के. मारवाह, वैज्ञानिक जी एमईआईटीवाई – सदस्य
(ii) सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी – सदस्य

*सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी 30.09.2023 तक कंपनी से जुड़ी रहीं।

कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद (128) के तहत कर्तव्यों के अलावा, बोर्ड ने बोर्ड की प्रबंधन समिति को निम्नलिखित कर्तव्यों और कार्यों को सौंपा है–

(क) कंपनी के बजट में लेखा शीर्षों और लाइन मदों की समीक्षा करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के शक्तियों के प्रत्यायोजन में शामिल प्रत्येक मद के लिए एक संगत लेखा शीर्ष या लाइन मद हो, और इस संबंध में बोर्ड के विचारार्थ सिफारिशें करना;
(ख) बोर्ड को इस बात की अनुशंसा करना कि कैसे–
    (i) प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के अधीन हो सकता है; और
    (ii) अप्रत्याशित आकस्मिकताओं या आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यय करने में सक्षम बनाने के लिए व्यवस्था की जा सकती है;

(ग) शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा करना तथा बोर्ड को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिश करना–

(I) कंपनी के व्यय में महत्वपूर्ण अनुपात के लिए जिम्मेदार सभी प्रकार के व्यय को कवर करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन में विशिष्ट और उचित प्रविष्टियाँ; और

(ii) कंपनी के अपने संसाधनों से किए गए व्यय और परियोजना निधि से किए गए व्यय के बीच शक्तियों के त्यायोजन में उचित अंतर करना;

(घ) तिमाही आधार पर लंबित कानूनी मामलों की स्थिति की समीक्षा करना; और

(ङ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो बोर्ड समय–समय पर सौंपे।

बोर्ड की प्रबंधन समिति की तीसरी बैठक 07.06.2023 को आयोजित की गई।

(13) कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रक्रिया है जो किसी संगठन के ब्रांड और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। यह नैतिक व्यावसायिक निर्णय लेने और मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय संचालित करने से सुनिश्चित होता है। एनआईसीएसआई में, यह आवश्यक है कि हमारी कंपनी के मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित किया जाए। यह हमारे हितधारकों का विश्वास हासिल करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2023–24 में आयोजित बोर्ड बैठकों और आम बैठकों की संख्या:

क्र. सं.	वित्त वर्ष 2021–22	दिनांक	स्थान
1.	बोर्ड की 127वीं बैठक	27.06.2023	सम्मेलनकक्षसं. 1007, प्रथमतल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003
2.	बोर्ड की 128वीं बैठक	15.09.2023	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003
3.	बोर्ड की 129वीं बैठक	13.12.2023	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 10003
4.	बोर्ड की 130वीं बैठक	27.03.2024	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 10003
5.	28वीं वार्षिक आम बैठक	28.12.2023	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 10003

(14) लेखा परीक्षा समिति

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते कंपनी को कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उनके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 कीधारा 177 के तहत एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं थी। निदेशक मंडल ने26 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में सुशासन प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने वित्तीय और लेखा परीक्षा मामलों की समीक्षा करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए एनआईसीएसआई में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया था कि एनआईसीएसआई निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन करती है। एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में काम करेंगे।

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्र. सं.	नाम और पद	नाम पद
1	श्री राजेश सिंह, जेएस एंड एफए, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
2	श्री एस.के. मारवाह, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई	सदस्य
3	सुश्री सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई	सदस्य
4	सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी*	सदस्य

*सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसीय कंपनी के साथ 30.09.2023 तक जुड़ी रहीं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की बैठकें 21.08.2023 और 08.12.2023 को आयोजित की गईं। लेखा परीक्षा समिति ने 25.07.2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की समीक्षा की और निदेशक मंडल और शेयरधारकों को प्रस्तुत करने की सिफारिश की। निदेशक मंडल ने 30.07.2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय विवरण को मंजूरी दे दी है।

(15) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की धारा 149(4) और नियम 4 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई घोषणा प्राप्त नहीं की गई है।

(16) निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति जिसमें योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता और धारा178 की उपधारा (3) के तहत प्रदान किए गए अन्य मामलों को निर्धारित करने के लिए मानदंड शामिल हैं

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी निजी लिमिटेड कंपनी होने के नाते कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के तहत हितधारक संबंध समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं थी।

(17) फॉर्म एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार वार्षिक रिटर्न का अंश अनुलग्नक–I में दिया गया है।

(18) वित्तवर्ष की समाप्ति और बोर्ड रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और रिपोर्ट की तारीख के बीच नहीं हुई हैं।

(19) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(20) भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक खाते

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक लेखाभारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(21) ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी अवशोषण पर जानकारी शून्य है। वर्ष के दौरान कंपनी की विदेशी मुद्रा आय शून्य थी और व्यय भी शून्य था।

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया–गारंटी नहीं दी–निवेश नहीं किया।

(23) संबंधित पक्ष लेन–देन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के प्रपत्र एओसी–2 में धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्त वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पक्ष लेन देन एक निश्चित सीमा तक किए गए थे और व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे: शून्य

अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का ब्यौरा जो कि हाथ की दूरी के आधार पर नहीं है: लागू नहीं
2. भौतिक अनुबंधों या व्यवस्था या लेन–देन का ब्यौरा: लागू नहीं

(24) विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश जो भविष्य में चालू व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई ऐसा महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करता हो।

(25) सहायक कंपनी

31 मार्च 2024 तक कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

(26) लेखा परीक्षक

मेसर्स जे. एन. मित्तल एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 003587एन), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जे–85, द्वितीय तल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली – 110027 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के खातों का लेखा परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था।

(27) निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 कीधारा 134 (3) (सी) के तहत आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल का कहना है कि:

क) वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

घ) निदेशकों ने वार्षिक खातों को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया था; और

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से काम कर रही थीं।

(28) अभारोक्ति

बोर्ड एनआईसी और एमईआईटीवाई सहित केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों / विभागों / संगठनों और पीएसयू आदि द्वारा कंपनी को दिए गए सहयोग, सहायता और मार्ग दर्शन के लिए आभार व्यक्त करना है। निदेशक भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और लेखा परीक्षकों के भी, सहयोग के आभारी हैं। बोर्ड सदस्यों, बैंकों और ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

ह०/–
अध्यक्ष
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म सं एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का विवरण

31.03.2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)

नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार.

I- पंजीकरण और अन्य विवरण

I)	सीआईएन	यू 74899 डीएल 1995 एनपीएल 072045
II)	पंजीकरण तिथि	29.08.1995
III)	कंपनी का नाम	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड
Iv)	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत प्राइवेट लिमिटेड सेक्शन 25 (अब सेक्शन 8 कंपनी) कंपनी।
V)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	हॉलस. 2 और 3, छठातल, एनबीसीसीटावर.15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 दूरभाष: 91–11–26105054, 26105193
vI)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है हाँ / नहीं	नहीं
vII)	रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि हो	नहीं है

II- कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10 % या अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगाः

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री	——	15.26
2	सेवा और अन्य आय	——	84.74

III- होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत %	लागू धारा
1	शून्य				

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(I) श्रेणी–वार शेयर होल्डिंग

शेयरधार कों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
शेयरधार कों की श्रेणी	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	शून्य
क.प्रचारक (1) भारतीय क) व्यक्तिगत / एचयूएफ ख) केंद्र सरकार ग) राज्य सरकार (रें) घ) निकाय निगम ङ) बैंक / एफआई च) कोइ अन्य .... उप–कुल (क) (1)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
(2) विदेशी क) एनआईआई–व्यक्तिगत ख) अन्य व्यक्ति ग) निकाय निगम घ) बैंक / एफआई च) कोई अन्य... उप / कुल(क) (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रचारक (क) की कुल शेयरधारिता = (क)(1) + (क)(2)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य

ख. सरकारी शेयरधारिता 1. संस्थान क) म्युचुअलफंड ख) बैंक / एफआई ग) केंद्रसरकार घ) राज्यसरकार (रें) ङ) वेंचर कैपिटलफंड च) बीमा कंपनियां छ) एफआईआई ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड्स झ) अन्य (बताएं) उपकुल (ख)(1) 2 .गैर–संस्थागत क) निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्तिगत i) व्यक्तिगत शेयरधारकों की शेयरधारिता नाम मात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. ii) व्यक्तिगत शेयर धारक की शेयरधारिता 1 लाखरु. से अधिक की नाम मात्र	लागू नहीं लागू नहीं								
शेयर पूंजी ग) अन्य(बताएं) उप – कुल (ख)(2)									
कुल सरकारी शेयरधारिता (ख)=(ख)(1) (ख)(2)	लागू नहीं								
ग. जीडीआर और एडीआर के कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	लागू नहीं								
कुल योग (क+ख+ग)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य

(II) प्रचारकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरोंका %	कुल शेयरों में गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
1	एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य
	कुल	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रचार कों की शेयरधारिता में परिवर्तन:

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
1		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
2	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं			
3	वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी के लिए निर्दिष्ट (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)				
4	वर्ष के अंत मे				

*श्री सुनील कुमार, पूर्व डीडीजी, एनआईसी द्वारा नामित व्यक्ति के रूप में रखे गए एक शेयर को 27.03.2024 को श्री आई.पी.एस सेठी, डीडीजी, एनआईसी को हस्तांतरित कर दिया गया।

(iv) शीर्ष दस शेयर धार कों की शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रचारकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा):

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
2	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं			
3	वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता मे तिथिवार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी के लिए निर्दिष्ट (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)				
4	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हो गए हों)				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता:

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1	प्रत्येक निदेशक और के एमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
2	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं			
3	वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तिथिवारवृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी के लिए निर्दिष्ट (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेटइक्विटी आदि)				
4	वर्ष के अंत में				

V .ऋण ग्रस्तता

कंपनी की ऋण ग्रस्तता जिस में बकाया / उपार्जित ब्याज भी शामिल है लेकिन भुगतान देय नहीं है

	जमाको छोड़कर सुरक्षित ऋण	अ सुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्त वर्ष एएसक्यू के आरंभ में ऋण ग्रस्तता I) मूलधन II) ब्याज देय ले किन भुगतान नही किया गया III) ब्याज अर्जित किन्तु देय नहीं	लागू नहीं			
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष एएसक्यू के आरंभ में ऋण ग्रस्तता I) वित्त वर्ष के दौरन ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन II) वृद्धि III) कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता I) मूलधन II) ब्याज देय ले किन भुगतान नहीं किया गया III) ब्याज अर्जित किन्तु देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का वेतन

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण–कालिक निदेशकों और / या प्रबंधक का वेतन:

एनआईईसीएसआई को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से एक प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 कंपनी (अब धारा 8 कंपनी) के रूप में प्रचारित किया गया है। कंपनी ने संस्था के अंत नियम के अनुच्छेद 59(I) के अनुसार, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से महानिदेशक, एनआईईसीएसआई द्वारा एनआईसी के उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त कर की जाएगी।

क्र. सं.	वेतन का विवरण	एमडी / डब्ल्यूटीडी / प्रबंधक का नाम	कुल राशि (रु. में)
		डॉ. विनय ठाकुर	
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 कीधारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन, (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	50.34 लाख	50.34 लाख
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	
3	स्वेट इक्विटी		
4	कमिशन – लाभ के : के रूप – अन्य, बताएं.....		
5	अन्य, कृपया बताएं कुल (ए) अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		

ख. अन्य निदेशकों को वेतन

क्र. सं.	वेतन का विवरण	निदेशक का नाम	कुल राशि
		-------	-------
1	स्वतंत्र निदेशक I) बोर्ड/समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फीस II) आयोग III) अन्य, कृपया बताएं	लागू नहीं	
	कुल (1)		
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक i) बोर्ड/समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फीस ii) आयोग iii) अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2)		
	कुल प्रबंधकीय वेतन		
	अधिनियमन के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा		

ग. एमडी / प्रबंधक/ डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों को वेतन

क्र. सं.	वेतन का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी कंपनी सचिव	
		श्री सन्नी जैन	कुल
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	19.38 लाख	19.38 लाख
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	
3	स्वेट इक्विटी		
4	कमिशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, बताएं.....		
5	अन्य, कृपया बताएं		

VII- जुर्माना/ दंड/ अपराधों का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माना/ दंड/ अपराधों के शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय,	अपील की गई, यदि कोई हो (विवरण दें)
जुर्माना	शून्य				
दंड					
अपराधों का शमन					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
अपराधों का शमन					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

ह०/–
अध्यक्ष
स्थान–नई दिल्ली

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पद नाम/ प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में शामिल होने की संख्या
1	श्री संकेत एस. भोंडवे, जेएस, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष	2	2
2	सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य	2	0*
3	श्री शुभागचंद, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य	2	2
4	श्री वी.टी.वी. रमन्ना, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य	2	2

*सुश्री अल्का मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी 30.09.2023 तक कंपनी से जुड़ी रहीं।

3. वेब–लिंक प्रदान करें, जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है। www.nicsi.com

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)। लागू नहीं

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	वित्तवर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (रु. में)
1			
2			
3			
	कुल		

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: 132 (करोड़ रुपये में)।

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: 3.02 रुपये (करोड़ रुपये में)

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष। शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो। शून्य

(घ) वित्तवर्ष (7क7ख–7ग) के लिए कुल सीएसआर दायित्व। रु. 3.02 (करोड़ रु. में)

8. (क) वित्त वर्ष में खर्च की गई या अव्ययित सी एस आर राशि:

वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (करोड़ रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि.	हस्तांतरण तिथि	निधिका नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
1.46*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागून हीं

*एनआईसीएसआई ने चालू परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम के रूप में 1.56 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस निधि का उपयोग अगले वित्त वर्ष में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। चूंकि परियोजना अगले वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी।

(ख) वित्त वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीयक्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन कातरीकाद् प्रत्यक्ष (नहीं/ हाँ)	कार्यान्वयन का तरीका– कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						म	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	शरीर के तापमान के आकलन के आधार पर रोग की भविष्यवाणी करने वाले कम लागत वाले पहनने योग्य स्मार्ट उपकरण के उन्नत प्रोटोटाइप और पायलट का विकास	(I)	नहीं	उत्तरप्रदेश			2500000	2025000	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि जारी करना	नहीं	फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंडटेक्नोलॉजी	सीएसआर00003708

2	एक से अधिक परियोजनाएं	(I)	नहीं	हरिद्वार और उधमसिंह नगर उत्तराखंड)		2500000	1519310	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि जारी करना	नहीं	ग्रामीण शिक्षा एवं कल्याण सोसायटी	सीएसआर 00020991
3	शैक्षणिक जागरूकता ,मल्टी मीडिया और क्षमता निर्माण के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु एक जीवंत सामुदायिक कार्यक्रम	(I)	नहीं	जिलाकच्छ (गुजरात)		2500000	1285891	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि जारी करना	नहीं	लोक वाणी-केंद्र विकास संचार	सीएसआर 00003058
4	कौशल वृद्धि एवं स्वस्थ संगति हेतु किशोर सहकर्मी	(I)	नहीं	फतेहगढ़ (बरेली)		2500000	1049913	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि जारी करना	नहीं	युग संस्कृति न्यास	सीएसआर 0006404
5	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल	(I)	नहीं	रामपुर और अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)		2500000	1266313	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि जारी	नहीं	महिला कार्य एवं स्वास्थ्य पहल	सीएसआर 0033087
6	ग्राम्य प्रवाह की यह व्यापक पहल पेंथाकाटा झुग्गी समुदाय की बेहतरी में योगदान देगी, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक–आर्थिक संभावनाओं में सुधार होगा	(I)	नही	जिला–पुरी राज्य–ओडीशा		1700000	शून्य	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि जारी	नहीं	ग्राम्य प्रवाह	सीएसआर 00000678

7	एक अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला बनाना	(I)	नहीं	जिला: अहमदनगर ,राज्य: महाराष्ट्र		1700000	शून्य	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि	नहीं	ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन	सीएसआर 00032257
8	बौद्धिक दिव्यांगों (PwIDs) के लिए अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र (भवन–फर्नीचर) बनाना का निर्माण करना)	(I)	नहीं	उज्जैन (मध्य प्रदेश)		1700000	शून्य	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि	नहीं	नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसायटी	सीएसआर 00008835
9	चिकित्सा सेवा केंद्र का विस्तार	(I)	नहीं	आनंदन हर, बोहरी, जम्मू		1700000	शून्य	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि	नहीं	संजीवनी शारदा केंद्र	सीएसआर 00041790
10	प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं चालू करना	(I)	नहीं	चम्बा (हिमाचल प्रदेश)		1700000	शून्य	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि	नहीं	प्रयास	सीएसआर 00001812
11	एमआईवाई सीएचएन–मातृ शिशु बालकों का स्वास्थ्य एवं पोषण	(I)	नहीं	श्रावस्ती (उत्तरप्रदेश)		1700000	शून्य	कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम राशि।	नहीं	संत्तर विदास एजुकेशनल सोसायटी	सीएसआर 00023670
	कुल					22700000	7146427				

(ग) वित्तवर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियो की सूची सआइटम	स्थानीयक्षेत्र (हॉं/ नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य.	जिला				

1	मारिक धर्म स्वच्छता और बुनियादी स्वच्छता	(I)	नही	नर्मदा जिला, गुजरात	2500000	नहीं	ग्राम विकास ट्रस्ट	सीएसआर 00000175
2	एमआईवाईसीए च एन–मातृ शिशु बालक स्वास्थ्य एवं पोषण	(I)	नही	बलरानपुर (उत्तरप्रदेश)	2500000	नही	संतर विदास एजुकेशनल सोसायटी	सीएसआर 00023870
3	दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य, पोषण और सहायक उपकरण	(I)	नहीं	बहराइच (उत्तरप्रदेश)	2500000	नहीं	विकलांग सहारा समिति दिल्ली	सीएसआर 00000105
	कुल				7500000			

(घ) प्रशासनिक मदों में खर्च की गई राशि: शून्य
(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नही
(च) वित्तवर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ) के लिए व्यय की गई कुल राशि: 1,46,46,427/–रु
(छ) सेट–ऑफ हेतु अतिरिक्त राशि, यदि हो। लागू नहीं

क्र. सं.	विवर्ण	राशि (रु. में)
(I)	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	
(II)	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	
(III)	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	
(IV)	पिछले वित्तवर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	
(V)	आगामी वित्त वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	

9. (क) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष	धारा 135 की उप–धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में) (करोड़ में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)
1	वित्तवर्ष 2022–23	2.50	2.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2	वित्तवर्ष 2022–22	1.12	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3							
	कुल	3.52	2.50				

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम.	परियोजना आरंभ होने वाला वित्त वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में संचयी व्यय राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति- पूर्ण/ चालू
1		मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए)	2022–23		5000000	5000000	5000000	पूर्ण
2		स्वास्थ्य पुनर्वास/चिकित्सा तथा विकलांगों और वृद्ध लोगों के लिए सहायक उपकरण और स्वास्थ्य एवं सहायक उपकरणों का वितरण	2022–23		5000000	5000000	5000000	पूर्ण
3		बाजरा मिश्रित आहार से स्वास्थ्य और पोषक तत्वों को बढ़ावा देना।	2022–23		5000000	5000000	5000000	पूर्ण
4		युवाओं को स्वास्थ्य सेवा में प्रशिक्षित करके उनके रोजगार के अवसर बढ़ाना	2022–23		3500000	3500000	3500000	पूर्ण
5		महिलाओं और बाल स्वास्थ्य की स्वास्थ्य सेवा में स्वदेशी तकनीकों का उपयोग	2022–23		3500000	3500000	3500000	पूर्ण
	कुल				220000000	220000000	220000000	

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अभिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित परिसंपति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें: लागू नहीं
(परिसंपत्ति–वार ब्यौरा)।

(क) पूंजीगत परिसंपत्तियों (ओं) के सृजनया अधिग्रहण की तिथि।
(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि।
(ग) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।
(घ) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित।

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो उसका कारण बताएं।

कुल 3.02 करोड़ रुपये के सीएसआर व्यय में से 1.46 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान खर्च किए गए और शेष 1.56 करोड़ रुपये चल रही परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम के रूप में दिए गए। इस निधि का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। चूंकि परियोजना अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी।

ह० (प्रबंध निदेशक)।	ह० (अध्यक्ष सीएसआर समिति)।

प्रपत्र सं. एमजीटी-8

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (2) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014
के नियम 11(2) के अनुसार]

कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणपत्र

मैंने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड के रजिस्टरों, अभिलेखों और बहीखातों एवं कागजातों की जांच, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत है, इसका सीआईएनः यू 74899 डीएल 1995 एनपीएल 072045 है और पंजीकृत कार्यालय हॉल सं. 2 और 3, छठा तल, एनबीसीसी टावर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली– 110066, भारत ("कंपनी") है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन बनाए रखा जाना आवश्यक है, की है। मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं मेरे द्वारा की गई जांच और कंपनी, उसके अधिकारियों एवं एजेंट्स के द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, मैं प्रमाणित करता हूँ कि:

क. वार्षिक रिटर्न उपरोक्त वित्त वर्ष की समाप्ति पर तथ्यों को उचित और पर्याप्त रूप से बताता है।
ख. उपरोक्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित के संबंध में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. अधिनियम के तहत इस की स्थिति;

2. रजिस्टरों–अभिलेखों का रखरखाव और उनमें निर्धारित समय के भीतर प्रविष्टियां करना;

3. निर्धारित समय के भीतरः उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्र सरकार, न्यायाधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकारियों के पास वार्षिक रिटर्न में बताए गए फॉर्म और रिटर्न दाखिल करनाय

4. 27–06–2023, 15–09–2023, 13–12–2023 और 27–03–2024 को निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकें बुलाना / आयोजित करना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के लिए 19–12–2023 और 21–02–2024 को बैठकें, लेखा परीक्षा समिति के लिए 20–06–2023, 21–08–2023 और 08–12–2023 को बैठकें और बोर्ड की प्रबंधन समिति के लिए 07–06–2023 को बैठकें और कंपनी के सदस्यों की बैठकें 28–12–2023 को (वार्षिक आम बैठक) वार्षिक रिटर्न में बताई गई निश्चित तिथियों पर, जिनके संबंध में बैठकों के लिए उचित नोटिस दिए गए थे और परिपत्र प्रस्तावों और डाक मतपत्र द्वारा पारित प्रस्तावों सहित कार्यवाही, यदि कोई हो, को कार्यवृत्त में ठीक से दर्ज किया गया है इस उद्देश्य के लिए पुस्तक / रजिस्टर बनाए गए हैं और उन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

5. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को अपने सदस्यों के रजिस्टर को बंद करने की आवश्यकता नहीं थी।

6.अधिनियम की धारा 185 में निर्दिष्ट निदेशकों और / या व्यक्तियों या फर्म या कंपनियों को कोई अग्रिम / ऋण नहीं दिया गया था,

7.समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई थी;

8.31 मार्च 2023 समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान सभी मामलों में प्रतिभूतियों को जारी करने या आवंटन या पारेषण या वापस खरीदनेः वरीयता शेयरों या डिबेंचरों को भुनानेः शेयर पूंजी में परिवर्तन या कटौती–शेयरों–प्रतिभूतियों के रूपांतरण और सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने की कोई घटना नहीं हुई।

9. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण को लंबित रखते हुए लाभांश, अधिकार शेयरों और बोनस शेयरों के अधिकारों को स्थगित रखना। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी;

10. लाभांश की घोषणा–भुगतान; अवैतनिक / अदावाकृत लाभांश / अन्य राशियों का हस्तांतरण, जैसा कि अधिनियम की धारा 125 के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में लागू है। लागू नहीं, क्योंकि अधिनियम की धारा 8 (1)(सी) के तहत लाभांश की घोषणा / भुगतान निषिद्ध है।

11. अधिनियम की धारा 134 के प्रावधानों और निदेशकों की रिपोर्ट के अनुसार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण का अर्थ उसकी उपधारा (3), (4) और (5) के अनुसार है;

12. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति और समाप्ति तथा निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

- श्री राजीव राठी, श्रीमती अल्का मिश्रा और श्रीमती सुचित्रा प्यारे लाल 30–09–2023 को निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।
- श्री संकेत भोंडवे को 23–08–2023 को निदेशक नियुक्त किया गया और श्री सुशील पाल 23–08–2023 को निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए।
- श्रीमती जयंती श्रीनिवास और श्री सुशील कुमार को 01–10–2023 को निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री भुवनेश कुमार को 17–07–2023 को निदेशक (अध्यक्ष) नियुक्त किया गया और श्री अमित अग्रवाल 17–07–2023 को निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षक की नियुक्ति। मेसर्स जे.एन. मित्तल एंड कंपनी, (डीई 1010), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा139 के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

14. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार, न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार, न्यायालय या ऐसे अन्य प्राधिकरणों से कोई अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी;

15. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जमा स्वीकार / नवीनीकृत / पुनर्भुगतान नहीं किया है।

16. कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपने निदेशकों, सदस्यों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य से कोई उधार नहीं लिया है;

17.कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले अन्य निगमित निकायोंया व्यक्तियों को कोई ऋण और निवेश या गारंटी नहीं दी है या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं;

18. कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ज्ञापन और / या एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है;

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 19-11-2024

अग्रवाल मनीष कुमार एंड कंपनी
कंपनी सचिवों के लिए

ह0 / –
मनीष कुमार अग्रवाल
(अधिकारी)
सी. पी. स. 7057
सदस्यता सं.: एफ–9528
यूडीआईएन–एफ009528एफ002315691

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकॉर्पोरेटेड (एन आई सी एस आई)

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एनआईसीएसआई के खातों पर मेसर्स जे. एन. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से वैधानिक लेखापरीक्षक के टिप्पणियों के उत्तर।

लेखा परीक्षा टिप्पणी	एनआईसीएसआई के उत्तर
1. योग्य राय का आधार	
I- हम वित्तीय विवरणों के लिए निम्नलिखित बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। ये शेष राशियाँ समाधान और पुष्टि के अधीन हैं। ऐसी पुष्टि और समाधान लंबित होने तक, हम बकाया शेष राशि की सत्यता और वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का पता लगाने और उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।	31.03.2024 तक शेष राशि के लिए लगभग 50 विभागों को शेष राशि पुष्टि पत्र जारी किए गए हैं। यह नियमित विशेषता है कि विभागों / संगठनों आदि को ऐसे पत्र जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कम प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। हमारे अधिकांश उपयोगकर्ता सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग हैं। हालाँकि एनआईसीएसआई ने शेष राशि की पुष्टि के लिए अपनेईआरपी सिस्टम को स्वचालित कर दिया है ताकि सुलह और पुष्टि की जा सके। एनआईसीएसआई के तहत एक देनदार वसूली सेल (डीआरसी) बनाया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, शेष राशि की पुष्टि के लिए डीआरसी द्वारा 484 पत्र भेजे गए हैं। 14 विभागों ने और विस्तृत जानकारी मागने संबंधी हमारे पत्र का जवाब दिया है। यह आश्वासन दिया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष में शेष राशि की पुष्टि के लिए और अधिक कठोर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

विवरण	नोटसं.	मार्च 2024 तक शेष राशि (लाखों रुपये में
अन्य वित्तीय संपत्तियां (सुरक्षा जमा)	नोट–7	1368.10
अन्य गैर– चालू संपत्तियां" (पूंजीगत और अन्य अग्रिम)	नोट–9	12774.42
व्यापार प्राप्य	नोट–10	42095.51
अन्य चालू संपत्तियां" (आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम)	नोट–15	29011.05
अन्य वित्तीय देयताएँ (देय सुरक्षा जमा)	नोट–18	64.76
व्यापार देय	नोट–19	45206.02
अन्य वित्तीय देयताए	नोट–20	861.69
(बयाना जमा और प्रतिधारण धन जमा)		

अन्य चालू देयताएं" (ग्राहकों से अग्रिम)	नोट–21	263566.22	

ii. नोटसं. 37 देखें। "आकस्मिक देयताएँ"। एमएसएमई व्यापार देय के संबंध में ब्याज व्यय और ब्याज देयता को पहचानने के बजाय, कंपनी ने एमएसएमई व्यापार देय के संबंध में ब्याज देयता को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप आय में 762.26 लाख रुपये की अधिकता और व्यापार देय में 762.26 लाख रुपये की कमता दर्शाई गई है।	एमएसएमई के अंतर्गत ब्याज की गणना उन विक्रेताओं के लिए की जाती है जिन्होंने एमएसएमई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, और वित्तीय विवरण के नोट संख्या 37 के अंतर्गत आकस्मिक देयता के रूप में खुलासा किया है। प्रक्रिया के अनुसार, यदि परियोजना के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण ब्याज देय है, तो उपयोगकर्ता विभाग से ब्याज वसूल किया जाएगा। उपयोगकर्ता विभाग को जारी किए गए समापन विवरण और परफॉर्मा चालान में भी इसका खुलासा किया गया है। हालांकि एमएसएमई के तहत ब्याज का भुगतान तब किया जाएगा जब विक्रेताओं द्वारा कोई मांग उठाई जाएगीय हालांकि, एमएसएमई अधिनियम के तहत कोई मांग लंबित नहीं है। तदनुसार एमएसएमई के तहत ब्याज देयता को आकस्मिक देयता के तहत प्रकट किया गया है।
iii- नोट संख्या 10 "व्यापार प्राप्य" देखें। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II की आवश्यकताओं के अनुसार, भुगतान की देय तिथि को आधार तिथि मानते हुए, 6 महीने से कम, 6 महीने – 1 वर्ष, 1 – 2 वर्ष, 2 – 3 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक की श्रेणियों के लिए आयु का खुलासा किया जाना चाहिए। चूंकि कंपनी का ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आयु विवरण उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए कंपनी ने वार्षिक वृद्धिशील शेष दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य की आयु का खुलासा किया है। इसके अलावा, कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए 11,620 लाख रुपए का प्रावधान किया है। कंपनी की संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए लेखांकन नीति नोट 2 (xvi) में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि "संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 100%, 5–10 वर्षों के बीच 50% और बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार 3–5 वर्षों के बीच 25% माना जाता है।" लेखांकन नीति के अनुसार, चालान के भुगतान की नियत तिथि से 10 वर्ष, 5–10 वर्ष और 3–5 वर्ष की प्रावधान अवधि देखी जानी चाहिए। चूंकि कंपनी का ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एजिंग विवरण उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए कंपनी ने 11620 लाख रुपये के प्रावधान की गणना के लिए वार्षिक वृद्धिशील शेष दृष्टिकोण का उपयोग किया है। व्यापार प्राप्तियों की चालानवार परिपक्वन (एजिंग) की अनुपलब्धता के कारण, हम बताए गए परिपक्वन (एजिंग) और 11,620 लाख रुपये की प्रावधान राशि की सत्यता का पता लगाने और उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	वर्तमान में, व्यापार प्राप्तियों केपरिपक्वन (एजिंग) का निर्धारण एफआईएफओ (FIFO) आधार पर मैन्युअल रूप से किया जा रहा है और पिछले वर्षों में भी इसका पालन किया गया है। वित्तीय विवरण में संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान तदनुसार प्रदान किया गया है और वित्तीय विवरण के नोट 10 "व्यापार प्राप्तियां" में इसका प्रकटीकरण किया गया है। हालांकि, एनआईसीएसआई ईआरपी के लिए अपने वर्तमान समर्थन को उन्नत करने की प्रक्रिया में है और लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार इसे अद्यतन किया जाएगा तथा तदनुसार प्रावधान किया जाएगा।

2. मुख्य मामला	
I. नोट संख्या 55 "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय" देखें। कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022–23 में सीएसआर व्यय के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करते समय, उसने अनजाने में 220 लाख रुपये की सीएसआर परियोजनाओं को "चालू परियोजनाओं" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इन परियोजनाओं को "चालू परियोजनाओं के अलावा" मानते हुए वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर 2 दाखिल किया। 30.07.2024 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में, कंपनी के बोर्ड ने "चल रही परियोजनाओं के अलावा" श्रेणी को "चल रही परियोजनाओं" में पुनर्वर्गीकृत करके इस त्रुटि की पुष्टि की।	30.07.2024 और 07.10.2024 को आयोजित बैठक में बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार आवश्यक आरओसी फाइलिंग का कार्य यथा समय पूरा कर लिया जाएगा।
I. कंपनी को नोट 2 (vii) में दी गई राजस्व मान्यता और नोट 2 (iv) में दिए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर के परिशोधन के संबंध में अपनी लेखांकन नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।	कंपनी द्वारा हर साल लेखांकन नीतियों की समीक्षा की जाती है और उसमें होने वाले बदलावों को वित्तीय विवरण में शामिल किया जाएगा। राजस्व मान्यता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर के परिशोधन के संबंध में नीतियां चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024–25 में बनाई/अपडेट की जाएंगी।
3. अन्य मामले	
I. कंपनी के पास प्रत्यक्ष सेवाओं/प्रबंधित सेवाओं के संबंध में राजस्व की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए कोई उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। वर्तमान में, इन सेवाओं से होने वाला राजस्व चालान तैयार होने के समय दर्ज किया जाता है। परियोजना समन्वयक द्वारा यह पुष्टि किए जाने के बाद ही चालान तैयार किया जाता है कि सेवा प्रदान की गई है और बिलिंग प्रभाग को चालान जारी करने का निर्देश देता है। इस पद्धति के परिणामस्वरूप सेवा वास्तव में प्रदान किए जाने और राजस्व दर्ज किए जाने के बीच समय अंतराल होता है, क्योंकि राजस्व की पहचान सेवा के वास्तविक प्रदर्शन के बजाय चालान निर्माण के आधार पर होती है। इससे संभावित रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग में बाधा उत्पन्न हो सकती है।	जैसा कि सांविधिक लेखा परीक्षक ने सुझाव दिया है, एनआईसीएसआई चालू वित्त वर्ष 2024–25 के लिए प्रत्यक्ष सेवाओं/प्रबंधित सेवाओं के राजस्व की रिकॉर्डिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करेगा।
II. कंपनी के पास व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय राशियों, ग्राहक से अग्रिम, बयाना राशि जमा, रिटेंशन मनी, सुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के समाधान और पुष्टि के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। हमारे द्वारा पहचाने गए मामलों को हमारी रिपोर्ट मे विभिन्न स्थानों पर उचित रूप से योग्य बनाया गया है।	एनआईसीएसआई ने 01.07.2017 से खातों और अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपना लिया है। एनआईसीएसआई के पास व्यापार प्राप्तियों के समाधान और पुष्टि के लिए एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हालांकि, लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार एनआईसीएसआई वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्यापार देय, ग्राहक से अग्रिम, बयाना राशि जमा, रिटेंशन मनी, सुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के संबंध में अपनी समाधान और पुष्टि प्रक्रिया का विस्तार कर रहा है।
III. कंपनी के पास व्यापार प्राप्तियों के परिपक्वन (एजिंग) हेतु कोई उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। वर्तमान में, आयु बढ़ाने का काम एक्सेल में मैन्युअल रूप से किया जा रहा है, जिससे संभावित अशुद्धियाँ और अक्षमताएँ हो सकती है। परिणामस्वरूप, संभावित रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग में कमी आ सकती है। हमारे द्वारा पहचाने गए मामलों को हमारी रिपोर्ट में विभिन्न स्थानों पर उचित रूप से योग्य बनाया गया है।	एनआईसीएसआई ईआरपी के लिए अपने वर्तमान समर्थन को उन्नत करने की प्रक्रिया मे है और लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार पुराने समर्थन को अद्यतन करेगा।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: U74899DL1995NPL072045
31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट

लाख रु. में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
संपत्ति			
गैर–चालू संपत्ति			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	4,451.39	3,878.61
पूंजीगत कार्य–प्रगति	4	553.00	8,297.21
उपयोग/अधिकार संपत्ति	5	13,585.91	15,710.57
अन्य अमूर्त संपत्ति	6	6,105.20	5,329.49
वित्तीय संपत्तियां:			
अन्य वित्तीय संपत्तियां	7	1,366.10	1,262.36
आस्थगित कर संपतियां (शुद्ध)	8	5,555.82	4,060.91
अन्य गैर–चालू संपत्तियां	9	12,774.42	1,597.34
कुल गैर–चालू संपत्तियां		44,391.84	40,136.49
चालू संपत्तियां			
वित्तीय संपत्तियां:			
(क) व्यापार प्राप्य	10	42,095.51	46,561.48
(ख) नकद और नकद समकक्ष	11	105,381.14	76,321.22
(ग) उपरोक्त '(बी)' के अलावा अन्य बैंक शेष	12	158,807.90	135,651.57
(घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	5,946.41	4,623.05
चालू कर संपत्तियां (शुद्ध)	14	18,400.99	19,539.09
अन्य चालू संपत्तियां	15	64,145.06	34,304.50
		394,777.01	317,000.91
कुल संपत्तियां		439,168.85	357,137.40
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16	200.00	200.00
अन्य इक्विटी	17	108,736.46	89,054.51
कुल इक्विटी		108,936.46	89,254.51

देयताएं			
गैर–चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
(क) पट्टा देयता	35	15,676.19	17,301.84
(ख) अन्य वित्तीय देयताएं	18	64.76	64.75
कुल गैर–चालू देयताएं		15,740.95	17,366.61
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं:			
(क) पट्टा देयता	35	1,738.04	1,597.79
(ख) व्यापार देयताएं	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		3,959.78	6,847.30
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		41,246.24	41,289.99
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,315.64	1,426.72
अन्य चालू देयताएं	21	265,662.00	199,326.51
प्रावधान	22	569.14	27.97
कुल चालू देयताएं		314,491.44	250,516.28
कुल इक्विटी और देयताएं		439,168.85	357,137.40

प्रमुख लेखांकन नीतियां 2

संलग्न नोट (1 – 62) वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार
जे एन मित्तल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
कंपनी पंजीकरण सं. 003587एन

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

ह०/–
मनोज बलोडि
साझीदार
सदस्यता सं. 560392
यूडीआईएन सं. 24560392बीकेएमडीएनयू1578

ह०/–
डॉ. राजेश कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10680009

ह०/–
श्री. भुवनेश कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन: 02780311

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 30.07.2024

ह०/–
सनी जैन
कंपनी सचिव
एससीएस: 31700

ह०/–
श्री जितेन्द्र कुमार
एफए एंड सीए

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएनः U74899DL1995NPL072045
31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष का आय–व्यय खाता

लाख रु. में

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
	आय			
I	संचालन से राजस्व	23	222,359.96	160,418.10
II	अन्य आय	24	13,425.56	9,852.98
III	कुल आय (I+II)		235,785.52	170,271.08
IV	व्यय			
	भंडार माल की खरीद	25	35,858.93	19,030.09
	सेवा समर्थन व्यय		153,731.60	114,770.31
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,431.22	1,295.16
	वित्तीय लागत	27	802.36	905.33
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	8,363.94	7,292.90
	अन्य व्यय	29	9,005.71	6,941.25
	कुल व्यय (IV)		209,193.76	150,235.04
V	कर पूर्व आय / (हानि) (III-IV)		26,591.76	20,036.04
VI	कर व्ययः		6,909.81	5,058.64
	(1) वर्तमान कर		8,364.77	5,525.80
	(2) आस्थगित कर		(1,494.91)	(482.28)
	(3) पिछले वर्षों के लिए समायोजित / (पुनरांकित) कर		39.95	15.12
VII	वर्ष के लिए निरंतर परिचालन से आय/ (हानि) (V-VI)		19,681.95	14,977.40
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (वर्ष के लिए आय/ (हानि) और अन्य व्यापक आय समेत)		19,681.95	14,977.40
X	प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर नाममात्र मूल्य 100 रु.):			
	(1) मूल	30	9,840.96	7,488.70
	(2) सुस्त	30	9,840.96	7,488.70

प्रमुख लेखांकन नीतियां 2
संलग्न नोट (1 – 62) वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार जे
एन मित्तल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी पंजीकरण सं.
003587एन

ह०/–
मनोज वलोडि
साझीदार
सदस्यता सं. 560392
यूडीआईएन सं. 24560392बीकेएमडीएनयू1578

ह०/–
डॉ. राजेश कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10680009

ह०/–
श्री. भुवनेश कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02780311

ह०/–
सनी जैन
कंपनी सचिव
एससीएसः 31700

ह०/–
श्री जितेन्द्र कुमार
एफए एंड सीए

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 30.07.2024

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएनः U74899DL1995NPL072045
31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी 100/– प्रत्येक

क. जारी किए, सब्सक्राइब और प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए इक्विटी शेयर पूंजी 100/–रु. प्रत्येक

लाख रु. में

विवरण	नोट	राशि
31 मार्च 2022 तक	16	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
31 मार्च 2023 तक	16	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
31 मार्च 2024 तक	16	200.00

ख. अन्य इक्विटी (नोट सं. 17 देखें)

लाख रु. में

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष प्रतिधारित आय	कुल अन्य इक्विटी
31 मार्च 2022 तक	73,986.10	73,986.10
पूर्व अवधि की आय (जनशक्ति/ मैनपावर)		
अन्य इक्विटी (रिजर्व और अधिशेष) पर शुद्ध वृद्धि का पूर्व अवधि प्रभाव (नोट संख्या 36 देखें)	91.01	91.01
वर्ष के लिए अधिशेष (कमी)	14,977.40	14,977.40
31 मार्च 2023 तक	**89,054.51**	**89,054.51**
वर्ष के लिए अधिशेष (कमी)	19,681.95	19,681.95
वर्ष के लिए कुल अधिशेष	**19,681.95**	**19,681.95**
31 मार्च 2024 तक	**108,736.46**	**108,736.46**

सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार जे
एन मित्तल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी पंजीकरण सं.
003587एन

ह०/–
मनोज बलोडि
साझीदार
सदस्यता सं. 560392
यूडीआईएन सं. 24560392बीकेएमडीएनयू1578

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 30.07.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

ह०/–
डॉ. राजेश कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10680000

ह०/–
श्री. भुवनेश कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02780311

ह०/–
सनी जैन
कंपनी सचिव
एससीएसः 31700

ह०/–
श्री जितेन्द्र कुमार
एफए एंड सीए

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: U74899DL1995NPL072045
31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का वितरण

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर और असाधारण मदों से पहले अधिशेष/ (हानि)	26,591.76	20,036.04
समायोजनः		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	8,363.94	7,292.90
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,136.50	1,233.75
स्टाम्प ड्यूटी प्रावधान में परिवर्तन	—	(46.55)
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के लिए प्रावधान	155.56	—
एलएफ और एसयूली शुल्क पर ब्याज और दंड के लिए प्रावधान	413.59	—
संपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(0.56)	(1.05)
वित्तीय आय (सुरक्षा जमा पर)	(92.50)	(83.61)
वित्तीय आय	802.36	905.33
ब्याज से आय	(12,331.27)	(8,317.89)
अग्रिम पर प्रावधान / (वसूली योग्य राशि)	94.98	37.66
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन अधिशेष/ (हानि)	25,134.35	21,056.57
समायोजनः		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/ कमी	3,329.47	(13,366.08)
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(33,747.27)	(6,154.95)
व्यापार देय और अन्य देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	63,265.77	8,783.31
संचालन से प्राप्त नकदी	57,982.33	10,318.85
भुगतान किया गया आय कर	(6,869.86)	(5,043.52)
पिछले वर्षों के लिए आय कर	(39.95)	(15.12)
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/ (बहिर्वाह) (क)	51,072.52	5,260.21
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल संपत्तियों की खरीद	(6,924.80)	(5,262.74)
एफडीआर में निवेश	(23,156.33)	(20,891.96)
अचल संपत्तियों की बिक्री	0.85	1.27
प्राप्त ब्याज	11,007.91	6,812.48
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/ (बहिर्वाह) (ख)	(19,072.37)	(19,340.95)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
भुगतान किया गया ब्याज	(802.36)	(905.33)
पट्टा देयता के मूलधन का भुगतान	(2,137.84)	(1,831.77)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) (ग)	(2,940.21)	(2,737.10)
नकदी और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)	29,059.94	(16,817.84)

वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष	76,321.22	93,139.05
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	105,381.14	76,321.22

टिप्पणी

1) नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक –7, "नकदी प्रवाह का विवरण" में बताया गया है।

2) वर्ष के अंत में नकदी और बैंक शेष में बैंको के पास नकदी और शेष शामिल हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
नकद और नकद समकक्ष		
बैंक शेष	70,353.42	75,003.57
अग्रदाय खाता	2.00	0.14
अन्य बैंक शेष		
सावधि जमा	35,025.72	1,317.51
	105,381.14	76,321.22

3) उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण में सीएसआर गतिविधियों के लिए रु. 302.00/– लाख (पिछले वर्ष रु. 250.00/– लाख) शामिल हैं। नोट संख्या 55 देखें।

सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार जे एन मित्तल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी पंजीकरण सं. 003587एन

ह०/–
मनोज वलोडि
साझीदार
सदस्यता सं. 560392
यूडीआईएन सं. 24560392बीकेएमडीएनयू1578

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 30.07.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

ह०/–
डॉ. राजेश कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10680009

ह०/–
श्री. भुवनेश कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02780311

ह०/–
सनी जैन
कंपनी सचिव
एससीएसः 31700

ह०/–
श्री जितेन्द्र कुमार
एफए एंड सीए

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ

1. कॉर्पोरेट सूचना

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इकॉर्पोरेटड ('निगम') को, 29 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा– 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ('एनआईसी'), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन निगमित किया गया था। निगम सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को संपूर्ण आईटी समाधान प्रदान करने का कार्य करता है।

30.07.2024 के निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

i. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानको (अब से भारतीय लेखा मानक के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के तहत जारी नियमों और भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाएगा।

उचित मूल्य पर आंकी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को छोड़कर वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं (वित्तीय उपकरणों के संबंध में लेखांकन नीति देखें)।

वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लाभकारी संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रु.) में प्रस्तुत किए गए है, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। वित्तीय विवरणों और नोट्स में बताई गई सभी राशियों को अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित किया गया है, जब तक अन्यथा न उल्लिखित हो। त्रुटियों के पूर्णांकन को नजरअंदाज कर दिया गया है। संचालन चक्र वह समय है जिसमें प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया

ii. परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण:

किसी संपत्ति को तब वर्तमान संपत्ति माना जाता है जब:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने की उम्मीद हो या बेचे जाने या उपभोग की मंशा होय
- मुख्य रूप से कारोबार के उद्देश्य से रखी गई होय
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर बेचे जाने की उम्मीद हो;
- नकद या नकद समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम– से– कम बारह माह के लिए किसी देनदारी का निपाटन करने हेतु इसका आदान– प्रदान या उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर– वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक देनदारी को तब वर्तमान (चालू) संपत्ति माना जाता है जब:

- सामान्य परिचालन चक्र में इसके निपटान की उम्मीद हो;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो;
- इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर किया जाना है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम–से–कम 12 माह के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आरथगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां एवं देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संचालन चक्र वह समय है जिसमें प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जाता है और नकद एवं नकद समकक्षों में उसकी बिक्री की जाती है। निगम ने अपना संचालन चक्र 12 माह निर्धारित किया है।

iii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

(क) स्वीकृति और प्रारंभिक माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनकी अधिग्रहण लागत पर बताया गया है। भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर, कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पिछले जीएएपी वहन मूल्य (मानित लागत) पर मापना निर्धारित किया था।

लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे होते हैं और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व लागत शामिल है। खरीद मूल्य पर पहुंचने पर किसी भी व्यापार छूट और छूट में कटौती की जाती है। बाद की लागत को परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ दिया जाता है या अलग परिसंपत्तियों के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसा उचित हो, केवल तभी जब यह संभव हो कि वस्तुओं से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। जब संयंत्र और मशीनरी के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर बदलने की जरूरत होती है तो कंपनी उनके उपयोगी जीवन के आधार पर अलग से उनका मूल्यह्रास करती है। इसी प्रकार, जब कोई बड़ी जांच की जाती है, तो इसकी लागत को संयंत्र की वहन राशि में मान्यता दी जाती है और मान्यता मानदंड पूरा होने पर उपकरण बदल दिए जाते हैं। मरम्मत और रखरखाव संबंधी अन्य सभी लागतों को लाभ या हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ख) परवर्ती माप (मूल्यह्रास और उपयोगी जीवन)

पीपीई की वस्तुओं पर ह्रसित मूल्य पद्धति और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर प्रदान किया गया है। निगम ने पीपीई की सभी वस्तुओं का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुरूप निर्धारित किया है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है।

(ग) मान्यता रद्द करना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और आरंभ में स्वीकृत कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा निपटान पर या जिससे भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिगणित) को, संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर आय के विवरण में शामिल किया जाता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास के तरीको की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो, संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

iv. अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को शुरूआत में लागत पर मापा गया है। अमूर्त संपत्तियों को बाद में संचित परिशोधन और संचित अपसामान्य हानि को घटाकर लागत पर मापा गया है। अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन सीमित या अनंत हो सकता है। ह्रसित मूल्य पद्धति के अनुसार सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया गया है। एक सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम-से-कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय को आय और व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि ऐसा व्यय किसी अन्य संपत्ति के मूल्य का हिस्सा न हो।

कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर से संबंधित लागतों को उनके अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन क्रमशः एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या छह वर्ष के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर पूंजीकृत और परिशोधित किया जाता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर से संबंधित लागतों को दस वर्षों के अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर पूंजीकृत एवं परिशोधित किया जाता है।

(V) वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन ऐसा अनुबंध होता है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक स्वीकृति और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरूआत में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है, साथ ही, अगर लाभ या हानि के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों को दर्ज नहीं किया गया हो तो ऐसे मामले में, लेन– देन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) को व्यापार तिथि पर स्वीकृति दी जाती है यानि वह तिथि जब कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

परवर्ती माप

परवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

परिशोधन लागत पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्न दोनों शर्तें पूरी होती हों तो:

क) परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के पास हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने हेतु परिसंपत्तियों को रखना हो, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल बकाया मूल्य राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक मान्यता पर सभी वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है। लेन–देन की लागत जो वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, जो आय या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं। प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का प्रयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में जोड़ा गया है। अपसमानता के कारण होने वाली हानि को लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई)

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे हो रहे हों तो एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई माना जाता है:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने, दोनों से प्राप्त किया जाता है और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकद प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में रखा गया ऋण साधन को शुरूआत में, साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचालन को स्वीकार किया जाता है। हालाँकि, कंपनी ब्याज से होने वाली आय, अपसामान्य हानि और रिवर्सल एवं विदेशी मुद्रा से लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज करती है। परिसंपत्तियों को बेचे जाने पर, ओसीआई में पहले हुए लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन को रखते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग कर ब्याज आय के रूप में दिखाया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता, उसे एफवीटीपीएल श्रेणी में रखा जाता है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल की तरह परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता हो। हालांकि, ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या स्वीकृति असंगतता कम हो रही हो या समाप्त हो रही हो (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने एफवीटीपीएल के अनुसार कोई ऋण साधन निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि खाते में दर्ज सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। इक्विटी साधन जो व्यापार और आकस्मिक विचार के लिए रखे जाते हैं, एक अधिग्रहणकर्ता द्वारा व्यापार संयोजन में स्वीकृत होते हैं, जिस पर भारतीय लेखा मानक 103 (व्यापार संयोजन) लागू होता है, उन्हें एफवीटीपीएल में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी किसी इक्विटी उपकरण को एफवीटीओसीआई के अनुसार वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, उपकरण पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में पहचाने जाते हैं। निवेश की बिक्री पर भी लाभ और हानि तक की रकम का कोई पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को पीएंडएल में मान्यताप्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से तब अमान्य कर दिया जाता है जब:

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, या

संबंधित कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या 'पास' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और

या तो कंपनी:

(क) ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या

(ख) परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही पर्याप्त रूप से अपने पास रखा है लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया हो।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास व्यवस्था में प्रवेश किया है तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस सीमा तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, तो कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उसी स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी पहचानती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देनदारी को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बरकरार रखे गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है।

हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले भाग और कंपनी को चुकाने हेतु आवश्यक प्रतिफल की अधिकतम राशि पर मापा जाता है।

वित्तीय संपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम हानि जोखिम पर अपसामान्य हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष।

कंपनी अपनी प्रारंभिक मान्यता से ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल अपसामान्य हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि के विवरण (पीएंडएल) में आयव्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(vi) उचित मूल्य माप

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों को मापती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति बेचने या देनदारी हस्तांतरित करने का लेनदेन होता है–

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए मुख्य बाजार में, या
- प्रमुख बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार तक कंपनी की पहुंच होनी चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। एक गैर–वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य माप बाजार भागीदार की संपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में प्रयोग कर या इसे किसी अन्य बाजार भागीदार को बेचकर आर्थिक लाभ पैदा करने की क्षमता को ध्यान में रखता है जो परिसंपत्ति को उसके उच्चतम एवं सर्वोत्तम उपयोग में प्रयोग करेगा।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के प्रयोग को अधिकतम करने एवं अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए।

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है, उन्हें निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं: , स्तर 1 – समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिए बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य। स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है। स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने संपत्ति या देनदारी की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों एवं उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर संपत्तियों एवं देनदारियों की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी का प्रबंधन परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के मूल्यों में उतारदृ चढ़ाव का विश्लेषण करता है जिन्हें कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनः मापने या पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार पर पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (सब से कम स्तर के इन पुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं, यह निर्धारित करती है।

यह नोट उचित मूल्य के निर्धारण के लिए लेखांकन नीति का सारांश प्रस्तुत करता है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटन प्रासंगिक नोट्स में निम्नानुसार दिए गए हैं:

. महत्वपूर्ण अनुमानों और धारणाओं के लिए प्रकटन

. उचित मूल्य माप पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटन

. वित्तीय उपकरण (परिशोधन लागत पर लिए गए उपकरणों समेत

vii ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

राजस्व को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, भले ही भुगतान कभी भी किया जा रहा हो। राजस्व को स्वीकार करने पहले निम्नलिखित विशिष्ट मान्यता मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिए: –

वस्तुओं / सेवाओं की बिक्री के संबंध में राजस्व

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि आर्थिक लाभ निगम को मिलेगा और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होने वाले विचार के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें भुगतान की अनुबंधात्मक रूप से परिभाषित शर्तों को ध्यान में रखा जाता है और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता है।

वस्तुओं / स्टॉक और बिक्री वाली वस्तुओं की बिक्री के संबंध में राजस्व चालान के निर्माण के समय या उस समय स्वीकार किया जाता है जब वस्तु का नियंत्रण खरीददारों के पास चला जाता है, आमतौर पर वस्तु की डिलीवरी और डिलीवरी के प्रमाण देने पर। वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाला राजस्व या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है।

निगम परियोजना लागत के आधार पर समयद् समय पर निर्धारित स्लैब दरों पर संचालन मार्जिन को मान्यता प्रदान करता है। आमतौर पर संचालन मार्जिन दरें परियोजना लागत के विपरीत आनुपातिक होती हैं यानी परियोजना लागत जितनी अधिक होगी, संचालन मार्जिन दर उतनी ही कम होगी। परियोजना लागत में वृद्धि के कारण संचालन मार्जिन दर में बाद में की जाने वाली कोई भी कमी का हिसाब वर्ष के अंत में या परियोजना समापन के समय संबंधित क्रेडिट नोट जारी कर किया जाता है। इस प्रकार जारी किए गए क्रेडिट नोट्स आय के संबंधित मदों से घटाए जाते हैं।

अतिबिलन में राजस्व को बिना बिल वाले राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि राजस्व से अधिक बिलिंग को अनुबंध देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ब्याज आय

सभी ऋण साधनों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, ब्याज आय प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग करके दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या छोटी अवधि में अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को, जहाँ उपयुक्त हो, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशिया वित्तीय देनदारी की परिशोधित लागत से बिल्कुल छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना कर ते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी अनुबंध शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी प्रकार के विकल्प) पर विचार कर के अपेक्षित नकद प्रवाह का अनुमान लगाती है लेकिन क्रेडिट हानि पर विचार नहीं करती है। लाभ और हानि के विवरण मे ब्याज आय को वित्त आय में शामिल किया जाता है।

viii सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से परियोजना अनुदान हेतु अग्रिम।

एनआईसीएसआई को सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री हेतु अग्रिम प्राप्त हुआ है। ये लेन–देन इकाई के सामान्य व्यापारिक लेन–देन हैं। वित्तीय विवरणों में मंत्रालयों के प्रकटीकरण हेतु प्राप्त अग्रिम को 'अन्य वर्तमान देनदारियों' के मद के तहत 'ग्राहकों से प्राप्त सहायता अनुदान' के रूप में अलग से बनाया गया है क्योंकि ये सामान्य व्यापारिक लेनदेन हैं। इन अग्रिमों का उपयोग संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और यदि संबंधित परियोजना के अंत में एनआईसीएसआई के पास शेष राशि उपलब्ध है, तो उसे ब्याज (यदि कोई हो) के साथ अनुदानकर्ता संस्थान को वापस कर दिया जाता है। सभी अनुदान सहायता राशियाँ केवल परियोजनाओं के लिए प्राप्त की जाती हैं।

एनआईसीएसआई हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर की खरीद और जनशक्ति प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों / संगठनों से विभिन्न आदेशों का क्रियान्वयन करता है। यह समयद् समय पर अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार, प्रत्येक ऑर्डर की कुल लागत पर ऑपरेटिंग मार्जिन लेता है। एनआईसीएसआई को उन आदेशों के विरुद्ध विभागों / संगठनों से अग्रिम के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। एनआईसीएसआई को किसी अन्य प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलती, जिससे उसे सीधे तौर पर लाभ मिलता हो। एनआईसीएसआई को रियायती दर पर या मुफ्त में कोई मौद्रिक या गैर–मौद्रिक संपत्ति का अनुदान नहीं दिया जाता है।

एनआईसीएसआई मंत्रालयों / विभागों द्वारा सहायता अनुदान जारी किए जाने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकृतियों से संबंधित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करता है।

ix मालसूची (इन्वेंटरी)

इन्वेंटरी की लागत में खरीद की सभी लागत, रूपांतरण की लागत और इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगने वाली अन्य लागत शामिल है। इन्वेंटरी (सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री समेत) का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर, फर्स्ट– इन– फर्स्ट– आउट (एफआईएफओ) पद्धति, पर किया गया है। उपभोग्य भंडारों से खरीद के वर्ष में राजस्व लिया गया है जो नगण्य है।

x सेवानिवृत्ति लाभ

एनआईसी के साथ हुए समझौते के अनुसार, छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान की राशि की गणना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन और ग्रेड पे पर की जाती है और एनआईसी को दे दी जाती है। कंपनी कर्मचारियों को किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसे भविष्य में पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जाएगा।

xi पूर्व अवधि की वस्तुएं

पूर्व अवधि की वस्तुएं किसी इकाई की पिछली अवधि के वित्तीय विवरणों में चूक / गलत विवरण हैं, जिसमें तुलन पत्र का गलत वर्गीकरण भी शामिल है। भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार, पूर्व अवधि की गलतियों को उनका पता लगाने के बाद अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में पूर्वव्यापी गलतियों के सुधार की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रस्तुत पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को बहाल किया जाता है जिसमें गलती हुई थी। हालाँकि, यदि ऐसा पुनर्कथन अव्यावहारिक है यानी जब कोई इकाई ऐसा करने के लिए हर उचित प्रयास करने के बाद भी इसे लागू नहीं कर सकती है तो भारतीय लेखा मानक को पूर्व की अवधि की तुलना में ऐसी पूर्व अवधि की वस्तुओं के पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं है।

xii रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

निगम के पास हर साल प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एक अंतिम तिथि होती है, जिसमें 31 मार्च तक प्रदान की गई सेवाओं के लिए विक्रेताओं के चालान जमा किए जाते हैं और पिछले वर्ष के व्यय के अनुसार हिसाब किताब किया जाता है। 31 मार्च तक की अवधि के लिए उस तिथि तक प्राप्त आय का हिसाब भी उसी वित्त वर्ष में किया जाता है। तदनुसार, खातों में मिलान अवधारणा सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार, 31 मार्च के बाद विक्रेताओं द्वारा बनाए गए चालान या उस तिथि के बाद एनआईसीएसआई में वास्तव में देर से प्राप्त होने वाले व्यय को अगले वर्ष में बुक किया जाता है और संबंधित आय भी अगले वर्ष में बुक किए जाते हैं क्योंकि ये सभी चालान मार्च के लिए जीएसटी जमा करने‌ जीएसटी रिटर्न भरने की निर्धारित‌ अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए है।

व्यय और आय, जीएसटी प्रावधानों एवं आयकर प्रावधानों की उपर उल्लिखित लेखांकन मिलान अवधारणाओं को ध्यान मे रखते हुए, निगम प्रबंधन द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार और चालान तिथि / वास्तविक रसीद तिथि को ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं से, कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे व्यवसाय के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, चालान बुक करेगा।

उपरोक्त बुकिंग संबंधित वित्त वर्ष में उत्पन्न कुल राजस्व के 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

xiii पट्टे

कंपनी ने संशोधित पूर्व व्यापी दृष्टिकोण का प्रयोग कर भारतीय लेखामानक 116 को लागू किया है और इसलिए तुलनात्मक जानकारी को दोबारा नहीं बताया गया है और भारतीय लेखामानक 17 के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी पट्टे की आरंभ की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टे की देन दारी को पहचानती है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिस में प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान हेतु समायोजित पट्टा देनदारी की आरंभिक राशि, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और विघटित करने एवं हटाने की लागत का अनुमान शामिल होता है और अंत निहित परिसंपत्तिया अंत निहित परिसंपत्तिया उस साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए जिस पर वह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन राशि को घटा दिया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को बाद में प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत तक सीधी रेखा विधि का उपयोग कर के मूल्य ह्रास किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति और उपकरणों के समान आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को समयदृ समय पर अप सामान्य हानि, यदि कोई हो, से घटा लिया जाता है और पट्टे की देनदारी के कुछ पुनः मापके लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टा देनदारी को आरंभ में लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिसका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, ब्याज दर (यानि सरकारी बांड की औसत ब्याज दर –7.75%) का प्रयोग कर के छूट दी जाती है।

पट्टा दायित्व की माप में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निश्चित भुगतान, जिसमें सारभूत (इन–सब्सटांस फिक्स्ड पेमेंट्स) भुगतान भी शामिल है।

- परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जोकि सी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, प्रारंभ में आरंभिक तिथि के अनुसार सूचकांक या दर का प्रयोग करके मापा जाता है;

- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय होने वाली अपेक्षित राशियाँ; और

- किसी खरीद विकल्प के तहत उचित मूल्य के तहत जिसे कंपनी प्रयोग करने के लिए उचित रूप से निर्धारित करती है, एक वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में पट्टे का भुगतान, यदि कंपनी एक विस्तार विकल्प को अपनाने के लिए उचित रूप से निर्धारित करती है और एक पट्टे की जल्दी समाप्ति के लिए जुर्माना जब तक कि कंपनी उसे जल्द समाप्त करने के लिए उचित रूप से निश्चित न हो।

पट्टा देनदारी को प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग कर के परिशोधन लागत पर मापा जाता है। इसे तब फिर से मापा जाता है जब किसी सूचकांकया दर में बदलाव के कारण भविष्य के पट्टे भुगतान में परिवर्तन होता है, अगर कंपनी के अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि के अनुमान में कोई बदलाव होता है या अगर कंपनी अपना मूल्यांकन बदलती है कि वह खरीददारी, विस्तार या समाप्ति में से कौन से विकल्प का प्रयोग करेगी।

जब पट्टे की देनदारी को इस प्रकार से फिर से मापा जाता है तो उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की वहन राशि के अनुरूप समायोजन किया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि कम कर दी गई है तो इसे लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है, शून्य करने के लिए। कंपनी ने बैलेंस शीट में उपयोग के अधिकार वाली ऐसी परिसंपत्तियों को प्रस्तुत किया है जो निवेश संपति की परिभाषा को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' में तथा पट्टा देन दारियों को 'अन्य वित्तीय देनदारियों' में प्रस्तुत किया है।

अल्प कालि कपट्टे और कम मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे

कंपनी ने 12 माह की लीज अवधि वाली रियल एस्टेट संपत्तियों के अलाकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों और लीज देनदारियों को मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी–रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

किसी पट्टे को आरंभ तिथि पर वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टा जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है, उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टों को पट्टे की शुरूआत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य पर या, यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान को वित्त शुल्क और पट्टा देनदारी में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देनदारी की शेष राशि पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके। वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में लिखा जाता है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रूप से योग्य संपत्तियों के उत्तरदायी न हों, जिस स्थिति में उन्हें उधार लेने की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिस में वे खर्च किए जाते हैं।

एक पट्टे पर दी गई संपत्ति का मूल्य उसके उपयोगी जीवन काल के दौरान कम हो जाता है। हालाँकि, यदि कोई उचित निश्चित तान हीं है कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, तो संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि के कम होने पर संपत्ति का मूल्य ह्रास हो जाता है।

परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

कोई अनुबंध (यासमझौता) एक पट्टा है या नहीं, इसका निर्धारण पट्टे के आरंभ में अनुबंध के सार पर आधारित है। यदि अनुबंध या समझौता, एक पट्टा तभी होगा जब अनुबंध की पूर्ति किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर हो और अनुबंध संपत्ति या संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार देती हो,भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

पट्टे वाले अनुबंधों का मूल्यांकन संक्रमण तिथि यानी 1 अप्रैल 2016 को भारतीय लेखा मानक 101 के अनुसार वित्तया परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण के लिए पहली बार अपनाने वाले भारतीय लेखा मानकों के अनुसार किया गया है, जो भारतीय लेखा मानक के आधार पर संक्रमण की तिथि के अनुसार,उस तिथि पर वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप हैं।

अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे

कंपनी ने 12 माह की लीज अवधि वाली रियल एस्टेट संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों और लीज देनदारियों को मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी –रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

किसी पट्टे को आरंभ तिथि पर वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टा जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है, उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टों को पट्टे की शुरुआत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य पर या, यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान को वित्त शुल्क और पट्टा देनदारी में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देनदारी की शेष राशि पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके। वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में लिखा जाता है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रूप से योग्य संपत्तियों के उत्तरदायी न हों, जिस स्थिति में उन्हे उधार लेने की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

एक पट्टे पर दी गई संपत्ति का मूल्य उसके उपयोगी जीवन काल के दौरान कम हो जाता है। हालाँकि, यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, तो संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि के कम होने पर संपत्ति का मूल्यह्रास हो जाता है।

परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

कोई अनुबंध (या समझौता) एक पट्टा है या नहीं, इसका निर्धारण पट्टे के आरंभ में अनुबंध के सार पर आधारित है। कोई अनुबंध या समझौता, एक पट्टा तभी होगा जब अनुबंध की पूर्ति किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर हो और अनुबंध संपत्ति या संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार देती हो, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

पट्टा युक्त व्यवस्थाओं का मूल्यांकन संक्रमण की तिथि अर्थात 1 अप्रैल 2016 को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण के लिए भारतीय लेखा मानकों के प्रथम बार अंगीकरण के अनुसार किया गया है,जो उस तिथि पर विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है।

xiv आयकर

वर्तमान आयकर

वर्तमान आयकर संपत्तियों और देयताओं को उस राशि पर मापा जाता है जिस की वसूली या कराधान अधिकारियों को भुगतान किए जाने की उम्मीद है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमितया वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

लाभ या हानि के बाहर स्वीकृत प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि (या अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर स्वीकार किया जाता है। प्रबंधन समय–समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन कर उनस्थितियों के संबंध में करता है जिन में लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान बनाते हैं।

वर्तमान आयकर संपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट किया जाता है यदि इन्हें सेट करने के लिए कानूनी रूपसे लागू करने योग्य अधिकार मौजूद हैं।

आस्थगित कर

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं के कर आधारों और उनकी वह न राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग कर आस्थगित कर की गणना की जाती है।

आस्थगित कर देयताएं सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

आस्थगित कर संपत्तियां सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और अप्रयुक्त कर हानियों को आगे ले जाने का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर संपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है आस्थगित कर संपत्ति के सभी या उस के हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैरद् मान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता प्राप्त होती है कि यह संभावित हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

ऐसा स्थितियों में जहां कंपनी भारत में अधिनियमित आयकर अधिनियम, 1961, के तहत कर अवकाश की हकदार है, अस्थायी अंतर के संबंधमें कोई आस्थगितकर (संपत्तिया देयता) मान्य नहीं है जो कर अवकाश अवधि के दौरान उलट जाता है।

अस्थायी अंतरों के संबंध में आस्थगितकर, जोकर अवकाश अवधि के बाद उलट जाते हैं, उस वर्ष में पहचाने जाते हैं जिसमें, अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं।

हालांकि, कंपनी आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता को इस सीमा तक प्रतिबंधित करती है कि वह यथोचित रूप से निश्चित हो गया हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिस के खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपति की वसूली की जा सकती है।

आस्थगित कर संपत्तियां और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है जिनके उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब संपत्ति साधित होती है या देयता का निपटान कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमितया वास्तविक रूप से अधिनियनित होते हैं।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या ओसीआई या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर मदों को ओसीआई में या सीधे इक्विटी में अंत र्निहित लेन देन के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर संपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं ऑफसेट हैं यदि कानूनी रूप से लागू कर ने योग्य अधिकार वर्तमान कर देयताओं के खिलाफ वर्तमान कर संपत्ति को सेट करने के लिए वर्तमान हैं और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई एवं एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

XV गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक संपत्ति बर्बाद हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपति की वसूली योग्य राशि एक संपत्ति या नकदद् उत्पादक इकाईयों (सीजीयू–CGU) में से उचित मूल्य के निपटान लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होती है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या एक व्यक्तिगत संपति के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जब तक कि संपति नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य संपत्तियों या संपत्ति के समूह से बहुत हद तक स्वतंत्र हो। जब किसी संपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और वसूली योग्य राशि को बट्टा खाता मे डाल दिया जाता है।

उपयोग में मूल्यांकन का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेनदृदेन की पहचान नहीं की जा सकती है तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने

वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

साख (गुडविल) को छोड़कर संपत्तियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए एक मूल्यांकन किया जात है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद हो तो कंपनी संपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली हानि की पहचान होने के बाद से संपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताओं में कोई परिवर्तन हुआ हो। रिवर्सल (उलट) सीमित है ताकि संपत्ति का वहन इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो और न ही वहन राशि से अधिक हो जो निर्धारित की गई हो, मूल्यह्रास के शुद्ध, पिछले वर्षों में संपत्ति के कोई हानि की पहचान नहीं की गई थी। इस तरह के उत्क्रमण को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकन राशि पर नहीं ले जाता जाता है, इस मामले में उत्क्रमण को पुनर्मूल्यांकन में वृद्धि के रूप में माना जाता है।

xvi वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि–डूबंत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

तुलन पत्र तिथि के अनुसार संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 100%, 5–10 वर्षों के लिए 50% और 3–5 वर्षों के बीच 25% पर विचार करके मान्यता दी जाती है।

xvii आपूर्तिकर्ताओं को बकाया अग्रिम हेतु प्रावधान

आपूर्तिकर्ताओं को बकाया अग्रिमों के लिए एक प्रावधान को मान्यता दी गई है जो तुलन पत्र की तिथि के अनुसार तीन साल से अधिक समय से बकाया है।

xviii प्रति इक्विटी शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायलूटेड आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को विभाजित कर इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय प्राप्त करने के लिए माना जाता है और साथ ही जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डायलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर। यदि इक्विटी शेयर वास्तव में उचित मूल्य (अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किए गए थे तो प्राप्त होने वाली आय के लिए डाइलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। डाइलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत के रूप में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि बाद की तिथि में आंकडे जारी नहीं किया जाता है। प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए डायलूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले किए गए परिवर्तनों सहित किसी भी शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के मुद्दों के लिए प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या पूर्वव्यापी रूप से समायोजित की जाती है।

xix प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है जब किसी उद्यम की पिछली घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। उचित जो खिम समायोजित रियायती दर पर दीर्घकालिक प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्यों पर छूट दी जा सकती है। अल्प कालिक प्रावधानों को छूट देने की आवश्यकतानहीं है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। रचनात्मक दायित्वों के संबंध मे प्रावधान भी बनाए जाने की आवश्यकता है। तथापि, रिपोर्टिंग अवधि में निगम का कोई रचनात्मक दायित्व नहीं था।

आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया जाता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल

भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक संपत्तियों का प्रकटन वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

XX नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और अल्पकालिक जमा मे बैंकों की नकदी और हाथ मे नकदी एवं तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

नकद और नकद समकक्षों मे बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है जो कंपनी के नकद प्रबंधन का अभिन्न अंग है।"

2.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और धारणाएं

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा और साथ ही साथ प्रकटीकरण और वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमानों और धारणाओं का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और वे प्रबंधन के अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल हैं जिन्हें परिस्थितियों के तहत उचित माना जाता है। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणाम स्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देन दारियों की वह न राशि में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से, कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय, अनुमान और धारणाएँ आवश्यक है। इनमे से प्रत्येक क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी और वे विभिन्न लेखांकन नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, नीचे वर्णित हैं और वित्तीय विवरणों के प्रासंगिक नोटों में भी। अनुमानों में परिवर्तनों का भविष्य मे लेखा–जोखा किया जाता है।

निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

आकस्मिक व्यय

कानूनी, ठेकेदार, भूमि पहुंच और अन्य दावों सहित कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध मे व्यवसाय के सामान्य कार्यप्रणाली की आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं का समाधान तभी होगा जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं घटित होंगी या घटित होने में विफल होंगी। आकस्मिकताओं के अस्तित्व और संभावित मात्रा के आकलन में स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रयोग और भविष्य की घटनाओं के परिणाम के बारे में अनुमानों का उपयोग शामिल है।

अनुमान और धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं जिनमें अगले वित्त वर्ष के भीतर संपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों के लिए वस्तु समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

(क) गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि संपत्ति बर्बाद हो सकती है। यदि कोई संकेत हो या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक संपत्ति या सीजीयू के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम होता है। यह एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य संपत्ति या सीजीयू की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, वहां संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि के लिए

कम कर दिया जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग कर उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मूल्य और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार का आकलन को बताता है। निपटान लागत को घटाकर उचित मूल्य निकालने में हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सहायक कंपनियों के लिए उद्धृत शेयरकों के मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

(ख) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय संपत्तियां और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिए बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापा जा सकता तो उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्याकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

(ग) वित्तीय संपत्तियों की हानि

वित्तीय संपत्तियों की हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित है। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथदृ साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

आस्थगितकर संपत्तियों की मान्यता – जिस सीमा तक आस्थगित कर संपत्तियों को स्वीकार किया जा सकता है वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर संपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

2.2 हाल में की गई लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) समयदृ समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानत) नियमों के तहत वर्तमान मानकों में नए मानकों या संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च 2024 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023, ने निम्नानुसार संशोधन किया:

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | लाख रु. में

विवरण	भवन	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	कुल
लागत						
1 अप्रैल 2022 तक	1,985.85	1,607.61	17.63	4,799.54	7,589.26	15,999.89
संस्करण	—	4.84	—	269.20	2,434.92	2,708.96
अन्य समायोजन (देखें 2 नीचे)	—	358.49	—	—	—	358.49
निपटान	—	—	0.17	—	0.05	0.22
31 मार्च 2023 तक	1,985.85	1,970.94	17.46	5,068.74	10,024.13	19,067.12
संवर्धन	—	15.91	—	903.31	3,255.91	4,175.13
निपटान	—	—	—	—	0.29	0.29
31 मार्च 2024 तक	1,985.85	1,986.85	17.46	5,972.05	13,279.75	23,241.96
अवमूल्यन						
1 अप्रैल 2022 तक	1,189.57	1,438.71	10.77	4,152.46	6,871.50	13,663.01
वर्ष के लिए अवमूल्यन शुल्क	38.96	67.56	2.58	253.15	906.78	1,269.02
अन्य समायोजन (देखें 2 नीचे)	—	256.47	—	—	—	256.47
निपटान						
31 मार्च 2023 तक	1,228.53	1,762.74	13.35	4,405.61	7,778.28	15,188.50
वर्ष के लिए अवमूल्यन शुल्क	37.05	48.64	1.29	496.54	3,018.56	3,602.07
निपटान						
31 मार्च 2024 तक	1,265.59	1,811.37	14.64	4,902.16	10,796.84	18,790.57
शुद्ध अंकित– मूल्यः						
31 मार्च 2024 तक	720.27	175.47	2.82	1,069.90	2,482.91	4,451.39
31 मार्च 2023 तक	757.32	208.20	4.11	663.13	2,245.85	3,878.61

1. संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए पूंजी प्रतिबद्धता पर प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 38 देखें।

2. वित्त वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान 358.49 लाख रुपये (31.03.2022 तक 256.47 लाख रुपये के साथ संचित मूल्यह्रास) के "फर्नीचर और फिक्सचर" को गलती से "अन्य अमूर्त संपत्ति" शीर्षक में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि फर्नीचर और फिक्सचर पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों के अनुसार सही ढंग से की गई थी, इसलिए उक्त पुनर्समूहन–पुनर्मूल्यांकन से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। इसे चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान "अन्य समायोजन" के माध्यम से पुनर्समूहित–पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों का विवरण

						लाख रु. में
भवन	हॉल सं. 2 और 3, 6ठा तल, 15 एनबीसीसी टावर, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066	931.50	एनबीसीसी	नहीं	2001 और 2003 से	दिनांक 18 जुलाई 2023 को एनआईईएसबीयूडी के नाम पर स्वामित्व विलेख निष्पादित किया गया है।" नोट –46 देखें"

4. चालू पूंजीगत कार्य

					लाख रु. में
विवरण	नौरोजी नगर में भवन**	शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन का विकास*	शास्त्री पार्क में 4 शौचालयों के नवीकरण, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य *	भीकाएजी कामा प्लेस की 6वीं मंजिल पर महत्वपूर्ण नवीकरण कार्य	कुल
31 मार्च 2022 तक	–	–	–	–	–
वृद्धि	7,812.05	451.01	34.15	–	8,297.21
अचल संपत्तियों मे अंतरण					
31 मार्च 2023 तक	7,812.05	451.01	34.15	–	8,297.21
वृद्धि	–	27.70	–	40.14	67.83
अचल संपत्तियों में अंतरण					
अग्रिम पूंजी में अंतरण	7,812.05	–	–	–	7,812.04
31 मार्च 2024 तक	–	478.71	34.15	40.14	553.00

* शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन का विकास डीएमआरसी की किराये की संपत्ति (एनआईसीएसआई के स्वामित्व में नहीं) में किया जा रहा है।

** वित्त वर्ष 2022–23 में सीएजी के निर्देशानुसार 7812.05 लाख रुपये की पूर्ण राशि सीडब्ल्यूआईपी से पूंजीगत अग्रिम में स्थानांतरित कर दी गई है (नोट संख्या 9 देखें)।

प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) परिपक्वन कार्यक्रम

लाख रु. में

विवरण	CWIP की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024					
नौरोजी नगर में भवन	–	–	–	–	–
शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन बनवाना	27.70	451.01	–	–	478.71
शास्त्री पार्क में 4 शौचालयों का नवीनीकरण, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य	–	34.15	–	–	34.15
भीकाएजी कामा प्लेस के 6ठे तल पर महत्वपूर्ण नवीकरण कार्य	40.14	–	–	–	40.14
31 मार्च 2024 तक	67.84	485.16	–	–	553.00
31 मार्च 2023 तक					
नौरोजी नगर में भवन	7,812.05	–	–	–	7,812.05
शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन बनवाना	451.01	–	–	–	451.01
शास्त्री पार्क में 4 शौचालयों का नवीनीकरण, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य	34.15	–	–	–	34.15
31 मार्च 2023 तक	8,297.21	–	–	–	8,297.21

प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) समापन कार्यक्रम पूरा होना					लाख रु. में
विवरण					
	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024					
नौरोजी नगर में भवन*	–	–	–	–	–
शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन बनवाना	478.71	–	–	–	478.71
शास्त्री पार्क में 4 शौचालयों का नवीनीकरण, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य	34.15	–	–	–	34.15
सीएजी कामा प्लेस के 6वें तल पर महत्वपूर्ण नवीकरण कार्य	–	–	–	–	–
31 मार्च 2024	512.86				512.86
31 मार्च 2023 तक					
नौरोजी नगर मे भवन*	–	–	7,812.05	–	7,812.05
शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन बनवाना	451.01	–	–	–	451.01
शास्त्री पार्क में 4 शौचालयों का नवीनीकरण, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य	34.15	–	–	–	34.15
31 मार्च 2023 तक	485.16	–	7,812.05	–	8,297.21

* सीएजी के निर्देशानुसार वित्त वर्ष 2022–23 में 6957.69 लाख रुपये की संपूर्ण राशि सीडब्ल्यूआईपी से पूंजीगत अग्रिम में स्थानांतरित कर दी गई है और शेष 854.36 लाख रुपये को जीएसटी अग्रिम के तहत वर्गीकृत किया गया है (नोट संख्या 9 देखें)।

						लाख रु. में
बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के आइटम का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	"क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर–निदेशक / का रिश्तेदार या प्रमोटर–निदेशक / का कर्मचारी है"	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम पर संपत्ति के न होने का कारण
भवन	यूनिट सं. ए/300, टावर ए, 3 तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली	–	एनबीसीसी	नहीं	17 जून 2022 से, (बिक्री का अनुबंध 17 जून, 2022 को निष्पादित किया गया)	एनआईसीएसआई के नाम पर शीर्षक विलेख का निष्पादन लंबित है क्योंकि भवन निर्माणाधीन है "नोट –46 देखें"

*एनआईसीएसआई के नाम पर टाइटल डीड का निष्पादन लंबित है, इसलिए कोई स्टाम्प ड्यूटी प्रावधान नहीं बनाया गया है

5. संपत्ति के उपयोग का अधिकार

		लाख रु. में
विवरण	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	कुल
31 मार्च 2022 तक	22,201.86	22,201.86
संवर्धन	1,909.65	1,909.65
पिछले वर्ष का पुनर्कथन(नोट संख्या 36 देखें)	(110.15)	(110.15)
अधिकार में संशोधन		
निपटान		
31 मार्च 2023 तक	24,001.36	24,001.36
वृद्धि	663.25	663.25
अधिकार का संशोधन	–	–
निपटान	–	–
31 मार्च 2024 तक	24,664.61	24,664.61
परिशोधन		
31 मार्च 2022 तक	6,166.07	6,166.07
पिछले वर्ष का पुनर्कथन (नोट संख्या 36 देखें)	(493.82)	(493.82)

वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क निपटान	2,618.54	2,618.54
31 मार्च 2023 तक	8,290.79	8,290.79
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क निपटान	2,787.91 –	2,787.91 –
31 मार्च 2024 तक	11,078.70	11,078.70
शुद्ध अंकित मूल्य:		
31 मार्च 2024 तक	13,585.91	13,585.91
31 मार्च 2023 तक	15,710.57	15,710.57

6. अन्य अमूर्त संपत्तियां

विवरण	सॉफ्टवेयर	लाख रु. में कुल
लागत 1 अप्रैल 2022 तक वृद्धि अन्य समायोजन (देखें 2 नीचे) निपटान	24,575.37 2,553.78 (358.49) –	24,575.37 2,553.78 (358.49) –
31 मार्च 2023 तक	26,770.66	26,770.66
वृद्धि निपटान	2,749.67 –	2,749.67 –
31 मार्च 2024 तक	29,520.33	29,520.33
परिशोधन 1 अप्रैल 2022 तक वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क अन्य समायोजन (देखें 2 नीचे)	18,300.27 3,397.37 (256.47)	18,300.27 3,397.37 (256.47)
31 मार्च 2023 में	21,441.17	21,441.17
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क निपटान	1,973.96 –	1,973.96 –
31 मार्च 2024 तक	23,415.13	23,415.13
शुद्ध अंकित मूल्य:		
31 मार्च 2024 तक	6,105.20	6,105.20
31 मार्च 2023 तक	5,329.49	5,329.49

1. संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए पूंजी प्रतिबद्धता पर प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 38 देखें।

2. वित्त वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान 358.49 लाख रुपये (31.03.2022 तक 256.47 लाख रुपये के साथ संचित मूल्यह्रास) के "फर्नीचर और फिक्सचर" को गलती से "अन्य अमूर्त संपत्ति" शीर्षक में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि फर्नीचर और फिक्सचर पर अवमूल्यन की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों के अनुसार सही ढंग से की गई थी, इसलिए उक्त पुनर्समूहन–पुनर्मूल्यांकन से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। इसे चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान "अन्य समायोजन" के माध्यम से पुनर्समूहित–पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

वित्तीय परिसंपत्तियां

नोट सं. – 7 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

		लाख रु. में
विवरण	गैर–चालू 31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सुरक्षा जमा सुरक्षा जमा	1,366.10	1,262.36
कुल	1,366.10	1,262.36

नोट सं. –8 – आस्थगित कर

वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक

क. आय और व्यय खाते में राशि पहचानः

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
(I) आय और व्यय खाते में प्रभारित		
वर्तमान आय कर प्रभार	8,364.77	5,525.80
पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	39.95	15.12
आस्थगित करः		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन से संबंधित	(1,494.91)	(482.28)
आय और व्यय खाते में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	6,909.81	5,058.64
(II) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) खंड		
वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित करः	–	
कुल	6,909.81	5,058.64

ख. 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए कर व्यय और लेखा लाभ का समाधानः

		लाख रु. में
कर पूर्व लेखांकन आय	26,591.76	20,036.04
बंद किए संचालन से कर पूर्व आय	–	–
आयकर पूर्व लेखाकंन आय	26,591.76	20,036.04
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.168% (31 मार्च 2023: 25.168%) पर	6,692.61	5,047.52

पिछले वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन कर से छूट प्राप्त सरकारी अनुदान अन्य अंतर आयकर दर में परिवर्तन के कारण अन्य संपत्तियां कर उद्देश्यों के लिए गैर–प्रभार्य आय कर उद्देश्यों के लिए गैर–कटौती योग्य व्यय 25.98: की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2023% 25.25%) आय और व्यय खाते में दर्ज आयकर व्यय बंद किए गए परिचालन पर आय कर कुल	39.95 69.96 — 31.27 — 76.01 6,909.81 6,909.81 —	15.12 — — — 7.71 (11.2) — 5,058.64 5,058.64 —
	6,909.81	5,058.64

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए, कंपनियों को उक्त धारा में परिभाषित प्रावधानों–शर्तों के अनुसार कम दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करती है और तदनुसार, कपनी ने उक्त धारा में निर्धारित दर के आधार पर आयकर के लिए नई कर दर और मान्यता प्राप्त प्रावधान को अपनाने का निर्णय लिया है और 31 मार्च, 2024 तक तदनुसार अपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों–देयताओं को फिर से मापा है।

ग. आस्थगित करः

आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित है:

			लाख रु. में	
विवरण	तुलन पत्र		आय व्यय विवरण	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर उद्देश्यों के लिए त्वरित अवमूल्यन	831.87	129.94	(701.93)	43.74
आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम और स्टांप ड्यूटी हेतु प्रावधान	3,182.99	2,873.04	(309.95)	(327.03)
चालू वर्ष में अस्वीकृत व्यय अगले वित्त वर्ष में स्वीकार्य	421.12	70.71	(350.41)	(34.23)
पट्टा देयताओं के शुद्ध परिसंपत्तियों का प्रयोग करने का अधिकार	1119.84	987.22	(132.62)	(164.77)
सुरक्षा जमा (परिसंपत्तियों) का वर्तमान मूल्यांकन	—	—	—	—
आस्थगित कर व्यय/ (आय) शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां/ (देयताएं)	5,555.82	4,060.91	(1,494.91)	(482.28)

बैलेंस शीट में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

विवरण		लाख रु. में
	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां आस्थगित कर देयताएं	5,555.82	4,060.91
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं), शुद्ध	5,555.82	4,060.91

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट सं. – 9 – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है संबंधित पक्षों के अलावा अन्य पक्षों का क) पूंजीगत अग्रिम*	11,324.21	99.68
ख) पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिमय –आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,450.21	1,497.66
कुल	12,774.42	1,597.34

*पूंजीगत अग्रिमों में शास्त्री पार्क में कार्य के लिए 71.98 लाख रुपये (पिछले वर्ष 99.68 लाख रुपये) और नरूरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड टॉवर में कार्यालय स्थान के लिए 11209.13 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6957.69 लाख रुपये) और एनआईसीएसआई 6वीं मंजिल बीसीपी में प्रमुख नवीकरण के लिए 43.10 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) का अग्रिम शामिल है।
वित्तीय वर्ष 2022–23 में सीएजी द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार वर्ष 2023–24 के दौरान 6957.69 लाख रुपये की राशि को सीडब्ल्यूआईपी से पूंजीगत अग्रिम के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट सं. – 10 – व्यापार प्राप्य

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य पक्षों का		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	42,095.51	46,561.48
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है*	11,620.00	10,483.50
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(11,620.00)	(10,483.50)
कुल	42,095.51	46,561.48

व्यापार प्राप्य का परिपक्वन सरणी

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						लाख रु. में
	कोई बकाया नहीं	6 माह से कम	6 माह– 1 वर्ष	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 तक अविवादित व्यापार प्राप्य–अच्छे माने गए	–	12943.53	4913.48	5576.51	1711.00	7257.00	32401.52
अविवादित व्यापार प्राप्य–संदिग्ध माने गए						11620.00	11,620.00
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए भत्ता						(11620.00)	(11,620.00)
बिना बिल वाले व्यापार प्राप्य अच्छे माने गए	9,693.99						9,693.99
	9,693.99	12,943.53	4,913.48	5,576.51	1,711.00	7,257.00	42,095.51
31 मार्च 2023 अविवादित व्यापार प्राप्य–अच्छे माने गए	–	19,141.61	3,171.98	2,122.81	5,124.13	5,210.50	34,771.03
अविवादित व्यापार प्राप्य–संदिग्ध माने गए	–	–	–	–	–	10483.50	10,483.50
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए भत्ता						10483.50	(10,483.50)
बिना बिल वाले व्यापार प्राप्य अच्छे माने गए	11,790.45						11,790.45
	11,790.45	19,141.61	3,171.98	2,122.81	5,124.13	5,210.50	46,561.48

*वित्तीय वर्ष 2022–23 के 10483.50 लाख रुपये के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान उलट दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संदिग्ध ऋणों के लिए 11620.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, नोट संख्या 53 देखें।

नोट सं. – 11 – नकद और नकद समकक्ष

विवरण		लाख रु. में
	चालू परिसंपत्तियाँ	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंक में शेष		
बचत खाता		
अन्य	70,353.42	75,003.57
अग्रदाय खाता	2.00	0.14
सावधि जमा (3 माह की मूल परिपक्वता)*	35,025.72	1,317.51
कुल	105,381.14	76,321.22

*इसमें स्वीप जमा खातों का बैंक शेष शामिल है।

नोट सं. – 12 – उपरोक्त के अलावा बैंक शेष

लाख रु. में

विवरण	चालू परिसंपत्तियाँ	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सावधि जमा	156,333.78	133,484.24
मार्जिन मनी के रूप में रखी गई सावधि जमा		
–सावधि जमा (मूल परिपक्वता 12 माह से अधिक समय का)	–	291.60
–सावधि जमा (मूल परिपक्वता 12 माह तक)	2,474.12	1,875.73
कुल	158,807.90	135,651.57

नोट सं. – 13 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

लाख रु. में

विवरण	चालू परिसंपत्तियाँ	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सावधि जमाओं पर मिला ब्याज अर्जित ब्याज	5,946.41	4,623.05
कुल	5,946.41	4,623.05

नोट सं. – 14 – चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

लाख रु. में

विवरण	चालू परिसंपत्तियाँ	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आयकर का भुगतान (प्रावधान के बाद शुद्ध 8364.77 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5525.80 रुपये)	20,236.86	21,374.96
घटाएं: – आयकर के लिए प्रावधान (प्रतिदाय प्राप्त नहीं हुआ) (लेखा संख्या 56 के लिए नोट देखें)	(1,835.87)	(1,835.87)
कुल	18,400.99	19,539.09

नोट सं. – 15 –अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	चालू परिसंपत्तियाँ	लाख रु. में
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पूंजीगत अग्रिम के अलावा कर्मचारियों को अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना गया	31.75	35.81
कुल (ए)	31.75	35.81
अन्य अग्रिम असुरक्षित, अच्छा माना गया		
अग्रिम और अन्य पर जीएसटी	35,100.50	29,845.49
पूर्वभुगतान व्यय	1.75	3.17
कुल (बी)	35,102.25	29,848.66
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है कार्य अनुबंध पर बिक्री कर–डी.वी.ए.टी. और टी.डी.एस. वसूली योग्य	120.45	120.45
घटाएँ: –		
बिक्री कर–वैट के लिए प्रावधान (प्रतिदाय नहीं किया गया)	(117.91)	(117.91)
डब्ल्यू.सी.टी. पर टी.डी.एस. के लिए प्रावधान (प्रतिदाय नहीं किया गया)	(2.54)	(2.54)
(लेखा संख्या 56 के लिए नोट्स देखें)	–	–
असुरक्षित, अच्छा माना गया आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम*	29,011.06	4,420.03
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि	1,026.96	931.98
घटाएँ: – आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि के लिए प्रावधान (समायोजित–निपटान नहीं किया गया) (लेखा संख्या 54 के लिए नोट देखें)	1,026.96	931.98
कुल (डी)	29,011.06	4,420.03
कुल योग (ए+बी+सी+डी)	64,145.06	34,304.50

नोट सं. – 16 – इक्विटी शेयर पूंजी

लाख रु. में

विवरण	चालू परिसंपत्तियाँ	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अधिकृत 200,000 (पिछले वर्ष 200,000) इक्विटी शेयर 100/– रुपये प्रत्येक	200.00	200.00
जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से चुकता 200,000 (पिछले वर्ष 200,000) इक्विटी शेयर 100/– रुपये प्रत्येक	200.00	200.00
कुल	200.00	200.00

क. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक*

लाख रु. में

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
महानिदेशक एनआईसी के माध्यम से भारत राष्ट्रपति	199,995	99.9975	199,995	99.9975
श्रीमती रचना श्रीवास्तव	1	0.00005	1	0.0005
श्री आईपीएस सेठी	1	0.00005	–	–
श्री आर एस मणि	1	0.00005	1	0.0005
सुश्री अलका मिश्रा	1	0.00005	1	0.0005
श्री सुनील कुमार	–	–	1	0.0005
श्री राजीव राठी	1	0.00005	1	0.0005
कुल	200,000	100.00	200,000	100.00

* भारत सरकार की ओर से 5% से अधिक शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों की शेयरधारिता की जानकारी दे दी गई है

ख. रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया चुकता शेयरों का समाधान

				लाख रु. में
	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
विवरण	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर जोड़ें: – वर्ष के दौरान जारी / (बायबैक) शेयर	2,00,000	200.00	2,00,000	200.00
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	2,00,000	200.00	2,00,000	200.00

(ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध
कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है।

(घ) 31 मार्च, 2024 से ठीक पहले की पांच साल की अवधि में, न तो कोई बोनस शेयर जारी किए गए और न ही नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से कोई शेयर आवंटित किया गया। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान कोई भी शेयर वापस नहीं लाया गया।

(ड) प्रोमोटरों की शेयरधारिता

			लाख रु. में
	31 मार्च 2024 को धारित शेयर		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)	
महानिदेशक, एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	2,00,000	100.00	

नोट सं. – 17 – अन्य इक्विटी

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आय और व्यय खाते के अनुसार अधिशेष प्रारंभिक शेष	89,054.51	73,986.10
अन्य इक्विटी (आरक्षित और अधिशेष) पर शुद्ध वृद्धि का पिछला प्रभाव (नोट संख्या 36 देखें) जोड़ें – वर्ष के लिए अधिशेष/(कमी)	– 19,681.95	91.01 14,977.40
कुल	108736.46	89054.51

नोट सं. – 18 – अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–चालू)

लाख रु. में

विवरण	गैर- चालू	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सुरक्षा जमा देय	64.76	64.76
कुल	64.76	64.76

नोट सं. –19 – व्यापार देय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यापार देय		
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय*	3,959.78	6,847.30
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा	41,246.24	41,289.99
कुल	45,206.02	48,137.29

* नोट सं. 47 देखें

व्यापार देय का परिपक्वन सरणी

लाख रु. में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	कोई बकाया नहीं	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2024 तक	–					
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	–	2,551.19	178.37	406.86	823.36	3,959.78
अन्य	–	19,655.28	1,785.50	2,056.06	6,753.23	30,250.07
विवादित बकाया–सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	–	–	–	–	–	–
विवादित बकाया–अन्य	–	162.09	774.52		51.85	988.46
बिना बिल वाला व्यापार देय	10,007.71	–	–			10,007.71
	10,007.71	22,368.56	2,738.39	2,462.92	7,628.44	45,206.02
31 मार्च, 2023 तक						
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	–	5,032.81	944.84	344.19	525.46	6,847.30
अन्य	–	16,109.66	3,827.06	2,232.82	6,662.51	28,832.25
विवादित बकाया –सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	–	–	–	–	–	–
विवादित बकाया–अन्य		819.76	–	61.80	31.69	913.25
बिना बिल वाला व्यापार देय	11,544.49	–	–	–	–	11,544.49
	11,544.49	21,962.43	4,771.90	2,638.81	7,219.66	48,137.29

नोट– लेखा पुस्तकों में चालान दर्ज करने की तिथि को देय तिथि माना जाएगा।

नोट सं. – 20 – अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)

लाख रु. में

विवरण	चालू	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बयाना राशि जमा देय	584.36	635.36
कर्मचारी लाभ देय	321.43	270.25
व्यय देय	–	34.46
प्रतिधारण राशि *	276.73	248.40
बैंक खाते के लिए परियोजना देयता	133.12	238.25
कुल	1,315.64	1,426.72

* निष्पादन बैंक गारंटी के विरुद्ध विक्रेता से प्रतिधारण।

नोट सं. – 21 – अन्य चालू देयताएं

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	263,196.43	191,704.27
अन्य		
ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता	369.79	5,633.22
वैधानिक बकाया और कर	2,096.38	1,739.02
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियाँ	–	250.00
कुल	265,662.60	199,326.51

नोट सं. – 22 – प्रावधान

लाख रु. में

विवरण	चालू	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
स्टाम्प ड्यूटी के लिए प्रावधान	–	27.97
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के लिए प्रावधान (नोट संख्या 55)	155.55	
एलएफ और एसयूसी शुल्क पर ब्याज और दंड के लिए प्रावधान (डीओटी)	413.59	–
कुल	569.14	27.97

नोट सं. – 23 संचालन से राजस्व

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
संचालन से राजस्व		
व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री**	35,980.60	19,707.34
सेवा आय*	185,596.58	139,901.46
कुल (ए)	221,577.18	159,608.80
अन्य संचालन राजस्व		
प्रशासनिक शुल्क	782.78	809.30
कुल (बी)	782.78	809.30
संचालन से कुल राजस्व (ए)+(बी)	222,359.96	160,418.10

* वित्त वर्ष 2022 23 के लिए 11790.45 लाख रुपए के अनबिल राजस्व का प्रावधान वापस ले लिया गया है, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 9693.99 लाख रुपए के अनबिल राजस्व का प्रावधान किया गया है।

** आईएनडी एएस–115 के संबंध में प्रकटीकरण लेखा नोट संख्या 44 के तहत किया गया है।

नोट सं. – 24 अन्य आय

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ब्याज आय	14,424.78	8,898.44
घटाएँ: –		
अनुदान–सहायता परियोजनाओं पर ब्याज (एनकेएन के अलावा)	137.25	236.82
एनकेएन परियोजनाओं पर ब्याज (अनुदान–सहायता)	–	8.72
गैर–जीआईए परियोजनाओं पर ब्याज	1,956.26	335.01
अन्य गैर–परिचालन आय	1,001.79	1,404.93
स्टाम्प ड्यूटी के लिए प्रावधान	–	46.55
वित्त आय (सुरक्षा जमा पर)	92.50	83.61
	13,425.56	9,852.98

नोट सं – 25 खरीद

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
खरीदः –		
हार्डवेयर	24,395.80	15,827.91
सॉफ्टवेयर	11,463.13	3,202.18
कुल	35,858.93	19,030.09

नोट सं. – 26 कर्मचारी लाभ व्यय

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
वेतन और प्रोत्साहन	1,391.03	1,260.17
कर्मचारी कल्याण	40.19	34.99
कुल	1,431.22	1,295.16

नोट सं. – 27 वित्तीय लागत

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टा देयता से छूट पर ब्याज व्यय	802.36	905.33
कुल	802.36	905.33

नोट सं. – 28 – अवमूल्यन और परिशोधन व्यय

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट संख्या 3 देखें)	3,602.07	1,269.03
उपयोग का अधिकार संपत्ति (नोट संख्या 5 देखें)	2,787.91	2,626.50
अन्य अमूर्त संपत्ति (नोट संख्या 6 देखें)	1,973.96	3,397.37
कुल	8,363.94	7,292.90

नोट सं. – 29 अन्य व्यय

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
ऑडिटर पारिश्रमिक (संदर्भ नोट संख्या 40)	10.54	9.76
बैंक शुल्क	24.20	6.69
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	1.87	1.05
व्यवसाय संवर्धन	2.30	2.27
जीएसटी (गैर–सेनवेटेबल)	35.97	49.03
सम्मेलन सेमिनार डब्ल्यू–शॉप व्यय	89.43	235.25
उपभोज्य भंडार	33.39	49.60
वाहन व्यय	6.64	3.65
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	302.00	250.00
डी.जी. सेट के लिए डीजल	15.14	39.18
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (संदर्भ नोट संख्या 53)	1,136.50	1,233.75
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (समायोजित/निपटान नहीं किया गया) (संदर्भ नोट संख्या 54)	94.98	37.66
बिजली और पानी का शुल्क	1,932.29	996.55
किराया शुल्क	5.21	4.86
हाउस कीपिंग और सफाई शुल्क	428.83	318.00
सदस्यता और सदस्यता शुल्क	1.17	1.09
एलएफ और एसयूसी शुल्क पर ब्याज और जुर्माना	413.59	–
विविध व्यय	13.25	46.21
कार्यालय व्यय	2,764.48	2,034.92
कार्यालय किराया	16.38	122.42
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	7.62	4.67
पेशेवर और परामर्श शुल्क	569.60	487.42
किराया दरें और कर	5.49	9.78
मरम्मत और रखरखाव	503.00	493.12
टैक्सी किराया शुल्क	281.34	263.89
टेलीफोन व्यय	62.41	43.26
यात्रा व्यय	235.93	195.17
वाहन – व्यय	2.16	2.00
कुल	9,005.71	6,941.25

नोट सं. – 30 – प्रति शेयर आय

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
प्रति शेयर आय		
इक्विटी शेयरधारकों के लिए अधिशेष (ए)	19,681.95	14,977.40
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	200,000.00	200,000.00
प्रति शेयर मूल आय (ए/बी) (रु. में)	9,840.96	7,488.70
प्रति शेयर पतला आय (ए/बी) (रु में)	9,840.96	7,488.70
प्रति शेयर अंकित मूल्य	100.00	100.00

नोट सं. – 31. उचित मूल्य माप

(I) श्रेणीवार वित्तीय साधन				लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित आय
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
व्यापार प्राप्य	–	42,095.51	–	46,561.48
नकद और नकद समतुल्य	–	105,381.14	–	76,321.22
अन्य बैंक शेष	–	158,807.90	–	135,651.57
अर्जित ब्याज (चालू)	–	5,946.41	–	4,623.05
सुरक्षा जमा	–	1,366.10	–	1,262.36
सावधि जमा	–	–	–	–
अर्जित ब्याज (गैर–चालू)	–	–	–	–
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	–	313,597.06	–	264,419.68
वित्तीय देनदारियाँ				
व्यापार देय	–	45,206.02	–	48,137.29
अन्य वित्तीय देयताएँ (चालू)	–	3,053.68	–	3,024.51
अन्य वित्तीय देयताएँ (गैर–चालू)	–	15,740.95	–	17,366.60
कुल वित्तीय देयताएँ	–	64,000.65	–	68,528.40
(II) उचित मूल्य पदानुक्रम				

सभी वित्तीय साधन जिनके लिए उचित मूल्य को मान्यता दी गई है या प्रकट किया गया है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वहीन है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) मूल्य।

स्तर 2: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर के इनपुट का उचित मूल्य माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीकें जिनके निम्नतम स्तर का इनपुट, जिसका उचित मूल्य मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं है।

निम्नलिखित तालिका कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रदान करती है, सिवाय उन परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिनका उचित मूल्य उनके अग्रणीत मूल्यों के करीब अनुमान है।

वर्ष के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है।

नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्य, अन्य प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य वित्तीय देनदारियों के लिए प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि उनका उचित मूल्य उनकी अग्रणीत राशि के लगभग है, जो कि मुख्यतः इन लिखतों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण है।

कंपनी की दीर्घकालिक ब्याज मुक्त सुरक्षा जमाराशियों के उचित मूल्यों का निर्धारण डिस्काउंटेड कैश फ्लो ('डीसीएफ') पद्धति को लागू करके किया जाता है, जिसमें छूट दर का उपयोग किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार उधार दर को दर्शाता है। काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अप्राप्य इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नोट सं. – 32. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार देय, सुरक्षा जमा, बयाना राशि जमा और कर्मचारी देयताएं शामिल है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार प्राप्तियां, सुरक्षा जमा, सावधि जमा, नकदी और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल द्वारा समर्थन प्राप्त है जो कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उचित वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देता है। बोर्ड कंपनी के प्रबंधन को आश्वासन देता है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। प्रबंधन इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

I- बाजार जोखिम
बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव करेगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में सावधि जमा शामिल हैं।

क. ब्याज दर जोखिम
ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से बैंकों के साथ सावधि जमा में कंपनी के निवेश से संबंधित है। कंपनी की सावधि जमाएँ निश्चित दर पर रखी जाती हैं। इसलिए भारतीय लेखा मानक 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

ख. विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता
विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी जोखिम के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव करेगा। विदेशी मुद्रा जोखिम संवेदनशीलता मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण कर से पहले कंपनी के लाभ पर पड़ने वाला प्रभाव है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में नहीं है क्योंकि उसके पास कोई विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ नहीं हैं।

II- ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष कंपनी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। कंपनी का ऋण जोखिम मुख्य रूप से नकदी और नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्तियों और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होता है। कंपनी ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की चूक पर लगातार नजर रखती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है:

ऋण जोखिम	वर्गीकरण का आधार	अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान
ऋण जोखिम कम	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और अन्य बैंक शेष	12 माह की अपेक्षित ऋण हानि
ऋण जोखिम मध्यम	व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	जीवनपर्यंत अपेक्षित ऋण हानि या 12 माह की अपेक्षित ऋण हानि

कंपनी जिस कारोबारी माहौल में काम करती है, उसके आधार पर वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब मानी जाती है जब प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक क्रेडिट हानि अनुभव और वर्तमान और ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियों के बीच अंतर पर आधारित होती हैं। जब वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, तो परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जैसे कि देनदार द्वारा दिवालियापन की घोषणा या कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा तय होना। कंपनी उन पक्षों के साथ जुड़ना जारी रखती है जिनके शेष राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और पुनर्भुगतान को लागू करने का प्रयास करती है। की गई वसूली को आय और व्यय खातों में मान्यता दी जाती है।

			लाख रु. में
क्रेडिट रेटिंग	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ऋण जोखिम कम	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और अन्य बैंक शेष	270,135.45	216,595.84
ऋण जोखिम मध्यम	व्यापार प्राप्य, ऋण और अन्य वित्तीय संपत्तियां	43,461.61	47,823.84

व्यापार प्राप्तियों का संकेंद्रण

व्यापार प्राप्तियों में भारत के विभिन्न राज्यों में फैले बड़ी संख्या में ग्राहक शामिल हैं, जिनमें ऋण जोखिम का कोई महत्वपूर्ण संकेन्द्रण नहीं है।

ऋण जोखिम जोखिम अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान कंपनी ने निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करके आजीवन अपेक्षित ऋण हानि प्रदान की है:–

			लाख रु. में
विवरण	सकल वहन राशि	अपेक्षित ऋण घाटा	अपेक्षित ऋण हानि से शुद्ध वहन राशि
31 मार्च 2024 तक व्यापार प्राप्य	53,715.51	(11,620.00)	42,095.51
31 मार्च 2023 तक व्यापार प्राप्य	57,044.98	(10,483.50)	46,561.48

हानि समाधान प्रावधान – आजीवन अपेक्षित ऋण हानि

	लाख रु. में
हानि भत्ते का समाधान	व्यापार प्राप्य
31 मार्च 2022 तक हानि भत्ता	9,249.75
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त/(उलट) हानि	1,233.75
बट्टे खाते में डाली गई राशि	
31 मार्च 2023 तक हानि भत्ता	10,483.50
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त/(उलट) हानि	1,136.50
बट्टे खाते में डाली गई राशि	
31 मार्च 2024 तक हानि भत्ता	11,620.00

III. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करके निपटाया जाता है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो, उसके पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति और नकदी और नकद समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई काम करती है।

नीचे दी गई तालिका संविदागत अछूते भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का सारांश प्रस्तुत करती है।

लाख रु. में

	मांग पर	माह से कम 3	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	> 5 वर्ष कुल	कुल
समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2024 को व्यापार देय	45,206.02	–	–	–	–	45,206.02
अन्य वित्तीय देयताएं	45.46	838.49	2,169.73	8,126.17	7,614.78	18,794.63
कुल	45,251.48	838.49	2,169.73	8,126.17	7,614.78	64,000.65
समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2023 को						
व्यापार देय	48,137.29	–	–	–	–	48,137.29
अन्य वित्तीय देयताएं	34.06	827.70	2,162.74	6,652.19	10,714.41	20,391.11
कुल	48,171.35	827.70	2,162.74	6,652.19	10,714.41	68,528.40

नोट सं. –33 .पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन ढांचे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के भीतर पर्याप्त तरलता बनी रहे। कंपनी उस उद्देश्य को पूरा करने और लचीलापन बनाए रखने के लिए पूंजी संरचना में बदलाव की आवश्यकता का आकलन करने के लिए व्यवसाय की दीर्घकालिक नकदी प्रवाह आवश्यकताओं की निगरानी करती है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव के मद्देनजर इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, पूंजी वापस कर सकती है, नकदी के लिए नए शेयर जारी कर सकती है, ऋण चुका सकती है, नई ऋण सुविधाएं स्थापित कर सकती है या उचित रूप से अन्य ऐसी पुनर्गठन गतिविधियाँ कर सकती है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
उधार		
व्यापार देय	45,206.02	48,137.29
अन्य देय	285,026.37	219,745.59
घटाएँ: नकद और नकद समतुल्य	(105,381.14)	(76,321.22)
शुद्ध ऋण	224,851.25	191,561.66
कुल इक्विटी	108,936.46	89,254.51
पूंजी और शुद्ध ऋण	333,787.71	280,816.17
गियरिंग अनुपात (%)	0.67	0.68

नोट सं. – 34. वित्तीय अनुपात

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्षों के लिए अनुपात निम्नानुसार हैं:

						लाख रु. में
अनुपात/ माप	में मापा गया	अंश (न्यूमेरेटर)	हर (डीनॉमिनेटर)	समाप्त हुए वर्ष के लिए		विचलन (% में)
				31.03.2024	31.03.2023	
वर्तमान अनुपात	गुना	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	1.26	1.27	-0.63%
ऋणदू इक्विटी अनुपात	गुना	कुल ऋण*	शेयरधारक की इक्विटी	0.16	0.21	-24.51%
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	गुना	ईबीआईटी	कुल ऋण**	1.57	1.11	41.97%
इक्विटी पर आय (आरओई)	%	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक की इक्विटी का औसत	औसत शेयरधारक इक्विटी	18%	8.24%
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	%	औसत इन्वेंट्री	राजस्व	0%	0%	0.00%
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	गुना	राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य**	5.02	3.96	26.63%
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	गुना	सेवाओं की खरीद और अन्य लाग	औसत व्यापार देयताए ****	4.06	2.90	39.99%
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	गुना	राजस्व	शेयरधारक की इक्विटी	2.04	1.80	13.57%
शुद्ध लाभ अनुपात	%	शुद्ध लाभ	राजस्व	9%	9%	-5.20%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)	%	ब्याज और कर पूर्व आय	नियोजित पूंजी*	22%	19%	11.97%
निवेश पर आय (आरओआई)	%	ब्याज आय	सावधि जमा	6%	6%	-4.76%

*ऋण केवल पट्टा देयताओं का प्रतिनिधित्व करता है
**कुल ऋण केवल पट्टा देयता का प्रतिनिधित्व करता है
ईबीआईटी (EBIT) – ब्याज और करों से पहले की कमाई।
नियोजित पूंजी का तात्पर्य कुल शेयरधारकों की इक्विटी और ऋण से है।

25% से अधिक विचलन के लिए स्पष्टीकरण

अन्य परिचालन बिक्री में वृद्धि के साथ–साथ उच्च परिचालन मार्जिन के लिए राजस्व में वृद्धि हुई है।
वर्ष के दौरान अतिरिक्त बिक्री और व्यापार प्राप्य भी कम हो सकते हैं।
वर्ष के दौरान अधिक खरीद और व्यापार देय भी कम हो जाते हैं।

नोट सं. –35 पट्टे

पट्टेदार के रूप में

(क) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
निवेश संपत्ति को छोड़कर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ	663.25	1,909.65

(ख) वर्ग के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का वहन मूल्य

			लाख रु. में
विवरण	वर्ग 1	वर्ग 2	कुल
1 अप्रैल 2022 को शेष राशि		16,035.80	16,035.80
पिछले वर्ष का पुनर्कथन (नोट संख्या 36 देखें)		383.67	383.67
अतिरिक्त राशि		1,909.65	1,909.65
अधिकारों में संशोधन		–	–
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		2,618.54	2,618.54
1 अप्रैल 2023 को शेष राशि		15,710.57	15,710.57
अतिरिक्त राशि		663.25	663.25
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		2,787.91	2,787.91
31 मार्च 2024 को शेष राशि		13,585.91	13,585.91

(ग) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
रोकड़ शेष	18,899.63	17,843.35
पिछले वर्षों का पुनर्कथन (नोट सं. 36 देखें)	—	1,098.60
सवर्धन	652.44	1,789.39
ब्याज	802.36	905.33
देयताओं का भुगतान	(2,940.21)	(2,737.10)
अंतिम शेष	17,414.23	18,899.63

		लाख रु. में
परिपक्वता विश्लेषण – संविदागत अछूते नकदी प्रवाह	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एक वर्ष से कम	3,008.22	2,990.45
एक से पांच वर्ष	12,273.01	12,068.85
पांच वर्ष से अधिक	7,614.78	10,714.41
कुल छूट रहित पट्टा देयताएं	22,896.01	25,773.71

		लाख रु. में
बैलेंस शीट में शामिल लीज देयताएँ	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
चालू	1,738.04	1,597.79
गैर– चालू	15,676.19	17,301.84
कुल	17,414.23	18,899.63

(घ) लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त राशियां

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टा देयताओं पर ब्याज	802.36	905.33
पट्टे की देनदारियों के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	—	—
उप–पट्टे पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों से आय	—	—
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	16.38	122.42
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों से संबंधित व्यय, कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर	—	—
	—	—

(ई) नकदी प्रवाह विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह	2,940.21	2,737.10

नोट संख्या – 36 भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार लीज परिसंपत्ति और लीज देयता में गणना का प्रभाव।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय लेखा 116 के अनुसार पिछले वर्षों की पट्टा परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना की है, प्रभाव और विस्तृत गणना निम्नानुसार है:

पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों और अन्य परिसंपत्तियों पर पूर्व अवधि समायोजन का प्रभाव

	लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2023 तक
कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव	
अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि	1,151.28
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि	328.39
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में शुद्ध वृद्धि	1,482.67
पट्टा देयता पर प्रभाव	
पूर्व अवधि के लिए पट्टा देयता में वृद्धि	1,391.66
पट्टा देयताओं में शुद्ध वृद्धि	1,391.66
अन्य इक्विटी (आरक्षित और अधिशेष) में शुद्ध वृद्धि	91.01

पिछले वर्ष और प्रारंभिक बैलेंस शीट पर पूर्व अवधि समायोजन का प्रभाव

								लाख रु. में
विवरण	01.04.2022 तक			31.03.2023 तक				
	समायोजन से पूर्व	ओपनिंग समायोजन	समायोजन के बाद	समायोजन के पूर्व	ओपनिंग समायोजन	वर्ष के दौरान समायोजन (ख)	शुद्ध समायोजन	समायोजन के बाद
गैर– चालू परिसंपत्तियां								
अन्य परिसपत्तियाँ	21,912.49	801.69	22,714.18	23,271.65	801.69	352.59	1,154.28	24,425.92
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	16,035.80	383.67	16,419.46	15,382.18	383.67	(55.28)	328.39	15,710.57
चालू परिसंपत्तियां	294,767.30	—	294,767.30	317,000.91	—	—		317,000.91
कुल परिसपत्तियां	332,715.59	1,185.36	333,900.95	355,654.73	1,185.36	297.31	1,482.67	357,137.40

इक्विटी और देयताएं								
इक्विटी	74,186.10	86.70	74,272.80	89,163.49	86.70	4.32	91.01	89,254.51
देयताए								
गैर–चालू देयता पट्टा	14,623.63	2,700.11	17,323.74	14,664.88	2,700.11	(63.13)	2,636.98	17,301.86
गैर–चालू देयताएं अन्य	59.46		59.46	64.76				64.76
चालू देयता पट्टा	3,219.74	(1,601.45)	1,618.29	2,843.11	(1,601.45)	356.13	(1,245.32)	1,597.79
चालू देयता अन्य	240,626.66		240,626.66	248,918.49				248,918.49
कुल इक्विटी और देयताएं	332,715.59	1,185.36	333,900.95	355,654.73	1,185.36	297.31	1,482.67	357,137.40

वर्ष 2022–23 के लिए लाभ और हानि खाते पर प्रभाव

लाख रु. में

विवरण	वर्ष 2022–23 के लिए		
	समायोजन से पूर्व	समायोजन	समायोजन के बाद
आय			
संचालन से राजस्व	160,418.10		160,418.10
अन्य आय	9,852.98	(3.63)	9,849.35
कुल आय (I+II)	170,271.08	(3.63)	170,267.45
व्यय			
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	19,030.09		19,030.09
सेवा समर्थन व्यय	114,770.31		114,770.31
कर्मचारी लाभ व्यय	1,295.16		1,295.16
वित्त लागत	905.33	—	905.33
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	7,292.90	(7.95)	7,284.95
अन्य व्यय	6,941.25	—	6,941.25
कुल व्यय (IV)	150,235.04	(7.95)	150,227.09
कर से पहले आय/(हानि) (III&IV)	20,036.04	4.32	20,040.36
कर व्यय:	5,058.64		5,058.64
वर्ष के लिए निरंतर परिचालन से आय/(हानि) (V&VI)	14,977.40	4.32	14,981.72

अवधि के लिए कुल व्यापक आय (वर्ष के लिए आय/(हानि) और अन्य व्यापक आय को मिलाकर)	14,977.40	4.32	14,981.72
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर नाम मात्र मूल्य 100 रुपये):			
(1) मूल (बेसिक)	7,488.70	2.16	7,490.86
(2) मिश्रित (डायलूटेड)	7,488.70	2.16	7,490.86

नोट सं. 37. आकस्मिक देयताएं

बैलेंस शीट तिथि के अनुसार, कंपनी द्वारा उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई ऑफसाइट वारंटी के संबंध में आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि परियोजनाओं के लिए आपूर्ति किए गए सभी उपकरण वारंटी अवधि के बाद समय-समय पर विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से एएमसी के तहत कवर किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, अन्य आकस्मिक देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैं: –

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया*	445.12	382.66
ब्याज और जुर्माने के लिए डीओटी द्वारा की गई मांग	0	341.75
गारंटी	1370.57	1638.65
दिल्ली वैट मांग (सितंबर 2005 से नवंबर 2008)	678.00	678.00
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2014–15)	206.29	206.29
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2018–19)**	2434.58	2434.58
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2019–20)	42.50	42.50
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2022–23)	2012.89	0
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2020–21)	30.22	0
एमएसएमई अधिनियम के तहत भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज***	1449.51	687.25

जीएसटी अधिनियम के तहत विक्रेताओं को भुगतान में देरी के लिए धारा 16 (2) (डी) के तहत ब्याज (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर में क्रेडिट शेष के उपयोग के अधीन)***	1125.29	910.87
कुल	9794.97	7322.55

* उपरोक्त आकस्मिक देनदारियों में कंपनी के खिलाफ 22 मामले शामिल नहीं हैं क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

** 5139.45 लाख रुपये के आईटीआर में किए गए दावे के रिफंड के समायोजन के बाद उपरोक्त मांग का समंजन कर दिया गया है।

*** **MSME** ब्याज और जीएसटी ब्याज को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि यह उस स्थिति में उपयोगकर्ता विभाग से वसूल किया जाएगा जहां विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए परियोजना में धन उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, आज तक एमएसएमई और जीएसटी ब्याज के खिलाफ कोई मांग बकाया नहीं है।

नोट सं. 38. प्रतिबद्धताएं

कंपनी ने खरीद आदेश और आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए समझौतों के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं की खरीद और बाद की अवधि में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्धता की है। उन प्रतिबद्धताओं को सहमत शर्तों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, 31 मार्च 2024 तक कंपनी की आंतरिक परियोजनाओं के लिए इस प्रकार की राजस्व प्रतिबद्धताओं की राशि 2759.45 लाख रु. (पिछले वर्ष 1356.40 लाख रु.) है। इसके अलावा, "आरक्षित निधि- रिजर्व्स" में से पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धता इस प्रकार हैं:–

लाख रु. में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1.	नेशनल डेटा सेंटर, भुवनेश्वर	10604.88	16862.11
2.	दिल्ली के शास्त्री पार्क, ब्लॉक–1 में द्वितीय तल, डीएमआरसी से लीजरेंट पर शीट वर्क का विकास 725.67 रुपये (अग्रिम 71.98 रुपये घटाव और पूंजीकरण 478.71 रुपये) (पिछले वर्ष 725 .67 लाख रुपये घटाव अग्रिम 99.67 और पिछले वर्ष के दौरान पूंजीकृत 451.01 रुपये 2022–23 तक)	174.98	174.98
3.	शास्त्री पार्क में दूसरी मंजिल पर 4 शौचालयों के लिए नवीकरण कार्य, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य, 45.04 रुपये (34.14 लाख रुपये से प्रगति पर पूंजीगत कार्य के लिए हस्तांतरण घटाव (पिछले वर्ष 45.04 रुपये से 2022–23 तक 34.14 लाख रुपये से प्रगति पर पूंजीगत कार्य के लिए हस्तांतरण घटाया)	10.90	10.90
4.	एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी कामा प्लेस में 6ठी मंजिल (हॉल नंबर 2 और 3) के लिए नवीनीकरण कार्य, आंतरिक साज–सज्जा कार्य के लिए 138.73 लाख रु.अग्रिम राशि में से 43.11 लाख रु.घटाएँ और प्रगति पर पूंजीगत कार्य के लिए स्थानांतरण 40.13 लाख रु. (पिछले वर्ष शून्य)	55.49	–

5.	वर्ल्डट्रेड टॉवर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय सीन की खरीद (यूनिट संख्या ए–300) (कुल लागत 11937.69 लाख रुपये में से 2021–22 तक भुगतान किए गए 6957.68 लाख रुपये, 2023–24 में 4251.44 लाख रुपये, दोनों करों और वैधानिक शुल्कों को छोड़कर)	728.57	4980.01
	कुल	11574.82	22028.00

नोट सं. 39 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। के तहत दिए गए आय और व्यय खाते को तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों के अनुच्छेद 5 (viii) के अनुसार सूचना।

I- सी.आई.एफ. आधार पर आयात का मूल्यः शून्य (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

ii- विदेशी मुद्रा में व्यय (प्रोद्भवन आधार पर):

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
यात्रा–स्टाफ (विदेश)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

iii- विदेशी मुद्रा नें आय (प्रोद्भवन के आधार पर): शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

नोट सं. 40. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक*

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	7.36	7.01
आयकर लेखा परीक्षा	0.98	0.93
व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु	2.20	1.82
कुल	10.54	9.76

*लागू करों को छोडकर ।इसके अलावा, विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रमाणन कार्य हेतु 2.90 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2.20 लाख रुपये) प्लस जीएसटी का भुगतान किया गया है,जो सीधे संबंधित परियोजनाओं में डेबिट किया जाता है।

नोट सं. 41. भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण – 'कर्मचारी लाभ'

I- भविष्य निधि में योगदान

दिनांक 3 मार्च 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर कंपनी के पास कोई भविष्य निधि योजना नहीं है क्योंकि कंपनी के कर्मचारी अपने पदों के साथ एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। भविष्य निधि के लिए निर्धारित दर और सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भविष्य निधि को उनके वेतन से हर महीने काट लिया जाता है और एनआईसी को दे दिया जाता है क्योंकि इसका पूरा लेखा–जोखा एनआईसी ही देखती है। इस प्रकार, भविष्य निधि खाते पर कर्मचारियों को किसी भी भुगतान हेतु कंपनी की कोई देयता नहीं है।

ii. छुट्टी वेतन

दिनांक 3 मार्च 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के आधार परचूंकि कर्मचारी एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन योगदान, (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार), की गणना कंपनी द्वारा हर महीने की जाती है और एनआईसी को भेज दी जाती है। इस प्रकार कंपनी पर छुट्टी वेतन / छुट्टी के बदले नकद भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है।

iii- पेंशन योगदान

दिनांक 3 मार्च 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर चूंकि कर्मचारी एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर है, पेंशन योगदान, (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार), की गणना कंपनी द्वारा हर महीने की जाती है और एनआईसी को भेज दी जाती है। इस प्रकार कंपनी पर पेंशन संबंधी लाभों के भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है।

iv- उपदान (ग्रेच्युटी)

दिनांक3 मार्च 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर चूंकि कर्मचारी एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं, कंपनी किसी भी ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जाएगा।

नोट सं. 42. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क) संबंधित पार्टियों की सूची–

01–04–2023 तक 31–03–2024 निर्देशकों की सूची

क्र. सं.	निदेशक का नाम और पद	बोर्ड में पद	नियुक्ति तिथि	सेवा समाप्ति तिथि
1	श्री अमित अग्रवाल आईएएस, अतिरिक्त सचिव, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष	25/नवंबर/22	17/जुलाई/23
2	श्री भुवनेश कुमार आईएएस, अतिरिक्त सचिव, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष	17/जुलाई/23	जारी है
3	श्री राजेश सिंह जेएस और एफए एमईआईटीवाई	निदेशक	16/जून/22	जारी है
4	श्री सुशील पाल संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई	निदेशक	25/नवंबर/22	23/अगस्त/23
5	श्री संकेत भोंडवे संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई	निदेशक	23/अगस्त/23	जारी है
6.	श्री एस. के. मारवाह, वैज्ञानिकद् जी और समूह समन्वयक	निदेशक	31/दिसंबर/21	जारी है
7.	श्रीमती सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक	निदेशक	16/जून/22	जारी है
8.	श्री राजीव राठी वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	01/अक्टूबर/21	30/सितंबर/23

9.	सुश्री अल्का मिश्रा, वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	1/अक्टूबर/21	30/सितंबर/23
10.	डॉ. सुश्री सुचित्रा प्यारेलाल वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	1/अक्टूबर/21	30/सितंबर/23
11.	श्री. वी.टी.वी. रमन, वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	01/अक्टूबर/22	जारी है
12.	डॉ. सुभाग चांद, वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	01/अक्टूबर/22	जारी है
13.	श्री प्रमोद कुमार सिंह वैज्ञानिक जी और एसआईओ (गुजरात) एनआईसी	निदेशक	01/अक्टूबर/22	जारी है
14.	सुश्री जयंती श्रीनिवासन वैज्ञानिक जी और एसआईओ (कर्नाटक) एनआईसी	निदेशक	01/अक्टूबर/23	जारी है
15.	श्री सुशील कुमार, वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	01/अक्टूबर/23	जारी है
16.	डॉ. विनय ठाकुर वैज्ञानिक जी, एनआईसी	महानिदेशक	13/अगस्त/22	30/अप्रैल/24

प्रमुख प्रबंधकन कर्मियों की सूची

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधन कर्मी का नाम और पदनाम	बोर्ड में ओहदा	नियुक्ति तिथि	सेवा समाप्ति तिथि
1.	डॉ. विनय ठाकुर वैज्ञानिक जी, एनआईसी	महानिदेशक	13/अगस्त/22	30/अप्रैल/24
2.	श्री सानी जैन	कंपनी सचिव	28/जनवरी/20	जारी है

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देनः –

प्रमुख प्रबंधन कर्मी का नाम और पदनाम	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
1. प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
श्री प्रशांत कुमार मित्तल	–	15.00
श्री आईपीएस सेठी	–	00.00
श्री विनय ठाकुर	50.34	25.48
श्री सनी जैन	19.38	12.79
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	69.72	53.27

2. निदेशक का बैठक शुल्क	–	–
3. निदेशक के रिश्तेदार को वेतन	–	–
4. ऋण और अग्रिम	–	–
5. संयुक्त उपक्रम में निवेश	–	–
6. तुलन पत्र तिथि पर देय	–	–
श्री विनय ठाकुर	3.24	3.06
श्री सनी जैन	1.55	1.25

क) एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है, जिसका नियंत्रण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा किया जाता है, जिसके पास अधिकांश शेयर हैं। भारतीय लेखामानक 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेन–देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ आधार पर किए जाते हैं। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित खुलासे किए हैं।

नोट संख्या 43.भारतीय लेखा मानक– 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी केवल दिल्ली में स्थिति केंद्रीकृत कार्यालय से 'सूचना प्रौद्योगिकी' खंड में सेवाएं प्रदान कर रही है। इसे केवल एक खंड मानते हुए, वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखांकन मानक– 108 'संचालन सेग्मेंट' के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट संख्या 44. भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर प्रकटीकरण

क) राजस्व मान्यता पर महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय:

अनुबंध राजस्व और संबंधित प्राप्तियों की मान्यता प्राप्त राशियाँ प्रत्येक अनुबंध के परिणाम और समापन के चरण के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाती है, जो उपयोग कर्ता स्वीकृति / प्रदर्शन प्रमाणपत्र, प्रयासों, आज तक की लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो लेनदेन की कुल अनुमानित लागत, खर्च किए गए समय, प्रदान की गई सेवा या किसी अन्य विधि से मेल खाती है जिसे प्रबंधन उचित मानता है।

ख) कंपनी ने माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों को हस्तांतरित करने पर प्रदर्शनदायित्व की संतुष्टि के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है। कंपनी द्वारा राजस्व को उपयोग कर्ता स्वीकृति / प्रदर्शन प्रमाणपत्र के आधार पर या चालान बनाने के समय मान्यता दी गई है यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है:

I ग्राहक को एक साथ लाभ प्राप्त होता है और माल और सेवा पर अधिकार और नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है, जो मालध्सेवाओं की डिलीवरी के प्रमाण के आधार पर निर्धारित होता है।

ii कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण या संवर्धन करता है, जिन्हें ग्राहक नियंत्रित करता है, क्योंकि परि संपतियाँ बनाई या बढ़ाई जाती हैं

iii कंपनी का प्रदर्शन वैकल्पिक उपयोग के साथ निर्माण नहीं करता है और कंपनी के पास आज तकपूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

ग) वियोजन या राजस्व

नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व का वियोजन निर्धारित किया गया है:

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व		
माल / सेवाओं की प्रकृति के आधार पर		
व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री	35,980.60	19,707.34
सेवा आय	185596.58	139901.46
अन्य प्रशासनिक शुल्क	782.78	809.30
कुल राजस्व	222,359.96	160,418.10

घ) अनुबंधशेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ संपर्क से प्राप्तियों, संपर्क परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
प्राप्य		
व्यापारिक प्राप्य	44021.52	45254.53
समय बीत जाने के कारण बिना बिल का राजस्व	9693.99	11790.45
घटावः हानि भत्ता	(11620.00)	(10483.50)
कुल प्राप्य (क)	42095.51	46561.48
अनुबंध की परिसंपत्तियाँ		
समय बीत जाने के अलावा बिना बिल के राजस्व	–	–
कुल अनुबंध परिसंपत्तियाँ (ख)	–	–
अनुबंध देयताएँ		
ग्राहकों से अग्रिम	263566.23	197337.49
कुल अनुबंध देयताएँ (ग)	263566.23	197337.49
कुल (क+ख– ग)	(221470.72)	(150776.01)

अनुबंध परि संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल पाने का अधिकार है। अनुबंध देयता इकाई का ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए इकाई ने ग्राहक से अग्रिम रूप से प्रतिफल प्राप्त किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों को प्राप्य में तब स्थानांतरित किया जाता है जब अधिकार बिना शर्त के हो जाते हैं यानी प्रतिफल का भुगतान देय होने और राशि बिल योग्य होने से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है। अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब और जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है।

वर्ष के दौरान अनुबंध देनदारियों के संतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
प्रारंभिक शेष	197337.49	192452.00
प्राप्त राशि	274645.74	186809.52
वर्तमान वर्ष में निष्पादित दायित्व	(208417.00)	(181924.03)
रोकड़–शेष	263566.23	197337.49

ङ) प्रदर्शन दायित्व

कंपनी का प्रदर्शन दायित्व उपयोग कर्ता स्वीकृति / प्रदर्शन प्रमाण पत्र के आधार पर या चालान तैयार कर ते समय पूरा किया जाता है।

च) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व की राशिका अनुबंधित मूल्य के साथ मिलान करना

लाख रु. में

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
अनुबंध के अनुसार राजस्व	235374.43	164211.26
समायोजनः		
नकद छूट		
स्थगित राजस्व		
अन्य समायोजन	(13014.47)	(3793.16)
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	222359.96	160418.10

नोट. 45. शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। बैंक खातों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। जहाँ तक व्यापार / अन्य देय और अग्रिमों का सवाल है, लेखांकन मानक (एसए) 505 (संशोधित) 'बाहरी पुष्टिकरण' मे संदर्भित नकारात्मक दावे के साथ शेष पुष्टिकरण पत्र / ईमेल पक्षों को भेजे गए ते। ऐसे कुछ शेष पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो, का हिसाब उसकी पुष्टि / समाधान पर किया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट सं. 46 वाहन / अधिकार पत्र का निष्पादन न करना

कंपनी ने मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड से वर्ष क्रमशः 2003 और 2001 में हॉल स. 2 और 3 के छठे तल, एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, मे खरीदा था। हालाँकि वहन विलेख / अधिकार पत्र विलेख को 18 जुलाई 2023 को एनबीसीसी द्वारा एनआईसीएसआई के नाम पर पंजीकृत किया गया था। इसलिए, स्टाम्प ड्यूटी की राशि के लिए 27.97लाख रु. (पिछले वर्ष 74.52 लाख रु.) का प्रावधान वित्त विवरण में किया गया है।

इसके अलावा कंपनी को यूनिट सं. ए– 300 टावर ए, तीसरी मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, नौरोजी नगर भी आवंटित किया गया था। भवन निर्माणाधीन होने के कारण एनआईसीएसआई के नाम पर अधिकार पत्र विलेख का निष्पादन लंबित है।

नोट सं. 47. प्रबंधन की राय में, चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम एवं व्यापार प्राप्य व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में वसूली पर कम–से–कम उस राशि के बराबर है जिस पर उन्हें बताया गया है।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण

लाख रु. में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1	मूलधन और उस पर देय ब्याज किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है*.	3959.78	6847.30
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, आपूर्तिकर्त्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।	शून्य	शून्य

3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज राशि, लेकिन सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
4	अर्जित ब्याज की राशि और शेष भुगतान	शून्य	शून्य
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय को अस्वीकार करने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में भी शेष देय और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य

*हालाँकि, उपर्युक्त में उल्लिखित राशि पर देय ब्याज शामिल नहीं है।

नोट सं.48. भारतीय लेखांकन मानक - 36 'संपत्तियों की हानि' के अनुसार प्रकटन

भारतीय लेखा मानक– 36 'संपत्तियों की हानि' के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लक्ष्मी नगर में डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क में राष्ट्रीय डेटा केंद्र के संबंध में संपत्ति की हानि का आकलन किया गया है, 'एनआईसी क्लाउड सर्विसेज के संवर्धन' पर निवेश के लिए शास्त्री पार्क में राष्ट्रीय डेटा केंद्र और शास्त्री पार्क स्थानों पर विकास केंद्र, जो कंपनी की नकदी पैदा करने वाली इकाईयां हैं और उन पर कोई हानि की पहचान नहीं की गई है। प्रबंधन की राय में भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में किसी महत्वपूर्ण हानि का कोई संकेत नहीं है।

नोट सं. 49. डीओटी लाइसेंस सं. 815–100/एनआईसीएसआई/2009–डीएस दिनांक 20.11.2009 के खिलाफ वीसैट परियोजनाओं से राजस्व सृजन (जीआर/एजीआर) (एनआईसीएसआई द्वारा 31.03.2017 को समर्पण किया गया और डीओटी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया) और इसके लिए डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान।

एनआईसीएसआई ने 31.03.2017 को डीओटी लाइसेंस सरेंडर कर दिया था और डीओटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। डीओटी द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार, एआईसीएसआई ने 31.03.2017 तक केवल इस गतिविधि से संबंधित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क/स्पेक्ट्रम शुल्क की पूर्ण राशि का भुगतान किया है। साथ ही, एमएचए/एनडीआरएफ से भी राशि प्राप्त होती है। हालांकि, कार्यालय आदेश पीआर. सीसीए कार्यालय, डीओटी ने पूरी कंपनी का राजस्व लेकर एनआईसीएसआई पर ब्याज/आर्थिक जुर्माना लगाया था, जिसके लिए एमईआईटीवाई ने इस मामले को डीओटी के सामने उठाया था।

कार्यालय आदेश पीआर. सीसीए डीओटी, दिनांक 17.07.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क से संबंधित एनआईसीएसआई के खिलाफ सभी मांग नोटिस (भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.06.2020 के निर्णय और डीओटी के ओएम सं. 12–25/2019–एलएफपी दिनांक 17.07.2020 के आधार पर) वापस ले लिया था। एफएंडसी लेखा परीक्षा कार्यालय को तदनुसार, एनआईसीएसआई द्वारा पत्र सं. एनआईसीएसआई / फिन / इस्प. एफएंडसी विज्ञापन/2018–19/289 दिनांक 20.07.2020 के माध्यम से सूचित किया गया और तदनुसार, उस कार्यालय ने, पत्र सं. एएमजी–II/एनआईसीएसआई/ एफ–2516/2019–20/323 दिनांक 23.09.2020 के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट से पैरा को स्वीकार/बंद कर दिया था।

हालांकि, एनआईसीएसआई ने उपरोक्त कुल 92 लाख रु. के लिए डीओटी के पास 4 बैंक गारंटी (बीजी) जमा की थी, जिसे समय–समय पर नवीनीकृत किया गया था। एनआईसीएसआई ने 10.08.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से डीओटी से इन सभी बीजी को वापस करने को

कहा था। इसके लिए 09.11.2020 को अनुस्मारक भी भेजा था। प्रत्युत्तर में, कार्यालय आदेश पीआर. सीसीए, डीओटी, पत्र सं. 50–4–2018– स्पष्टीकरण और नियम/ पीआर.सीसीए/ दिल्ली/1413 दिनांक 05.02.2021, ने, डीओटी (एलएफपी विभाग) से गैरदू दूरसंचार पीएसयू के संबंध में एलएफ/ एसयूसी के पुनर्मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया था, जैसा कि डीओटी द्वारा उठाई गई मांग को उसके आदेश संख्या 12–25 /2019–एलएफपी दिनांक 13.07.2020 के तहत वापस ले लिया गया था। एनआईसीएसआई ने दिनांक 11.03.2021, 27.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 09.08.2021, 13.09.2021, 22.11.2021, 08.03.2022 और 21.04.2022 को लिखे पत्र के माध्यम से अनुस्मारक भी भेजा लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और बीजी भी डीओटी के ही पास हैं।

इसकेअलावा, प्रधान सीसीए (Pr-CCA) के कार्यालय ने दिनांक 03.01.2023 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि संशोधित मूल्यांकन किया गया है और एनआईसीएसआई (NICSI) के विरुद्ध 341.75 लाख रुपये की राशि बकाया है। इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। एनआईसीएसआई (NICSI)नेडीओटी (DOT) द्वारा उठाई गई मांग को माफ करने का अनुरोध किया है।

हालाँकि, प्रधान सीसीए ने फिर से संशोधित मांग दिनांक 12.03.2024 और 15.03.2024 के माध्यम से 413.59 लाख रुपये की राशि के लिए सूचित किया। तदनुसार, एनआईसीएसआई ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय विवरण के तहत प्रावधान प्रदान किया है।

नोट सं.50. नेशनल डेटा सेंटर परियोजनाओं पर आय/व्यय

नेशनल डेटा सेंटर शास्त्री पार्क, दिल्ली की स्थापना एमईआईटीवाई और एनआईसी के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया था और जुलाई 2011 से यह काम कर रहा है। स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के अनुसार, एनआईसीएसआई को प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 800 लाख रु. प्रति वर्ष की दर से परिचालन व्यय का वहन करना था। अपने परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए लिए, एनआईसीएसआई स्वयं को आवंटित 60 रैक्स से आय अर्जित करनी थी। हालांकि एनआईसीएसआई ने 2 वर्षों के बाद भी परिचालन व्यय को पूरा करना जारी रखा, एमईआईटीवाई ने 01–04–2014 से मंजूरी दे दी थी कि, एनआईसीएसआई नेशनल डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर परिचालन व्यय मद पर 800 लाख रुपये तक किराया और रखरखाव/बुनियादी आधारभूत संरचना के रखरखाव/बुनियादी आधारभूत संरचना ओएंडएम कर्मचारी पर खर्च करेगा और एनआईसी अपने बजट से व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा। इन सभी शुल्कों के 3% तक बिजली और डीजल शुल्क, भौतिक सुरक्षा और हाउसकीपिंग शुल्क/ जल शुल्क/ रसद सहायता/आकस्मिक शुल्क के लिए एनआईसीएसआई को प्रावधान, इन व्यय के बाद शुरु में एनआईसीएसआई द्वारा वहन किया जाता है। भुवनेश्वर में नेशनल डेटा सेंटर की स्थापना के साथ, एनआईसीएसआई और एनआईसी ने उसी के संचालन एवं प्रबंधन हेतु शास्त्री पार्क, दिल्ली के नेशनल डेटा सेंटर हेतु भी समझौता किया था। एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 27.12.2018 को आयोजित हुई अपनी 108वीं बैठक में इस पर विचार किया था और 01 अप्रैल 2018 से भूतलक्षी प्रभाव से निम्नानुसार अनुमोदित किया गया था –

- एनआईसीएसआई शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर डेटासेंटरों के लिए अलग परियोजना पूल खाता बना सकती है
- इन दोनों डेटा सेंटरों पर सहदृस्थान सेवाओं के माध्यम से होने वाली आय को प्रस्तावित परियोजना मदों के तहत जमा किया जाएगा।
- आय का उपयोग इन दोनो डेटा सेंटरों पर ओएंडएम व्यय और बुनियादी ढांचे के उन्नयन में किया जाएगा।
- एनआईसीएसआई द्वारा शास्त्री पार्क में सहदृस्थान सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वर्तमान 60 रैक के अलावा, एनआईसी आगामी वर्षों के लिए ओएंडएम खर्चों को पूरा करने और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए पर्याप्त धन जुटाने हेतु और अधिक रैक शामिल कर सकता है।
- वित्तवर्ष 2018–19 और उसके बाद से एनआईसीएसआई ने शास्त्री पार्क में ओएंडएम व्यय के लिए प्रतिवर्ष 800 लाख रु. खर्च नहीं करेगी। कथित 60 रैकों से होने वाली आय और एनआईसी द्वारा शामिल किए जाने वाले अन्य रैकों से होने वाली आय का उपयोग ओएडएम व्यय और बुनियादी संरचना के उन्नयन को पूरा करने में किया जाएगा।
- एनआईसीएसआई वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद से कथित ओएंडएम व्यय पर अपना 7% संचालन लाभ और से बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर वसूल करेगी।

तदनुसार एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2022–23 में अपने आय और व्यय को नेशनल एनडीसी– एसपी और भुवनेश्वर में बुक किया है।

एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 29.07.2020 को आयोजित अपनी 114वीं बैठक में एनआईसी से एक निदेशक से एनडीसी–एसपी और भुवनेश्वर के लिए व्यय और आय (क्लाउड को छोड़कर) के बीच घाटे की बैठक से संबंधित मद पर गौर करने और सलाह देने का अनुरोध किया था। मामला अभी विचाराधीन है।

नोट सं. 51. अनुदान सहायता परियोजनाओं और गैर अनुदान सहायता परियोजनाओं के अप्रयुक्त निधि पर ब्याज।

एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2023–24 में जी आईए परियोजनाओं में ब्याज की गणना वास्तविक आधार पर उन ब्याज दरों के अनुसार की है, जिन पर एनआईसीएसआई ने वर्ष और वित्त वर्ष 2023–24 में एफडीकी थी, जैसा कि नीचे दिया गया है:

लाख रु. में

अवधि	एनकेएन परियोजना	अन्य जीआईए परियोजनाएं	कुल
For F-Y-2022–23	8.72	236.82	245.54
For F-Y-2023–24	—	137.25	137.25

एनआईसीएसआई ने 26–03–2022 को आयोजित 121वीं बैठक और 03–06–2022 को आयोजित 122वीं बैठक में निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार जीआईए परियोजनाओं के अलावा अन्य में रुचिका निर्धारण नीचे दिए अनुसार किया है:

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
गैर–जीआईए परियोजनाओं पर ब्याज	1956.26	335.01

नोट सं. 52. व्यापार प्राप्य

एनआईसीएसआई भारत सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है। सामान्य वित्त नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, वे एनआईसीएसआई को 40% या इसके आसदपास तक अग्रिम देने को सीमित हैं, जबकि कई मामलो में मुख्य रूप से आईसीटी हार्डवेयर, एनआईसीएसआई को कार्य आदेश पूर्ण सीमा तक जारी करना पडता है और उन वस्तुओं के वितरण/ स्थापना के बाद, एनआईसीएसआई को कार्य आदेशों में भुगतान शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान जारी करना होगा। इसके कारण, कई अवसरों पर, 31 मार्च 2024 तक, 53715.51 लाख रु. (पिछले वर्ष 57044.98 लाख रु.) की व्यापार प्राप्य राशि प्राप्त हुई (वित्तीय विवरण की नोट सं. 10 में प्रकटन किया गया है), जिसकी वसूली के लिए एनआईसीएसआई समय–समय पर संबंधित विभागों/संगठनों से संपर्क करती रहती है।

नोट सं. 53. संदिग्ध ऋण राशि का प्रावधान, जिनकी वसूली की संभावना नहीं है

एनआईसीएसआई वित्त वर्ष 2018–19 से लगातार अपने खातों में संदिग्ध ऋणों के लिए, 10 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 100%, 5-10 वर्षों के बीच 50% और 3- 5 वर्षों के बीच 25%, पर, "प्रावधान" कर रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के खातों में उन संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधान करने की दिशा में समीक्षा करने और अपनी अनुशंसाएं देने के लिए एनआईसीएसआई में एक समिति का गठन किया गया था, जिनकी वसूली की संभावना नहीं है।

उक्त नीति के अनुसार समिति की सिफारिशों के आधार पर, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एनआईसीएसआई खातों में संदिग्ध राशि की वसूली के लिए "प्रावधान" किया गया है, जिसकी वसूली की संभावना नहीं है: –

अवधि	बकाया राशि	प्रावधान, प्रतिशत में	वित्त वर्ष 2023–24 में प्रावधान	वित्त वर्ष 2022–23 में प्रावधान
10 वर्ष से अधिक	8300.00	100	8300.00	8064.00
5 से 10 वर्ष	2699.00	50	1350.00	1024.00
3 से 5 वर्ष	7878.00	25	1970.00	1395.50
3 वर्ष तक	34838.51		शून्य	शून्य
कुल	53715.51		11620.00	10483.00

नोट सं. 54. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम प्रावधान

एफएंडसी ऑडिट ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा करते समय देखा था कि "आपूर्तिकर्ताओं को 934.16 लाख रु. की अग्रिम राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी है। गैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया है और प्रावधानों को कम कर के दिखाया गया है जिससे लाभ को अधिक बताया गया है।"

एफएंडसी ऑडिट के उपरोक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, एनआईसीएसआई में समनीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों के लिए किए जाने वाले प्रावधान पर विचार करने और सिफारिश करने हेतु उनकी अनुशंसा देने की संभावना नहीं थी। समिति ने 3 वर्षों से अधिक समय से निपटान हेतु बताया राशि का "प्रावधान" करने की अनुशंसा की थी। एनआईसीएसआई ने इसे मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2018–19 से 2021-22 तक के लिए प्रावधान किया था। उपरोक्त आधार पर, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए खातों में आपूर्ति कर्ताओं को अग्रिम राशि के लिए किए जाने वाले प्रावधान की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों पर, एनकेएन परियोजना को छोड़कर, वित्तवर्ष 2023–24 में 1026.96 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 31.03.2024 तक 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है और जिसका निपटान होने की संभावना नहीं है (वित्त वर्ष 2022–23 में 931.98 लाख रुपये के मुकाबले)।

नोट सं. 55. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी को अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व नीति के अनुसरण में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान सीएसआर पर 302.00 लाख रुपये की राशि (पिछले तीन वर्षों के कर–पूर्व औसत लाभ का 2% 302.00 लाख रुपये है। (पिछले वर्ष 250.00 लाख रुपये, पिछले तीन वर्षों के कर–पूर्व औसत लाभ का 2%), खर्च की जानी है। उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
पिछले वर्षों की कमी का कुल (क)	250.00	112.00
बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि (ख)	302.00	250.00
वित्त वर्ष 2022–23के लिए कुल कमी में से भुगतान की राशि (ग)	250.00*	—
वित्त वर्ष 2023–24के लिए कुल कमी में से भुगतान की राशि (घ)	146.45	112.00
पिछले वर्षों का अतिरिक्त व्यय वर्ष के दौरान समायोजित किया गया (ङ)	—	

वर्ष के अंत में कमी (च) (क+ख+ग+घ)	155.55	250.00
कमी का कारण	एनआईसीएसआई ने चल रही परियोजनाओं के लिए प्रत्यारोपण एजेंसियो को अग्रिम भुगतान किया है। इस निधि का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। चूंकि परियोजना अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी।	सीएसआर बैंक खाते में अंतरित राशि
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य और शिक्षा प्रयोजन हेतु 302.00 लाख रु.	स्वास्थ्य और शिक्षा प्रयोजन हेतु 220.00 लाख रु. पीएम केयर्स फंड में 30.00 लाख रु.

*वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी सीएसआर गतिविधियों पर 250 लाख रुपये खर्च नहीं कर सकी। नतीजतन, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर खर्च के लिए 250 लाख रुपये की देनदारी बनाई। वित्त वर्ष 2023–24 में, 250 लाख रुपये में से, 220 लाख रुपये सीएसआर कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित किए गए, और 30 लाख रुपये कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में जमा किए गए। हालांकि, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर परियोजनाओं के लिए बोर्ड से अनुमोदन लेते समय, अनजाने में, इसे "चालू परियोजनाओं" के बजाय "चल रही परियोजनाओं के अलावा" के रूप में उल्लेख किया गया था और सीएसआर रिटर्न तदनुसार आरओसी के साथ दायर किया गया था। एनआईसीएसआई ने सीएसआर परियोजनाओं की श्रेणी को "चालू परियोजनाओं" में बदलने के लिए बोर्ड की मंजूरी ले ली है और वित्त वर्ष 2023–24 की निदेशक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा। तदनुसार वित्तवर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय विवरण और सीएसआर रिटर्न दाखिल करते समय आरओसी को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, एनआईसीएसआई ने सीएसआर परियोजनाओं की श्रेणी को "चालू परियोजनाओं" में बदलने के लिए बोर्ड की मंजूरी ले ली है।

नोट सं. 56. आयकर और बिक्री कर आदि के लिए प्रावधान

एफएंडसी आडिट ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लेखा परीक्षा करते समय पाया था कि "वित्त वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक वसूली योग्य टीडीएस/आयकर के कारण 2,281.03 लाख रु. का आयकर विभाग में लंबित है। उक्त राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी होने कारण इस संबंध में प्रावधान कंपनी द्वारा बनाया जाना चाहिए था लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस राशि का प्रावधान न करने के कारण ही वर्तमान संपत्तियों को अधिक दिखाया गया और प्रावधान को कम कर के बताया गया जिसके कारण आय को अधिक दिखाया गया है"।

एफएंडसी के उपरोक्त जांच को ध्यान में रखते हुए, आयकर रिफंड, बिक्री कर वसूली योग्य और कार्य अनुबंध पर टीडीएस की संभावना न होने कारण वित्त वर्ष 2018–19 के लिए खातों में किए जाने वाले प्रावधान की समीक्षा करने और अनुशंसाओं हेतु एनआईसीएसआई में समिति बनाई गई थी। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एनआईसीएसआई खाते में प्रावधान किया गया है: –

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
आय कर	1835.87	1835.87
बिक्री कर/ वैट/ डीवैट	117.91	117.91
कार्य अनुबंध पर टीडीएस	2.54	2.54
कुल	1956.32	1956.32

कर की वापसी के संबंध में मामले को संबंधित कर अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया गया है और मामला अभी भी उनके अधिकारियों के समक्ष उच्च स्तर पर, चर्चा में है, उक्त राशि की वापसी प्रतीक्षित है।

नोट सं. 57. प्रावधान संचालन

भारतीय लेखा मानक 37 के अनुपालन के संदर्भ में, प्रावधान संचालन को इस प्रकार दिखाया गया है:

							लाख रु. में
विवरण	आपूर्तिकर्ता अग्रिम के लिए प्रावधान	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	स्टांप ड्यूटी के प्रावधान	आयकर और बिक्री कर आदि के लिए प्रावधान	डीओटी के लिए प्रावधान	सीएसआर के लिए प्रावधान	कुल
1 अप्रैल 2022 तक	894.32	9,249.75	74.52	1,956.33	–	0	12,174.92
संवर्धन	931.98	10,483.50	–	–	–	0	11,415.48
प्रतिलेखन/ अंतरण	894.32	9,249.75	46.55	–	–	0	10,190.62
31 मार्च 2023 तक शेष	931.98	10,483.50	27.97	1,956.33	–	0	13,399.78

संवर्धन	1,026.96	11,620.00	—	—	413.59	155.55	13216.10
प्रतिलेखन/ अंतरण	931.98	10,483.50	27.97	—	—	0	11443.45
31 मार्च 2024 तक	1,026.96	11,620.00	—	1,956.33	413.59	155.55	15172.43

नोट सं. 58. अप्रचलित मद

वित्त वर्ष 2017–18 के लिए एनआईसीएसआई खातों की समीक्षा करते समय, एफएंडसी ऑडिट टीम ने देखा था कि 31 मार्च को अप्रचलित वस्तुओं के मूल्यह्रास मूल्य और उसी के खिलाफ अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच अंतर के लिए उस वर्ष के खातों में प्रावधान नहीं किया गया था। तदनुसार, एनआईसीएसआई में एक समिति गठित की गई थी, जो वित्तवर्ष 2018–19 के लिए एनआईसीएसआई खातों में 31.03.2019 को अप्रचलि तवस्तुओं के मूल्यह्रास मूल्य और अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच किए जाने वाले "प्रावधान" की जांच और सिफारिश करेगी। समिति ने सिफारिश की थी कि 31.03.2019 को अप्रचलित परिसंपत्ति मदों के मूल्यह्रास मूल्य को अनुमानित बिक्री मूल्य के रूप में लिया जाना चाहिए और इसलिए, इस वर्ष के खातों में इस खाते पर कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।इसी तरह, इसके बाद वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एनआईसीएसआई खातों में कोई 'प्रावधान' नहीं किया गया था। 2021–22 और 2022–23 तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी। हालांकि, परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के आधार पर, 31.03.2024 तक अप्रचलित परिसंपत्ति मदों का अनुमानित मूल्य 10.03 लाख रुपये (वित्त वर्ष 10.94 लाख रुपये) आंका गया है।

नोट सं. 59 वर्ष अंत के व्यय और बिना बिल वाले राजस्व का प्रावधान

वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के वित्तीय विवरण की समीक्षा करते समय, पीएंडटी ऑडिट (कैग) ने पाया कि पिछले वर्ष के लिए किए गए व्यय से संबंधित चालान के लिए बहीखातों में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए चालान प्राप्त हुए थे। वित्त वर्ष की समाप्ति लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने की तिथि से पहले। पीएंडटी ऑडिट ने इन व्यय के खिलाफ उचित प्रावदान करने का सुझाव दिया था। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित आय भी संबंधित वित्तीय वर्ष में दर्ज की गई है। उपरोक्त के आधार पर वित्त वर्ष 2023–24 में भी एनआईसीएसआई खातों में निम्न अनुसार बिना बिल प्रावधान किया गया है।

		लाख रु. में
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष
व्यय के लिए प्रावधान बिना बिल का राजस्व	10308.34 9693.99	12039.63 11790.45

नोट सं. 60. जीएसटी अधिकारियों के समक्ष अपील

नवंबर, 2017 में 473.37 लाख रु. की जीएसटी एनआईसीएसआई द्वारा इसी कारण से जमा किया गया था कि उस वर्ष विक्रेताओं के कई चालान बुक किए जाएंगे लेकिन कम चालान प्राप्त हुए, उस सीमा तक जीएसटी का निपटान नहीं हुआ। निर्धारण अधिकारी द्वारा 25.09.2020 को समय बाधित होने के कारण दावे को खारिज कर दिया गया। एनआईसीएसआई ने जमा किए गए अतिरिक्त कर की वापसी हेतु 18.12.2020 को आयुक्त (अपील– II).

सीजीएसटी, दिल्ली के समक्ष अपील की है। एनआईसीएसआई जीएसटी ट्रिब्यूनल में नई अपील दायर करने की प्रक्रिया में है लेकिन अभी प्रक्रिया रुकी हुई है क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया गया है.

नोट सं. 61. कंपनी ने वित वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं किया।

नोट सं. 62. पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी ने पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत / पुनः समूहीकृत / पुनः व्यवस्थित किया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

जे एन मित्तल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
कंपनी पंजीकरण सं. 003587 एन

ह0 / –

मनोज बलोडि
साझीदार
सदस्यता सं. 560392
यूडीआईएन सं. 24560392BKMDNUI578

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 30–07–2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड

ह0 / –

डॉ. राजेश कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10680009

ह0 / –

सनी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0 / –

श्री. भुवनेश कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02780311

ह0 / –

श्री जितेन्द्र कुमार
एफए एंड सीए

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान के सदस्यों के लिए
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य विचार

हमने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट (तुलन पत्र) और आय एवं व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं के सारांश समेत वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स थे (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं, तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके नकदी प्रवाह का विवरण देते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

I- हम वित्तीय विवरणों के लिए निम्नलिखित नोटों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। ये शेष राशि सुलह और पुष्टि के अधीन हैं। इस तरह की पुष्टि और सुलह लंबित होने तक, हम बकाया शेष राशि की शुद्धता और वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का पता लगाने और उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

लाख रु. में

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	मार्च 2024 तक शेष राशि (लाख रु. में)
1	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (सुरक्षा जमा)	नोट–7	1,366.10
2	अन्य गैर– वर्तमान परिसंपत्तियां (पूंजी और अन्य अग्रिम)	नोट–9	12,774.42
3	व्यापार प्राप्य	नोट–10	42,095.51
4	अन्य चालू परिसंपत्तियां" (आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम)	नोट–15	29,011.05
5	अन्य वित्तीय देयताएं (देय प्रतिभूति जमा)	नोट–18	64.76
6	व्यापार देय	नोट–19	45,206.02
7	अन्य वित्तीय देयताएं (बयाना राशि जमा और प्रतिधारण राशि जमा)	नोट–20	861.09
8	अन्य चालू देयताएं (ग्राहकों से अग्रिम)	नोट–21	2,63,566.22

ii- नोट 37 देखें। "आकस्मिक देयताएँ"। एमएसएमई व्यापार देय के संबंध में ब्याज व्यय और ब्याज देयता को पहचानने के बजाय, कंपनी ने एमएसएमई व्यापार देय के संबंध में ब्याज देयता को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया है। इसके परिणाम स्वरूप आय में 762.26 लाख रुपये की अधिकता और व्यापार देय में 762.26 लाख रुपये की कमता दिखाई गई है।

iii- नोट संख्या 10 "व्यापार प्राप्य" देखें। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II की आवश्यकताओं के अनुसार, भुगतान की देय तिथि को आधार तिथि मानते हुए, 6 महीने से कम, 6 महीने – 1 वर्ष, 1 – 2 वर्ष, 2 – 3 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक की श्रेणियों के लिए आयु का खुलासा किया जाना चाहिए। चूंकि कंपनी का ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आयु विवरण नहीं बताता, इसलिए कंपनी ने वार्षिक वृद्धिशील शेष दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य की परिपक्वन का खुलासा किया है।

इसके अलावा, कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के रूप में 11,620 लाख रुपये की पहचान की है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए कंपनी की लेखा नीति नोट 2 (xvi) में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि "संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 100%, 5–10 वर्षों के बीच 50% और बैलेंस शीट तिथि के अनुसार 3–5 वर्षों के बीच 25% माना जाता है"।

लेखांकन नीति के अनुसार, चालान के भुगतान की देय तिथि से 10 वर्ष, 5–10 वर्ष और 3–5 वर्ष की प्रावधान अवधि देखी जानी चाहिए। चूंकि कंपनी का ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परिपक्वन विवरण उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए कंपनी ने 11,620 लाख रुपये के प्रावधान की गणना के लिए वार्षिक वृद्धिशील शेष दृष्टिकोण का उपयोग किया है। व्यापार प्राप्तियों की चालानवार परिपक्वन की अनुपलब्धता को देखते हुए, हम 11,620 लाख रुपये के परिपक्वन और प्रावधान राशि के बारे में बताए गए विवरण की सत्यता का पता लगाने और उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

सूचना के अभाव में, जिसके प्रभाव को मापा नहीं जा सकता, हम 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर बिंदु संख्या (i) और (iii) में बताई गई इन मदों के संभावित प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विशिष्ट मामले (EmphasisofMatter)

I. नोट संख्या 55 "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय" देखें। कंपनी ने खुलासा किया है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में

सीएसआर व्यय के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करते समय, इसने अनजाने में 220 लाख रुपये की सीएसआर परियोजनाओं को "चालू परियोजनाओं" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इन परियोजनाओं को "चालू परियोजनाओं के अलावा" मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर 2 दाखिल किया। 30.07.2024 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में, कंपनी के बोर्ड ने "चल रही परियोजनाओं के अलावा" श्रेणी को "चल रही परियोजनाओं" में पुनर्वर्गीकृत करके इस त्रुटि की पुष्टि की।"

ii. कंपनी को नोट 2(अपप) में दी गई राजस्व मान्यता और नोट 2(iv) में दिए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर के परिशोधन के संबंध में अपनी लेखांकन नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

ऊपर दिए गए पैराग्राफ में बताए गए मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है।अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब यह उपलब्ध हो जाए तो ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़े और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ और निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल हैय उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगानाय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का भी उत्तरदायी होता है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगी, यदि वैसा कुछ हुआ हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है। यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की

क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम () अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैंय और (i) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों को यह भी कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर टिप्पणी नहीं की गई है क्योंकि उक्त आदेश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनी को उपलब्ध छूट के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थीं।

ख) उपर उल्लिखित योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, बहीखाते की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाता तैयार किया है।

ग) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपर उल्लिखित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) का अनुपालन करते हैं।

ङ) कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशक की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है, जैसा कि भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक योग्य राय व्यक्त करती है।

छ) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकता के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमें सूचित किया जाता है कि, कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05–06–2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ज) संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

I. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है (वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 37 देखें);

II. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा था।

III. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

iv. (क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, को कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थः

- कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना।

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("निधि देने वाली पार्टियां") शामिल हैं, से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनीः

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऋणदाता किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करेगा (अंतिम लाभार्थी) निधि देने वाली पार्टी द्वारा या उसकी ओर से या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा; और

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप- खंड (iv) (ए) और (iv) (बी) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी गलत बयान शामिल है।

v. चूंकि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित किया गया है और यह लाभांश घोषित नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के खंड 143 (11) (ई) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने बहीखातों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होती है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी अलग रिपोर्ट अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न है।

जे.एन. मित्तल एं कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन003587एन (FRN003587N)

ह0 / –
सीए. मनोज वलोडी ,उ(साझीदार)
एन. सं.: 560392
यूडीआईएनः 24560392बीकेएमडीएनयू1578
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान के वित्तीय विवरणों के रूप में भारतीय लेखांकन मानक पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हेतु (अनुबंध 'क')

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2(एफ) में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (पं) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक. ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना लेखापरीक्षा किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भारतीय लेखा मानक (IND AS) के वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन करना शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैंय (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैंय और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के प्रबंधन का अनुचित रूप से उल्लंघन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

क. कंपनी के पास प्रत्यक्ष सेवाओं/प्रबंधित सेवाओं के संबंध में राजस्व की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए कोई उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। वर्तमान में, इन सेवाओं से होने वाला राजस्व चालान तैयार होने के समय दर्ज किया जाता है। चालान तभी तैयार किए जाते हैं जब परियोजना समन्वयक यह पुष्टि कर देता है कि सेवा प्रदान की गई है और बिलिंग विभाग को चालान जारी करने का निर्देश देता है। इस पद्धति के परिणामस्वरूप सेवा वास्तव में प्रदान किए जाने और राजस्व दर्ज किए जाने के बीच समय अंतराल होता है, क्योंकि राजस्व की पहचान सेवा के वास्तविक प्रदर्शन के बजाय चालान निर्माण के आधार पर होती है। इससे संभावित रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

ख. कंपनी के पास व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय राशियों, ग्राहक से अग्रिम, बयाना राशि जमा, प्रतिधारण राशि, सुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के समाधान और पुष्टि के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। हमारे द्वारा पहचाने गए मामलों को हमारी रिपोर्ट में विभिन्न स्थानों पर उचित रूप से योग्य बनाया गया है।

ग. कंपनी के पास व्यापार प्राप्तियों के परिपक्वन हेतु कोई उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। वर्तमान में, परिपक्वन का काम एक्सेल में मैन्युअल रूप से किया जा रहा है, जिससे संभावित अशुद्धियाँ और अक्षमताएँ हो सकती हैं। परिणामस्वरूप, संभावित रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग में कमी आ सकती है। हमारे द्वारा पहचाने गए मामलों को हमारी रिपोर्ट में विभिन्न स्थानों पर उचित रूप से योग्य बनाया गया है।

'भौतिक कमियाँ' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर रिपोर्ट में वर्णित भौतिक कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और बताई गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और ये भौतिक कमजोरियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन003587एन (FRN003587N)

ह0/–
सीए. मनोज बलोडि
(साझेदार)
एन. सं.: 560392
यूडीआईएन: 24560392बीकेएमडीएनयू1578

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जुलाई 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक. के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

क्र. सं.	निर्देश/ उप निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हो) का उल्लेख किया जाए।	कंपनी के पास एक ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी अकाउंटिंग लेनदेन को संसाधित करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसे 01 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था। हालांकि, ईआरपी सॉफ्टवेयर का प्रयोग आरंभ कर दिया गया था और किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट कर मान्यता दिए बगैर अभी भी उसका प्रयोग जारी है। इसके अलावा, कंपनी की ईआरपी अकाउंटिंग प्रणाली व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय और सीडब्ल्यूआईपी के परिपक्वन की गणना नहीं करती है। वर्तमान में, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और सीडब्ल्यूआईपी के परिपक्वन की गणना एक्सेल पर मैन्युअल रूप से की जा रही है और वित्तीय विवरणों में रिपोर्टिंग के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, शेषजोड़/घटाव के संबंध में मूल्यह्रास गणना वर्तमान में एक्सेल पर मैन्युअल रूप से की जा रही है और उसके बाद इसे ईआरपी सिस्टम में पोस्ट किया जाता है क्योंकि ईआरपी में कोई स्वचालन मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है। लागू नहीं, क्योंकि कंपनी पर वर्ष 2023–24 के दौरान कोई बकाया ऋण नहीं था। तदनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था। लागू नहीं, क्योंकि कंपनी पर वर्ष 2023–24 के दौरान कोई बकाया ऋण नहीं था। तदनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था। हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी) प्राप्त/प्राप्त होने वाली नहीं है।	अनिश्चित

2	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याजों आदि को छूट/बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।		शून्य
3	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाइए।		शून्य

जे.एन. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन003587एन (FRN003587N)

ह0/–
सीए. मनोज वलोडि
(साझेदार)
एन. सं.: 560392
यूडीआईएन:24560392बीकेएमडीएनयू1578

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई 2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक (एनआईसीएसआई) के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनलइंफॉर्मेटिक्ससेंटरसर्विसेसइंक (एनआईसीएसआई) का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकव्लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने को उत्तरदायी हैं। ऐसा उनके द्वारा 30.07.2024 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत 30 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया गया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य दस्तावेजों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्ड की जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलो पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणो और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को समर्थ करने के लिए आवश्यक हैं।

तुलनपत्र

संपत्तियां

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (नोटसं. 9)

पूंजीगत अग्रिमो के अलावा अग्रिम -1450.21 लाख रु.

उपरोक्त मद में 453.46 लाख रुपए का लेखा–जोखा है, क्योंकि इसमें जनशक्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता में तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया अग्रिम राशि को जोड़दिया गया है। इन अग्रिम राशियों का प्रावधान न करना इस संबंध में कंपनी की लेखा नीति का उल्लघन है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए व्यय को कम दर्शाया गया तथा लाभ को इतनीही राशि से अधिक दर्शाया गयाहै।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

कंपनी अधिनियम की धारा 143 (5)के तहत भारत के नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत जारी भारत के सीएजी के निर्देश के बिंदु सख्या 3 (विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्तियां) पर इस वैधानिक लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान विशिष्ट योजनाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 96101.91 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त की, जबकि वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023–24 के दौरान, ऐसी धनराशि कंपनी द्वारा किसी भी केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त करने योग्य/ प्राप्त की गई थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह0/–
(पुरुषोत्तम तिवारी)
भारत के महानिदेशक
(वित्त एवं संचार)

दिनांक: 27.09.2024
स्थान: दिल्ली

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड

वर्ष 2023–24 (लेखा वर्ष 2022–23) के लिए एनआईसीएसआई कार्यालय की लेखापरीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट

क्र. सं.	रिपोर्टपैरासं.	लेखा परीक्षा निष्कर्ष	एनआईसीएसआई का उत्तर
1		देनदारों की अपर्याप्तअनुसरण न किए जाने तथा उचित ऋण वसूली व्यवस्था के अभाव के कारण वर्ष 2012–23 की अवधि के दौरान बंद परियोजनाओं के संबंध में सरकारी विभागों/एजेंसियों पर 55.65 करोड़ रुपए का बकाया हो गया (संदर्भ संख्या: ओबीएस–1099279) नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई), एक विशेष आईटी सेवा कंपनी, आईटी परियोजनाओं के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करती है। औपचारिक समझौतों या समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर, एनआईसीएसआई 100% अग्रिम भुगतान की मांग करते हुए प्रोफार्मा चालान जारी करता है ताकि एनआईसीएसआई परियोजना के लिए आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की खरीद शुरू कर सके और परियोजना निष्पादन को सुविधाजनक बना सके। उपयोगकर्ता विभागों से अग्रिम भुगतान प्राप्त करने पर, एनआईसीएसआई इन निधियों को अपने सूचीबद्ध विक्रेताओं से सेवाओं और वस्तुओं की खरीद के लिए आवंटित करता है। यह अग्रिम भुगतान परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधनों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करता है। आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के बाद, एनआईसीएसआई अपने सूचीबद्ध विक्रेताओं के साथ कार्य आदेश देता है। इन विक्रेताओं को परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना जाता है और आईटी समाधानों की सफल डिलीवरी में विश्वसनीय भागीदार होते हैं। ऑर्डर पूरा होने पर, विक्रेता कार्य आदेशों में भुगतान की शर्तों के अनुसार भुगतान जारी करने के लिए एनआईसीएसआई को चालान प्रस्तुत करता है। एनआईसीएसआई के देनदार खातों की जांच करने पर एक चिंताजनक पैटर्न सामने आया। कई सरकारी विभाग और एजेंसियां अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में विफल रहीं, परियोजनाओं के सफल समापन के बाद भी अग्रिम और बकाया राशि के भुगतान में चूक की। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि एनआईसीएसआई ने समय पर परियोजना पूरी करने की अपनी प्रतिबद्धता के पालन में विक्रेताओं को पहले ही भुगतान कर दिया था। अफसोस की बात है कि इस गैर–अनुपालन के कारण देनदारों का एक बड़ा समूह बन गया है। 31	लेखापरीक्षा ने पाया है कि एनआईसीएसआई आईटी परियोजनाओं के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करती है। एनआईसीएसआई समझौता और समझौता ज्ञापन में प्रवेश करती है और परफॉर्मा चालान (पीआई) जारी करती है। इसके बाद एनआईसीएसआई 100% अग्रिम मांगती है। धन/अग्रिम प्राप्त होने पर, एनआईसीएसआई सूचीबद्ध विक्रेताओं के साथ कार्य आदेश देता है। कार्य आदेशों के पूरा होने पर, विक्रेता भुगतान जारी करने के लिए चालान जमा करते हैं। विक्रेताओं के साथ प्रतिबद्धताओं के कारण, एनआईसीएसआई विक्रेताओं को भुगतान वितरित करता है लेकिन सरकारी संस्थाएं भुगतान में चूक करती हैं जिससे देनदारों का संचय होता है। 31.03.2023 तक 452.54 करोड़ रुपये के संचित देनदारों के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि 01.04.2023 से 29.02.2024 तक की अवधि के दौरान 169.84 करोड़ रुपये की राशि के देनदारों का निपटान किया गया, जो अनुलग्नक–ए में संलग्न है। 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित 80.64 करोड़ रुपये के बकाया देनदारों के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने देनदारों पर प्रावधान के लिए निम्नलिखित नीति को मंजूरी दी है:

पैरा सं. 1
(भाग–II क)

देनदारी की अपर्याप्तअनुसरण न किए जाने तथा उचित ऋण वसूली व्यवस्था के अभाव के कारण वर्ष 2012–23 की अवधि के दौरान बंद परियोजनाओं के संबंध में सरकारी विभागों/एजेंसियों पर 55.65 करोड़ रुपए का बकाया हो गया (संदर्भ संख्या ओबीएस–1099279)

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकोर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई), एक विशेष आईटी सेवा कंपनी, आईटी परियोजनाओं के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करती है। औपचारिक समझौतों या समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर, एनआईसीएसआई 100% अग्रिम भुगतान की मांग करते हुए प्रोफार्मा चालान जारी करता है ताकि एनआईसीएसआई परियोजना के लिए आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की खरीद शुरू कर सके और परियोजना निष्पादन को सुविधाजनक बना सके। उपयोगकर्ता विभागों से अग्रिम भुगतान प्राप्त करने पर, एनआईसीएसआई इन निधियों को अपने सूचीबद्ध विक्रेताओं से

लाख रु. में

वर्ष	31–03–2022 तक बकाया राशि	31–03–2023 तक बकाया राशि	वर्ष 2022–23 के दौरान समायोजित पुरानी बकाया राशि
2012–13 तक	81.55	80.64	0.91
2013–14	5.03	4.07	0.96
2014–15	7.29	6.47	0.82
2015–16	6.09	6.09	0.00
2016–17	3.08	3.08	0.00
2017–18	0.77	0.77	0.00
2018–19	14.1	13.78	0.32
2019–20	47.43	42.04	5.39
2020 तक बकाया	165.34	156.94	8.40

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि पुराने बकाये की वसूली की मात्रा बकाये की मात्रा के अनुरूप नहीं थी।

अपर्याप्त ऋण वसूली की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चूककर्ता विभागों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर, एक व्यवस्थित ऋण वसूली रणनीति को लागू करके और आंतरिक तंत्र को बढ़ाकर, एनआईसीएसआई संचित बकाया के कारण होने वाले वित्तीय बोझ को कम कर सकता है। सक्रिय उपाय न केवल समय पर वसूली सुनिश्चित करेंगे बल्कि भविष्य की परियोजनाओं की निरंतर सफलता में भी योगदान देंगे।

जब उपरोक्त बातों की ओर ध्यान दिलाया गया और इन लंबे समय से लंबित बकाया राशि की वसूली न होने के कारणों के बारे में पूछा गया, तो एनआईसीएसआई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इसके अलावा, बार–बार अनुरोध के बावजूद, वर्ष 1998से 31मार्च, 2012के बीच की अवधि के दौरान बंद की गई परियोजनाओं से संबंधित परियोजना–वार डेटा और विभिन्न एजेंसियों के पास बकाया राशि सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

क्र. सं.	विवरण	आवश्यक प्रावधान
1	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	25%
2	5 वर्ष से 10 वर्ष तक	50%
3	10 वर्ष से अधिक	100%

तदनुसार, एनआईसीएसआई ने नीति के अनुसार 80.84 करोड़ के विरुद्ध 100% प्रावधान प्रदान किया था (नीति की प्रति अनुबंध–बी के रूप में त्वरित संदर्भ के लिए संलग्न है)

अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि के दौरान पूर्ण/बंद की गई 1506 परियोजनाओं से संबंधित 55,65,24,739/– रुपये की बकाया राशि के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि 1506 परियोजनाओं के विवरणों की अभिलेखों से पुनः जांच की गई है और पाया गया है कि 02.07.2024 तक 6,95,92,969/– रुपये की राशि का निपटान/वसूली कर ली गई है (अद्यतन स्थिति अनुलग्नक–सी के रूप में संलग्न है)।

तीन वर्ष पूर्व अर्थात 31.03.2020 से पूर्व बंद हुई 1216 परियोजनाओं के संबंध में बकाया 39,21,88,869/– रुपए के संबंध में सूचित किया जाता है कि अभिलेखों से 1216 परियोजनाओं के विवरण की पुनः जांच की गई है तथा पाया गया है कि 02.07.2024 तक 4,24,59,909/– रुपए की राशि का निपटान/वसूली कर ली गई है (अद्यतन स्थिति अनुलग्नक–डी के रूप में संलग्न है)।

पुराने बकाया देनदारों के निपटान/वसूली के लिए आंतरिक तंत्र के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एनआईसीएसआई में लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग/संगठनों/मंत्रालयों से लगातार अनुनय–विनय की जा रही है। इस संबंध में कई पत्र/ई–मेल भेजे गए हैं (तत्काल संदर्भ के लिए अनुलग्नक–ई के रूप में संलग्न हैं)।

वर्ष 1998 से 31 मार्च, 2012 के बीच की अवधि के दौरान बंद की गई परियोजनाओं से संबंधित परियोजनावार आंकड़ों के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 1998 से 31 मार्च, 2012 के बीच की अवधि के दौरान 6119 परियोजनाएं अंततः बंद कर दी गईं। इन खातों में डेबिट शेष 21.06 करोड़ रुपये और क्रेडिट शेष 7.35 करोड़ रुपये है और त्वरित संदर्भ के लिए विवरण अनुलग्नक–एफ के रूप में संलग्न हैं।

(उपर्युक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए)

2

पैरासं. 2
(भाग–II क)

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के उल्लंघन में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल पर ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप 3. 89 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। (संदर्भ संख्याः ओबीएस–1097947)

भारत में सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक के रूप में घोषित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अवधारणा पेश की। यह तंत्र पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों को इनपुट (खरीद) पर भुगतान किए गए करों को आउटपुट (बिक्री) पर देय करों के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति देता है। संक्षेप में, यह खरीद पर पहले से भुगतान किए गए करों का हिसाब लगाकर बिक्री पर कर देयता में कमी करने में सक्षम बनाता है। सरल शब्दों में इनपुट क्रेडिट का अर्थ है कि बिक्री पर कर का भुगतान करते समय, आप खरीद पर पहले से भुगतान किए गए कर को कम कर सकते हैं। पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्ब्का लाभ एक विशिष्ट तरीके से और एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उठाया जा सकता है। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी भी माल या सेवा या दोनों की आवक आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाता है, लेकिन 180दिनों की अवधि के भीतर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्राप्त प्ब्को वापस कर दिया जाएगा। यदि चालान का कुछ हिस्सा भुगतान किया जाता है, तो आनुपातिक आधार पर प्ब्को वापस कर दिया जाएगा।
नियम 37के अनुसार, सभी पंजीकृत व्यक्तियों को चालान जारी होने की तिथि से 180दिनों के भीतर आवक आपूर्ति पर दावा किए गए आईटीसी को उलट देना चाहिए, जिसके लिए वह आपूर्तिकर्ता को प्रतिफल का भुगतान करने में विफल रहा है। उलटने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, और इन लेन–देन को वार्षिक कर रिटर्न, जीएसटीआर 9में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 50(3) इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुचित या अधिक दावे पर ब्याज के पहलू को संबोधित करती है। एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप–धारा (10) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अधिक दावा करता है या धारा 43 की उप–धारा (10) के तहत आउटपुट टैक्स देयता में अनुचित या अधिक कटौती करता है, ऐसे अनुचित या अधिक दावे पर या ऐसे अनुचित या अधिक कटौती पर, जैसा भी मामला हो, चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं की दर से ब्याज का भुगतान करेगा जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जा सकता है।
उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि एनआईसीएसआई ने 2022–23 की अवधि से संबंधित 16.227 करोड़ रुपये की जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलट दिया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

लाख रु. में

वित्तवर्ष	एसजीएसटी का कुल प्रत्यावर्तन	सीजीएसटी का कुल प्रत्यावर्तन	आईजीएसटीका कुल प्रत्यावर्तन
2022–23	4,69,10,166 कुल	4,69,10,168	6,84,51,138 162271472

आईटीसी प्रत्यावर्तन (रिवर्सल) के बावजूद, यह पाया गया है कि एनआईसीएसआई ने जीएसटी अधिनियम के नियम 50के अनुसार लागू ब्याज का भुगतान नहीं किया है। इनपुट क्रेडिट के रिवर्सल पर 24:की दर से गणना की गई ब्याज राशि 3.89करोड़ रुपये का पर्याप्त नुकसान है। एनआईसीएसआई को जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रत्यावर्तन (रिवर्सल) पर देय ब्याज का भुगतान करके इस गैर–अनुपालन पर तत्काल विचार करना चाहिए। यह कार्रवाई न केवल नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है, बल्कि ब्याज देनदारियों से जुड़े वित्तीय भार को भी कम करती है। वित्तीय विवेक और जीएसटी विनियमों के अनुपालन को बनाए रखने के लिए इस विसंगति का समय पर सुधार आवश्यक है।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एनआईसीएसआई अपने सूचीबद्ध विक्रेता के माध्यम से अपने उपयोगकर्ता विभाग को नियमित रूप से सेवाएं प्रदान कर रहा है। विक्रेताओं को 180 दिनों के भीतर भुगतान न करना केवल संबंधित परियोजनाओं में धन की अनुपलब्धता के कारण है, जो विक्रेताओं के साथ क्रय आदेश/कार्य आदेश की शर्तों पर सहमत है कि भुगतान उपयोगकर्ता विभाग से धन की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा।
इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि यदि उपयोगकर्ता विभाग द्वारा धनराशि जारी न किए जाने के कारण परियोजना के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध नहीं होती है, तो 180 दिनों के भीतर विक्रेता को भुगतान न किए जाने पर इनपुट क्रेडिट वापस लेने के विरुद्ध जीएसटी अधिनियम के अनुसार दंडात्मक ब्याज और जुर्माना संबंधित परियोजनाओं के अंतर्गत उपयोगकर्ता विभाग से वसूला जाएगा।
एनआईसीएसआई ने पहले भी ऑडिट टिप्पणियों का जवाब देते हुए दलील दी थी कि जीएसटी विभाग द्वारा मांगे जाने पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा और इसे संबंधित उपयोगकर्ताओं को दिया जाएगा। हालांकि, जीएसटी विभाग द्वारा एनआईसीएसआई के खिलाफ अब तक ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी।

इसके अलावा सीएजी वैधानिक लेखा परीक्षक ने एनआईसीएसआई की दलील को स्वीकार कर लिया और वार्षिक वित्तीय विवरण 2022–23 में आकस्मिक देयता के तहत जीएसटी ब्याज देयता का खुलासा करने का सुझाव दिया, जो अनुलग्नक–जी के रूप में संलग्न है।
(उपर्युक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए)।

		निष्कर्ष में, एनआईसीएसआई के लिए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रत्यावर्तन पर देय ब्याज का तुरंत भुगतान करके गैर–अनुपालन मुद्दे को शीघ्रता से सुधारना अनिवार्य है। विनियामक ढांचे का अनुपालन न केवल सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप है, बल्कि ब्याज देनदारियों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय नुकसान से भी बचाता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए समय पर और निर्णायक कार्रवाई वित्तीय विवेक को बनाए रखने और जीएसटी नियमों के पालन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण है।	
3	पैरासं. 3 (भाग–II क)	ब्याज का भुगतान न करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, एनआईसीएसआई अधिकारियों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। पैनल में शामिल विक्रेताओं को खरीद आदेश जारी करने तथा परियोजनाओं के बंद होने पर अनुदानकर्ता एजेंसियों को 55.65 रुपये की शेष राशि वापस न करने पर टिप्पणियां। (संदर्भ संख्या: ओबीएस–1163029) एनआईसीएसआई की स्थापना के 29 वर्ष बाद भी स्वीकृत खरीद नियमावली को न अपनाना। एनआईसीएसआई भारत में सरकारी एजेंसियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आईटी समाधान और सेवाओं को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे पूरा करने के लिए, एनआईसीएसआई को हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, इंट्रा–नेटवर्किंग वाइड एरिया नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईटी प्रशिक्षण, आईटी परामर्श और आईटी कार्यान्वयन सहायता सहित विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का काम सौंपा गया है। कंसल्टेंसी और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली, 2022 के पैरा 1.6 के अनुसार, जिसे जीएफआर 2017 के साथ पढ़ा जाएगा, खरीद अधिकारियों के दायित्वों को सार्वजनिक खरीद के निम्नलिखित पाँच मौलिक सिद्धांतों में समूहीकृत किया जा सकता है, जिनका सभी खरीद अधिकारियों को पालन करना चाहिए और उनके लिए जवाबदेह होना चाहिए। • पारदर्शिता सिद्धांतय • व्यावसायिकता सिद्धांतय • व्यापक दायित्व सिद्धांतय • बाह्य कानूनी सिद्धांत और • सार्वजनिक जवाबदेही सिद्धांत। इसके अलावा, नियमावली के अनुसार, कंसल्टेंसी और अन्य सेवाओं की खरीद के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त सिद्धांतों पर विचार किया जाएगा:– प्राप्त की जाने वाली सेवाएँ न्यायोचित होनी चाहिए। परामर्श सेवाओं के मामले में– कार्य का सुपरिभाषित दायराध्संदर्भ की शर्तें (सेवाओं के विवरण के लिए) और वह समय–सीमा जिसके लिए सेवाएँ प्राप्त की जानी हैं, उसे प्राप्त करने वाली संस्था के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य (गैर–परामर्श सेवाओं) गतिविधि में, अनुसूची (कार्य का सुपरिभाषित दायराध्सेवाओं का विवरण और वह समय सीमा जिसके लिए सेवाओं का लाभ उठाया जाना है, को कवर करने वाला एक दस्तावेज, खरीद करने वाली इकाई के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिएय • सभी योग्य सेवा प्रदाता/परामर्शदाताओं को प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	लेखापरीक्षा मेंपाया गयाहै कि, एनआईसीएसआई की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी, लेकिन इसके पास स्वीकृत खरीद नियमावली नहीं है, जो संगठन के भीतर खरीद प्रक्रिया के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को रेखांकित करता है। यह नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एनआईसीएसआई जीएफआर 2017 और परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली, 2022 (वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग) में निर्धारित सार्वजनिक खरीद के वित्तीय सिद्धांतों/मौलिक सिद्धांतों का पालन कर रहा है। (उपर्युक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए)

संलग्नता किफायती और कुशल होनी चाहिए।

- चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा (अर्थात उच्चतम नैतिक मानकों के अनुसार प्रस्तावित, सम्मानित, प्रशासित और निष्पादित)।
- इसके अतिरिक्त, परामर्श सेवाओं की खरीद में, सलाहकार उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए।

वर्ष 2022–23 से संबंधित अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि एनआईसीएसआई ने विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपनी सूचीबद्ध एजेंसियों को 12300714293 रुपये के 7620 क्रय/कार्य आदेश जारी किए, हालांकि, कंपनी के पास स्वीकृत खरीद नियमावली नहीं है। खरीद नियमावली एक नियमावली है जो खरीद के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया को बताता है जो एनआईसीएसआई जैसे संगठन के लिए एक अनिवार्यता है। खरीद नियमावली एक दस्तावेज है जो किसी संगठन के भीतर खरीद प्रक्रिया के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को रेखांकित करता है। यह नियमावली नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें संगठन में शामिल करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह खरीद नीतियों और प्रक्रियाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जिससे कर्मचारियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिलती है।

यद्यपि एनआईसीएसआई की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी, लेकिन कंपनी के पास स्वीकृत खरीद नियमावली नहीं थी।

स्वीकृत खरीद नियमावली न होने या तैयार न करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, एनआईसीएसआई प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा के साथ एग्जिट मीटिंग में, एनआईसीएसआई अधिकारियों ने खरीद नियमावली अपनाने की आवश्यकता के बारे में पूछा क्योंकि वे अपनी सभी सेवाओं और वस्तुओं की खरीद केवल जीईएम के माध्यम से और जीएफआर के तहत प्रचलित नियमों के अनुसार कर रहे हैं।

चूंकि एनआईसीएसआई विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए आईटी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए स्वीकृत खरीद नियमावली की कमी इसकी खरीद प्रथाओं की स्थिरता और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं पैदा करती है। खरीद नियमावली किसी संगठन के प्रभावी कामकाज के लिए अभिन्न अंग है, जो पारदर्शिता, व्यावसायिकता, व्यापक दायित्वों, कानूनी अनुपालन और सार्वजनिक जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करते हुए खरीद प्रक्रिया के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। समकालीन मानकों के साथ तालमेल बिठाने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए, एनआईसीएसआई के लिए स्वीकृत खरीद नियमावली को तेजी से अपनाना और लागू करना अनिवार्य है।

खरीद नियमावली में न केवल सार्वजनिक खरीद के मूलभूत सिद्धांतों को शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए विशिष्ट अतिरिक्त सिद्धांतों को भी एकीकृत किया जाना चाहिए, जैसा कि अन्य सेवाओं के लिए परामर्श की खरीद के लिए मैनुअल 2022 में उल्लिखित है। यह कदम न केवल सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत बनाएगा, बल्कि प्रशिक्षण और ऑन–बोर्डिंग के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भी काम करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी हितधारक खरीद प्रक्रिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझें।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>इसलिए, एनआईसीएसआईको एक व्यापक खरीद नियमावली के निर्माण अनुमोदन और कार्यान्वयन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह सक्रिय उपाय न केवल एनआईसीएसआई के आंतरिक शासन को मजबूत करेगा, बल्कि इसकी खरीद गतिविधियों की समग्र दक्षता, पारदर्शिता और अखंडता में भी योगदान देगा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ख</td>
<td>68 सूचीबद्ध विक्रेताओं के मुकाबले चार विक्रेताओं को लगभग 60% कार्य आदेश जारी करना।

वर्ष 2022–23 के दौरान 1230.07 करोड़ रुपये के लिए जारी किए गए 7620 कार्य आदेशों में से 1132.83 करोड़ रुपये (98.73%) की राशि के 7530 कार्य आदेश जनशक्ति खरीद के संबंध मे जारी किए गए (जैसा कि अनुलग्नक–2(क) में विस्तृत है)। वर्ष 2022–23 के दौरान जनशक्ति खरीद के लिए एनआईसीएसआई द्वारा 68 सूचीबद्ध एजेंसियों को कार्य आदेश जारी किए गए। हालांकि, 5 विक्रेता अर्थात वेलोसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (8.04%)। एसआईएसआई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (14.84%), अकाल इर्फोर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड (10.39) और एओलॉजिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (7.62%) के पास लगभग थे। वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए कुल कार्य आदेशों का 60% (जैसा कि अनुलग्नक–2 (क) और 2 (ख) में विस्तृत है)। यह देखा गया कि पिछले 3 वर्षों से इन विक्रेताओं को ही अधिकतम संख्या में कार्य आदेश दिए गए थे।
इसके अलावा, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य आवंटन की प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसगत होनी चाहिए, हालांकि, इन चार विक्रेताओं से विषम खरीद को देखते हुए केवल समानता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। चूंकि सभी एजेंसियों को एक ही दरों पर सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए इन चार विक्रेताओं को अधिकांश कार्य प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जा सकता है।
इस प्रकार, 68 सूचीबद्ध एजेंसियो में से केवल चार विक्रेताओं को लगभग 60% कार्य आदेश दिए जाने के साथ, एनआईसीएसआई में खरीद प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समानता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं। जबकि इन विक्रेताओं अर्थात् वेलोसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, एसआईएसएल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अकाल सूचना प्रणाली लिमिटेड और एओलॉजिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों में लगातार कार्य आदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त हुआ है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कार्य का आवंटन सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांतो के अनुरूप हो।
एनआईसीएसआई को इन चार विक्रेताओं के बीच कार्य आदेशों के असमान वितरण के लिए एक स्पष्ट और उचित स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए, विशेष रूप से जब सभी सूचीबद्ध एजेंसिया एक ही दर संरचना पर हैं। औचित्य में विशिष्ट मानदंड या विचार शामिल होने चाहिए, जिसके कारण इस तरह की एकाग्रता हुई, यह सुनिश्चित करते हुए कि खरीद प्रक्रिया पक्षपात से मुक्त है और पारदर्शिता और समानता के सिद्धांतों का पालन करती है।

एनआईसीएसआई प्रबंधन ने इस मामले के बारे में कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण नहीं दिया है।</td>
<td>लेखापरीक्षको ने पाया कि–

वर्ष 2022–23 के दौरान 1230.07 करोड़ रुपये के मूल्य के 7620 कार्य आदेश जारी किए गए।

4 विक्रेताओं को 1123.18 करोड़ रुपये के 7530 कार्य आदेश जारी किए गए। हालांकि 68 एजेंसियो को सूचीबद्ध किया गया था
<table>
<tr><th>सूची बद्ध विक्रेता</th><th>जारी किएग एकार्य आदेशोंकी सं.</th><th>जारी किएग एकार्यआदे शोंका%</th><th>कार्य आदेशोंका मूल्य</th></tr>
<tr><td>वेलोसिससिस्टम सप्राइवेटलिमि.</td><td>1358</td><td>18.04</td><td>170,29,28,498</td></tr>
<tr><td>एसआईएसआई इंफोटेकप्रा. लि.</td><td>1117</td><td>14.84</td><td>86,75,68,860</td></tr>
<tr><td>अकालइंफोर्मेश नसिस्टम्सलि.</td><td>782</td><td>10.39</td><td>76,41,35,804</td></tr>
<tr><td>एओलॉजिकटेक नोलॉजीजप्रा. लि.</td><td>574</td><td>7.62</td><td>33,75,28,173</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>3,831</td><td>50.89%</td><td>367,21,59,335</td></tr>
</table>
इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह भी बताया है कि पिछले 3 वर्षों से इन विक्रेताओं को केवल अधिकतम संख्या में कार्य आदेश दिए गए थे।
4 विक्रेताओं को 60% कार्य आदेश जारी करने के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि यह 50.89% है न कि 60% जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा रिपोर्ट किया गया है जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, एनआईसीएसआई ने अपने सूचीबद्ध एजेंसियों को 26.04.2016, 15.09.2020 और 24.12.2021 (अनुलग्नक–एन के रूप में संलग्न प्रतियाँ) के प्रावधानों के अनुसार जनशक्ति खरीद कार्य आदेश दिए थे।

सूचीबद्ध एजेंसियों को कार्य सौंपने के लिए एसओपी इस प्रकार है–

I. उपयोगकर्ता विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर, एनआईसीएसआई सूचीबद्ध परामर्श एजेंसियों और सूचीबद्ध करने में अपनाई गई जीएफआर अनुरूप</td>
</tr>
</table>

			प्रक्रिया के बारे में उपयोगकर्ता विभाग को सूचित करेगा। (ii) यदि उपयोगकर्ता विभाग किसी विशेष एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से और विशिष्ट रूप से लिखित रूप में बताता है, तो एनआईसीएसआई उस एजेंसी को कार्य सौंप सकता है। ऐसे मामलों में, प्रासंगिक वित्तीय/खरीद नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी संबंधित उपयोगकर्ता विभाग की होगी। (iii) यदि उपयोगकर्ता विभाग किसी विशेष एजेंसी का संकेत नहीं देता है, तो उपयोगकर्ता विभाग द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर कार्य दिया जाएगा। समिति की अध्यक्षता उपयोगकर्ता विभाग के प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी या यदि इसकी अध्यक्षता किसी एनआईसी/एनआईसीएसआई अधिकारी द्वारा की जाती है, तो इसमें उपयोगकर्ता विभाग का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। (iv) समिति द्वारा सभी सूचीबद्ध परामर्शदात्री एजेंसियों को विचाराधीन परियोजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसके आधार पर सबसे उपयुक्त एजेंसी को उपरोक्त समिति की अनुशंसा पर एनआईसीएसआई द्वारा कार्य सौंपा जा सकता है। (v) एजेंसी के चयन की प्रक्रिया में उपयोगकर्ता विभाग की पूर्ण भागीदारी और भागीदारी होनी चाहिए। उपयोगकर्ता संगठन अपने ''पसंदीदा विक्रेता'' को परियोजना निष्पादन प्रपत्र (पीईएफ) के माध्यम से एनआईसीएसआई (सूचीबद्ध एजेंसियों में से) को सूचित करता है। उपरोक्त प्रक्रिया से यह देखा जा सकता है कि कार्य आदेश उपयोगकर्ता विभाग की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं। विक्रेताओं को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकतम कार्य का आवंटन एनआईसीएसआई द्वारा नहीं किया जाता है, और उन्हें उपयोगकर्ता विभागों की प्रति (अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न) की सिफारिश पर कार्य आदेश दिए जाते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि कार्य आदेश एसओपी के अनुसार प्रक्रियाओं पर विक्रेताओं को जारी किए जाते हैं। (उपर्युक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए)
5	(ग)	व्यापक ईआरपी का कार्यान्वयन न होना। 1 जुलाई, 2017 से एनआईसीएसआई में ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट के माध्यम से सत्यापन किए बिना लागू किया गया, जिससे कुछ नियंत्रण कमजोरियाँ सामने आई हैं। ये कमजोरियाँ लेखांकन के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित हैं, जिसमें व्यक्तिगत पार्टी बैलेंस की मैपिंग, शुरुआती बैलेंस को आगे बढ़ाना, एजिंग शेड्यूल,	व्यापक ईआरपी कार्यान्वयन के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एनआईसीएसआई ने वर्ष 2016 में 3.02 करोड़ रुपये की लागत से ईआरपी को कार्यान्वित किया और वे 08–11–2018 तक मेसर्स रोल्टा इंडिया लिमिटेड के साथ 2 साल के लिए हैंडहोल्डिंग में थे। ओरेकल को स्थायी और एक बार के आधार पर भुगतान की गई लाइसेंस फीस, एनआईसीएसआई उन लाइसेंसों का असीमित समय तक उपयोग कर सकती

		ईआरपी से सीधे अकाउंट स्टेटमेंट प्राप्त करना और अकाउंट स्टेटमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करना शामिल है। सत्यापन की यह कमी और पहचानी गई नियंत्रण कमजोरियाँ ईआरपी सिस्टम के भीतर प्रबंधित वित्तीय डेटा की विश्वसनीयता और सटीकता के बारे में चिंताएँ पैदा करती हैं। बाहरी सत्यापन की अनुपस्थिति वित्तीय रिपोर्टिंग में त्रुटियों के जोखिम को बढ़ाती है और प्रबंधन और हितधारकों को सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करने की एनआईसीएसआई की क्षमता में बाधा डाल सकती है। इसके अलावा, वर्तमान में अचल संपत्तियों के लेखांकन के लिए उपयोग की जाने वाली मैनुअल प्रक्रिया, जिसमें जोड़, हटाना और मूल्यह्रास शामिल है, एक उल्लेखनीय परिचालन अंतर को रेखांकित करती है। चूंकि अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए ईआरपी प्रणाली में कोई स्वचालन मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह मैनुअल दृष्टिकोण न केवल त्रुटियों की संभावना को बढ़ाता है बल्कि डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग में अक्षमताओं की ओर भी ले जाता है। अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड के विलंबित अपडेट, मूल्यह्रास गणना में मानवीय त्रुटियों की संभावना के साथ मिलकर वित्तीय विवरणों की सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, ईआरपी पोर्टल में व्यापक परियोजना विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। इस आवश्यक परियोजना जानकारी की कमी परियोजना की प्रगति, प्रदर्शन और स्थापित दिशानिर्देशों के पालन का व्यापक मूल्यांकन करने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। व्यापक ईआरपी प्रणाली को लागू न करने और ईआरपी को लागू करने के छह (6) साल बाद भी समय–समय पर बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट न करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, एनआईसीएसआई प्रबंधन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।	है, यदि ओरेकल ईआरपी समर्थन की आवश्यकता होती है तो इसे समर्थन लाइसेंस शुल्क पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को किसी तीसरी एजेंसी द्वारा मान्य नहीं किया गया था। एनआईसीएसआई ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सत्यापन के लिए एसटीक्यूसी निदेशालय के समक्ष मामला उठाया। कुछ चर्चाएं और पत्राचार हुए, लेकिन कुछ कारणों और 2020 के दौरान कोरोना महामारी के कारण प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके बाद, एनआईसीएसआई ने अपनी सूचीबद्ध एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित की और एल1 को अंतिम रूप दिया। एनआईसीएसआई निदेशक मंडल ने 26.11.2021 को आयोजित 120वीं बैठक में खुली निविदा जारी करने का निर्देश दिया है। समय और मात्रा की आवश्यकता के साथ–साथ ओरेकल से समर्थन की आवश्यक आवश्यकता को लिए प्रबंधन द्वारा उन्नयन के लिए महसूस किया गया और प्रस्ताव को इसकी 123वीं बोर्ड बैठक में रखा गया। इसके अलावा एनआईसीएसआई प्रबंधन ने मेसर्स डॉ. सीबीएस साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज एलएलपी से मौजूदा ओरेकल ईआरपी को मान्य किया था और ऑनसाइट ऑडिट आयोजित करके अंतिम रूप दिए गए 06.07.2022 की अपनी रिपोर्ट में, फर्म ने पाया है कि "व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार एप्लिकेशन विभिन्न कार्यात्मक त्रुटियों से मुक्त है। इसके अलावा ओरेकल ईबीएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और संबंधित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट साल में कम से कम एक बार या प्रक्रिया/कंप्यूटर संसाधन के किसी भी महत्वपूर्ण उन्नयन पर किया जाएगा। साथ ही, उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एप्लिकेशन को नवीनतम संस्करण और प्रमाणीकरण में अपडेट किया जाना चाहिए"। ईआरपी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करते समय, इसमें फिक्स्ड एसेट शेड्यूल को शामिल करने की आवश्यकता अनजाने में डेवलपमेंट टीम के ध्यान में नहीं लाई गई और इसलिए इसे शामिल नहीं किया गया। हालाँकि, इन सभी विवरणों, जिसमें उस पर मूल्यह्रास की गणना करना भी शामिल है, को मैन्युअल रूप से तैयार किया जाता है और आंतरिक लेखा परीक्षा टीम और वैधानिक लेखा परीक्षा टीम दोनों द्वारा पूरी तरह से जाँच की जाती है और अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया है। ईआरपी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करते समय, एनआईसीएसआई को एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल के बारे में पता नहीं था और इसलिए इसे इसमें शामिल नहीं किया गया था। एनआईसीएसआई ने अपनी इन–हाउस डेवलपमेंट टीम के साथ नया ईआरपी विकसित किया है। नए कस्टमाइज्ड ईआरपी के उपयोग में आने के बाद, उपरोक्त सभी सुविधाएँ अब लागू की जाएँगी। (उपरोक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए)

6	(घ)	नमूना जाँच की गई 256 सक्रिय परियोजनाओं में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पालन न करना तथा 6.22 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त शेष राशि को पुनः लौटाना। एनआईसीएसआई की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुपालन में, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंधविभागों से प्राप्त अग्रिम राशि का उपयोग संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है। यदि किसी परियोजना के समापन पर एनआईसीएसआई के पास अधिशेष राशि बचती है, तो उसे लागू ब्याज के साथ अनुदानकर्ता संस्थान को विधिवत वापस कर दिया जाता है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान बार-बार अनुरोध के बावजूद, एनआईसीएसआई अधिकारियों ने परियोजना-वार शेष राशि और प्रत्येक परियोजना में अंतिम लेनदेन की तारीख के बारे में आवश्यक जानकारी ईआरपी प्रणाली से निकालकर या मैन्युअल सबमिशन के माध्यम से प्रदान नहींस्थिति का आकलन करने के प्रयास में लेखापरीक्षा ने ईआरपी प्रणाली में उपलब्ध परियोजनावार शेष राशि की समीक्षा करने का प्रयास किया। ईआरपी बाधाओं के कारण, सक्रिय परियोजनाओं में से केवल 1: (लगभग 300 परियोजनाएं) की समीक्षा की गई। इनमें से, यह पहचाना गया कि 256 परियोजनाओं में 6,21,76,735 रुपये की अप्रतिदेय शेष राशि मौजूद थी (जैसा कि अनुलग्नक-2(सी) में विस्तृत है)। उल्लेखनीय रूप से इन परियोजनाओं ने वर्ष 2019 के बाद कोई लेनदेन नहीं दिखाया और ज्यादातर मामलों में अंतिम लेनदेन की तारीख 31-03-2016 के रूप में दर्ज की गई थी, जो उस तारीख को दर्शाती है जिससे पिछले शेष राशि को ईआरपी प्रणाली में आगे बढ़ाया गया था। इन 256 परियोजनाओं में उपलब्ध शेष राशि 165 रुपये (परियोजना आईडी: P150665RLUP) से लेकर 2,22,69,841 रुपये (परियोजना आईडी: C141558SDND) के बीच है। आगे की जांच से पता चला कि इन अप्रयुक्त शेष राशि को वापस करने के बजाय, एनआईसीएसआई ने विभिन्न बैंकों में अलग-अलग ब्याज दरों और परिपक्वता प्रोफाइल पर सावधि जमा में राशि का निवेश किया था। कई वर्षों तक इन परियोजनाओं में लेनदेन और अग्रिम राशि की अनुपस्थिति के बावजूद, एनआईसीएसआई ने उन्हें ईआरपी प्रणाली में बंद करने या उन्हें निष्क्रिय परियोजनाओं के रूप में नामित करने के लिए कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा, नमूना जांचे गए आंकड़ों में यह देखा गया कि हालांकि पिछले कई वर्षों से परियोजनाओं में कोई लेनदेन और अग्रिम राशि उपलब्ध नहीं थी। एनआईसीएसआई द्वारा ईआरपी में परियोजनाओं को बंद करने या निष्क्रिय परियोजनाओं के तहत चिह्नित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। सक्रिय परियोजनाओं में गैर-वापसी योग्य अग्रिम शेष राशि की सूची, जहां लंबे समय से कोई गतिविधि नहीं थी, केवल उदाहरण के लिए है। लेखापरीक्षा की मौखिक जांच के दौरान एनआईसीएसआई अधिकारियों ने बताया कि तीन साल की अवधि में कोई लेनदेन न करने वाली परियोजनाओं को निष्क्रिय या बंद माना जाएगा। हालांकि, यह देखा गया कि कई परियोजनाएं ईआरपी में सक्रिय स्थिति के तहत कई वर्षों तक बिना किसी लेनदेन के जारी रहीं। इस प्रकार उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन परियोजनाओं के पूरा होने पर अप्रयुक्त शेष राशि की वापसी के संबंध में एनआईसीएसआई की अपनी स्वयं की लेखा नीतियों के पालन में एक महत्वपूर्ण चूक दर्शाता है। सक्रिय परियोजनाओं के नमूने की समीक्षा में 256 परियोजनाओं की चिंताजनक संख्या सामने आई, जिनमें कुल 6.21.76,735/- की राशि वापस नहीं की गई। इन परियोजनाओं में कई वर्षों से लेन-देन और अग्रिम राशि का अभाव होने के बावजूद। एनआईसीएसआई ने ईआरपी प्रणाली में उन्हें बंद करने या निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन अप्रयुक्त शेष राशियों को	इस बात के अवलोकन के संबंध में कि 256 परियोजनाओं में 6,21,76,735/- रुपये की अप्रयुक्त शेष राशि है, जबकि वर्ष 2019 के बाद इन परियोजनाओं में कोई लेन-देन नहीं हुआ है, यह सूचित किया जाता है कि इन परियोजनाओं में 02.07.2024 तक उपलब्ध शेष राशि 5,45,01,370.38/- रुपये है और 02.07.2024 तक निपटान की गई राशि 76,75,365/- रुपये है, जैसा कि अनुलग्नक-जो में संलग्न है। सावधिजमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) में निवेश के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि निधियों के बेहतर उपयोग के लिए नीति के अनुसार राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाता है। यद्यपि हमारा इरादा बंद परियोजनाओं की राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने का नहीं है। यह सूचित किया जाता है कि, उपयोगकर्ता विभाग/समन्वयकों से अनुरोध प्राप्त होने पर परियोजनाएं बंद कर दी जाती हैं। परियोजनाओं में व्यय का विवरण, चालान के साथ उपलब्ध शेष राशि उपयोगकर्ता विभाग को भेजी जाती है। उपयोगकर्ता विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर एनआईसीएसआई राशि और ब्याज वापस कर देता है। कभी-कभी, उपयोगकर्ता विभाग कुछ अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजनाओं को खोलने के लिए पुनः अनुरोध करते हैं। इसे देखते हुए बंद परियोजनाओं में राशि जारी रखी जाती है और उनसे प्राप्त अनुरोध पर उपयोगकर्ता विभाग को वापस कर दी जाती है। ऑडिट टीम के निर्देशानुसार, परियोजना आईडी, परियोजना विवरण, विक्रेता का नाम, डेबिट/क्रेडिट बैलेंस और अंतिम लेनदेन की तारीख सहित सक्रिय परियोजनाओं का पूरा डेटा (अनुलग्नक-के के रूप में संलग्न) है। (उपरोक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए)

		वापस करने के बजाय, एनआईसीएसआई ने विभिन्न बैंकों में सावधि जमाओं में राशि का निवेश किया था, जो स्थापित नीति से विचलन को दर्शाता है। हाल की गतिविधियों के बिना परियोजनाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी एनआईसीएसआई में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की अखंडता के बारे में चिंता पैदा करती है। लंबे समय तक लेन–देन की अनुपस्थिति के बावजूद परियोजनाओं को खुला रखने के औचित्य के बारे में प्रश्न अनुत्तरित है। एनआईसीएसआई से आग्रह किया जाता है कि वह आगे के सत्यापन के लिए परियोजना आईडी, परियोजना विवरण, विक्रेता का नाम, डेबिट/क्रेडिट शेष और अंतिम लेनदेन की तारीख सहित सक्रिय परियोजनाओं पर पूरा डेटा प्रदान करे। इन विसंगतियों को संबोधित करना और एनआईसीएसआई की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुपालन में शेष राशि वापस न करने के कारणों पर स्पष्टीकरण प्रदान करना अनिवार्य है। यह कदम न केवल जवाबदेही सुनिश्चित करेगा बल्कि एनआईसीएसआई की वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं की समग्र पारदर्शिता और विश्वसनीयता में भी योगदान देगा।	
7	(ड)	अप्रैल, 2012 से मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान बंद परियोजनाओं के संबंध में अनुदानकर्ताओं को 55.65 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त अग्रिम राशि वापस न करना। एनआईसीएसआई अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुसार, विशिष्ट परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अग्रिम राशि का उपयोग करता है। नीति के अनुसार, किसी परियोजना के पूरा होने पर एनआईसीएसआई के पास शेष बची किसी भी अधिशेष राशि को किसी भी लागू ब्याज के साथ संबंधित अनुदानकर्ता संस्थान को तुरंत वापस किया जाना है। बंद परियोजनाओं के संबंध में एनआईसीएसआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की समीक्षा करने पर, यह ध्यान में आया है कि विभिन्न अनुदानकर्ता एजेंसियों से प्राप्त अग्रिमों के अप्रयुक्त शेषों का प्रतिनिधित्व करने वाली 55,65,24,739/– की राशि इन परियोजनाओं के बंद होने पर संबंधित एजेंसियों को वापस नहीं की गई है (जैसा कि अनुलग्नक–2(डी) में विस्तृत है)। ये परियोजनाएँ आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2012से मार्च 2023तक की अवधि के दौरान बंद कर दी गई थीं। एनआईसीएसआई की अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का यह गैर–अनुपालन, जो संबंधित अनुदानकर्ता संस्थानों को अधिशेष राशि की समय पर वापसी को अनिवार्य बनाता है, वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं के बारे में चिंताएँ पैदा करता है। एनआईसीएसआई से आग्रह किया जाता है कि वह परियोजनाओं के बंद होने पर उपर्युक्त अग्रिम शेष राशि वापस न करने के लिए विस्तृत कारण बताए। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक व्यापक स्पष्टीकरण आवश्यक है, जो स्थापित नीतियों के पालन के बारे में चिंताओं को संबोधित करता है और सार्वजनिक धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। वापसी प्रक्रिया शुरू करने और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ संरेखित करने के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करना अनिवार्य है। यह न केवल वित्तीय जवाबदेही के लिए एनआईसीएसआई की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा बल्कि परियोजना बंद होने से जुड़े अग्रिम और अधिशेष को संभालने में सुशासन के सिद्धांतों को भी बनाए रखेगा। एनआईसीएसआई प्रबंधन ने इस मामले के बारे में कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण नहीं दिया है।	लेखापरीक्षा दल ने बताया है कि अप्रैल 2012 से 2023 की अवधि के दौरान 14,945 बंद परियोजनाओं में विभिन्न अनुदानकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 55,65,24,739/– रुपये की अप्रयुक्त अग्रिम राशि पड़ी हुई है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि विवरणों की पुनः जाँच की गई है और यह पाया गया है कि 31.03.2023 तक शेष राशि 49,72,36,857.64/– रुपये है और 02.07.2024 तक 42,56,03,235.95/– रुपये उपलब्ध शेष है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि रु। 31.03.2023 से 02.07.2024 तक की अवधि के दौरान 14,945 बंद परियोजनाओं में रु 7,16,33,621.69 का निपटान किया गया है (सूची अनुलग्नक–एल के रूप में संलग्न है)। यह सूचित किया जाता है कि, उपयोगकर्ता विभाग/समन्वयकों से अनुरोध प्राप्त होने पर परियोजनाएँ बंद कर दी जाती हैं। परियोजनाओं में व्यय का विवरण, उपलब्ध शेष राशि तथा चालान उपयोगकर्ता विभाग को भेजे जाते हैं। उपयोगकर्ता विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर NICSI द्वारा राशि तथा ब्याज वापस कर दिया जाता है। कभी–कभी, उपयोगकर्ता विभाग कुछ अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजनाओं को खोलने के लिए पुनः अनुरोध करते हैं। इसे देखते हुए बंद परियोजनाओं में राशि जारी रखी जाती है तथा उनसे प्राप्त अनुरोध पर उपयोगकर्ता विभाग को वापस कर दी जाती है। (उपर्युक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि पैरा को हटा दिया जाए)

8	(च)	40 बंद परियोजनाओं के अंतर्गत शेष राशि को अलग–अलग समापन तिथियों के साथ दो से तीन बार दोहराना। अप्रैल 2012 से मार्च 2023 तक बंद परियोजनाओं के संबंध में एनआईसीएसआई द्वारा प्रदान किए गए ईआरपी डेटा की जांच करने पर, एक उल्लेखनीय अवलोकन सामने आया है। विशेष रूप से, यह देखा गया है कि 40 परियोजनाओं (जैसा कि अनुलग्नक–2(ई) में विस्तृत है) से जुड़ी शेष राशि दोहराई गई थी, जो अलग–अलग समापन तिथियों के साथ दो से तीन बार दिखाई दे रही थी। डेटा में इस अतिरेक के कारण एनआईसीएसआई के लिए क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ या बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया है। इस विसंगति को तुरंत संबोधित करने और इस मुद्दे को सुधारने के लिए एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया आयोजित करने के महत्व को रेखांकित करना अनिवार्य है। वित्तीय डेटा में सटीकता और विश्वसनीयता एनआईसीएसआई द्वारा पारदर्शी और विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मौलिक हैं। इन दोहरावों को खत्म करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों को ऑडिट को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे विसंगतियों को सुधारने और अपने वित्तीय रिकॉर्ड की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एनआईसीएसआईकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हो। इस डेटा असंगति को तेजी से संबोधित और सुधारने के द्वारा, एनआईसीएसआईन केवल वित्तीय पारदर्शिता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेगा बल्कि अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगा।	लेखा परीक्षा में पाया गया है कि अप्रैल 2012 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान बंद की गई 40 परियोजनाओं में शेष राशि 2–3 बार दिखाई गई है। इस संबंध में यह बताया गया है कि, उपयोगकर्ता विभागध्समन्वयकों से अनुरोध प्राप्त होने पर परियोजनाएं बंद कर दी जाती हैं। परियोजनाओं में व्यय का विवरण, चालान के साथ उपलब्ध शेष राशि उपयोगकर्ता विभाग को भेजी जाती है। हालांकि, जब उपयोगकर्ता विभाग परियोजना में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करने के लिए फिर से अनुरोध करता है तो परियोजनाएँ फिर से खोली जाती हैं। इसलिए, परियोजना को फिर से खोला जाता है और उसके बाद फिर से बंद कर दिया जाता है। इसके कारण, 2012 से 2023 की अवधि के दौरान 40 परियोजनाओं को 2–3बार बंद किया गया। इसे देखते हुए यह सूचित किया जाता है कि कोई विसंगति नहीं है तथा अंतिम लेनदेन के विरुद्ध दर्शाई गई शेष राशि को इस परियोजना के विरुद्ध बकाया माना जाता है। (उपर्युक्त को देखते हुए अनुरोध है कि पैरा को हटा दिया जाए)
9	पैरासं. 1 (भाग–II ख)	सितंबर–2003 से अक्टूबर–2023 तक की अवधि के दौरान कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए 28.46 लाख रुपये की वसूली न होना। (संदर्भ संख्या ओबीएस–1151602) आकस्मिक और विविध उद्देश्यों के लिए अग्रिम की मंजूरी के संबंध में जीएफआर 2017 के नियम 323 में प्रावधान है कि कार्यालय प्रमुख किसी सरकारी कर्मचारी को माल या सेवाओं की खरीद या कार्यालय के प्रबंधन के लिए आवश्यक किसी अन्य विशेष उद्देश्य के लिए अग्रिम की मंजूरी दे सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:– उपलब्ध स्थायी अग्रिम से अधिक व्यय की राशि से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। खरीद या अन्य उद्देश्य सामान्य प्रक्रियाओं के तहत प्रबंधित नहीं किया जा सकता है, जिसमें खरीद के बाद भुगतान प्रणाली की परिकल्पना की गई है। अग्रिम की राशि उस उद्देश्य के लिए कार्यालय प्रमुख को सौंपी गई शक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्यालय प्रमुख अग्रिम की समय पर वसूली या समायोजन के लिए जिम्मेदार होगा। समायोजन बिल, शेष राशि के साथ, यदि कोई हो, सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रिम के आहरण के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा न करने पर अग्रिम या शेष राशि उसके अगले वेतन से वसूल की जाएगी। आकस्मिक अग्रिम आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, और बाद के अग्रिम केवल पहले अग्रिम के लिए बिल जमा करने के बाद विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों के तहत स्वीकृत किए जाते हैं। ईआरपी की समीक्षा करने पर पाया गया कि सितंबर–2003 से अक्टूबर–2023 तक की अवधि के दौरान एनआईसीएसआई/एनआईसी के 91 अधिकारियों को 28.45,606/–रुपए की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया (जैसा कि अनुलग्नक–3में उल्लिखित है)। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद, यह पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने अभी तक समायोजन बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं और उन्हें बाद में अग्रिम भुगतान की अनुमति दी गई, जो वित्तीय औचित्य के स्थापित मानकों से विचलन था। अग्रिम भुगतान के वितरण में, एनआईसीएसआइ भारत सरकार (जीओआई) के नियमों का	बकाया स्टाफ अग्रिमों को समायोजित करने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान अवधि में, कई अग्रिमों का निपटान किया गया है। विवरण से यह देखा जा सकता है कि 31.03.2023 से 16.07.2024 की अवधि के दौरान रु. 28,45,606/– में से रु.20,38,806.00/– की राशि का निपटानध्समायोजन किया गया है, जिसकी सूची अनुलग्नक–एम में संलग्न है। इसके अलावा, बकाया स्टाफ अग्रिम के बारे में संचारध्ईमेल संबंधित कर्मचारियों को उनके बकाया के निपटान के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में, बकाया स्टाफ अग्रिम की स्थिति की फिर से समीक्षा की जाएगी और बकाया स्टाफ अग्रिम के निपटान के लिए वर्तमान अवधि में और अधिक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। नियंत्रण रजिस्टर के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एनआईसीएसआई ओरेकल आधारित ईआरपी प्रणाली पर अपना लेखा रख रहा है। सभी रजिस्टरध्रिपोर्ट ईआरपी में बनाए रखे जाते हैं। इसलिए यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम को नियंत्रित करने के लिए भौतिक रजिस्टर बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी सूचित किया जाता है कि बाद के अग्रिम केवल कुछ विशिष्ट अलग–अलग आवश्यकताओं के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ बहुत कम मामलों में कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाते हैं

		पालन करने में विफल रहा और परियोजना आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक नीतियां तैयार नहीं कीं। इसके अलावा, नियंत्रण रजिस्टरों की अनुपस्थिति ने उन उद्देश्यों की जांच को सीमित कर दिया है जिनके लिए ये अग्रिम प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार, सितंबर 2003 और अक्टूबर 2023 के बीच कर्मचारियों को दिए गए 28.46 लाख रुपये की वसूली न होना जीएफआर 2017 के नियम 323से विचलन को दर्शाता है, जो एनआईसीएसआई में स्थापित वित्तीय मानदंडों और आंतरिक नीतियों का पालन करने में विफलता को दर्शाता है। नियंत्रण रजिस्टरों की अनुपस्थिति ने उन उद्देश्यों की जांच में और बाधा उत्पन्न की है जिनके लिए ये अग्रिम दिए गए थे। कुछ अधिकारियों द्वारा समायोजन बिल जमा करने में देरी, साथ ही बाद के अग्रिमों की स्वीकृति ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितता पैदा की है। एनआईसी में प्रत्यावर्तन या संबंधित अधिकारी की सेवानिवृत्ति जैसे कारकों से उत्पन्न संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इन अग्रिमों को वसूलने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, जिसमें इस वित्तीय अनियमितता को तुरंत सुधारने के लिए लागू दंडात्मक शुल्क लगाना शामिल है। साथ ही, नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मजबूत प्रक्रियाएं स्थापित करने, भविष्य में इसी तरह की चूक को रोकने और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय लागू किए जाने चाहिए। टिप्पणी करने पर एनआईसीएसआई प्रबंधन द्वारा उपरोक्त अवलोकन पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इन स्टाफ अग्रिमों की लंबे समय तक वसूली न होने के कारणों का विस्तृत विवरण कृपया प्रस्तुत किया जाए।	पिछले उत्तर से यह देखा जा सकता है कि एनआईसीएसआई के पास पूर्ण प्रमाण प्रणाली है क्योंकि खातों को ऑरेकल आधारित ईआरपी प्रणाली में बनाए रखा जा रहा है। हालांकि, सीएजी टीम द्वारा सलाह के अनुसार 8,08,800/– रुपये की लंबित राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। (उपरोक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए।)
10	पैरासं. 2 (भाग–II ख)	एनआईसीएसआई खातों के रखरखाव के लिए मेसर्स एस.के. पटोदिया एंड एसोसिएट्स के पैनल के लिए निविदा में ठेकेदारों को मार्जिन न देना। (संदर्भ संख्या: ओबीएस–1094802) भारतीय कंपनियों में उद्योग कार्यप्रणालियों के अनुसार, अनुबंध में ठेकेदार के मार्जिन को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना आम बात है, जो पारदर्शिता को बढ़ा सकता है और अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच विश्वास का निर्माण कर सकता है। यह जानना कि भुगतान का कितना हिस्सा ठेकेदार के मार्जिन को आवंटित किया जाता है, समग्र लागत संरचना को समझने में मदद कर सकता है। ठेकेदार के मार्जिन का खुलासा करने से ठेकेदार के प्रतिस्पर्धी लाभ पर असर पड़ सकता है। यदि मार्जिन एक प्रमुख अंतर है, तो ठेकेदार इसे प्रकट करने में अनिच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग संभावित रूप से भविष्य की बोली प्रक्रियाओं के दौरान प्रतिस्पर्धियों द्वारा किया जा सकता है। फाइल संख्या 10(35)/2017की जांच करने पर पाया गया कि एनआईसीएसआई ने एनआईसीएसआई खातों के रखरखाव के लिए एजेंसियों के पैनल के लिए 29–11–2018को एक खुली निविदा संख्या एनआईसीएसआई्एमएन्अकाउंट्स/2018/10 आमंत्रित की थी। निविदा की वित्तीय बोली (अनुलग्नक–4) के अनुसार बोलीदाता को निविदा में परिभाषित दायरे और आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक जनशक्ति संसाधन्पेशेवरों के लिए मासिक दरों का उल्लेख करना होगा। निम्नलिखित दरों पर 35जनशक्ति संसाधनों की आपूर्ति के लिए एमएलएस एस.के.पटोदिया एंड एसोसिएट्स (सीए फर्म) को निविदा प्रदान की गई थी। तदनुसार, फर्म के साथ दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को एक समझौता किया गया था।	जहाँ तक अनुबंध्निविदा में ठेकेदारों के मार्जिन का सवाल है, यह सूचित किया जाता है कि, यह विक्रेता की पसंद है कि वह किसी असाइनमेंट के लिए तैनात अपने कर्मचारियों को जो भी भुगतान करना चाहे, करे। विक्रेता को भुगतान की जाने वाली दरें पैनल के अनुसार तय की जाती हैं। 29.09.2022 को समाप्त होने वाले 3 साल के अनुबंध के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि खुली निविदा 29.11.2018 को जारी की गई थी और समापन तिथि 27.12.2018 थी। निविदा खोलने की तिथि 29.12.2018 थी। चार शुद्धिपत्र जारी करने और मानचित्रण त्रुटियों के कारण, निविदा को रद्द कर दिया गया और बोली की अंतिम तिथि यानी 05.02.2019 और बोली खोलने की तिथि 06.02.2019 के साथ फिर से जारी किया गया। मेसर्स एस के पटोदिया और मेसर्स पिपारा एंड कंपनी से कुछ दस्तावेज मांगे गए। मेसर्स केआरए एंड कंपनी और मेसर्स एसके पटोदिया एंड एसोसिएट्स की वित्तीय बोलियाँ 14.06.2019को 1530बजे एफईसी की बैठक में खोली गईं। मेसर्स एसके पटोडिया एंड एसोसिएट्स की जीटीवी बिना करों के 29,70,000रुपये थी और मेसर्स केआरए एंड कंपनी की जीटीवी बिना करों के 31,30,000रुपये थी। मेसर्स एसके पटोदिया एंड एसोसिएट्स की दरें एल–1 होने के कारण कम थीं। हालाँकि, 35संसाधनों के लिए भुगतान की जाने वाली दरें अधिक होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया कि इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। मेसर्स एस.के. पटोदिया एंड एसोसिएट्स एजेंसी ने अपनी दरें संशोधित कर 24,48,000 रुपये प्लस टैक्स कर दी। अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया और इसे 30

(च)

लाख रु. में

क्र. सं.	संसाधन श्रेणी	आवश्यक संसाधनों की कुल सं.	प्रति संसाधन मासिक दरें (रु.) (जीएसटी को छोड़कर)	कुल मासिक दरें (रु.)
i.	टीम लीडर	1	275000	275000
ii.	डिप्टी टीम लीडर	1	225000	225000
iii.	लेखा प्रबंधक	7	80000	560000
iv.	लेखाकार	12	60250	723000
v.	लेखा सहायक	14	47500	665000
	कुल	35		2448000

अनुबंध के खंड 2 के अनुसार, यह पहली बार में पैनल पत्र की तारीख यानी 30–09–2019 से 3 साल की अवधि के लिए वैध था और इसे आपसी सहमति से एनआईसीएसआई की परियोजना आवश्यकताओं की आवश्यकता के आधार पर वार्षिक आधार पर दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पिछले महीने के सकल चालान मूल्य (जीएसटी और किसी भी कटौती/जुर्माना आदि के बिना) के आधार पर मासिक दरों में 10 (दस) प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष स्वीकार्य होगी। अनुबंध की जांच करने पर, निम्नलिखित टिप्पणियां की गई।

अनुबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, संसाधनों की मासिक दरों में ठेकेदार के मार्जिन को अनुबंध में शामिल किया गया होगा। कैसे, ठेकेदार के मार्जिन के संबंध मे अनुबंध में कोई उल्लेख नही है। अनुबंध की तीन साल की अवधि 29–09–2022 को समाप्त हो गई थी। 10(35)/2017–एनआईसीएसआई दिनांक 18–09–2023। प्रतिवर्ष 10% वेतन वृद्धि के परिदृश्य में निविदा को 3 वर्ष से अधिक अवधि तक विस्तारित करना किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है।

उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में एनआईसीएसआई से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

09.2019 को मेसर्स एस.के. पटोदिया को 3 साल के लिए 29.09.2022 तक के लिए प्रदान किया गया।

चूंकि प्रशासनिक कारणों से 18.01.2023 को निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और चूंकि इसे समय–समय पर 01.12.2023 से आगे बढ़ाकर 29.12.2023 कर दिया गया था, इसलिए 10% की वृद्धि की अनुमति दी गई। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि 07.07.2023 को GeM पर एक नई निविदा जारी की गई और बोली 14.08.2023 को खोली गई और TEC दस्तावेज 14.08.2023 को RFP/TEC समिति को भेज दिए गए। 29.12.2023 से आगे अनुबंध के विस्तार के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स एसके पटोदिया के साथ अनुबंध 29.12.2023 को समाप्त हो गया और नया अनुबंध एनआईसीएसआई और मेसर्स एसके पटोदिया के बीच 29.12.2023 से जीईएम (जेम)के माध्यम से हुआ, मेसर्स एसके पटोदिया को जेम के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया है।

(उपर्युक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए)

11 पैरा 3 (भाग–II ख)

सीजीएचएस पैनल में शामिल अस्पतालों के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ के बिना असंगत चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति को अपनाना, जिसके कारण चिकित्सा व्यय की अनजाने में उच्च दरों पर प्रतिपूर्ति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान में असमानताएं हुई हैं। (संदर्भ संख्या: ओबीएस–1102050)

कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एनआईसीएसआई द्वारा अनुमोदित मौजूदा चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, विभिन्न चिकित्सा सेवाओं के लिए विशिष्ट सीमाओं को रेखांकित करती है। उल्लेखनीय रूप से, आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (OPD), पैथोलॉजिकल टेस्ट/जांच और अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रतिपूर्ति डीजीएचएस/ सीजीएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार पर निर्भर है। आगे की पात्रता, कॉस्मेटिक सर्जरी, दवाओं की स्वीकार्यता और आपातकालीन मामलों को भी सीजीएचएस/सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में परिभाषित किया गया है।

अभिलेखों एवं मेडिकल बिलों की जांच करने पर पाया गया कि सीजीएचएस अनुमोदित अस्पताल में इलाज/सीजीएचएस अनुमोदित लैब से जांच के लिए सीजीएचएस दरों पर विचार किए बिना कर्मचारियों के मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति की जा रही थी, जबकि निजी अस्पताल/निजी लैब के मामले में प्रतिपूर्ति सीजीएचएस द्वारा अनुमोदित दरों तक ही सीमित कर दी गई है। नमूना जांचे गए मामलों का विवरण अनुलग्नक–5 में संलग्न है। इस संबंध में पाया गया कि कर्मचारियों को डीजीएचएस/सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एनआईसीएसआई में अपनाई जाने वाली चिकित्सा नीति सीजीएचएस नीति नहीं है। एनआईसीएसआई के अधिकारी सीजीएचएस लाभार्थी नहीं हैं क्योंकि वे अपने सीजीएचएस कार्ड को अपने मूल कार्यालय यानी एनआईसी में सरेंडर करने के बाद एनआईसीएसआई में प्रतिनियुक्ति पर शामिल होते हैं। इसलिए, एनआईसीएसआई अपनी स्वयं की नीति का पालन कर रहा है।

24.01.2023 के मेल के अनुसार एनआईसीएसआई में फिर से निर्देश प्रसारित किए गए और एनआईसीएसआई के सभी अधिकारियों को सूचित किया गया कि:

"ओपीडी के मामले में किए गए खर्चों के दावों की प्रतिपूर्ति डीजीएचएस/सीजीएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों/क्लिनिकों में वास्तविक रूप से की जाएगी। निजी अस्पतालों के मामले में, प्रतिपूर्ति डीजीएचएस/सीजीएचएस द्वारा अनुमोदित या निर्धारित दरों तक सीमित होगी।"

सभी एनआईसीएसआई अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार अपने चिकित्सा दावे प्रस्तुत करें और चिकित्सा दावों की

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>गे इलाज कराने के लिए प्रोत्साहित करने वाली नीति के बावजूद एनआईसीएसआई ने सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ गठजोड़ नहीं किया है। जब तक एनआईसीएसआई सीजीएचएस के साथ गठजोड़ नहीं करता, सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज अन्य आम जनता के लिए संबंधित अस्पताल द्वारा निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध कराया जाएगा और ये अस्पताल भी निजी अस्पताल ही हैं। नीति निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिपूर्ति को सीजीएचएस–निर्धारित दरों तक सीमित करती है।
पिछले दो वर्षों के चिकित्सा व्यय की समीक्षा करने पर पाया गया कि चिकित्सा व्यय के लिए पर्याप्त राशि खर्च की गई, 2021–22 में 29,55,544/– रुपये और 2022–23 में 28,64,441/– रुपये। हालांकि साल दर साल चिकित्सा व्यय केमदमेंबहुतधनराशि खर्च की गई, लेकिन एनआईसीएसआई ने सीजीएचएस अधिसूचित दरों पर अपने कर्मचारियों को उपचार प्रदान करने के लिए सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों कोअनिवार्यनहींबनाया।
इस प्रकार, सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ अनुबंधन होने के कारण अनजाने में प्रतिपूर्ति दरें उच्च रहीं है। सीजीएचएस–अनुमोदित सुविधाओं में कोई उपचार नहीं, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान में असमानताएँ हैं।
उपरोक्त बात बताए जाने पर, एनआईसीएसआई अधिकारियों ने जवाब दिया कि सीजीएचएस/डीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों और निजी अस्पतालों से इलाज के लिए चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति एनआईसीएसआई में अपनाई गई चिकित्सा नीति के अनुसार की जाती है। इस प्रकार एनआईसीएसआई की वर्तमान चिकित्सा नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है या कर्मचारियों को अधिसूचित दरों पर उपचार प्रदान करने के लिए सीजीएचएस/डीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों को मनानेेसमझाने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भुगतान में अन्य असमानताएँ जारी रहेंगी।
इस संबंध में की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षक को अवगत कराया जाए।</td>
<td>प्रतिपूर्ति उपरोक्त नीति के अनुसार होगी। एनआईसीएसआई अधिकारी सीजीएचएस/डीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार को प्राथमिकता दे सकते हैं।
ऑडिट अवलोकन के मद्देनजर और हमारे संचार दिनांक 24.01.2023 को ध्यान में रखते हुए, हमने अपनी नीति लागू करना शुरू कर दिया है। ऑडिट टीम ने बताया है कि सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों या सीजीएचएस के तहत मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले निजी अस्पतालों से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किए गए चिकित्सा शुल्क की परिपूरत्त में असमानताएं हैं।

इसके अलावा लेखापरीक्षा टीम ने कहा है कि सीजीएचएस मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध किया जा सकता है या एनआईसीएसआई की सीजीएचएस चिकित्सा नीति की समीक्षा की जा सकती है।

सीजीएचएस / डीजीएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान में एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर एनआईसीएसआई में 28 अधिकारी काम कर रहे हैं जो चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। 15 अधिकारी एनआईसीएसआई मुख्यालय में और 14 अधिकारी विभिन्न राज्य कार्यालयों में तैनात हैं। ये अलग–अलग स्थानों पर रह रहे हैं और उनकेलिए सीजीएचएस / डीजीएचएस मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों से अधिसूचित दरों पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए अनुबंध करना संभव नहीं है।

हालांकि, चिकित्सा नीति की समीक्षा के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि लेखापरीक्षकों के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
(उपर्युक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए)।</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>पैरासं. 4

(भाग–II ख)</td>
<td>निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के विलंबित प्रस्तुतीकरण पर दंड की वसूली के लिए ईआरपी में उचित नियंत्रण तंत्र का अभाव (संदर्भ संख्या: ओबीएस–1105810)
एजेंसियों के पैनलीकरण की शर्तों के भाग–111 के खंड 3 (पीबीजी) के अंतर्गत दिए गए मानक नियमों और शर्तों के अनुसार एजेंसियों को एनआईसीएसआई द्वारा जारी कार्य आदेश मूल्य के 3: (तीन प्रतिशत) के बराबर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना आवश्यक है, जो उक्त परियोजना के लिए आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए। पैनलबद्ध एजेंसी को निम्नलिखित समयसीमा के अनुसार पीबीजी देना आवश्यक होगा:
<table><tr><th>क्र. सं.</th><th>परियोजना अवधि</th><th>पीबीजी जारी करने के लिए समय सीमा</th></tr><tr><td>क.</td><td>6 माहतक</td><td>एनआईसीएसआई द्वारा पीओ जारी करने के 15दिनों के भीतर।</td></tr><tr><td>ख.</td><td>6 माहसेअधिक</td><td>एनआईसीएसआई द्वारा पीओ जारी करने के 30 दिनों के भीतर।</td></tr></table></td>
<td>लेखापरीक्षा ने पाया कि एनआईसीएसआई को वर्ष 2022–23 के दौरान 3003 पीबीजी प्राप्त हुए थे। पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा पीबीजी जमा करने में देरी हुई थीप हालांकि एनआईसीएसआई ने विलंबित पीबीजी का निपटान किया था। एनआईसीएसआई ने लेखापरीक्षा टीम को यह भी सूचित किया था कि एनआईसीएसआई ने वर्ष 2022–23 के दौरान 696 मामलों में पीबीजी के अनुलग्नक–6(ए) के विलंबित प्रस्तुतीकरण के लिए जुर्माने के रूप में 7,46,35,319/– रुपये वसूल किए हैं।

एनआईसीएसआई प्रत्येक विक्रेता से संबंधित विक्रेताओं को कार्य आदेश देने के बाद उनके प्रदर्शन की सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी लेता है, यदि कोई विक्रेता अपना पीबीजी देरी से जमा करता है तो एनआईसीएसआई उस पर जुर्माना लगाता है। पीबीजी के देरी से जमा करने पर जुर्माना काटने के लिए उचित व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। ऐसा एक भी मामला नहीं है जहां जुर्माना नहीं लिया गया हो।</td>
</tr>
</table>

		निर्धारित समय के भीतर पीबीजी प्रस्तुत करने में चूक की स्थिति में संबंधित एजेंसी को प्रतिदिन विलंब/चूक के लिए पीओ मूल्य के 0.1 प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा, जिसकी अधिकतम सीमा पीओ मूल्य होगी। पीबीजी रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि एनआईसीएसआई को वर्ष 2022–23 के दौरान 3003 पीबीजी प्राप्त हुए थे। पीबीजी के रजिस्टर से पता चला कि पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा पीबीजी जमा करने में देरी के बहुत सारे मामले थे। पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा पीबीजी के विलंब से जमा करने के मामलों में जुर्माने की वसूली की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, एनआईसीएसआई ने आंकड़े उपलब्ध कराए, जिसमें पता चला कि वर्ष 2022–23 के दौरान पीबीजी के विलंब से जमा करने के लिए जुर्माने के रूप में 696 मामलों में 7,48,35,319/– रुपये की राशि वसूल की गई (जैसा कि अनुलग्नक–8(र) में विस्तृत है)। इस संबंध में यह पाया गया कि ईआरपी में खरीद/कार्य आदेशों को संबंधित विक्रेता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी के विवरण के साथ मैप नहीं किया गया था। बैंक गारंटी को खरीद आदेशों से जोड़ने का काम मैन्युअली किया जा रहा है क्योंकि ईआरपी सिस्टम के विकास के समय यह परिकल्पना में नहीं था। इस वजह से देरी से किए गए सबमिशन के लिए दंड की वसूली की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। ईआरपी सिस्टम में उचित एकीकरण की कमी के कारण, जुर्माना वसूली की सत्यता की निगरानी और सत्यापन एनआईसीएसआई अधिकारियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। बैंक गारंटी को क्रय आदेशों से जोड़ने के लिए जिन मैन्युअल प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा रहा है, उनसे संभावित विसंगतियां हो सकती हैं और जुर्माना वसूली की सत्यता को सत्यापित करना मुश्किल हो सकता है। वर्तमान में उपयोग में आने वाली ईआरपी प्रणाली में पीबीजी डेटा के साथ एकीकरण का अभाव है, विशेष रूप से प्रासंगिक बैंक गारंटी के साथ क्रय/कार्य आदेशों की मैपिंग में। ईआरपी के भीतर एक स्वचालित प्रणाली को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए जो वास्तविक समय में क्रय/कार्य आदेशों के साथ बैंक गारंटी के लिंकेज को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, सूचीबद्ध एजेंसियां निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करने की समयसीमा को लगातार पूरा नहीं कर रही हैं, जिससे आवश्यक कार्य न करने का जोखिम बढ़ जाता है। निष्कर्ष में, एनआईसीएसआई के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के विलंबित प्रस्तुतीकरण पर जुर्माने की वसूली के लिए ईआरपी प्रणाली के भीतर नियंत्रण तंत्र में मौजूदा अंतराल को संबोधित करे। बैंक गारंटी को खरीद/कार्य आदेशों से जोड़ने के लिए मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता संभावित विसंगतियों का एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है, जिससे दंड वसूली की सटीकता को सत्यापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ईआरपी प्रणाली में एकीकरण की कमी एक स्वचालित प्रणाली को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है जो वास्तविक समय में पीबीजी डेटा को खरीद/कार्य आदेशों के साथ सहजता से जोड़ती है। उपरोक्त टिप्पणी करने पर, एनआईसीएसआई प्रबंधन द्वारा उपरोक्त अवलोकन पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। (ख) एनआईसीएसआई की मानक नीति के अनुसार, जब एक बार आवश्यक धनराशि उपयोगकर्ता विभाग/एजेंसी से एनआईसीएसआई को जारी परफॉर्मा इनवॉयस (पीआई) के विरुद्ध हस्तांतरित हो जाती है, तो चयनित एजेंसी को सूचीबद्धता और कार्य के दायरे के नियमों व शर्तों के अनुसार कार्य–आदेश दिया जाएगा। सूचीबद्ध एजेंसी किसी भी बहाने से एनआईसीएसआई के कार्य–आदेश को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगी। कार्य–आदेश एनआईसीएसआई कार्यालय से	इसके अलावा, लेखापरीक्षा टीम ने कहा है कि ईआरपी खरीद आदेश/कार्य आदेश संबंधित विक्रेता द्वारा प्रस्तुत पीबीजी के विवरण के साथ मैप नहीं किए गए हैं। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एनआईसीएसआई ने इन–हाउस ईआरपी प्रणाली विकसित की है जिसमें विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत पीबीजी के विवरण के साथ पीओ/डब्ल्यूओ की मैपिंग शामिल होगी। ईआरपी में स्वचालित प्रणाली वास्तविक समय में पीओ/डब्ल्यूओ के साथ बैंक गारंटी का लिंकेज सुनिश्चित करेगी। क. और ख. हार्डवेयर और नेटवर्क में डिलीवरी की तारीख पर विचार किया जाता है और काम शुरू करने की कोई तारीख नहीं होती। मैनपावर और वेबसाइट वर्क ऑर्डर में काम शुरू करने की वास्तविक तारीख प्रत्येक ऑर्डर में उल्लिखित अवधि के अनुसार होती है। यह सूचित किया जाता है कि क्रमांक 11,15,16,17 और 30 पर पीओ पर 10% जुर्माना लगाया गया है। टाटा कंसल्टेंसी को क्रमांक 19 से 24 और 31,32 और 39 पर जारी किए गए पीओ और अन्य विक्रेताओं को क्रमांक 2,3,12,13,14,18,29,34,35,36,37,41 और 42 पर जारी किए गए पीओ में पीबीजी जमा करने पर कोई जुर्माना खंड नहीं था। क्रमांक 33 पर पीओ डेलोइट को जारी नहीं किया गया है जैसा कि लेखापरीक्षा टीम ने बताया है। यह वास्तव में सिल्वर टच को जारी किया गया था। इस मामले में बीजी समय पर जमा किया गया था और कोई जुर्माना नहीं काटा गया। क्रम संख्या 5 से 10 और 25,26,27,28 पर पीओ के लिए कोई जुर्माना नहीं काटा गया, क्योंकि बीजी जारी करने की तारीख को उस समय बीजी जमा करने की तारीख माना जाता है। ग. उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार कार्य निष्पादन की अनुमति है। घ. इन क्रय आदेशों में कोई दंड खंड लागू नहीं था। इसलिए, बीजी प्राप्त हुए क्योंकि वे वैध थे। ङ. अगस्त, 2022 से पहले संबंधित बैंक द्वारा बीजी जारी करने की तिथि पर जुर्माना लगाया गया था। बाद में एनआईसीएसआई ने विक्रेता द्वारा एनआईसीएसआई में बीजी जमा करने की तिथि पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। क्रमांक 1 और 2 पर पीओ में कोई दंड खंड का उल्लेख नहीं है। क्रमांक 4,5 और 6 पर पीओ को सूचित किया जाता है कि बीजी समय के भीतर जारी किए गए थे, इसलिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। क्रमांक 11 पर पीओ को सूचित किया जाता है कि 10% जुर्माना काटा गया था। (उपरोक्त के मद्देनजर यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए)

		प्राप्त किया जा सकता है या एजेंसी के लिए सुविधाजनक होने पर उन्हें मेल किया जा सकता है। चयनित एजेंसी को कार्य–आदेश की तिथि से सात (7) कार्य दिवसों के भीतर काम शुरू करना होगा। सूचीबद्ध एजेंसी को कार्य–आदेश में तिथियों का कड़ाई से पालन करते हुए सेवाएं प्रदान करनी होंगी। एजेंसी की ओर से अपने दायित्वों के निष्पादन में एनआईसीएसआई द्वारा क्षमा न किए जाने पर किसी भी प्रकार की देरी के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना विलंबित मील के पत्थर (या डिफॉल्ट में आइटम, जैसा लागू हो) इसके बाद एनआईसीएसआई के पास वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से कार्य करवाने का विकल्प होगा, जो कि चूक कर्ता एजेंसी की लागत और जोखिम पर होगा, जिसकी वसूली सूचीबद्ध एजेंसी के लंबित भुगतानों से या एसडीपीबीजी से या दावे प्रस्तुत करके की जाएगी। एनआईसीएसआई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 42 सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी 42 दिनों से लेकर 2607 दिनों तक की देरी से जारी की गई (जैसा कि अनुलग्नक–6(बी) में विस्तृत रूप से बताया गया है) जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी बताया गया है कि पीओ–कार्य–आदेश जारी होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर कई कार्य शुरू नहीं किए गए हैं। 42 सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी जारी करने में 42 दिनों से लेकर 2607 दिनों तक की देरी से यह पता चलता है कि निर्धारित कार्यों को शुरू करने के लिए निर्धारित समय–सीमा का पालन करने में महत्वपूर्ण चूक हुई है। एनआईसीएसआई की स्थापित नीति सेवाओं के समय पर शुरू होने के महत्व पर जोर देती है, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि सूचीबद्ध एजेंसी को कार्य आदेश प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर काम शुरू करना चाहिए। प्रदर्शन बैंक गारंटी प्राप्त करने में देखी गई देरी निर्धारित समय–सीमा के साथ संभावित गैर–अनुपालन को इंगित करती है, जो एजेंसियों द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों को तुरंत निष्पादित करने की प्रतिबद्धता के बारे में चिंता पैदा करती है। परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और उपयोगकर्ता विभागों/एजेंसियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए परियोजनाओं का समय पर आरंभ होना महत्वपूर्ण है। एनआईसीएसआई को नीति के अनुपालन को लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचीबद्ध एजेंसियां आवश्यक निष्पादन बैंक गारंटी तुरंत प्रदान करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर काम शुरू करें। नीति में उल्लिखित कठोर निगरानी और दंड के प्रवर्तन को गैर–अनुपालन के मामलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि जवाबदेही बनाए रखी जा सके और एनआईसीएसआई की परियोजना निष्पादन प्रक्रियाओं की दक्षता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। स्थापित समयसीमाओं के अनुपालन को सुदृढ़ करके, एनआईसीएसआई अपनी खरीद और परियोजना प्रबंधन प्रथाओं की समग्र प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, एनआईसीएसआई की टिप्पणियों के साथ, एनआईसीएसआई से निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी। क. अनुलग्नक–6 (ख) में उल्लिखित 42 मामलों में कार्य शुरू होने की वास्तविक तिथि। ख. क्या कार्य–आदेशों/खरीद आदेशों को पूरा करने में देरी के लिए संबंधित एजेंसियों से कोई जुर्माना वसूला गया था। यदि हां, तो कृपया इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करें ग. यदि कार्य–आदेशों के निष्पादन में देरी के संबंध में कोई बाधा/समय विस्तार रजिस्टर बनाए रखा जा रहा है। यदि ऐसा है, तो कृपया संबंधित रजिस्टर/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएं। पीओ/डब्ल्यूओ जारी करने की तारीख से इस तरह के असामान्य विलंब के साथ कार्यों के निष्पादन के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों को अनुमति देने के कारण। घ. अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला है कि अनुलग्नक–6(सी) में	

		उल्लिखित पांच(5) मामलों में, हालांकि सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा पीबीजी समय पर जारी किए गए थे, एनआईसीएसआई द्वारा पीबीजी 267 दिनों से 400 दिनों तक की देरी से प्राप्त हुए थे। पीबीजी जमा करने में इस तरह के असामान्य विलंब की अनुमति देने के कारण कृपया बताए जाएं। ङ. अभिलेखों की नमूना जांच में, यह देखा गया कि अनुलग्नक 6(डी) में उल्लिखित 11 मामलों के संबंध में, यह पाया गया कि संबंधित सूचीबद्ध एजेंसियों से जुर्माना राशि वसूल नहीं की गई थी। कृपया इसकी पुष्टि की जाए और वसूली की स्थिति से अवगत कराया जाए। एनआईसीएसआई द्वारा न तो जवाब दिया गया और न ही मांगी गई जानकारी दी गई।	
13	पैरासं. 5 (भाग–II ख)	2010–2018 की अवधि के दौरान डेटा सेंटर, एनआईसी, हैदराबाद में प्रदान की गई आपदा पुनर्प्राप्ति सेवाओं के लिए डीपीआईआईटी से 1.47 करोड़ रुपये की गैर–वसूली। (संदर्भ संख्या: ओबीएस–1143444) वर्ष 2008 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) (जिसे वर्तमान में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के रूप में नाम दिया गया है) ने ई–बिज परियोजना (एनईजीपी के तहत एक मिशन मोड परियोजना) को लागू करने की योजना बनाई थी, जो व्यवसायों के लिए लाइसेंस, पंजीकरण और मंजूरी के तेजी से वितरण की सुविधा के लिए कई सरकारी सेवाओं को एक ही वेबसाइट में एकीकृत करती है।परियोजना को एनआईसीध्एनआईसीएसआई के डेटा सेंटर (डीसी) में एक सह–स्थान मॉडल में होस्ट किया गया था – एक लक्ष्मी नगर दिल्ली (एनआईसीएसआई) में मुख्य डेटा सेंटर के रूप में और दूसरा हैदराबाद (एनआईसी) में जिसका उपयोग डेटा सेंटर के साथ–साथ डिजास्टर रिकवरी (डीआर) केंद्र के रूप में किया जाना था। कोलोकेशन सेवाओं के तहत एनआईसीएसआई पावर कूलिंग, नेटवर्किंग और परिधि सुरक्षा प्रदान करता है और उपयोगकर्ता को अपने एप्लिकेशन को होस्ट करने के लिए अपने स्वयं के सर्वर और सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाने की आवश्यकता होती है हालाँकि, इस संबंध में एसएलए पर एनआईसीएसआई द्वारा 22–05–2013 को हस्ताक्षर किए गए थे। ई–बिज परियोजना को 28–05–2009 को मेसर्स इंफोसिस को सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में प्रदान किया गया था। एनआईसीएसआई ने परियोजना की मेजबानी के लिए डीसी लक्ष्मी नगर में 2 (दो) सर्वर रैक प्रदान किए और ई–बिज परियोजना के 10 (10' आईयू) रैक सर्वर अगस्त 2010 से एनआईसी हैदराबाद में होस्ट किए गए थे। एनआईसीएसआई ने डीसी लक्ष्मी नगर में स्थित सर्वरों के लिए 13–11–2009 से 12–11–2020 की अवधि के लिए 2 सर्वर रैक के लिए 23,75,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति रैक के हिसाब से कोलोकेशन शुल्क के लिए 25–09–2009 को प्रारंभिक प्रोफार्मा चालान (पीआई) जारी किया। इसके बाद, समय–समय पर इन सह–स्थान शुल्क का दावा किया जाता रहा। हालांकि, डीआईपीपी के साथ 20–10–2015 के पत्राचार से यह देखा गया कि हालांकि एनआईसी हैदराबाद से ई–बिज सेवाओं के लिए आपदा रिकवरी (डीआर) की पेशकश की जा रही थी। एनआईसी / डीआईईटीवाई से अनुमोदन के लंबित होने के कारण मार्च–2015 तक पीएल तैयार नहीं किए जा सके और डीआईपीपी को भेजे नहीं जा सके। यहां तक कि एनआईसीएसआई को भी 30 दिसंबर 2014 तक हैदराबाद में ई–बिज परियोजना के लिए तैनात सर्वर रैक की संख्या और उन सर्वरों के सक्रियण की तारीख के बारे में विवरण की जानकारी नहीं थी। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद एनआईसी हैदराबाद में 10 सर्वर रैक के संबंध में 1,58,300/– रुपये के कॉलोकेशन शुल्क के बिल 12–03–2015 को जारी किए गए थे, केवल 01–09–2010 से 31–03–2015 तक की अवधि के लिए बकाया राशि एकत्र करने के लिए। इसके बाद, समय–समय पर	लेखापरीक्षा टीम ने पाया कि डीपीआईआईटी ने एनईजीपी के तहत ई–बिज परियोजना–एक मिशन मोड परियोजना को लागू करने की योजना बनाई थी। परियोजना को एनआईसी / एनआईसीएसआई के डेटा सेंटर में एक को–लोकेशन मॉड्यूल में होस्ट किया गया था– एक लक्ष्मी नगर (मिनी डेटा सेंटर) और दूसरा हैदराबाद में जिसका उपयोग डेटा सेंटर के साथ–साथ डेटा रिकवरी सेंटर के रूप में किया जाना था। एनआईसीएसआई को पावर कूलिंग, नेटवर्किंग और परिधि सुरक्षा प्रदान करनी थी। उपयोगकर्ता विभाग को अपने अनुप्रयोगों की मेजबानी के लिए अपने स्वयं के सर्वर और सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाने की आवश्यकता थी। ई–बिज परियोजना को 28.05.2009 को मेसर्स इंफोसिस को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) में दिया गया था। डीपीआईआईटी ने डीसी और डीआर सेवाओं के लिए एनआईसी / एनआईसीएसआई के साथ एक समझौते में प्रवेश करने की अपनी मंशा व्यक्त की। 22.05.2013 को एनआईसीएसआई द्वारा एसएलए पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि, ऑडिट टीम द्वारा उठाए गए विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं– क. डीपीआईआईटी ने 15.09.2020 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि डीआर सेवाओं के लिए एनआईसीएसआई द्वारा उठाए गए चालान देय नहीं है। एनआईसीएसआई के एमडी की ओर से08.03.2021को संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी को आपदा रिकवरी बकाया राशि जारी करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा गया (प्रतियां अनुलग्नक–एन के रूप में संलग्न हैं) इस पत्र में कहा गया था कि ई–बिज परियोजना के लिए 10सर्वर (10'1यू) तैनात किए गए थे और मेसर्स इंफोसिस टीम से प्राप्त इनपुट के आधार पर एक रियायतकर्ता ने कहा कि ई–बिज सर्वर अगस्त, 2010से एनडीसी–हैदराबाद में सक्रिय हो गए थे। ख. एनआईसीएसआई द्वारा उपयोगकर्ता से 30.12.2014 की ईमेल के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होने के बाद 01.09.2010से डीआर सेवाएं शुरू की गई। मार्च 2015 से सभी उपयोगकर्ता विभागों को मूल बिल तैयार / भेजे गए। एनआईसीएसआई ने एनडीसी–हैदराबाद में डीआर सेवाओं के खिलाफ पहला बिल / चालान जारी किया था और 08.04.2015 को उपयोगकर्ता को 01.09.10 से 31.03.15 की अवधि के लिए भेजा था। एनआईसी / एमईआईटीवाई के पास

		डीआर सेवाओं के लिए बिल बनाए गए और इनमें से किसी भी बिल का भुगतान डीआईपीपी द्वारा नहीं किया गया। 08–11–2018 को डीआईपीपी ने एलआर.नं. 08–11–2018 के तहत सूचित किया कि उन्होंने 09–11–2018 से ई–बिज पोर्टल को बंद करने का फैसला किया है और उसी तारीख से सर्वरध्रैक स्पेस शुल्क के लिए बिलिंग बंद करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, एनआईसीएसआई द्वारा 09–11–2018 तक के बिलों का दावा किया गया। 01–09–2010 से 09–11–2018 तक की अवधि के लिए एनआईसी हैदराबाद में डीआर सेवाओं के लिए कुल बिल राशि 1,47,77,584 रुपये थी, जिसमें 18,10,164 रुपये की सेवा करध्जीएसटी राशि शामिल थी (जैसा कि अनुलग्नक 7 में विस्तृत है)। हैदराबाद में डीआर सेवाओं के संबंध में बकाया राशि के लिए एनआईसीएसआई द्वारा बार–बार प्रयास करने के बावजूद, डीआईपीपी नहीं आया और जनवरी, 2017 में समझौता दस्तावेज की मांग की और एनआईसी, हैदराबाद में ईबीआईजेड के लिए सर्वर रैक की नियुक्ति के साक्ष्य से संबंधित कुछ जानकारी मांगी। आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बावजूद, डीआईपीपी ने एक या अन्य कारण दिखाकर भुगतानों पर विवाद जारी रखा। इतने विचार–विमर्श के बाद डीपीआईआईटी ने अपने ज्ञापन फाइल संख्या पी–25019/20/2017–बीई–। दिनांक 28–06– 2019 के माध्यम से 01–09–2010 से 31–03–2014 तक की अवधि के लिए डीआर सेवा शुल्क (63,73,531/– रुपये की राशि) को माफ करने का अनुरोध किया और 25,000 रुपये का शुल्क देने पर सहमति व्यक्त की। 01–04–2014 से 09–11–2018 तक बकाया 84,04,053/– का भुगतान करने के लिए अनुरोध किया था तथा तैनात संसाधनों के विवरण तथा डीआरसी में संग्रहीत बैकअप की मात्रा के विवरण के संदर्भ में दावों का औचित्य मांगा था। इन लंबे समय से बकाया बकाए की वसूली की वर्तमान स्थिति की जांच करने पर, 126वीं बोर्डिंग मीटिंग मिनट्स (29–03–2023 को आयोजित) से पता चला कि यथास्थिति बनाए रखी जा रही है और 84,04,053 / – रुपये के सहमत शेष की वसूली या 63,73.531/– रुपये को बट्टे खाते में डालने में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस प्रकार, 2010 से 2018 तक फैले ई–बिज प्रोजेक्ट के लिए एनआईसी हैदराबाद में आपदा रिकवरी सेवाओं के लिए डीपीआईआईटी से 11.47 करोड़ की गैर वसूली एक सतत चुनौती बनी हुई है। एनआईसीएसआई द्वारा बकाया राशि वसूलने के कई प्रयासों और कई दौर की चर्चाओं और पत्राचार के बाद भी इस मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया है। इस बकाया भुगतान के मुद्दे की लंबी प्रकृति एक समाधान लाने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ई–बिज पोर्टल को बंद करने के डीपीआईआईटी के फैसले और बाद में भुगतान पर विवाद ने बकाया राशि के निपटान में लंबी देरी में योगदान दिया है। 28–1–2019 के ज्ञापन के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा 84,04,053/– रुपये का भुगतान करने की सहमति और शेष 163,73,531/– रुपये के लिए औचित्य मांगने के बावजूद कोई पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। एनआईसीएसआई और डीपीआईआईटी के बीच संचार और सहयोग को सुविधाजनक बनाने में एक सक्रिय दृष्टिकोण, साथ ही तैनात संसाधनों और बैकअप स्टोरेज डेटा की विस्तृत प्रस्तुति मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में योगदान दे सकती है। लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय विवाद को समाप्त करने और बकाया राशि की वसूली या उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए यह ठोस प्रयास आवश्यक है। इसके अलावा, डीआर सेवा शुल्क की वसूली की वर्तमान स्थिति के बारे में एनआईसीएसआई से निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। क. डीपीआईआईटी ने आपदा रिकवरी केंद्र (डीआरसी) में संग्रहीत	कुछ अनुमोदन लंबित होने के कारण हैदराबाद में डीआर साइट के लिए पीआई / चालान समय पर तैयार / उपयोगकर्ताओं को नहीं भेजे जा सके। सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एनडीसी–हैदराबाद से प्राप्त डीआर सेवाओं की पूरी अवधि के लिए पीआई तैयार किए गए इसके बाद अगली अवधि के बिल समय पर सौंप दिए गए। ग. एनआईसीएसआई और ई–बिज (डीपीआईआईटी) के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। घ और ड. इस मुद्दे को हल करने के लिए विभाग के साथ कई बैठकें / चर्चाएँ हुई और अंत में, एनआईसीएसआई को एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें एनडीसी–हैदराबाद में ई–बिज परियोजना के तहत डीआर सेवाओं के लिए बकाया भुगतान के संबंध में विभाग के एएस (एस) द्वारा 20 / 6 / 2019 को उनके चैंबर में ली गई बैठक के कार्यवृत्त के साथ संलग्न पत्रध्ओएम संख्या पी–25019 / 20 / 2017–बीई–।(प्रतिलिपि अनुलग्नक–ओ के रूप में संलग्न) है। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए––सह–स्थान शुल्क के लिए भुगतान एनआईसीएसआई को केवल 2014–15से किया जा सकता है, बशर्ते कि आईएफडब्ल्यू और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन हो और एनआईसीएसआई अपने शुल्क कम करे, क्योंकि सेवाएँ कभी चालू नहीं थीं और केवल स्थान का उपयोग किया गया था। इसके अलावा एनआईसीएसआई को तैनात संसाधनों के विवरण और डीआरसी में संग्रहीत बैकअप की मात्रा के विवरण के संदर्भ में दावों को उचित ठहराने की आवश्यकता है। डेटा सेंटर सेवाओं को बंद करने के संबंध में ई–बिज के पत्र संख्या 9(2) / 2018–बीई–। दिनांक 8 / 11 / 2018 (प्रतिलिपि अनुलग्नक–पी के रूप में संलग्न) के अनुसार ई–बिज, डीपीआईआईटी सर्वर को रैक से हटाकर एनआईसीएसआई स्टोर रूम में रखने का निर्णय लिया गया है। डीपीआईआईटी द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरण / सर्वर एलएनडीसी–लक्ष्मी नगर, एनडीसी–शास्त्री पार्क और एनडीसी–हैदराबाद में पड़े हैं। डीपीआईआईटी ने दिनांक 19.10.2020 के पत्र (प्रतिलिपि अनुलग्नक–क्यू के रूप में संलग्न) के माध्यम से सूचित किया था कि उपकरणध्सर्वर का उपयोग या नीलामी इस विभाग की ओर से एनआईसी द्वारा की जा सकती है। (उपरोक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि पैरा को हटा दिया जाए)

		बैकअप की मात्रा के बारे में जानकारी मांगी। कृपया बताएं कि क्या डीआरसी में संग्रहीत बैकअप के बारे में विस्तृत जानकारी डीपीआईआईटी को प्रदान की गई थी। 11 इसलिए, कृपया इसका विवरण प्रदान किया जाए। ख. यद्यपि ये सेवाएं वर्ष 2009 से प्रदान की जा रही थीं, कृपया इन सेवाओं के लिए डीपीआईआईटी के साथ समझौता करने में देरी के कारण बताएं। ग. समझौते में कोलोकेशन सेवाओं के लिए सर्वर की मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था और एनआईसी में डीआर सेवाओं पर विशिष्टताओं का अभाव था। समझौते में इन विवरणों का उल्लेख न करने के कारण। घ. दिसंबर 2014 तक। एनआईसीएसआई को एनआईसी, हैदराबाद में डीआर सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वरों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी। व्यापक डेटा की कमी एक आंतरिक चूक थी। परियोजना के बारे में व्यापक डेटा न बनाए रखने के कारण कृपया बताए जाएं। ड. ई–बिज पोर्टल 28–01–2013 को लॉन्च किया गया था। लेकिन। डीपीआईआईटी ने 01–04–2014 से बकाया राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। इसका आधार क्या था? चूंकि लक्ष्मी नगर और शास्त्री भवन में ई–बिज परियोजना सेवाएं 09–11–2018 को बंद कर दी गई थीं, इसलिए डीपीआईआईटी द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों / सर्वरों की स्थिति क्या थी? एनआईसीएसआई की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए एनआईसीएसआई द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि का उपयोग संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और यदि संबंधित परियोजना के समापन पर एनआईसीएसआई के पास कोई शेष राशि उपलब्ध है, तो उसे ब्याज सहित अनुदानकर्ता संस्थान को वापस कर दिया जाता है। हालांकि, विलंबित भुगतानों पर जुर्माना वसूलने के लिए उपयोगकर्ता विभागों को जारी किए गए समझौतों या बिलों में कोई शर्त मौजूद नहीं पाई गई। एनआईसीएसआई अप्रयुक्त शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करता है, हालांकि, एनआईसीएसआई ने उपयोगकर्ता विभागों द्वारा विलंबित भुगतानों पर कोई ब्याज नहीं वसूला। ऐसी शर्तों को शामिल करने के कारण कृपया बताए जाएं। एनआईसीएसआई द्वारा न तो उत्तर दिया गया और न ही मांगी गई जानकारी दी गई।	
14	पैरा सं. 6 (भाग–II ख)	अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) अग्रिम से संबंधित नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 47,292 / – रुपये का अनियमित भुगतान हुआ तथा लागू मामलों में ब्याज की वसूली नहीं हो सकी। (संदर्भ संख्या: ओबीएस–1151535)। "अग्रिमों पर नियमों के संग्रह" के नियम 2 के अनुसार – ऐसे मामलों में जहां अग्रिम का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन समायोजन बिल समय पर प्रस्तुत किया जाता है, सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि शेष पर दी जाने वाली ब्याज दर पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से ब्याज अग्रिम के आहरण की तिथि से वापसी की तिथि तक अग्रिम के अप्रयुक्त भाग पर लगाया जाएगा। यदि समायोजन बिल निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अग्रिम की पूरी राशि ऐसी समयावधि समाप्त होने पर तुरंत एकमुश्त वसूल की जा सकती है। ऐसे मामलों में भी, अग्रिम की पूरी राशि पर आहरण की तिथि से राशि की वसूली की तिथि तक ऊपर बताए अनुसार ब्याज लगाया जा सकता है। सीसीएस, एलटीसी नियम 1988 के नियम 14 के अनुसार, यदि कोई	श्री एस. काशी रेड्डी और श्री सत्येश कुमार शर्मा के संबंध में अप्रयुक्त अग्रिमों पर ब्याज की वसूली के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि दोनों अधिकारियों को उनके मूल विभाग एनआईसी में वापस भेज दिया गया है। उनसे वसूली योग्य राशि की गणना की गई है। श्री सतेश कुमार शर्मा और श्री एस. काशी रेड्डी से क्रमशः 142 / – रुपये और 1181 / – रुपये बकाया हैं। उक्त राशि की वसूली के लिए उन्हें एक पत्र (अनुलग्नक–आर के रूप में संलग्न) भेजा गया है। ब्लॉक वर्ष 2018–21 के लिए जीएम श्री सुरजीत सिंह द्वारा ली गई एलटीसी के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि श्री सुरजीत सिंह 29.02.2024 को सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए। 47,292 / – रुपये की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पूर्व सेवानिवृत्त जीएम, एनआईसीएसआई को उक्त

		अग्रिम राशि नहीं ली गई है तो छुट्टी यात्रा रियायत के तहत यात्रा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा वापसी यात्रा पूरी होने के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर दावा जब्त कर लिया जाएगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। सीसीएस के नियम 15(vi) के अनुसार, एलटीसी नियम 1988 के अनुसार, जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रिम राशि ली गई है, वहां यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा वापसी यात्रा पूरी होने के एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि सरकारी कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे अग्रिम राशि की पूरी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी। किश्तों में अग्रिम राशि की वसूली के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। वर्ष 2022–23 के लिए एलटीसी दावों से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा करने पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गई: वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 17 एलटीसी अग्रिम मामलों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से 2 मामलों में (जैसा कि अनुलग्नक 8(ए) में दर्शाया गया है), वापसी यात्रा पूरी होने के बाद अग्रिम राशि को अप्रयुक्त अग्रिम के रूप में वापस कर दिया गया। लेकिन, अग्रिम के अप्रयुक्त हिस्से पर कोई ब्याज नहीं लगाया गयाध्वसूली नहीं की गई, जो "अग्रिमोंपरनियमों के संग्रह"केनियम2 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि अग्रिम के अप्रयुक्त हिस्से पर अग्रिम निकालने की तारीख से वापसी की तारीख तक ब्याज लगाया जाना चाहिए। एलटीसी बिलों की जांच करने पर पाया गया कि ब्लॉक वर्ष 2018–21 के लिए जीएम श्री सुरजीत सिंह को 35,000 रुपये की राशि का एलटीसी अग्रिम स्वीकृत किया गया था। अधिकारी ने 21–08–2022 को अपनी वापसी यात्रा पूरी की और 1,47,292 रुपये की राशि का दावा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 4 महीने बाद 13–01–2023 को प्रस्तुत किया गया (जैसा कि अनुलग्नक 8(बी) में विस्तृत है) जो कि सीसीएस के नियम 14 और 15, एलटीसी नियम 1988 और अग्रिम पर नियम के संग्रह के नियम 52 के नीचे भारत सरकार के निर्णय (2) का उल्लंघन है। मौजूदा भारत सरकार के आदेशध्नियम दावे को जब्त करने का प्रावधान करते हैं क्योंकि दावा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालाँकि, दावे को पूर्वोक्त आदेशों के उल्लंघन में वापस कर दिया गया था। एलटीसी रजिस्टर की जांच से पता चला कि अग्रिम निकासी की तारीख, बिल जमा करने की तारीख, बिल की पूरी राशि और वसूले गए ब्याज (यदि कोई हो) का विवरण आदि के बारे में कोई प्रविष्टि नहीं थी। इस संबंध में एनआईसीएसआई को गैर–अनुपालन की सीमा का पता लगाने के लिए पहचाने गए मामलों का गहन सत्यापन करने की आवश्यकता है, भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में, लेखा परीक्षा को उचित सूचना के साथ, अनुमत किसी भी अतिरिक्त राशि को वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और पारदर्शी निगरानी और जवाबदेही की सुविधा के लिए एलटीसी रजिस्टर में रिकॉर्ड रखने की प्रथाओं को मजबूत करना चाहिए। उपरोक्त मामलों के निपटान में भारत सरकार के आदेशों का पालन न करने के उपरोक्त मुद्दों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर, यह उत्तर दिया गया कि एलटीसी निपटान में छूट देने की शक्ति एनआईसीएसआई के एमडी के पास है, जो अनुलग्नक–ए के अनुसार सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। निम्नलिखित के मद्देनजर एनआईसीएसआई प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैः एनआईसीएसआई भारत सरकार (जीओआई) के एलटीसी नियमों का पालन करता है जैसा कि इसकी नीति में उल्लिखित है। इसके अनुरूप, एनआईसीएसआई ने सक्षम प्राधिकारी की पहचान की है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि एनआईसीएसआई के प्रबंध निदेशक (एमडी) के पास उन मामलों से संबंधित विवादों या छूटों के बारे में निर्णायक निर्णय लेने का अधिकार है जहां यात्रा पूरी करने के 30 दिनों	राशि वापस करने का अनुरोध भेजा गया है। अग्रिम निकासी की तारीख, बिल जमा करने की तारीख, बिल की राशि और वसूले गए ब्याज के विवरण के बारे में एलटीसी रजिस्टर में प्रविष्टि के संबंध में। यह सूचित किया जाता है कि एलटीसी रजिस्टर (रजिस्टर की प्रति अनुलग्नक–एस के रूप में संलग्न) में आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं। (उपरोक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि पैरा को हटा दिया जाए।)

		के भीतर एल7 सी बिल जमा नहीं किए जाते हैं। हालांकि, केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) एलटीसी नियम एलटीसी दावों को जब्त करने का प्रावधान करते हैं यदि बिल निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किए जाते हैं. और इस संबंध में कोई अपवादध्छूट की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, इस मामले पर एनआईसीएसआई के एमडी द्वारा जारी किए गए निर्देश सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। ऐसे सभी मामलों की जांच के लिए कार्रवाई की जाए तथा अप्रयुक्त अग्रिम राशि पर ब्याज वसूला जाए। अनुपालन की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाए।	
15	पैरा सं. 7 (भाग–II ख)	वाहन किराए पर लेने के लिए मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विस के साथ अनुबंध की समय से पहले समाप्ति के मामले में दंड खंड को शामिल न करना, (संदर्भ संख्याः ओबीएस–I 154034) एनआईसीएसआई (NICSI)ने 62 वाहनों को किराए पर लेने के लिए मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विस के साथ GeM के माध्यम से अनुबंध किया था। जीईएम (GeM) अनुबंध संख्या जीईएमसी (GEMC)—511687783629932 दिनांक 07.03.2022 के माध्यम से विक्रेता के साथ सेवा स्तर समझौते के अनुसार अनुबंध 01.04.2022 से 31.03.2023 तक एक वर्ष के लिए वैध था। अनुबंध की अनुमानित राशि सभी शुल्कों और करों सहित 2,10,79,752/– रुपये थी। टैक्सी सेवाओं को मासिक आधार पर किराए पर लेने से संबंधित फाइलों की जांच करने पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गईंदृ अनुबंध के अनुसार, मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विसेज ने 1–04–2022 से 03–04–2022 तक 54 वाहन आपूर्ति किए और 04–04–2022 से 06–04–2022 तक 62 वाहन उपलब्ध कराए, 07–04–2022 को 53 वाहन उपलब्ध कराए और 08–04–2022 से आगे 06–04–2022 को 51 वाहन उपलब्ध कराए। विक्रेता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए उनकी एजेंसी को स्वीकृत दरों पर वाहनों की व्यवस्था करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विक्रेता ने एनआईसीएसआई को या तो अनुबंध की स्वीकृत दरों को बढ़ाने या 2019 के बाद के मॉडल के वाहनों की आपूर्ति के लिए प्रतिबंध हटाने या आपसी सहमति से समझौते को रद्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 08–04–2022 को विक्रेता के अनुरोध के अनुसार, एनआईसीएसआई ने विक्रेता को सूचित किया कि अनुबंध के खंड 11 के प्रावधानों को लागू करके अनुबंध समाप्त कर दिया गया था, जो आपसी सहमति के माध्यम से संपर्क समाप्त करने का प्रावधान करता है। इस संबंध में, जीईएम (GeM) खरीद पर भारत सरकार के आदेशों में यह प्रावधान है कि ई–बोली/आरए के बाद किए गए अनुबंधों के मामले में, वारंटी दायित्वों सहित सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से 2 महीने के लिए वैध प्रदर्शन सुरक्षा/प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) (जीईएम/GeM पर प्रदान किए गए प्रारूप में) अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीदाता से प्राप्त की जाएगी। जीईएम (GeM) अनुबंध के मूल्य के 2 की दर से प्रदर्शन सुरक्षा की मात्रा की सिफारिश करता है। खरीदार के पास 2% से 10% के बीच प्रदर्शन सुरक्षा का चयन करने का विकल्प भी है। ई–बोली/आरए को अंतिम रूप देते समय, खरीदार सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की जाने वाली आवश्यक प्रदर्शन सुरक्षा का प्रतिशत इंगित करेगा। अनुबंध दायित्व अवधि के किसी भी विस्तार के मामले में विक्रेता प्रदर्शन सुरक्षा की वैधता को उपयुक्त रूप से बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि विक्रेता अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व का पालन करने या निभाने में विफल रहता है या उपेक्षा करता	मेसर्स हाइब्रिड फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ वाहनों को किराए पर लेने का अनुबंध 01.12.2020 से 30.11.2021 तक था। इसे अलगदृ अलग अवसरों पर 31.03.2022 तक बढ़ाया गया था। 62 वाहनों को किराए पर लेने के लिए ताजा ळमड बोली संख्या GEM/2021/B/1742806 दिनांक 08.12.2021 शुरू की गई थी। ळमड अनुबंध संख्या GEMC—511687783629932 दिनांक 07.03.2022 को मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विसेज को 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए दिया गया था। मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विसेज ने 01.04.2022 से वाहन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। हालांकि, उन्होंने दरों में वृद्धि और शर्तों को हटाने यानी 2019 से वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों द्वारा परस्पर स्वीकृत खंड–11 के प्रावधान को लागू करते हुए अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। एक नई बोली संख्या Gem/2022/B/2224847 दिनांक 06.06.2022 को ळमड पर इस शर्त के साथ मंगाई गई कि "ऑर्डर को दो बोली दाताओं – मेसर्स हाइब्रिड फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स इंद्रप्रस्थस र्विसेज के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा"। मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विसेज को अनुबंध दिया गया क्योंकि मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विसेज NICSI प्रक्रिया आदेश में L2 थी। चूंकि NICSI को वाहन किराए पर लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इसलिए ळमड बोली को 60:40 अनुपात में NICSI की आवश्यकता के साथ जारी किया गया था। तदनुसार, उक्त अनुपात में L1 और L2 को कार्य आदेश दिया गया। बोली दस्तावेज के अनुसार, 14 महीने की अवधि के लिए 2% की दर से PBG की आवश्यकता थी। यह कार्य मेसर्स IP को दिनांक 07.03.2022 के पत्र के माध्यम से दिया गया था, अनुबंध 10.04.2022 को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि अनुबंध केवल 10 दिनों में समाप्त हो गया था, PBG प्राप्त नहीं किया गया था और न ही भुनाया गया था।

		है तो क्रेता के लिए विक्रेता द्वारा प्रदान की गई प्रदर्शन सुरक्षा को पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त करना वैध होगा। यदि विक्रेता सभी प्रकार से अनुबंध को विधिवत निभाता और पूरा करता है तो क्रेता विक्रेता द्वारा सभी अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के 30 दिनों के भीतर विक्रेता को प्रदर्शन सुरक्षा वापस कर देगा। आम तौर पर, इस प्रकार के जीईएम (GeM) अनुबंधों में अनुबंध मूल्य का 10% यानी 21,08,000/– रुपये की दर से पीबीजी (PBG) एकत्र करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, वर्तमान मामले में बोली दस्तावेज में 2: की दर से पीबीजी (PBG) का प्रावधान था। हालांकि विक्रेता अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा। एनआईसीएसआई (NICSI) विक्रेता पर कोई जुर्माना नहीं लगा सका या PBG को भुना नहीं सका. इसके बजाय एनआईसीएसआई (NICSI) ने आपसी सहमति से अनुबंध को बंद कर दिया। इसके अलावा, जीईएम (GeM) की शर्तों में यह प्रावधान है कि यदि विक्रेता अनुबंध में उल्लिखित डिलीवरी अवधि/तिथि के भीतर अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है, तो यह अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और क्रेता को अनुबंध में निर्धारित मूल या पुनः निर्धारित डिलीवरी तिथि या अवधि की समाप्ति के बाद आपूर्ति न किए गए हिस्से के लिए अनुबंध को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार होगा। विक्रेता द्वारा गैर–प्रदर्शन के कारण अनुबंध को रद्द करने से खरीदार को प्रदर्शन सुरक्षा जब्त करने का अधिकार होगा, साथ ही अन्य कार्रवाइयां जैसे कि विक्रेता की रेटिंग को कम करना या जीईएम (GeM) द्वारा योग्यता के आधार पर तय की गई अवधि के लिए जीईएम (GeM) से प्रतिबंध लगाना आदि भी हो सकता है। समय से पहले समाप्ति के लिए दंड खंड की अनुपस्थिति ने गैर–अनुपालन के लिए परिणामों को लागू करने की एनआईसीएसआई (NICSI)की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे संगठन की संविदात्मक सुरक्षा प्रभावित हुई। विक्रेताओं द्वारा अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने पर जुर्माने से संबंधित खंड को शामिल न करने और विक्रेता द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर पीबीजी की वसूली न करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, एनआईसीएसआई ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद, टैक्सी किराए पर लेने के लिए एक नया टेंडर जारी किया गया, और ठेका हाइब्रिड फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विस को 1.10.2022 तक 60:40 के अनुपात में दिया गया। पिछले अनुबंध वर्ष में मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विस द्वारा सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने के बावजूद, कंपनी को फिर से एनआईसीएसआई की वाहन आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (40%) दिया गया। हालांकि, मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विस ने इस कार्य आदेश का भी जवाब नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूरा काम हाइब्रिड फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में उनकी पिछली अक्षमता के बावजूद, अनुबंध का एक बड़ा हिस्सा मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विस को फिर से देने के निर्णय को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। विक्रेता चयन में पारदर्शिता के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दायित्वों को पूरा करने का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले विक्रेताओं को अनुबंध दिए जाएं. इस निर्णय के पीछे के तर्क को समझना आवश्यक है। उपरोक्त बातों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर, एनआईसीएसआई अधिकारियों ने जवाब दिया कि बोली दस्तावेज के अनुसार 60:40 अनुपात मांगा गया था. मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विसेज ने खुली बोली के खिलाफ आवेदन किया था और उन्हें एलआई के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विसेज को अनुबंध दिया गया क्योंकि उन्हें काम के पुरस्कार की तिथि पर ब्लैकलिस्टधडिबार नहीं किया गया था। हालांकि, एनआईसीएस1 के जवाब में यह नहीं बताया गया है कि क्या उन्होंने 14,21,000 रुपये (यानी 12,10,80,000 रुपये का 2%) की अनिवार्य ईपीबीसी राशि एकत्र की है। इसके अलावा,	(उपरोक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि पैरा को हटा दिया जाए)

<table>
<tr><td></td><td></td><td>विक्रेता की विफलता की स्थिति में प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) को भुनाने के कारणों पर स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। मेसर्स इंद्रप्रस्थ सर्विसेज को ब्लैकलिस्ट न करने और उसी विक्रेता को बार–बार निविदा देने के औचित्य सहित एक व्यापक स्पष्टीकरण का अनुरोध किया जाता है।</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>पैरासं. 8

(भाग–II ख)</td><td>128.89 करोड़ रुपये की सीमा तक लंबित आयकर प्राप्तियों और1.20 करोड़ रुपये की बिक्री कर प्राप्तियों का समायोजन न किया जाना। (संदर्भ संख्या:ओबीएस– 1167686))

वित्तीय विवरणों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनियों के लिए उचित लेखांकन प्रक्रियाओं का पालन करना और कर निर्धारण पूरा होने से पहले आयकर प्राप्तियों को आवश्यकतानुसार समायोजित करना आवश्यक है। इसमें कर स्थितियों का मूल्यांकन करना, कर कानूनों में किसी भी बदलाव पर विचार करना और उपलब्ध सबसे वर्तमान जानकारी के आधार पर आयकर प्राप्तियों की अंतिम प्राप्ति का अनुमान लगाना शामिल है। यदि कर निर्धारण पूरा होने से पहले आयकर प्राप्तियों को समायोजित नहीं किया जाता है, तो इससे वित्तीय विवरणों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं और कंपनी की वित्तीय स्थिति का गलत प्रतिनिधित्व हो सकता है। आयकर प्राप्तियों को समायोजित करना वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सबसे सटीक और अद्यतित जानकारी को दर्शाते हैं।

एनआईसीएसआई से संबंधित तीन वर्ष से अधिक पुरानी आयकर वसूली योग्य राशियों की समीक्षा करने पर पाया गया कि वर्ष 2005–06 से 2019–20 तक आयकर/टीडीएस वसूली योग्य राशि के रूप में 1,28,89,18,652/– रुपये लंबित थे। वर्षवार विवरण नीचे संलग्न है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>वसूली योग्य राशि</th></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2005–2006</td><td>13975</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2006–2007</td><td>2198197</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2009–2010</td><td>36630214</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2010–2011</td><td>1959589</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2012–2013</td><td>16327550</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2013–2014</td><td>107526476</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2015–2016</td><td>111765965</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2016–2017</td><td>187155279</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2017–2018</td><td>513944932</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2018–2019</td><td>63920050</td></tr>
<tr><td>वसूली योग्य आय कर 2019–2020</td><td>267242506</td></tr>
</table>
यह देखा गया कि पिछले कई वर्षों से इन शेष राशियों की वसूली में कोई प्रगति नहीं हुई है। नाममात्र के तौर पर इन वसूली योग्य राशियों को संबंधित कर निर्धारणों के अंतिम रूप देने पर समायोजित किया जाना चाहिए था। कर निर्धारण पूरा होने पर इन शेष राशियों को बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।
कृपया कर निर्धारण वर्ष की जानकारी दी जाए, जिस तक आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर कर निर्धारण पूरा किया गया है।
उपरोक्त लंबे समय से लंबित वसूली योग्य राशियों के गैर–समायोजन/गैर–वसूली के कारणों को प्रस्तुत करते समय, कृपया इन शेष राशियों को जारी रखने का औचित्य प्रदान किया जाए।</td><td>आयकर विभाग से रिफंड की प्रतीक्षा है। बकाया आयकर के संबंध में सूचित किया जाता है कि–
(प) वित्त वर्ष2005–06, 2006–07, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2013–14के लिए वसूली योग्य आयकर की राशि के लिए वित्त वर्ष 2018–19में16,46,56,001/– रुपये की आयकर राशि का प्रावधान किया गया था।
(पप) वित्त वर्ष 2015–16के लिए आयकर प्राधिकरण द्वारा11,17,65,965/– रुपये में से5,77,38,394/– रुपये वापस कर दिए गए हैं।
(पपप) कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए दिनांक24.07.2024 का कर निर्धारण आदेश प्राप्त हो गया है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार24.07.2024 रुपये का कर रिफंड प्राप्त हुआ है। एनआईसीएसआई बैंक खाते में40,83,51,888/– रुपए प्राप्त हुए हैं।
उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि ऑडिट टीम द्वारा बताए गए बकाया रिफंड में से1,28,89,18,652/– रुपये (रिफंड ऑर्डर की प्रति और बैंक स्टेटमेंट अनुलग्नक–टी के रूप में संलग्न) में से कुल46,60,88,282/– रुपये की वापसी प्राप्त हुई है।
एनआईसीएसआई संबंधित विभागों से जल्द से जल्द राशि वापस करने का अनुरोध कर रहा है। आयकर विभाग द्वारा बड़ी बकाया राशि वापस किए जाने के कारण, एनआईसीएसआई ने अपने दिनांक 03.03.2023 और 12.12.2023 के पत्रों (अनुलग्नक–यू के रूप में संलग्न प्रति) के माध्यम से मामले को फिर से उठाया है। वित्त वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए क्रमशः 43,65,63,362/– और 36,61,83,957/– रुपये की वापसी।
एनआईसीएसआई का मूल्यांकन निर्धारण वर्ष 2022–23 तक पूरा हो चुका है।
बिक्री कर की बकाया राशि के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एनआईसीएसआई में कार्य अनुबंध पर बिक्री कर/वैट/डीवैट/टीडीएस के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान निम्नानुसार हैं–
वर्ष 2018–19
विवरण – बिक्री कर/वैट/डीवैट 117.70 लाख रुपये। कार्य अनुबंध पर टीडीएस 2.34 लाख रुपये
वर्ष 2019–20 टीडीएस 20,238 रुपये है बिक्री कर/वैट 20,741 रुपये है
(उपर्युक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि पैरा को हटा दिया जाए)</td></tr>
</table>

इसी प्रकार 1997–98 से 2016–17 तक के वर्षों के लिए बिक्री कर/टीडीएस के लिए 1,19,80,886/– रुपये की राशि वसूली योग्य लंबित थी। वर्षवार विवरण नीचे संलग्न हैं।

वर्ष	वसूली योग्य राशि वर्ष
डीवैट रिफंड प्राप्य (2013–14)	52415
वसूली योग्य बिक्री कर 97–98	447500
वसूली योग्य बिक्री कर 98–99	2352225
वसूली योग्य बिक्री कर 99–00	1099926
वसूली योग्य बिक्री कर 2000–2001	839958
वसूली योग्य बिक्री कर 2001–2002	1185581
वसूली योग्य बिक्री कर 2002–2003	2323270
वसूली योग्य बिक्री कर 2003–2004	933474
वसूली योग्य बिक्री कर 2004–2005	1400000
कार्य अनुबंध पर बिक्री कर 8% वसूली योग्य 2001–2002	832211
कार्य अनुबंध पर वसूली योग्य बिक्री कर 2004–2005	829
कार्य अनुबंध पर 4% बिक्री कर वसूली योग्य 2003–04	2804
कार्य अनुबंध पर बिक्री कर 8% वसूली योग्य 2002–03	75606
कार्य अनुबंध पर बिक्री कर वसूली योग्य 2000–2001	7000
कार्य अनुबंध पर बिक्री कर वसूली योग्य 99–2000	1000
वैट इनपुट प्राप्य	172849
कार्य अनुबंध पर टीडीएस 2000–2001	233917
प्राप्य डब्ल्यूसीटी पर टीडीएस (16–17)	20321
कुल	11980886

बताए जाने पर एनआईसीएसआई के उपरोक्त अधिकारी इस बात से सहमत थे कि लंबित आयकरध्टीडीएसधबिक्री करध्वैट राशि लंबे समय से वसूली योग्य है और एनआईसीएसआई ने लंबे समय से बकाया कर रिफंड के लिए वित्त वर्ष 2018–19 से वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अपने खाते में प्रावधान किया है। इसके अलावा, यह बताया गया कि एनआईसीएसआई संबंधित विभाग से जल्द से जल्द राशि वापस करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया में है। बकाया राशि का बड़ा हिस्सा आयकर विभाग को वापस किया जाना है। एनआईसीएसआई ने 06–03–2023 के विभिन्न पत्रों, व्यक्तिगत बैठकों और 24–11–2023 के हलफनामों और 12–12–2023 को भेजे गए हालिया अनुस्मारक (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से फिर से मामले को उठाया है। हाल ही में एनआईसीएसआई अधिकारियों द्वारा रिफंड के लिए आयकर विभाग के साथ बैठक की गई।

एनआईसीएसआई प्रबंधन की प्रतिक्रिया स्थिति को उचित ठहराने में अपर्याप्त प्रतीत होती है, जिससे हर साल प्रावधान बनाने से प्रभावी

		उपचारात्मक समाधान संदर्भ नहीं मिल सकता है। इसलिए, एनआईसीएसआई के लिए आयकर और बिक्री कर प्राप्तियों के समायोजन के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित करना अनिवार्य है। आयकर में 128.89 करोड़ रुपये और बिक्री कर में 1.20 करोड़ रुपये की कुल लंबित राशि की वर्तमान स्थिति वित्तीय विवरणों की सटीकता को चुनौती देती है और कंपनी के वित्तीय विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकती है। निम्नलिखित कार्रवाइयों और सिफारिशों पर विचार किया जा सकता है। एनआईसीएसआई को आयकर विभाग के साथ मिलकर काम करके लंबे समय से लंबित आयकर प्राप्तियों के लिए समायोजन प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। इसमें संबंधित आकलन को अंतिम रूप देना, शेष राशि को बट्टे खाते में डालना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सबसे हालिया वित्तीय वर्ष तक समायोजन किया गया है। आयकर और बिक्री कर प्राप्तियों की नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली स्थापित करें ताकि किसी भी विसंगति की तुरंत पहचान की जा सके। इससे सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने और समय पर समायोजन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। लिखित संचार, व्यक्तिगत बैठकों और इलकनामों के माध्यम से आयकर विभाग और बिक्री कर अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखें, जैसा कि NICSI के अब तक के प्रयासों से पता चलता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण समस्या को हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और रिफंड प्रक्रिया को तेज करता है। आयकर और बिक्री कर समायोजन से संबंधित आंतरिक नीतियों की नियमित समीक्षा करें और उन्हें नवीनतम विनियमों के साथ संरेखित करने के लिए उन्हें अपडेट करें। सुनिश्चित करें कि कंपनी कर कानूनों का अनुपालन करती रहे और लंबित मुद्दों को हल करने में सक्रिय हो। रिफंड अनुरोधों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए आयकर विभाग और बिक्री कर अधिकारियों दोनों के साथ एक संरचित अनुवर्ती तंत्र लागू करें। अनुस्मारक और व्यक्तिगत बैठकों के माध्यम से नियमित अनुवर्ती कार्रवाई मामले को हल करने के लिए एनआईसीएसआई (छ्ष्)की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेगी। सभी की गई कार्रवाइयों, किए गए संवाद और कर अधिकारियों के साथ किए गए समझौतों का व्यापक दस्तावेजीकरण बनाए रखें। यह दस्तावेजीकरण लंबे समय से लंबित प्राप्तियों को सुधारने के लिए एनआईसीएसआई (छ्ष्)के प्रयासों के साक्ष्य के रूप में काम करेगा। बोर्ड और हितधारकों को प्रगति और उठाए गए कदमों के बारे में बताएं। वित्तीय चिंताओं को संबोधित करने में पारदर्शिता विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस स्थिति को वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार के अवसर के रूप में लें। पिछली चुनौतियों से सीखें और भविष्य में इसी तरह के मुद्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपायों को लागू करें। इस संबंध में की गई प्रगति कृपया लेखापरीक्षकों को सूचित की जाए।	

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निपटाए गए आरटीआई मामलों का विवरण	आरटीआई, अपील और सीआईसी मामलों सहित कुल 114 मामले।
2. 31–03–2024 तक लंबित आरटीआई मामलों का विवरण	7 मामले जिनका निपटारा 31.03.2024 के बाद (निर्धारित समय सीमा के भीतर) किया गया।

BOARD OF DIRECTORS

(As on 31-03-2024)

Chairperson	:	Shri Bhuvnesh kumar, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Shri Rajesh Singh, IAS, JS & FA, MeitY
		Shri Sanket Bhondve, IAS, JS, MeitY
		Shri S. K. Marwaha, Scientist G and Group Coordinator, MeitY
		Smt. Sunita Verma , Scientist G and Group Coordinator, MeitY
		Shri V.T.V Ramana, Scientist-G, NIC
		Dr. Susheel Kumar, Scientist-G, NIC
		Dr. Shubhag Chand, Scientist-G, NIC
		Shri Pramod Kumar Singh, Scientist-G, & SIO (Gujarat), NIC
		Ms. Jayanti S., Scientist-G, (Karnataka) NIC
		Dr. Vinay Thakur, MD, NICSI
Company Secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. J.N Mital & Co. Chartered Accountants, J-85, 2nd Floor, Gulati Complex Rajouri Garden, New Delhi-110027
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3,6th Floor, NBCC Tower, 15th Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank Of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi, Canara Bank, Janpath Branch.Axis Bank, Katwaria Sarai Branch, IDFC Frist Bank, Deer Park Branch, IndusInd Bank, Africa Avenue Branch.
Pan No NICSI	:	AAACN2185J
GSTN No NICSI	:	07AAACN2185J1ZE
Website of NICSI	:	www.nicsi.com

BOARD OF DIRECTORS

(As on 30-09-2024)

Chairperson	:	Shri Bhuvnesh Kumar, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Shri Rajesh Singh, IAS, JS & FA, MeitY
		Shri Sanket Bhandve IAS, JS, MeitY
		Shri S. K. Marwaha, Scientist -G and Group Coordinator, MeitY
		Smt. Sunita Verma, Scientist- G and Group Coordinator, MeitY
		Shri Sandeep Kumar Singhal, I.T.S. Scientist- G, NIC
		Dr. Susheel Kumar, Scientist-G, NIC
		Dr. Shubhag Chand, Scientist-G, NIC
		Ms. Jayanti S., Scientist-G, (Karnataka) NIC
		Shri Pramod Kumar Singh, Scientist-G, & SIO (Gujarat), NIC
		Shri V.T.V Ramana, Scientist-G, NIC
		Dr. Rajesh Kumar Mishra, MD, NICSI
Company secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. J.N Mital & Co. Chartered Accountants, J-85, 2nd Floor, Gulati Complex Rajouri Garden, New Delhi-110027
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank Of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi, Canara Bank, Janpath Branch. Axis Bank, Katwaria Sarai Branch, IDFC Frist Bank, Deer Park Branch, IndusInd Bank, Africa Avenue Branch
Pan No NICSI	:	AAACN2185J
GSTN No NICSI	:	07AAACN2185J1ZE
Website of NICSI	:	www.nicsi.com

NOTICE

29th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) that its 29th Annual General Meeting is scheduled to be held on Monday, 07th day of October, 2024, at 04:40 PM at Shorter Notice at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, to carry out the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet, the Income and Expenditure Account and the Statement of Cash Flow of the Company for the year ended 31st March, 2024 as per Ind AS, along with the Material Accounting Policies and Notes to Financial Statements, the Directors' Report along-with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, and

2. To Fix the Remuneration of Statutory Auditors for Financial Year 2024-25 appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Sunny jain)
Company Secretary
(M. No. A31700)

Place: New Delhi
Date 18.09.2024
To,

1. Director General, NIC – Member
2. Ms. Rachna Srivastava – Member
3. Shri R. S. Mani – Member
4. Ms. Alka Misra – Member
5. Shri Rajiv Rathi – Member
6. Shri I.P.S. Sethi - Member

Also:

1. Chairperson, NICSI
2. The Board of Directors of NICSI

And also:

1. M/s J N Mital & Co., Statutory Auditor, NICSI

FORM NO. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to Section 105(6) of the companies Act, 2013 and rule 19 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:	U74899DL1995NPL072045
Name of the company:	National Informatics Centre Services Incorporated
Registered office:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, 15, NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.

Name of the member(s):

Registered address:

E-mail Id: dg@nic.in

Folio No/ Client Id:

DP ID:

I/We, being the member (s) of 199995 Shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:
Address:
E-mail Id:
Signature: , or failing him

2. Name: ....
Address: ....
E-mail Id:...
Signature:

As my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me / us and on my/our behalf at the 29th Annual General Meeting of the company, to be held on Monday, 07th day of October, 2024, at 04:40 PM at Shorter Notice at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 and at any adjournment thereof in respect of such resolution as are indicated below:

Resolution No.

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet, the Income and Expenditure Account and the Statement of Cash Flow of the Company for the year ended 31st March, 2024 as per Ind AS, along with the Material Accounting Policies and Notes to Financial Statements, the Directors' Report along-with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, and

2. To Fix the Remuneration of Statutory Auditors for Financial Year 2024-25 appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013.

Signed this ....

Signature of shareholder

Signature of proxy holder(s)

Affix Re. 1 Revenue Stamp yxk;a

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Twenty Ninth Annual Report on the business and operations of National Informatics Centre Services Incorporated ("the Company") with the Audited Statement of Accounts and the Auditors' Report thereon for the Financial Year ended 31st March 2024.

The Summarized Financial Results for the year ended 31st March 2024, as compared with the previous year 2022-23, are as under:

Financial Highlights

(Rupees in Crore)

S. No.	Description	2023-24	2022-23
(A)	**Income:**		
	Revenue from Operations	2223.60	1604.18
	Other Income	134.60	98.52
	Total (A)	2357.85	1702.71
(B)	Expenses:		
	Purchases of Stock-in-Trade	358.59	190.31
	Services Support Expenses	1537.32	1147.70
	Employees Benefits Expenses	14.31	12.95
	Finance Cost	8.02	9.05
	Depreciation and amortization expenses	83.64	72.93
	Other Expenses	90.05	69.41
	Total (B)	2091.93	1503.35
	Income/(loss) before tax (A) – (B)	265.92	200.36
	Tax expenses	69.10	50.85
	Income/(loss) for the year	196.82	149.78

The revenue from operations has increased by 38.61% in FY 2023-24 in comparison to FY 2022-23. The Income for the FY 2023-24 has increased by 31.41% in comparison to FY 2022-23.

(1) Operating Margin

The Board of Directors in its 121st & 122nd meeting held on 26.03.2022 and 03.06.2022 respectively had approved the revised rates of NICSI's Operating Margin for Projects / Services as under:

Project Value (Amount in Rs.)	Rate of Operating Margin
Up to 50 Crores	9%
More than 50 Crores and upto 100 Crores	7%
More than 100 Crores	5%

(2) Dividend

The Company is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 and as per the provisions of the Section, the Company is prohibited to pay any dividend to its members.

(3) Transfer to reserves

The Company has not transferred any amount to reserves i.e. General Reserve, Capital Reserve, Capital Redemption Reserve etc.

(4) Grading of NICSI By DPE

Financial Year	Grading by DPE as per MoU Composite Score based on Audited Data
2022-23	Good
2022-22	Good
2022-21	Exempted
2022-20	Good
2022-19	Poor
2022-18	Fair
2022-17	Excellent

(5) Ongoing Projects/Activities in F.Y.2023-24

5.1 National Knowledge Network (NKN Project)

Initiated in March, 2010, NKN Project is approved by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) for a period of 10 years at a cost of around Rs.5990 crore. NIC is the Implementing Agency for this project, while NICSI is assisting in procurement and providing IT Support. The Project is to establish high speed data communication network which would inter-connect institutions of higher learning and research to enable creation, acquisition and establishing of knowledge resources amongst them. It would also facilitate collaborative research, countrywide classrooms etc by commissioning links to the institutions connectivity to NIC District Centers, setting up Centers in the States/UTs. MeitY has extended the project for two year i.e. up to March 2022 and further addendum of even number dated 20.04.2020, 30.03.2021, 25.02.2022, 22.03.2023 & 28.02.2024 conveying the approval for extension of project duration upto 31.03.2024. During F.Y.2023-24, NICSI has received Rs.581.70 crore from MeitY for this project, with total fund received till 31.03.2024. NKN Project has been further extended by MeitY by one more year i.e. up to March, 2025.

5.2 Integrated Road Accident Database (iRAD):

Today, "Road Safety" is one of the biggest public health issues throughout the country. Lakhs of lives are lost annually because of fatality due to road accidents. Road Safety is very important for a happy & healthy life, for an individual as well as that of the nation. Today road traffic injuries are one of the leading causes of deaths,

disabilities & hospitalizations with severe socioeconomic costs across the world. Road accidents not only lead to loss of lives & cause immense pain and suffering to the victims, but also adversely affect the GDP of the country. Therefore, it is crucial to develop a deeper understanding of the factors contributing to these accidents in order to implement effective measures for prevention.

MoRTH is working towards various aspects such as driver behavior, safe road infrastructure & vehicle standards, better enforcement of traffic regulations, and the role of technology in accident prevention. MoRTH, along with various related organizations as well as stakeholders has implemented a multi-pronged strategy to address the issue of Road Safety based on 4E's namely - Education, Engineering (both roads & vehicles), Enforcement & Emergency Care.

The MoRTH, along with various related organizations as well as stakeholders (Police, Transport, Road-owning agencies, Health) has implemented a multi-pronged strategy to address the issue of Road Safety to achieve the below objectives:

- On-site accident data collection through mobile based software (by capturing GPS location fro accident site)
- Black-spot (Accident-prone areas) identification
- Improvement of the Black spot (Accident-prone areas)

In this direction, NICSI has designed, developed & implemented a central repository, Integrated Road Accident Database (iRAD) project for collecting, storing, reporting, managing, interpreting, claim processing, and analysis of all road accidents data to enhance road safety in the country. iRAD is currently live in all 36 states/ Uts.

The iRAD (Integrated Road Accident Database) project was initiated in 2020. Subsequently in Jan 2022, development of a new functional module, viz., eDAR (electronic Detailed Accident Report) started as per the directions of the Hon. Delhi High Court & Hon. Supreme Court of India, as notified vide GSR No. 164E dated 25th Feb 2022. The digitized form of Detailed Accident Report (eDAR) is an integrated portal designed and developed as an extension of iRAD application specifically to facilitate the Claims procedure of Road Accidents. The eDetailed Accident Report (eDAR) is developed with the objective of early settlement of victim's claims & to provide timely compensation to the victims of road accidents. The application will also help to curb the filing of false claims.

This functional module, i.e., eDAR has been designed as "Claim Settlement" platform where accident victims may claim compensation from the Insurer. Both these applications have now merged under the name eDAR.

The eDAR procedure includes additional stakeholders into the workflow facilitating real-time data transfer within the stakeholders thereby making the claims processing easier & less time-consuming. The additional stakeholders include - Insurance Companies, State Legal Service Authority (SLSA), Child Welfare Committee (CWC), Metropolitan courts and Motor Accident Claims Tribunal (MACT). The Police module of eDAR is currently live in 5states namely - Delhi, Bihar, Karnataka, Haryana & Tamil Nadu.

A new scheme for the noble cause of the citizens which is- Cashless treatment scheme for road accident victims during golden hour has been launched by MoRTH in association with National Health authority where road accident victim can get the cashless treatment of maximum Rs. 1.5 lakh or upto 7 days (whichever is earlier) in PMJAY impaneled hospital. Police needs to give confirmation for genuineness of Road accident victim through iRAD application to TMS application of NHA. This scheme is currently live in 2 states/ UTs namely - Chandigarh & Assam.

(6) During F.Y. 2023-24, NICSI had received 2355 new projects for implementation from different Ministries/ Departments.

(7) Business Divisions in NICSI

Products Business Division (PBD)
PBD aims to facilitate Productization, Standardization & Promotion of NIC/NICSI software applications at national & international market in South Asean, African, Latin American etc. MEA consent to be obtained for each foreign project. Cost to be flexible as its development is met out of NIC Budget.

Central of Excellence for Data Analytics (CEDA)
Kick starting & fast tracking adoption of advanced analytic /machine learning capabilities by making it locus of expertise & excellence in Data Analytics field. It would provide quality data analytic services to Government Departments at all levels by identifying appropriate tools, technologies, deploying people with right expertise & help in solving complex policy issues.

Cloud Services & Data Centre Business Division
NICSI is implementing Cloud services from NDCs at Shastri Park, Pune & Bhubaneswar. New division has been set up to ensure more efficient & effective management of existing Cloud services & for future.

(8) Highlights for F.Y. 2023-24 compared with activities in F.Y. 2022-23

8.1 Proforma Invoices (PIs) Details

Service Type	F.Y. 2023-24		F.Y. 2022-23	
	Number of PIs issued	Total Amount of PIs (Rs. in Crore)	Number of PIs issued	Total Amount of PIs (Rs. in Crore)
Manpower	8512	2227.15	5142	1404.55
Miscellaneous	3933	1119.35	2696	308.37
Network	8	39.96	13	3.61
Security Audit	299	3.31	190	3.65
Website Development	39	32.19	158	105.58
e-Office	288	85.61	282	81.12
e-Granthalaya	548	2.98	374	3.24
Composite Head	859	1446.11	810	1300.74
Grand Total	**11786**	**4956.66**	**9665**	**3210.86**

8.2 Work Orders (WOs) Details

Service Type	F.Y. 2023-24		F.Y. 2022-23	
	Number of WOs issued	Total Amount WOs (Rs. in Crore)	Number of WOs issued	Total Amount WOs (Rs. in Crore)
Manpower	8514	1407.44	7560	1160.75
Miscellaneous	1407	255.25	708	196.64
Network	26	79.09	77	17.83
Roll Out	11	1.79	0	0
Security Audit	338	14.40	114	1.09
Website Development	172	153.63	135	81.71
e-Office	125	58.17	59	29.91
e-Granthalaya	276	82.49	19	79.72
Composite Head	975	1589.71	669	1082.10
Grand Total	**11844**	**3641.97**	**9341**	**2649.78**

8.3 Segment-wise break-up of new projects received

Item		01.04.2023 to 31.03.2024	01.04.2022 to 31.03.2023
(I)	Hardware items	91	9
(ii)	Manpower	785	666
(iii)	Website / Software Development	157	112
(iv)	Network	123	4
(v)	General Projects (combined of Hardware, Software, Manpower etc.	457	302
(vi)	Other projects (SMS/BAS/e-Mail etc.)	742	915
Total		**2355**	**2008**

8.4 Tenders

Tenders Floated			
(I)	No. of Open Tenders	11	62
(ii)	No. of Limited Tenders	1	-
Total		**12**	**62**

8.5 MoU's / Agreements

Entered into by NICSI with different Departments/Organizations.	94	83

(9) Manpower

As per the manpower profile approved by the government through notification in the Gazette of India dated 03.03.1998, manpower in NICSI will be on temporary rotational deputation basis along with their posts from NIC.

The total staff strength in NICSI from NIC as on 31st March 2024 was 30.

(10) Particulars of Employees

None of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of limits prescribed under rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

(11) Corporate Social Responsibility

NICSI's objective is to promote ICT Solutions and Technology and to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and prohibited to pay any dividend to its members.

The Board in its 99th Meeting held on 26th December, 2016 had constituted the CSR Committee, with the terms of reference as per below:

- To formulate and recommend to the Board, a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by NICSI as per the Companies Act, 2013;
- To review and recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities to be undertaken by the company;
- To monitor the CSR policy of the Company from time to time;
- Any other matter as the CSR Committee may deem appropriate after approval of the Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the CSR Committee.

The quorum for the CSR Committee Meeting shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one third be rounded off as one) or two members, whichever is higher.

The Board in its 128th Meeting held on September 15, 2023 had re-constituted the CSR Committee, comprising the following members:

Sr. No.	Name & Designation	Designation
1	Shri Sanket Bhondve, JS, MeitY	Chairperson
2	Ms. Alka Misra, DDG, NIC*	Member
3	Shri Shubhag Chand, DDG, NIC	Member
4	Shri. V.T.V Ramana, DDG, NIC	Member

*Ms. Alka Misra, DDG, NIC was associated with the company till 30.09.2023.

The 11th meeting and 12th meeting of the CSR Committee was held on 19.12.2023 and 21.02.2024.

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and other provisions, as applicable, the amount to be incurred on CSR activities for F.Y. 2023-24 by NICSI works out to Rs.3.02 Crore.

The Company has made the provision of Rs.3.02 Crore in the accounts for FY 2023-24 towards expenditure of CSR. As per the approval of the CSR Committee and Board of Directors dated 19.12.2023 and 26.12.2023 respectively, NICSI had awarded the amount of Rs.2 Crore to 8 Organisation/NGOs to implement CSR projects/programmes on behalf of NICSI for the FY 2023-24. Further, the remaining amount of Rs. 1.02 Crore has been distributed to 6 Organisation/NGOs to implement CSR projects/programmes on behalf of NICSI for the FY 2023-24 with the approval of the CSR Committee and Board dated 21.02.2024 and 04.03.2024 respectively.

Further, during the financial year 2022-23, the Company could not spend Rs. 2.5 Cr. towards CSR activities. Consequently, the Company created a liability of Rs.2.5 Cr. in the financial statements for the year ended March 31st, 2023 towards expenditure on corporate social responsibility. In FY 2023-24, out of Rs.2.5 Cr., Rs.2.2 Cr. were disbursed to CSR implementing agencies, and Rs.0.3 Cr. was deposited in a fund specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013. However, while taking approval from the Board for the CSR projects for FY 2022-23, inadvertently, it was mentioned as "Other than ongoing projects" instead of "Ongoing Projects" and CSR return was filed with ROC accordingly. NICSI has taken the approval of the Board to change the category of CSR projects to "Ongoing Projects". Accordingly, the Company will inform the same to ROC while filing the financial statement and CSR return for FY 2023-24. Further, for FY 2023-24, NICSI has taken the approval of the Board to change the category of CSR projects to "Ongoing Projects".

(12) Management Committee of Board

The Board of Directors in their 125th meeting held on 13.12.2022 with the approval of the shareholders in its Extra-ordinary General Meeting held on 19.1.2023 has constituted the Management Committee of Board with the following composition:

(a) The Financial Advisor to the Ministry of Electronics and Information Technology;
(b) Such Joint Secretary to the Government of India or officer of equivalent rank in the Ministry of Electronics and Information Technology who is Group Coordinator in charge of the e-Governance Division in the Ministry;
(c) Managing Director
(d) Such other directors not exceeding two, to be nominated by the Chairperson.'

After that, the Chairperson vide its efile note dated 14.2.2023, has nominated the below two directors as per article 90(c) of the Articles of Association:

(i) Shri S. K. Marwaha, Scientist G, MeitY -Member
(ii) Ms Alka Misra, DDG, NIC* -Member

*Ms. Alka Misra, DDG, NIC was associated with the company till 30.09.2023.

In addition to the duties under Articles (128) of the Company's Articles of Association, the Board has delegated the following duties and functions to the Management Committee of Board:-

(a) To review the heads of account and line item figuring in the Company's Delegation of Powers has a corresponding head of account or line item, and to make recommendations in this regard for consideration of the Board.

(b) To recommend to the Board how—

(i) the exercise of delegated powers may be subjected to availability of budgetary provision; and

(ii) arrangements may be instituted to enable incurring of expenditure to meet unforeseen contingencies or emergent situations;

(C) To review the Delegation of Powers and recommend to the Board regarding—

(i) specific and appropriate entries in the Delegation of Powers to cover all such types of expenditure as account for a significant proportion in the Company's expenses; and

(ii) appropriate distinction in the Delegation of Powers between expenses incurred from the Company's own resources and those incurred from project funds;

(d) To review the status of pending legal cases on a quarterly basis; and

(e) To perform such other duties as the Board may assign from time to time.

The 3rd meeting of the Management Committee of Board was held on 07.06.2023.

(13) Corporate Governance

Corporate Governance is an ethically driven business process that is committed to values aimed at enhancing an organization's brand and reputation. This is ensured by taking ethical business decisions and conducting business with a firm commitment to values. At NICSI, it is imperative that our company affairs are managed in a fair and transparent manner. This is vital to gain and retain the trust of our stakeholders.

Number of Board Meetings and General Meetings Convened in Financial Year 2023-24:

Sr. No.	F.Y. 2021-22	Date	Venue
1.	127th Board Meeting	27.06.2023	Conference Room No. 1007, 1st Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
2.	128th Board Meeting	15.09.2023	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
3.	129th Board Meeting	13.12.2023	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
4.	130th Board Meeting	27.03.2024	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
5.	28th Board Meeting	28.12.2023	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

(14) Audit Committee

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute an Audit Committee under Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. However, the Board of Directors in its 99th meeting held on 26th December, 2016, keeping in view of good governance practices, had constituted the Audit Committee in NICSI to review its Financial and Audit matters and ensure that NICSI follows prescribed financial rules and regulations. The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the Audit Committee.

The Audit Committee comprises the following members:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Shri Rajesh Singh, JS&FA, MeitY	Chairperson
2	Shri S. K. Marwaha, Scientist G & Group Coordinator, MeitY	Member
3	Ms. Sunita Verma, Scientist G & Group Coordinator, MeitY	Member
4	Ms. Alka Misra, DDG, NIC*	Member

*Ms. Alka Misra, DDG, NIC associated with the company till 30.09.2023.

During the FY 2023-24, the meetings of Audit Committee were held on 21.08.2023 and 08.12.2023. The Audit Committee in their meeting held on 25.07.2024 has reviewed the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2024 and recommended for submission to the Board of Directors and the Shareholders. The Board of Directors has approved the financial statement in their meeting held on 30.07.2024.

(15) Declaration by Independent Directors

The Company was not required to appoint Independent Directors under Section 149(4) and Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 hence no declaration has been obtained.

(16) Company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute a Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and Stakeholders Relationship Committee under Section 178(5) of the Companies Act, 2013.

(17) Extract of the Annual Return in Form MGT-9

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Extract of Annual Return is placed at Annexure-I.

(18) Material Changes and Commitments affecting financial position between the end of financial year and date of the Board report

There have been no material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of the report.

(19) Change in the nature of business

There is no change in the nature of business of the company.

(20) Annual Accounts for the Financial Year 2023-24 as per Ind AS

Annual Accounts for the Financial Year 2023-24 have been prepared as per Ind AS.

(21) The Conservation of Energy, Technological Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

The information on Conservation of Energy and Technological Absorption is NIL. Foreign Exchange earnings was NIL and outgo of the company during the year was also NIL.

(22) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186 of the Companies Act, 2013

During the year under review, the Company has not advanced any loans/ given guarantees/ made investments.

(23) Related Party Transactions

Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the form AOC-2 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

Related party transactions that were entered into during the financial year were on an arm's length basis and were in the ordinary course of business: NIL

Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis: NA
2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis: NA

(24) Significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

During the year under review there has been no such significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

(25) Subsidiary Company

As on March 31, 2024, the Company does not have any subsidiary.

(26) Auditors

M/s. J. N Mital & Co. (Firm Registration no. 003587N), Chartered Accountants, J-85, 2nd Floor, Gulati Complex, Rajouri Garden, New Delhi – 110027 were appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, to audit the accounts of NICSI for the year ended 31st March 2024.

(27) Directors' Responsibility Statement

Pursuant to the requirement under section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the company hereby state that:

a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable

laws and that such systems were adequate and operating effectively.

(28) Acknowledgement

The Board places on record its gratitude to acknowledge the cooperation, assistance and guidance extended to the Company by Central and State Government Ministries/Departments / Organizations and PSUs etc. including NIC and MeitY. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India and Auditors for their cooperation. The Board expresses its sincere gratitude to the members, bankers and clients for their continued support. The Board also wholeheartedly acknowledges with thanks the dedicated efforts of all the staff and employees of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place: New Delhi

Annexure -I

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31.03.2024

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies(Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

I)	CIN	U74899DL1995NPL072045
II)	Registration Date	29.08.1995
III)	Name of the Company	National Informatics Centre Services Incorporated
Iv)	Category / Sub-Category of the Company	Private Limited Section 25 (Now Section 8 Company) Company under National Informatics Centre, Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.
v)	Address of the Registered office and contact details	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower,15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, Tel.: 91-11-26105054, 26105193
vI)	Whether listed company Yes / No	No
vII)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Nil

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:

Sr. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/Service	% to total turnover of the company
1	Sales of Traded Goods	—	15.26
2	Service and other Income	—	84.74

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/SUBSUDUARY/ ASSOCIATES	% of shares held	Applicable Section
1	Nil				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(I) **Category-wise Share Holding**

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Dema	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters (1) Indian a) Individual/HUF b) Central Govt c) State Govt (s) d) Bodies Corp. e) Banks / FI f) Any Other.... Sub-total (A) (1)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
(2) Foreign a) NRIs -Individuals b) Other Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other.... Sub-total (A) (2)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
B.Public Shareholding 1.Institutions a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs	Not Applicable								

h) Foreign Venture Capital Funds i) Others (specify) Sub-total (B)(1) 2 .Non-Institutions a) Bodies Corp. I) Indian ii) Overseas b) Individuals I) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others(specify) Sub-total (B)(2)	Not Applicable								
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	Not Applicable								
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Not Applicable								
Grand Total (A+B+C)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	% Changein share holding during the year
1	President of India through NIC	200000	100	NIL	200000	100	NIL	NIL
	Total	200000	100	NIL	200000	100	NIL	NIL

(iii) Change in Promoters' Shareholding:

Sr.No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during theyear	
1		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
2	At the beginning ofthe year	Not Applicable			
3	Date wise Increase /Decrease in Promoters Share holding during the year specifying there as on for increase /decrease (e.g. allotment /transfer /bonus/ sweat equity etc):				
4	At the End of the year				

*One Share held by Shri Sunil Kumar, ex-DDG, NIC as a nominee was transferred to Shri I.P.S. Sethi, DDG, NIC on 27.03.2024

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr.No.		Shareholding at the beginning ofthe year		Cumulative Shareholding during theyear	
	For Each ofthe Top 10 Shareholders	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning ofthe year	Not Applicable			
	Date wise Increase / Decrease inShare holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year (or onthe date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr.No.		Shareholding at the beginning ofthe year		Cumulative Shareholding during theyear	
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning ofthe year	NIL			
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment /transfer /bonus/sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of ASQ the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	Not Applicable			
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year Addition Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

NICSI is promoted by Government of India through National Informatics Centre (NIC), as a Private Limited Section 25 Company (Now Section 8 Company). As per Article 59(i) of the Articles of Association of the company, the Managing Director shall be appointed by the Director General, NIC on behalf of the President of India by deputing suitable officer of NIC.

Sr.No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager	Total Amount (in Rs.)
		Dr. Vinay Thakur	
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 © Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-Tax Act, 1961	50.34 Lakh	50.34 Lakh
2	Stock Option	Not Applicable	
3	Sweat Equity		
4	Commission - as % of profit - others, specify...		
5	Others, please specify Total (A) Ceiling as per the Act		

B. Remuneration to other directors

Sr.No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	TotalAmount
		-------	-------
1	Independent Directors Fee for attending board / committee meetings Commission Others, please specify	Not Applicable	
	Total (1)		
2	Other Non-Executive Directors Fee for attending board / committee Meetings Commission Others, please specify		
	Total (2)		
	Total (B)=(1+2)		
	Total Managerial Remuneration		
	Overall Ceiling as per the Act		

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sr.No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel Company Secretary	
		Shri Sunny Jain	Total
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	19.38 Lakh	19.38 Lakh
2	Stock Option	Not Applicable	
3	Sweat Equity		
4	Commission - as % of profit - others, specify...		
5	Others, please specify		

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
Penalty	NIL				
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NIL				
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place: New Delhi

ANNUAL REPORT ON CSR

1. Brief outline on CSR Policy of the Company. To spend on the CSR activities as per the provisions of the Companies Act, 2013 including Rules made there under.

2. Composition of CSR Committee:

Sr. No.	Name of Director	Designation/Nature of Directorship	Number of Meeting of CSR Committee held during the year	Number of Meeting of CSR Committee attended during the year
1	Shri Sanket Bhondve, JS, MeitY	Chairperson	2	2
2	Ms. Alka Misra, DDG, NIC*	Member	2	0*
3	Shri Shubhag Chand, DDG, NIC	Member	2	2
4	Shri. V.T.V Ramana, DDG, NIC	Member	2	2

*Ms. Alka Misra, DDG, NIC was associated with the company till 30.09.2023.

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company. **http://nicsi.com/**
4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report). Not Applicable
5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Sr. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
1			
2			
3			
	Total		

6. Average net profit of the company as per section 135(5): Rs.132 (Rs. In Crore)
7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5): Rs.3.02 (Rs. In Crore)
(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years. NIL
(c) Amount required to be set off for the financial year, if any. NIL
(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c). Rs. 3.02 (Rs. In Crore)
8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.) (In Cr.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135 (6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135 (5).		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
1.46*	NA	NA	NA	NA	NA

*NICSI has paid the balance of Rs.1.56 cr. as advance to implementing agencies against ongoing projects. The fund will be utilized by implementing agencies in the next financial year. Since the project will continue in the next financial year also.

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11	
Sr.N	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No)	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Rs.).	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation - Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration number.
1	Development of improved prototype and pilot of low-cost wearable smart device providing disease prediction based on assessment of core body temperature	(I)	No	Uttar Pradesh			2500000	2025000	Advance release to the implementing Agency	No	Foundation for Innovation and Research in Science and Technology	CSR 000 0 370 6

2	Multiple Project	(I)	No	Haridwar and Udam Singh Nagar (UK)		2500000	1519310	Advance release to the implementing Agency	No	Rural Education & Welfare Society	CSR00020991
3	A Vibrant Community Programme for Women's Health and Nutrition Through Educational Awareness, Multimedia and Capacity Building	(I)	No	District Kutch (Gujarat)		2500000	1285891	Advance release to the implementing Agency	No	Lokvani - Center Development Communciation unciation	CSR00003058
4	Adolescent Peer for Enhancement of Skill and Healthy Association	(I)	No	Fatehgar		2500000	1049913	Advance release to the implementing Agency	No	Yug Sanskrit Nyas	CSR0006404
5	Reproductive and Child Health Care	(I)	No	Rampur and Aligarh (UP)		2500000	1266313	Advance release to the implementing Agency	No	Women work & Health initia	CSR0033087

6	This comprehensive initiative by Gramya Prava will contribute to the betterment of the Penthakata slum community, improving their overall health, nutrition, and socio-economic prospects	(I)	No	District Puri State-Odisha,		1700000	NIL	Advance release to the implementing Agency	No	Gramya Prava	CSR00000678
7	To establish a state-of-the-art Computer Lab	(I)	No	Dist.-Ahmednagar, State-Maharashtra		1700000	NIL	Advance release to the implementing Agency	No	Greenworld Foundation	CSR00032257
8	To Build a state-of-the-art skill development centre (building/furniture) for persons with Intellectual Disabilities (PwIDs)	(I)	No	Ujjain (MP)		1700000	NIL	Advance release to the implementing Agency	No	Nagda Zenith Social Welfare Society	CSR00008835

9	Extension of Medical Service Centre	(I)	No	Anand Nagar, Bohri, Jammu		1700000	NIL	Advance release to the implementing Agency	No	Sanjeevani Sharda Kendra	CSR00041790
10	Providing primary medical healthcare facilities operational	(I)	No	Chamba (Himachal Pradesh)		1700000	NIL	Advance release to the implementing Agency	No	Paryas	CSR00001812
11	MIYCHN - Maternal Infant Young Children Health & Nutrition	(I)	No	Shravasti (UP)		1700000	NIL	Advance release to the implementing Agency	No	Sant Ravidass Educational Society	CSR00023870
	Total					22700000	7146427				

(C) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sr.No	Name of the Project	Item from the list of activities in schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No).	Location of the project.		Amount spent for the project (in Rs.).	Mode of implementation - Direct (Yes/No).	Mode of implementation - Through implementing agency.	
				State.	District.			Name.	CSR registration number
1	Menstrual hygiene and basic sanitation	(I)	No	Narmda District, Gujarat		2500000	No	Gram Vikas Trust	CSR00000175
2	MIYCHN - Maternal Infant Young Children Health & Nutrition	(I)	No	Balrampur (UP)		2500000	No	Sant Ravidass Educational	CSR00023870

3	Health, Nutrition and Supportive Devices to the people with disabilities and senior citizens	(I)	No	Bahraich (UP)	2500000	No	Viklang Sahara Samiti Delhi	CSR 00000105
	Total				7500000			

(d) Amount spent in Administrative Overheads : NIL

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : NA

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): Rs. 1,46,46,427/-

(g) Excess amount for set off, if any. NA

Sr.No	Particular	Amount (in Rs.)
(I)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	
(II)	Total amount spent for the Financial Year	
(III)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(I)]	
(Iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sr.No	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.) (In Cr.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.) (In Cr.)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
1	FY 2022-23	2.50	2.50	NIL	NIL	NIL	NIL
2	FY 2021-22	1.12	NA	NIL	NIL	NIL	NIL
3							
	Total	3.62	2.50				

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sr.	Project ID.	Name of the Project.	Financial Year in which the project was commenced	Project duration	Total amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs)	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)	Status of the project - Completed /Ongoing.
1		Menstrual Hygiene Management (For the women by the women)	2022-23		5000000	5000000	5000000	Completed
2		Health rehabilitation/therapy and distribution of aids & Health and assistive devices for disabled & elderly people	2022-23		5000000	5000000	5000000	Completed
3		Promotion of Health & Nutrient through millets blending diets.	2022-23		5000000	5000000	5000000	Completed
4		Upskilling Youth in Healthcare by Training to enhance their employment avenues	2022-23		3500000	3500000	3500000	Completed
5		Deployment of Indigenous Technologies in healthcare of Women and Child Health	2022-23		3500000	3500000	3500000	Completed
	Total				22000000	22000000	22000000	

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year: NA
(asset-wise details).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).
(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.
(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.
(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).

Out of total CSR expenditure of Rs. 3.02cr, Rs. 1.46cr were spend during the FY 2023-24 and the balance Rs.1.56 cr. as advance to implementing agencies against ongoing projects. The fund will be utilized by implementing agencies in the next financial year. Since the project will continue in the next financial year also.

Sd/- (Managing Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).

Form No. MGT-8

[Pursuant to section 92(2) of the Companies Act, 2013 and rule 11(2) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CERTIFICATE BY A COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

I have examined the registers, records and books and papers of **NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED,** a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 having CIN: U74899DL1995NPL072045 and registered office at Hall No 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066, India ("the Company") as required to be maintained under the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder for the financial year ended on March 31, 2024. In my opinion and to the best of my information and according to the examinations carried out by me and explanations furnished to me by the company, its officers and agents, I certify that:

A. The Annual Return states the facts as at the close of the aforesaid financial year correctly and adequately.

B. During the aforesaid financial year the Company has complied with provisions of the Act & Rules made there under in respect of:

1. Its status under the Act;
2. Maintenance of registers/records & making entries therein within the time prescribed therefor;
3. Filing of forms and returns as stated in the annual return, with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, the Tribunal, Court or other authorities within/beyond the prescribed time.
4. Calling/ convening/ holding meetings of Board of Directors as on 27-06-2023, 15-09-2023, 13-12-2023 & 27-03-2024 and its committees Meetings as on 19-12-2023 & 21-02-2024 for Corporate Social Responsibility (CSR) Committee, 20-06-2023, 21-08-2023 & 08-12-2023 for Audit Committee and 07-06 2023 for Management Committee of the Board and the meetings of the members of the company as on 28-12-2023 (Annual General Meeting) on due dates as stated in the annual return in respect of which meetings, proper notices were given and the proceedings including the circular resolutions and resolutions passed by postal ballot, if any, have been properly recorded in the Minute Book/registers maintained for the purpose and the same have been signed;
5. The Company was not required to close its Register of Members, during the financial year under review.
6. There was no Advance/ loan to Directors and /or persons or firm or Companies referred in Section 185 of the Act,
7. There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review;
8. There were no event of issue or allotment or transmission or buy back of securities/ redemption of preference shares or debentures/ alteration or reduction of share capital/ conversion of shares/ securities and issue of security certificates in all instances during the financial year ended as on 31st March, 2024.
9. Keeping in abeyance the rights to dividend, rights shares and bonus shares pending registration of transfer of shares in compliance with the provisions of the Act. There was no such activity during the Financial Year 2023-24;
10. Declaration/ payment of dividend; transfer of unpaid/ unclaimed dividend/other amounts as applicable to the Investor Education and Protection Fund in accordance with section 125 of the Act. Not Applicable as Declaration/Payment of Dividend is prohibited under Section 8 (1)(C) of the Act.

11. Signing of audited financial statement as per the provisions of section 134 of the Act and report of directors is as per sub - sections (3), (4) and (5) thereof;
12. The Company has complied with the provision of the Companies Act, 2013 with regard to appointment & cessation of Directors and remuneration paid to Directors & Key Managerial Personnel during the financial year;
- Shri Rajiv Rathi, Smt. Alka Misra and Smt. Suchitra Pyrelal have retired from Directorship on 30-09-2023.
- Shri Sanket Bhondve was appointed as Director on 23-08-2023 and Shri Sushil Pal has retired from Directorship on 23-08-2023.
- Smt. Jayanthi Srinivasan & Shri Susheel Kumar were appointed as Director on 01-10-2023.
- Shri Bhuvnesh Kumar was appointed as Director (Chairperson) on 17-07-2023 and Shri Amit Agrawal has retired from Directorship on 17-07-2023.
13. Appointment of auditor as per the provisions of the Companies Act, 2013. M/s. J.N. Mital & Co. (DE1010), Chartered Accountants, was appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, for the year ended 31st March 2024.
14. No approvals was required to be taken from the Central Government, Tribunal, Regional Director, Registrar, Court or such other authorities under the various provisions of the Act;
15. The Company had not accepted /renewed / repayment of deposits during the Financial Year 2023-24 as per the provisions of the Companies Act, 2013.
16. The Company has not taken the Borrowings from its directors, members, public financial institutions, banks and others during the financial year under review.
17. The Company has not made any Loans and investments or guarantees given or providing of securities to other bodies corporate or persons falling under the provisions of section 186 of the Act;
18. The Company has not altered the provisions of Memorandum and/or Articles of Association during the financial year under review;

Place: New Delhi
Date: 19.11.2024

for AGRAWAL MANISH KUMAR & CO
COMPANY SECRETARIES

Sd/-
MANISH KUMAR AGRAWAL
(Proprietor)
C.P. NO. 7057
Membership No: F-9528
UDIN: F009528F002315691

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED (NICSI)

Replies to the Draft Statutory Auditor Observation from M/s. J.N Mital & Co. Chartered Accountants on the Accounts of NICSI for F.Y. 2023-24.

AUDIT OBSERVATION	NICSI REPLY
1.Basis for Qualified Opinion	
I. We draw attention to the following notes to the financial statements. These balances are subject to reconciliation and confirmation. Pending such conformation and reconciliation, we are not in a position to ascertain and comment on the correctness of the outstanding balances and resultant impact of the same on financial statements.	Balance Confirmation Letters have been issued towards the balances as on 31.03.2024 to around 50 Departments. It is regular feature that such letters are issued to the Departments / Organisations etc. but very negligible response is received against the same. Most of our users are Government or Semi Government Department. However NICSI has automated in its ERP system for the balance confirmation so that reconciliation and confirmation can be done. A Debtor Recovery Cell (DRC) has been created under NICSI. Further, during the financial year 2023-24, 484 letters has been sent by DRC for Balance confirmation. 14 departments have been responded to our letter for seeking further information. It is assured that more rigorous follow-up will be made for balance confirmation in the Next Financial Year.

Description	Note No.	Balance as on March 2024 (Rs. in Lakhs)
Other financial assets (Security Deposit)	Note-7	1,366.10
Other non-current assets" (Capital & other advance)	Note-9	12,774.42
Trade receivables	Note-10	42,095.51
Other current assets" (Advance to suppliers)	Note-15	29,011.05
Other financial liabilities (Security deposits payable)	Note-18	64.76
Trade Payable	Note-19	45,206.02

<table>
<tr><td>Other financial liabilities" (Ernest money deposit & retention money deposit)</td><td>Note-20</td><td>861.09</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Other current liabilities" (advance from customers)</td><td>Note-21</td><td>2,63,566.22</td></tr>
<tr><td colspan="3">ii. Refer Note 37. "Contingent Liabilities". Instead of recognizing interest expense & interest liability in respect of MSME trade payables, the company has disclosed interest liability in respect of MSME trade payable as a contingent liability. This has resulted in overstatement of income by Rs.762.26 Lakhs & understatement of Trade payables by Rs.762.26 Lakhs.</td><td>Interest under MSME is calculated for those vendors who have submitted the MSME Certificates, and disclosed as Contingent liability under the Note no. 37 of Financial Statement.

As per process the interest will be recoverable from user Department if interest is payable due to non-availability of funds under project. The same is also disclosed in Closing Statement and Performa Invoice Issued to User Department.

However Interest under MSME will be paid as & when any demand will be raised by the vendors; However, no demand is pending under MSME Act.

Accordingly the Interest Liability under MSME have been disclosed under the Contingent Liability.</td></tr>
<tr><td colspan="3">iii. Refer Note No 10 "Trade Receivables". As per the requirements of Division II of Schedule III of the Companies Act, 2013, the ageing should be disclosed for the categories: less than 6 months, 6 months - 1 year, 1 - 2 years, 2 - 3 years, and more than 3 years, with the due date of payment taken as the base date. Since ERP accounting software of the company do not generates ageing details, therefore the Company has disclosed ageing of trade receivables using a yearly incremental balance approach.

Further, Company has recognized Rs. 11620 lakhs as provision for doubtful debts. Accounting policy of the company for provision for doubtful debts is given in Note 2 (xvi) states that a "Provision towards Doubtful Debts is recognized considering 100% for the period of more than 10 years, 50% between 5-10 years & 25% between 3-5 years as at the Balance sheet date".</td><td>Currently, ageing of trade receivables being maintained manually on FIFO basis and same is followed previous years also. The provision on doubtful debts has been provided in the Financial Statement accordingly and disclosed in Note 10 "Trade Receivables" of Financial Statement.

However, NICSI is in the process to upgrade its existing support for ERP and will update the ageing should as suggested by the Auditor and provision will be made accordingly</td></tr>
</table>

As per accounting policy, provisioning period of 10 year, 5-10 years and 3-5 years should be seen from the due date of payment of invoice. Since ERP accounting software of the company does not generate ageing details, therefore, company has used yearly incremental balance approach for calculating provision of Rs. 11620 Lakhs. In view of non-availability of invoice wise ageing of the trade receivables, we unable to ascertain and comment on the correctness of the ageing disclosed & provisioning amount of Rs. 11620 lakhs.	
2. Emphasis of Matter	
I. Refer note no 55 "Expenditure on corporate social responsibility". The company has disclosed that in the financial year 2022-23, while obtaining Board approval for CSR expenditure, it inadvertently did not categorize CSR projects of Rs. 220 Lakhs as "ongoing projects". Additionally, the company filed CSR 2 for FY 2022-23, considering these projects as "other than ongoing projects." In its board meeting held on 30.07.2024, the company's Board ratified this error by reclassifying the "other than ongoing projects" category to "ongoing projects."	The necessary approval from Board has been taken in the meeting held on 30.07.2024 & 07.10.2024. The necessary ROC filing will be completed in due course accordingly.
ii. The company is required to review its accounting policies in respect of revenue recognition given in note 2(vii) & in respect of amortization of computer software and server given in note 2(iv).	Accounting policies are reviewed by the company every year and changes in the same will be incorporated in financial statement. Policies in respect of revenue recognition, amortization of computer software and server will be made / update in current financial year i.e. 2024-25.
3. Other Matter	
I. The company does not have an appropriate internal control system for ensuring recording of revenue in respect of direct services/managed services. Currently, revenue from these services is recorded at the time the invoice is generated. An invoice is produced only after the project coordinator confirms that the service has been delivered and instructs the billing division to issue the invoice. This method results in a time lag between when the service is actually provided and when the revenue is recorded, as revenue recognition occurs based on the invoice generation rather than the actual performance of the service. This could potentially result in impaired financial reporting.	As suggested by Statutory Auditor NICSI will strengthen Internal Control in respect of recording of revenue of direct services/managed services for the current financial year 2024-25.

ii. The Company does not have an appropriate internal control system for reconciliation & confirmations of Trade Receivables, Trade Payables, Advance from customer, Ernest Money Deposit, Retention Money, Security deposits, Advances to Suppliers, which could potentially result in some changes in the financial statements. The cases identified by us have been appropriately qualified at various places in our report.	NICSI had completely adopted the ERP Software w.e.f 01.07.2017 towards Accounts and other related fields. NICSI have an appropriate internal control system for reconciliation & confirmations of Trade Receivables. However, as per auditor suggestion NICSI is extending their reconciliation & confirmation process, in respect of Trade Payables, Advance from customer, Ernest Money Deposit, Retention Money, Security deposits, Advances to Suppliers in the financial year 2024-25.
iii. The Company does not have an appropriate internal control system for the ageing of trade receivables. Currently, ageing is being done manually in Excel, which may lead to potential inaccuracies and inefficiencies. Consequently, potentially result in impaired financial reporting. The cases identified by us have been appropriately qualified at various places in our report.	NICSI is in the process to upgrade its existing support for ERP and will update the ageing should as suggested by the Auditor

National Informatics Centre Services Inc
(A Government of India Enterprise under Section 8 of the Companies Act, 2013)
CIN: U74899DL1995NPL072045
Balance Sheet as at March 31, 2024

` in Lakh

Particulars	Note No.	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
ASSETS			
Non-current assets			
Property, Plant and Equipment	3	4,451.39	3,878.61
Capital work-in-progress	4	553.00	8,297.21
Right of use assets	5	13,585.91	15,710.57
Other Intangible assets	6	6,105.20	5,329.49
Financial assets:			
Others Financial Assets	7	1,366.10	1,262.36
Deffered Tax Assets (Net)	8	5,555.82	4,060.91
Other non-current assets	9	12,774.42	1,597.34
Total Non-current assets		**44,391.84**	**40,136.49**
Current assets			
Financial assets:			
(a) Trade receivables	10	42,095.51	46,561.48
(b) Cash and cash equivalents	11	105,381.14	76,321.22
(c) Bank balances other than '(b)' above	12	158,807.90	135,651.57
(d) Others Financial Assets	13	5,946.41	4,623.05
Current Tax Assets (Net)	14	18,400.99	19,539.09
Other current assets	15	64,145.06	34,304.50
Total Current assets		**394,777.01**	**317,000.91**
Total Assets		**439,168.85**	**357,137.40**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Equity Share capital	16	200.00	200.00
Other Equity	17	108,736.46	89,054.51
Total Equity		**108,936.46**	**89,254.51**
Liabilities			
Non-current liabilities			
Financial Liabilities			
(a) Lease Liablity	35	15,676.19	17,301.84
(b) Other financial liabilities	18	64.76	64.76
Total Non-current liabilities		**15,740.95**	**17,366.61**

Current liabilities			
Financial liabilities:			
(a) Lease Liablity	35	1,738.04	1,597.79
(b) Trade payables	19		
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		3,959.78	6,847.30
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		41,246.24	41,289.99
(c) Other financial liabilities	20	1,315.64	1,426.72
Other current liabilities	21	265,662.60	199,326.51
Provisions	22	569.14	27.97
Total Current liabilities		**314,491.44**	**250,516.28**
Total Equity and Liabilities		**439,168.85**	**357,137.40**

Material accounting policies **2**

The accompanying notes (1 - 62) are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **J N Mital & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

For and on behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Manoj Valodi
Partner
Membership No. 560392
UDIN No. 24560392BKMDNU1578

Sd/-
Dr. Rajesh Kumar Mishra
Managing Director
DIN: 10680009

Sd/-
Sh. Bhuvnesh Kumar
Chairperson
DIN: 02780311

Place: New Delhi
Date: 30.07.2024

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Sh. Jitendra Kumar
FA&CA

National Informatics Centre Services Inc
(A Government of India Enterprise under Section 8 of the Companies Act, 2013)
CIN: U74899DL1995NPL072045

Income and Expenditure Account for the year ended March 31, 2024

` in Lakh

Sl. No.	Particulars	Note No	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
	INCOME			
I	Revenue From Operations	23	222,359.96	160,418.10
II	Other Income	24	13,425.56	9,852.98
III	**Total Income (I+II)**		**235,785.52**	**170,271.08**
IV	**EXPENSES**			
	Purchases of Stock-in-Trade	25	35,858.93	19,030.09
	Services Support Expenses		153,731.60	114,770.31
	Employee benefits expenses	26	1,431.22	1,295.16
	Finance Cost	27	802.36	905.33
	Depreciation and amortization expenses	28	8,363.94	7,292.90
	Other expenses	29	9,005.71	6,941.25
	Total Expenses (IV)		**209,193.76**	**150,235.04**
V	**Income/(loss) before tax (III-IV)**		**26,591.76**	**20,036.04**
VI	**Tax expense:**		**6,909.81**	**5,058.64**
	(1) Current tax		8,364.77	5,525.80
	(2) Deferred tax		(1,494.91)	(482.28)
	(3) Tax for Earlier Years adjusted/(Written back)		39.95	15.12
VII	**Income/ (Loss) for the year from continuing operations (V-VI)**		**19,681.95**	**14,977.40**
IX	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Income/ (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)		**19,681.95**	**14,977.40**
X	**Earnings per equity share (Nominal value per share Rs.100):**			
	(1) Basic	30	9,840.96	7,488.70
	(2) Diluted	30	9,840.96	7,488.70

Material accounting policies 2

The accompanying notes (1 - 62) are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **J N Mital & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

For and on behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Manoj Valodi
Partner
Membership No. 560392
UDIN No. 24560392BKMDNU1578

Sd/-
Dr. Rajesh Kumar Mishra
Managing Director
DIN: 10680009

Sd/-
Sh. Bhuvnesh Kumar
Chairperson
DIN: 02780311

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Sh. Jitendra Kumar
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 30.07.2024

National Informatics Centre Services Inc
(A Government of India Enterprise under Section 8 of the Companies Act, 2013)
CIN: U74899DL1995NPL072045
Statement of changes in equity for the year ended 31 March 2024

A. Equity share capital for issued, subscribed and paid up equity share of Re. 100/- each

` in Lakh

Particulars	Note	Amount
As at March 31 2022	16	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2023	16	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2024	16	200.00

B. Other equity (Refer note 17)

` in Lakh

Particulars	Reserves and Surplus Retained earnings	Total other equity
As at March 31 2022	73,986.10	73,986.10
Prior Period Income (Manpower)		-
Prior priod impact of Net Increase on Other Equity (Reserve & Surplus) (Refer Note No. 36)	91.01	91.01
Surplus/(Deficiency) for the year	14,977.40	14,977.40
As at March 31 2023	89,054.51	89,054.51
Surplus/(Deficiency) for the year	19,681.95	19,681.95
Total Surplus for the year	19,681.95	19,681.95
As at March 31 2024	108,736.46	108,736.46

As per our report of even date
For **J N Mital & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

For and on behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Manoj Valodi
Partner
Membership No. 560392
UDIN No. 24560392BKMDNU1578

Sd/-
Dr. Rajesh Kumar Mishra
Managing Director
DIN: 10680009

Sd/-
Sh. Bhuvnesh Kumar
Chairperson
DIN: 02780311

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Sh. Jitendra Kumar
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 30.07.2024

National Informatics Centre Services Inc
(A Government of India Enterprise under Section 8 of the Companies Act, 2013)
CIN: U74899DL1995NPL072045
Statement of Cash Flow for the year ended March 31, 2024

` in Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
Cash Flow from Operating Activities		
Surplus /(Deficit) before tax and extraordinary items	**26,591.76**	**20,036.04**
Adjustments for:		
Depreciation and amortization Expenses	8,363.94	7,292.90
Provision for doubtful debts	1,136.50	1,233.75
Reversal of Stamp Duty Provision	-	(46.55)
Provision for Corporate Social Responsibilities Expenses	155.56	-
Provision for Interest and Penalty on LF & SUC Charges	413.59	-
Profit/(Loss) on sale of Property Plant & Equipment	(0.56)	(1.05)
Finance Income (On Security Deposit)	(92.50)	(83.61)
Finance Cost	802.36	905.33
Interest income	(12,331.27)	(8,317.89)
Provision/(Recoverable) against Advances	94.98	37.66
Operating Surplus /(Deficit) before Working Capital changes	**25,134.35**	**21,056.57**
Adjustments for :		
(Increase) /Decrease in trade receivables	3,329.47	(13,366.08)
(Increase) /Decrease in loans and advances and other assets	(33,747.27)	(6,154.95)
Increase/(Decrease) in trade payable & other liabilities	63,265.77	8,783.31
Cash Generated from Operations	**57,982.33**	**10,318.85**
Income tax Paid	(6,869.86)	(5,043.52)
Income tax for Previous Years	(39.95)	(15.12)
Net Cash inflow/(outflow) from Operating activities (A)	**51,072.52**	**5,260.21**
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of fixed assets	(6,924.80)	(5,262.74)
Investment in FDR	(23,156.33)	(20,891.96)
Sale of fixed assets	0.85	1.27
Interest received	11,007.91	6,812.48
Net Cash inflow/(outflow) from Investing activities (B)	**(19,072.37)**	**(19,340.95)**
Cash Flow from Financing Activities		
Interest paid	(802.36)	(905.33)
Payment of Principal portion of lease Liablity	(2,137.84)	(1,831.77)
Net Cash inflow/(outflow) from Financing activities (C)	**(2,940.21)**	**(2,737.10)**
Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**29,059.94**	**(16,817.84)**
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	**76,321.22**	**93,139.05**
Cash and Cash Equivalents at the closing of the year	**105,381.14**	**76,321.22**

Notes

1) The above statement of cash flow has been prepared in the indirect method as said out in the Ind As -7," Satement of Cash Flows".

2) Cash and Bank Balances at the end of the year consist of Cash and Balances with Banks. The detail of these is as follows:

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Cash and Cash Equivalents		
Balances with Banks	70,353.42	75,003.57
Imprest Account	2.00	0.14
Other Bank Balances		
Fixed Deposits	35,025.72	1,317.51
	105,381.14	**76,321.22**

3) The above Statement of Cash Fow includes Rs. 302.00/- Lakhs (PY Rs. 250.00/- Lakhs) towards CSR activities. Refer note no. 55.

For **J N Mital & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

For and on behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Manoj Valodi
Partner
Membership No. 560392
UDIN No. 24560392BKMDNU1578

Sd/-
Dr. Rajesh Kumar Mishra
Managing Director
DIN: 10680009

Sd/-
Sh. Bhuvnesh Kumar
Chairperson
DIN: 02780311

Place: New Delhi
Date: 30.07.2024

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Sh. Jitendra Kumar
FA&CA

Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2024

1. **Corporate Information**

National Informatics Centre Services Inc. ('The Corporation') was incorporated on August 29, 1995 under Section-25 of the Companies Act, 1956 (Now section 8 of Companies Act, 2013) under National Informatics Centre ('NIC'), Ministry of Electronics And Information Technology, Government of India. The Corporation is engaged to provide Total IT Solutions to the Government Ministries/Departments/Organizations.

The Financial Statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated 30.07.2024

2. Material Accounting Policies

Basis of Preparation of Financial Statements

i. The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Accounting standards (herein after refer to 'Ind AS') as notified by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments).

The financial statements have been prepared on going concern basis in accordance with accounting principles generally accepted in India. The financial statements are presented in Indian Rupees (INR), which is also the Company's functional currency. All amounts disclosed in the financial statements and notes have been rounded off to the nearest to lalch rupees as per the requirement of Schedule III, unless otherwise stated. Rounding of errors have been ignored.

ii. Current Vs Non-Current Classification of Assets & Liabilities:

An Asset is treated as Current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;
- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within 12 months after the reporting period;
- Cash or Cash Equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

A Liability is treated as Current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;
- It is due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as Non-Current.

Deferred Tax Assets & Liabilities are classified as Non-Current Assets & Liabilities.

The Operating Cycle is the time between the acquisition of assets for processing & their realization in cash & cash equivalents. The Corporation has identified 12 months as its operating cycle.

iii. Property Plant & Equipment (PPE) & Depreciation

(a) Recognition and initial measurement

Property, plant and equipment are stated at their cost of acquisition. On transition to Ind-AS, the company had elected to measure all of its property, plant and equipment at the previous GAAP carrying value (deemed cost)

The cost comprises of purchase price, borrowing cost, if capitalization criteria are met and directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for the intended use. Any trade discount and rebate are deducted in arriving at the purchase price. Subsequent cost is included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the items will flow to the company. When significant parts of plant and machinery are required to be replaced at intervals, the company depreciates them separately based on their useful lives. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the plant and equipment are replacement if the recognition criteria is satisfied. All other repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit or loss as incurred.

(b) Subsequent measurement (depreciation and useful life)

Depreciation on the items of PPF has been provided on the Written Down Value Method & at the rates as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Corporation has determined the useful life of all the items of PPE in alignment with Schedule II of the Companies Act, 2013.

The residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed at the end of each financial year.

(C) Derecognition

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the asset is derecognised. The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Gains or losses arising from de-recognition of Property, plant and equipment are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit and loss when the asset is derecognized.

iv. Intangible Assets and Amortization

The intangible assets have been initially measured at costs. The intangibles assets have been subsequently measured at costs less accumulated amortization & accumulated impairment losses. The useful life of the intangible assets may be finite or infinite. Intangible assets with finite lives have been amortized over their useful economic life as per the Written Down Value Method. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with infinite lives is recognized in the statement of Income and Expenditure unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

As per companies act, costs relating to computer software and server are capitalized and amortized on straight line method over their estimated useful economic life of one year, three years, five years and six years respectively. Costs relating to ERP software are capitalized and amortized on straight line method over its estimated useful economic life of ten years.

v. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in following categories:

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

All financial liabilities are recognized at fair value on initial recognition. Transaction costs that are directly attributable to the issue of financial liabilities, that are not at fair value through income or loss are added to the fair value on initial recognition. After initial measurement, such financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance income in the profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the profit or loss.

Debt instruments at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the P&L. On derecognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

Debt instruments at fair value through profit or loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The company has not designated any debt instrument as at FVTPL.

Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading and contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which Ind AS103 (Business Combinations) applies are classified as at FVTPL. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to P&L, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity.

Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

De-recognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized when:

The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

The respective company has transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed the obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass- through' arrangement; and

Either the Company:

(a) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognise the transferred asset to the extent of the continuing involvement of Company. In that case, the Company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay.

Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balances.

The company recognizes impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as income/expense in the statement of profit and loss (P&L).

vi. Fair value measurement

The Company measures financial instruments, at fair value at each balance sheet date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy

At each reporting date, the management of the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be remeasured or re-assessed as per the accounting policies of the Company.

For assets and liabilities that are recognised in the Financial Statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

This note summarises the accounting policy for determination of fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes as following:

· Disclosures for significant estimates and assumptions

· Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy

· Financial instruments (including those carried at amortised cost)

vii. Revenue from contracts with customers

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised: -

Revenue in respect of sale of goods/service

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation & the revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the contractually defined terms of payment & excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

Revenue in respect of sale of goods/stock & sale items is recognized at the time of generation of invoice or at the time when controls of the goods have passed to the buyers, usually on delivery of the goods and proof of delivery. Revenue from the sale of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns & allowances, trade discounts & volume rebates.

Revenue in respect of sale of service is recognized at the time of generation of invoice or at the time when service completed to the buyers, usually on proof of service. Revenue from the sale of service is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

The Corporation recognizes operating margin at the slab rates prescribed from time to time depending upon the project costs. Usually the operating margin rates are inversely proportionate to the project costs i.e. higher the project costs, lower the operating margin rate. Any subsequent decrease in operating margin rate on account of an increase in project costs is accounted for by issuing corresponding credit notes at the year end or at the time of project closing. The Credit Notes so issued are netted off from the respective heads of income.

Revenues in excess of billing are classified as unbilled revenue while billing in excess of revenues are classified as contract liabilities

Interest income

For all debt instruments measured either at amortised cost or at fair value through other comprehensive income, interest income is recorded using the effective interest rate (EIR). EIR is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortised cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, the company estimates the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but does not consider the expected credit losses. Interest income is included in finance income in the statement of profit and loss.

viii. Advance for Grant- in- project from different Ministries/Departments of Government.

NICSI received advance for Sales of good and service from different Ministries/ Departments of Government. These transactions are normal trading transaction of the entity. Advance received for Ministries disclosure in the financial statements has been made separately under the head 'Other Current Liabilities' as 'Grant in Aid received from Customers', as these are normal trading transactions. These advances are utilized for the purposes of execution of respective projects and if there is balance available with NICSI at the close of the respective Project, the same is refunded to the Grantor Institution along with the interest (if any). All the grant in aid amounts are received for the Projects only.

NICSI implements various orders from the government departments/ organizations towards procurement of hardware/ software and providing manpower. It takes Operating Margin on the Total cost of each order, as per the rates approved by its Board of Directors from time to time. NICSI receives fund against those orders from the departments/ organizations as advances. No other form of government assistance is received by NICSI, from which it is directly benefited. There is no grant of monetary or non-monetary asset given to NICSI at concessional rate or free of cost.

NICSI fulfils all the terms & conditions attached to the administrative approvals/ sanctions towards release of grants-in-aid by the Ministries/ Departments.

ix. Inventories

The Cost of Inventories comprises all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Inventories (including inventory of software's) have been valued at cost or net realizable value, whichever is lower on the First-In-First-Out (FIFO) method. Consumable stores have been charged to revenue in the year of purchase, being negligible.

x. Retirement Benefits

As per arrangement with NIC, the amount towards leave salary and pension contribution are calculated on basic pay and Dearness Allowance of the respective employee based on the percentage prescribed by Government of India and passed on to NIC. The Company is not liable to pay any other retirement benefits to employees, which shall entirely be borne by NIC in future.

xi Prior Period Items

Prior Period items are omissions/misstatements in an entity's earlier period financial statements, including balance sheet misclassifications. Ind AS 8 requires the rectification of prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved, after their discovery, by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. However, if such restatement is impracticable i.e. when an entity can't apply it after making every reasonable effort to do so, then Ind AS doesn't require restatement of such prior period items in comparatives of earlier periods.

xii. Events after the Reporting Period

The Corporation, has a cut-off date approved by Management every year upto which the invoices of the Vendors are submitted for the services rendered upto 31 March and accounted for accordingly as expenditure in previous year. Income realized till that date for the period upto 31st March is also accounted for in same financial year. Accordingly, matching concept is ensured in Accounts. Thus, expenses, towards invoices raised by the vendors after 31st March or actually received late in NICSI after that date, are booked in next year and corresponding income is also booked in next year, as all these invoices are received after the scheduled / last date of depositing of GST/ filling of GST returns for March.

Considering the above mentioned accounting matching concepts of expenses and income, GST Provisions & Income Tax Provisions, The Corporation to book the invoices from the vendors as per said cut-off date fixed by Management and as per the invoice date/ actual receipt date in view of type of business being executed by company.

The above booking should not exceed 0.25% of total revenue generated in respective financial year.

xiii. Leases

The company has applied Ind AS 116 using the modified retrospective approach and therefore the comparative information has not been restated and continues to be reported under Ind AS 17.

As a lessee

The company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of property and equipment. In

addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain re-measurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate (i.e. average interest rate of government bond -7.75%).

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

– Fixed payments, including in-substance fixed payments.

– Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;

– Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and

– The exercise price under a purchase option that the company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the company is reasonably certain not to terminate early.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The company presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property in 'property, plant and equipment' and lease liabilities in 'other financial liabilities' in the Balance Sheet.

Short-term leases and leases of low-value assets

The company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short term leases of real estate properties that have a lease term of 12 months. The company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the Company is classified as a finance lease. Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with

the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term.

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Arrangements containing a lease have been evaluated as on the date of transition i.e. 1st April 2016 in accordance with Ind-AS 101 First-time Adoption of Indian Accounting Standards for classification as finance or operating lease as at the date of transition to Ind AS basis the facts and circumstances existing as at that date.

xiv. Income taxes

Current income tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or

substantively enacted, at the reporting date in India.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Current income tax assets and liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off these.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

In situations where company is entitled to a tax holiday under the Income-tax Act, 1961, enacted in India, no deferred tax (asset or liability) is recognized in respect of temporary differences which reverse during the tax holiday period.

Deferred taxes in respect of temporary differences which reverse after the tax holiday period are recognized in the year in which the temporary differences originate.

However, the company restricts the recognition of deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in OCI or equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

xv. Impairment of non-financial assets

The company assess, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the company estimate the asset's

recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating units (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the Statement of Profit or Loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as an increase in revaluation.

xvi. Impairment of Financial Assets/Provision for Bad & Doubtful Debts

A Provision towards Doubtful Debts is recognized considering 100% for the period of more than 10 years, 50% between 5-10 years & 25% between 3-5 years as at the Balance sheet date.

xvii. Provision towards outstanding Advances to Suppliers

A provision is recognized towards outstanding advances to suppliers which are outstanding for more than three years as at the Balance Sheet date.

xviii. Earnings per equity share

Basic earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares. The dilutive potential equity shares are adjusted for the proceeds receivable had the equity shares been actually issued at fair value (i.e. the average market value of the outstanding equity shares). Dilutive potential equity shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless issue data later date. Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented.

The number of equity shares and potentially dilutive equity shares are adjusted retrospectively for all periods presented for any share splits and bonus shares issues including for changes effected prior to the approval of the financial statements by the Board of Directors.

xix. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable

that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Long term provisions may be discounted to their present values at an appropriate risk adjusted discounted rate. Short term provisions are not required to be discounted. The provisions are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Provisions are also required to be created in respect of constructive obligations. However, the Corporation was not having any constructive obligations in the reporting period.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

Contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the company. Contingent assets are disclosed in the financial statements when inflow of economic benefits is probable on the basis of judgement of management. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate.

xx. Cash and Cash-Equivalents

Cash and short-term deposits in the balance sheet comprise cash at banks and cash in hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents include bank overdrafts which form an integral part of Company's cash management.

2.1 Significant accounting judgements, estimates and assumptions

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements. Estimates and assumptions are continuously evaluated and are based on management's experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

In particular, the Company has identified the following areas where significant judgements, estimates and assumptions are required. Further information on each of these areas and how they impact the various accounting policies are described below and also in the relevant notes to the financial statements. Changes in estimates are accounted for prospectively.

Judgements

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgments and the use of estimates regarding the outcome of future events.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market change or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

(a) Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators.

(b) Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

(c) Impairment of financial assets

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Company uses judgments in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment

calculation, based on Company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

Recognition of deferred tax assets – The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized.

2.2 Recent accounting pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. For the year ended March 31, 2024, MCA has not notified any new standards or amendments to the existing standards applicable to the Company.

3. Property, plant and equipment

` in Lakh

Particulars	Buildings	Furniture and Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Total
Cost						
As at April 1, 2022	1,985.85	1,607.61	17.63	4,799.54	7,589.26	15,999.89
Additions	-	4.84	-	269.20	2,434.92	2,708.96
Other Adjustment (Refer 2 below)	-	358.49	-	-	-	358.49
Disposals	-	-	0.17	-	0.05	0.22
As at March 31, 2023	**1,985.85**	**1,970.94**	**17.46**	**5,068.74**	**10,024.13**	**19,067.12**
Additions	-	15.91	-	903.31	3,255.91	4,175.13
Disposals	-	-	-	-	0.29	0.29
As at March 31, 2024	**1,985.85**	**1,986.85**	17.46	**5,972.05**	**13,279.75**	**23,241.96**
Depreciation						
As at April 1, 2022	1,189.57	1,438.71	10.77	4,152.46	6,871.50	13,663.01
Depreciation charge for the year	38.96	67.56	2.58	253.15	906.78	1,269.02
Others adjustment (Refer 2 below)	-	256.47	-	-	-	256.47
Disposals	-	-	-	-	-	-
As at March 31, 2023	**1,228.53**	**1,762.74**	**13.35**	**4,405.61**	**7,778.28**	**15,188.50**
Depreciation charge for the year	37.05	48.64	1.29	496.54	3,018.56	3,602.07
Disposals	-	-	-	-	-	-
As at March 31, 2024	**1,265.59**	**1,811.37**	**14.64**	**4,902.16**	**10,796.84**	**18,790.57**
Net book value :						
As at March 31, 2024	**720.27**	**175.47**	**2.82**	**1,069.90**	**2,482.91**	**4,451.39**
As at March 31, 2023	**757.32**	**208.20**	**4.11**	**663.13**	**2,245.85**	**3,878.61**

1. Refer the Note No. 38 for disclosure on Capital commitment for acquisition of Property Plant and Equipment.

2. During the period from FY 2017-18 "Furniture and Fixtures" to the tune of Rs. 358.49 Lakhs (Acumulated Depreciation with Rs. 256.47 Laksh upto 31.03.2022) was erroneously classified in the head "Other Intangible Assets". Since the depreciation on Furniture and Fixtures was correctly calculated in terms of the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013, the said regrouping/restatement has not resulted in any financial impact. The same has been regrouped/restatement during the current financial year 2022-23 byway of "other adjustments"

Details of title deeds of immovable properties not held in name of the Company

` in Lakh

Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/ director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Buildings	Hall No.. 2 &3. 6th Floor, 15 NBCC Tower, Bhikaiji Cama	931.50	NBCC	No	Since 2001 & 2003	Title Deed has been executed in the name of NICSI on dated July 18, 2023."Refer Note -46"

4. Capital work-in-progress

` in Lakh

Particulars	Buildings at Nauroji Nagar**	Development of Work Station at Shastri Park*	Renovation of 4 Nos Toilets Civil and Electric work at Shastri Park*	Major Renovation at 6th Floor Bhikaji Cama Place	Total
As at March 31, 2022	-	-		-	-
Additions	7,812.05	451.01	34.15	-	8,297.21
Transfer to Fixed Assets				-	-
As at March 31, 2023	**7,812.05**	**451.01**	**34.15**	**-**	**8,297.21**
Additions	-	27.70	-	40.14	67.83
Transfer to Fixed Assets				-	-
Transfer to Capital Advnace	7,812.05			-	7,812.04
As at March 31, 2024	**-**	**478.71**	**34.15**	**40.14**	**553.00**

* The Development of work station at Shastri Park is being carried out in rental property of DMRC (Not owned by NICSI)
** As per CAG direction in the FY 2022-23 the entire amount of Rs. 7812.05 Lakhs has been tranfer from CWIP to Capital Advance (Refer Note No. 9).

Capital work in progress (CWIP) Ageing Schedule

Particulars	Amount in CWIP for the a period of				Total
	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
March 31, 2024					
Buildings at Nauroji Nagar	-	-	-	-	-
Development of Work Station at Shastri Park	27.70	451.01	-	-	**478.71**
Renovation of 4 Nos Toilets Civil and Electric work at Shastri Park	-	34.15	-	-	**34.15**
Major Renovation at 6th Floor Bhikaji Cama Place	40.14	-	-	-	**40.14**
As at March 31, 2024	**67.84**	**485.16**	**-**	**-**	**553.00**

March 31, 2023					
Buildings at Nauroji Nagar	7,812.05	-	-	-	**7,812.05**
Development of Work Station at Shastri Park	451.01	-	-	-	**451.01**
Renovation of 4 Nos Toilets Civil and Electric work at Shastri Park	34.15	-	-	-	**34.15**
As at March 31, 2023	**8,297.21**	-	-	-	**8,297.21**

Capital work in progress (CWIP) Completion Schedule

` in Lakh

Particulars	To be completed				Total
	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
March 31, 2024					
Buildings at Nauroji Nagar *	-	-	-	-	-
Development of Work Station at Shastri Park	478.71	-	-	-	**478.71**
Renovation of 4 Nos Toilets Civil and Electric work at Shastri Park	34.15	-			**34.15**
Major Renovation at 6th Floor Bhikaji Cama Place	-	-	-	-	-
As at March 31, 2024	**512.86**	-	-	-	**512.86**
March 31, 2023					
Buildings at Nauroji Nagar *	-	-	7,812.05	-	**7,812.05**
Development of Work Station at Shastri Park	451.01	-	-	-	**451.01**
Renovation of 4 Nos Toilets Civil and Electric work at Shastri Park	34.15	-	-	-	**34.15**
As at March 31, 2023	**485.16**	-	**7,812.05**	-	**8,297.21**

*Note on Buildings at Nauroji Nagar

** As per CAG direction in the FY 2022-23 the entire amount of Rs. 6957.69/- Lakhs has been transfer from CWIP to Capital Advance and remaining amount of Rs. 854.36 classified under GST Advance (Refer Note No. 9).

` in Lakh

Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/ director or employee of promoter/ director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Buildings*	Unit No. A-300, Tower A, 3rd Floor, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi	-	NBCC	NO	Since June 17, 2022 , (Agreement of Sale Executed on June,17, 2022	Execution of Title Deed in the name of NICSI is pending as building is under Construction **"Refer Note -46"**

* Execution of Title Deed in the name of NICSI is pending, hence no Stamp Duty provision has been created.

5. Right of use assets

` in Lakh

Particulars	Right of use assets	Total
As at March 31, 2022	**22,201.86**	**22,201.86**
Additions	1,909.65	1,909.65
Restatment of earlier Year (Refer Note No. 36)	(110.15)	(110.15)
Modification of Right		
Disposals		
As at March 31, 2023	**24,001.36**	**24,001.36**
Additions	663.25	663.25
Modification of Right	-	-
Disposals	-	-
As at March 31, 2024	**24,664.61**	**24,664.61**
Amortisation		
As at March 31, 2022	6,166.07	6,166.07
Restatment of earlier Year (Refer Note No. 36)	(493.82)	(493.82)
Amortisation charge for the year	2,618.54	2,618.54
Disposals		
As at March 31, 2023	**8,290.79**	**8,290.79**
Amortisation charge for the year	2,787.91	2,787.91
Disposals	-	-
As at March 31, 2024	**11,078.70**	**11,078.70**
Net book value :		
As at March 31, 2024	**13,585.91**	**13,585.91**
As at March 31, 2023	15,710.57	15,710.57

6. Other Intangible assets

` In Lakh

Particulars	Software	Total
Cost		
As at April 1, 2022	24,575.37	24,575.37
Additions	2,553.78	2,553.78
Other Adjustment (Refer 2 below)	(358.49)	(358.49)
Disposals		-
As at March 31, 2023	**26,770.66**	**26,770.66**
Additions	2,749.67	2,749.67
Disposals	-	-
As at March 31, 2024	**29,520.33**	**29,520.33**
Amortisation		
As at April 1, 2022	18,300.27	18,300.27
Amortisation charge for the year	3,397.37	3,397.37
Other Adjustment (Refer 2 below)	(256.47)	(256.47)
As at March 31, 2023	**21,441.17**	**21,441.17**
Amortisation charge for the year	1,973.96	1,973.96
Disposals	-	-
As at March 31, 2024	**23,415.13**	**23,415.13**
Net book value :		
As at March 31, 2024	**6,105.20**	**6,105.20**
As at March 31, 2023	**5,329.49**	**5,329.49**

1. Refer the Note No. 38 for disclosure on Capital commitment for acquisition of Property Plant and Equipment.

2. During the period from FY 2017-18 "Furniture and Fixtures" to the tune of Rs. 358.49 Lakhs (Acumulated Depreciation with Rs. 256.47 Laksh upto 31.03.2022) was erroneously classified in the head "Other Intangible Assets". Since the depreciation on Furniture and Fixtures was correctly calculated in terms of the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013, the said regrouping/restatement has not resulted in any financial impact. The same has been regrouped/restatement during the current financial year 2022-23 by way of "other adjustments".

Note No. - 7 - Other Financial Assets

` in Lakh

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Security Deposits		
Security Deposits	1,366.10	1,262.36
Total	**1,366.10**	**1,262.36**

Note No. -8 - Deffered Tax

The major components of income tax expense for the year.

A. Amount recognition in Income & Expenditure Account:

` in Lakh

Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
(i) Charged in Income and Expenditure Account		
Current income tax charge	8,364.77	5,525.80
Adjustments in respect of current income tax of previous year	39.95	15.12
Deferred tax:		
Relating to origination and reversal of temporary differences	(1,494.91)	(482.28)
Income tax expense reported in the Income and Expenditure Account	**6,909.81**	**5,058.64**
(ii) Other Comprehensive Income (OCI) Section		
Deferred tax related to items recognised in OCI during the	-	-
Total	**6,909.81**	**5,058.64**

B. Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for FY ended 31 March 2023 and 31 March 2024:

` in Lakh

Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
Accounting Income before tax from continuing operations	26,591.76	20,036.04
Income before tax from a discontinued operation	-	-
Accounting Income before income tax	26,591.76	20,036.04
At India's statutory income tax rate of 25.168% (31 March 2023: 25.168%)	6,692.61	5,047.52
Adjustments in respect of current income tax of previous years	39.95	15.12
Government grants exempted from tax		-
Other Difference	69.96	-
Due to Change in income tax Rate	-	-
Other Assets	31.27	7.71
Non- Chargiable Income for tax purpose	-	(11.72)
Non-deductible expenses for tax purposes	76.01	-
At the effective income tax rate of 25.98% (31 March 2023: 25.25%)	6,909.81	5,058.64
Income tax expense reported in income and expenditure account	6,909.81	5,058.64
Income tax attributable to a discontinued operation	-	-
Total	**6,909.81**	**5,058.64**

Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, provides an option to companies for paying income tax at reduced rates in accordance with the provisions/conditions defined in the said section and accordingly, the Company has decided to adopt the new tax rate and recognised provision for income tax on the basis of the rate prescribed in the said section and remeasured its deferred tax assets/liabilities accordingly as on March 31, 2024.

C. Deferred tax :

Deferred tax relates to the following:

` in Lakh

Particulars	Balance sheet		Statement of Income & Expenditure	
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023	Year Ended March 31, 2024	As at March 31, 2023
Accelerated depreciation for tax purposes	831.87	129.94	(701.93)	43.74
Provision for Doubtful Debts and Advances to Suppliers and Stamp Duty	3,182.99	2,873.04	(309.95)	(327.03)
Expense disallowed in Current Year Allowable in Subsequent Financial Year	421.12	70.71	(350.41)	(34.23)
Right to use assets net of Lease Liabilities	1,119.84	987.22	(132.62)	(164.77)
Present valuation of Security Deposits (assets)	-	-	-	-
Deferred tax expense/(income) Net deferred tax assets/(liabilities)	**5,555.82**	**4,060.91**	**(1,494.91)**	**(482.28)**

Reflected in the balance sheet as follows:

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Deferred tax assets	5,555.82	4,060.91
Deferred tax liabilities		-
Deferred tax Assets/(liabilities), net	**5,555.82**	**4,060.91**

Note No. - 9 - Other Non-Current Assets

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Unsecured, considered good		
To parties other than related parties		
a) Capital Advances*	11,324.21	99.68
b) Advances other than capital advances;		
-Advances to Suppliers	1,450.21	1,497.66
Total	**12,774.42**	**1,597.34**

*Capital Advances includes advance for work at shastri Park for Rs. 71.98/- Lakhs (PY Rs. 99.68/- Lakhs) and for Naruroji Nagar for office space at World Trade Tower Rs.11209.13 Lakhs (PY Rs. 6957.69/- Lakhs) and Major Renovation at NICSI 6th Floor BCP Rs. 43.10/- Lakhs (PY Nil/-). During the year 2023-24 an amount of Rs. 6957.69/- Lakhs has been reclassifed from CWIP to Capital Advance as per observation raised by CAG in Finacial Year 2022-23.

Note No. - 10 - Trade Receivables

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
To parties other than related parties		
Unsecured, considered good	42,095.51	46,561.48
Unsecured, considered doubtful*	11,620.00	10,483.50
Less: Provision for doubtful debts	(11,620.00)	(10,483.50)
Total	**42,095.51**	**46,561.48**

Ageing schedule of Trade Receivables

` in Lakh

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment						Total
	Not Due	Less than 6 months	6 months - 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
As at March 31, 2024							
Undisputed Trade receivables – considered good		12,943.53	4,913.48	5,576.51	1,711.00	7,257.00	32,401.52
Undisputed Trade Receivables – considered doubtful						11,620.00	11,620.00
Less : Allowance for doubtful trade receivables						(11,620.00)	(11,620.00)
Unbilled Trade receivables considered good	9,693.99						9,693.99
	9,693.99	**12,943.53**	**4,913.48**	**5,576.51**	**1,711.00**	**7,257.00**	**42,095.51**
As at March 31, 2023							
Undisputed Trade receivables – considered good		19,141.61	3,171.98	2,122.81	5,124.13	5,210.50	34,771.03
Undisputed Trade Receivables – considered doubtful		-	-	-	-	10,483.50	10,483.50
Less : Allowance for doubtful trade receivables		-	-	-	-	(10,483.50)	(10,483.50)
Unbilled Trade receivables considered good	11,790.45						11,790.45
	11,790.45	**19,141.61**	**3,171.98**	**2,122.81**	**5,124.13**	**5,210.50**	**46,561.48**

* Provision for Doubtful Debts amounting to Rs.10483.50 Lakhs/- of F Y 2022-23 has been reversed during FY 2023-24. Further, during FY 2023-24 provision for doubtful debts has been made for Rs.11620.00 Lakhs/- refer Note No. 53.

Note No. - 11 - Cash and Cash Equivalents

` in Lakh

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Balances with banks		
Saving Account	70,353.42	75,003.57
Others		
Imprest Account	2.00	0.14
Fixed Deposit (original maturity upto 3 months)*	35,025.72	1,317.51
Total	**105,381.14**	**76,321.22**

* Includes Bank Balances of Sweep Deposit Accounts.

Note No. - 12 - Bank Balances other than above

` in Lakh

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Fixed Deposit	156,333.78	133,484.24
Fixed Deposit held as margin money		
-Fixed Deposit (original maturity more than 12 months)	-	291.60
-Fixed Deposit (original maturity upto 12 Month)	2,474.12	1,875.73
Total	**158,807.90**	**135,651.57**

Note No. - 13 - Other Financial Assets

` in Lakh

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured	5,946.41	4,623.05
Total	**5,946.41**	**4,623.05**

Note No. - 14 - Current Tax Assets (Net)

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Income tax paid (Net of provision Rs.8364.77 Lakhs (Previous Year Rs.5525.80)	20,236.86	21,374.96
Less: -		
Provision for Income Tax (Refund Not Received) (See Notes to Accounts No. 56)	(1,835.87)	(1,835.87)
Total	**18,400.99**	**19,539.09**

Note No. - 15 - Other Current Assets

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Other than Capital Advance		
Advances to Employees		
Unsecured, considered good	31.75	35.81
Total (A)	**31.75**	**35.81**
Other advances		
Unsecured, considered good		
GST on Advances and Others	35,100.50	29,845.49
Prepaid expenses	1.75	3.17
Total (B)	**35,102.25**	**29,848.66**
Unsecured, considered Doubtful		
Sales Tax/DVAT & TDS on Work Contract Recoverable	120.45	120.45
Less: -		
Provision for Sales Tax/ VAT (Not refunded back)	(117.91)	(117.91)
Provision for TDS on WCT (Not refunded back)	(2.54)	(2.54)
(See Notes to Accounts No. 56)		
Total (C)	-	-
Unsecured, considered good		
Advances to Suppliers*	29,011.06	4,420.03
Unsecured, considered Doubtful		
Advances to Suppliers	1,026.96	931.98
Less: -		
Provision for Advances to Suppliers (not adjusted/settled)	1,026.96	931.98
(See Notes to Accounts No. 54)		
Total (D)	**29,011.06**	**4,420.03**
GRAND Total (A+B+C+D)	**64,145.06**	**34,304.50**

Note No. - 16 - Equity Share Capital

` In Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Authorised		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
Issued, subscribed and fully paid-up		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
Total	**200.00**	**200.00**

a. Shareholders holding more than 5% share in the compnay* : -

` in Lakh

Name of Shareholder	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
	No. of Equity shares held	Percentage (%)	No. of Equity shares held	Percentage (%)
President of India through DG, NIC	199,995	99.9975	199,995	99.9975
Smt. Rachna Srivastava	1	0.0005	1	0.0005
Sh. IPS Sethi	1	0.0005	-	-
Sh. R S Mani	1	0.0005	1	0.0005
Ms. Alka Misra	1	0.0005	1	0.0005
Shri Sunil Kumar	-	-	1	0.0005
Shri Rajiv Rathi	1	0.0005	1	0.0005
Total	**200,000**	**100.00**	**200,000**	**100.00**

*The information of Shareholding has been given of all shareholders irrespective of holding more than 5% shares due to held on behalf of Government of India

b. Reconciliation of the paid up shares outstanding at the beginning and end of the reporting year

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
	Number	Amount	Number	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	2,00,000	200.00	2,00,000	200.00
Add: - Shares Issued/(buyback) during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	2,00,000	200.00	2,00,000	200.00

c. Rights, Preference and Restriction attached to equity shares

The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

d. Over the period of five years immediately preceding March 31, 2024, neither any bonus shares were issued nor any shares were allotted for consideration other than cash. Further, no shares were brought back during the said period.

e. Shareholding of promoters

` in Lakh

Promoter name	Shares held at March 31, 2024		Percentage change during the year ended March 31, 2023
	No. of shares	% of total shares	
President of India through DG, NIC and Others	2,00,000	100	-

Note No. - 17 - Other Equity

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Surplus as per Income and Expenditure Account		
Opening balance	89,054.51	73,986.10
Prior priod impact of Net Increase on Other Equity (Reserve & Surplus) (Refer Note No. 36)	-	91.01
Add: - Surplus/(Deficiency) for the year	19,681.95	14,977.40
Total	**108,736.46**	**89,054.51**

Note No. - 18 - Other Financial Liabilities (Non -Current)

` in Lakh

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Security Deposits Payable	64.76	64.76
Total	**64.76**	**64.76**

Note No. -19 - Trade Payables

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Trade Payables		
- Due to Micro and Small Enterprises*	3,959.78	6,847.30
- Other than Micro and Small Enterprises	41,246.24	41,289.99
Total	**45,206.02**	**48,137.29**

* Refer Note No. 47

Ageing Schedule of Trade Payable

` in Lakh

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Not Due	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
As at March 31, 2024						
Micro, small and medium enterprises	-	2,551.19	178.37	406.86	823.36	3,959.78
Others	-	19,655.28	1,785.50	2,056.06	6,753.23	30,250.07
Disputed Dues-Micro, small and medium enterprises	-	-	-	-	-	-
Disputed Dues-Others	-	162.09	774.52	-	51.85	988.46
Unbilled Trade Payable	10,007.71	-	-	-	-	10,007.71
	10,007.71	**22,368.56**	**2,738.39**	**2,462.92**	**7,628.44**	**45,206.02**
As at March 31, 2023						
Micro, small and medium enterprises	-	5,032.81	944.84	344.19	525.46	6,847.30
Others	-	16,109.86	3,827.06	2,232.82	6,662.51	28,832.25
Disputed Dues -Micro, small and medium enterprises	-	-	-	-	-	-
Disputed Dues-Others		819.76		61.80	31.69	913.25
Unbilled Trade Payable	11,544.49	-	-	-	-	11,544.49
	11,544.49	**21,962.43**	**4,771.90**	**2,638.81**	**7,219.66**	**48,137.29**

Note: - Date of recording of invoices in books of accounts is considered as due date.

Note No. - 20 - Other Financial Liabilities (Current)

` in Lakh

Particulars	Current	
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Earnest Money Deposit Payable	584.36	635.36
Employee Benefits Payable	321.43	270.25
Expenses Payable	-	34.46
Retention Money *	276.73	248.40
Project Liabliity for CNA Account	133.12	238.25
Total	**1,315.64**	**1,426.72**

* Retention from vendor against performance bank guarantee.

Note No. - 21 - Other Current Liabilities

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Advances received from customers	263,196.43	191,704.27
Others		
Grants-in-Aid received from customers	369.79	5,633.22
Statutory Dues and Taxes	2,096.38	1,739.02
Corporate Social Responsibilities	-	250.00
Total	**265,662.60**	**199,326.51**

Note No. - 22 - Provisions

` in Lakh

Particulars	Current	
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Provision for Stamp Duty	-	27.97
Provision for Corporate Social Responsibilities Expenses (Note No. 55)	155.55	
Provison for Interest and Penalty on LF & SUC Charges (DoT)	413.59	-
Total	**569.14**	**27.97**

Note No. - 23 Revenue From Operations

` in Lakh

Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
Revenue from operations		
Sale of Traded Goods**	35,980.60	19,707.34
Service Income*	185,596.58	139,901.46
Total (A)	**221,577.18**	**159,608.80**
Other Operating Revenue		
Administrative Charges	782.78	809.30
Total (B)	**782.78**	**809.30**
Total Revenue from operations (A)+(B)	**222,359.96**	**160,418.10**

* Provison for Unbilled Revenue amounting to Rs.11790.45/- Lakhs of FY 2022-23 has been reversed during FY 2023-24 provision for Unbilled Revenue has been made for Rs.9693.99/- Lakhs.

** Disclosure in respect of IND AS-115 has been disclosed under Note to Accounts Note No. 44

Note No. - 24 Other Income

` in Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
Interest Income	14,424.78	8,898.44
Less: -		
Interest on Grants-in-Aid Projects (other than NKN)	137.25	236.82
Interest on NKN Projects (Grants-in-Aid)	-	8.72
Interest on Non- GIA Projects	1,956.26	335.01
Other non-operating income	1,001.79	1,404.93
Provision for Stamp Duty	-	46.55
Finance Income (On Security Deposit)	92.50	83.61
	13,425.56	**9,852.98**

Note No. - 25 Purchases

` in Lakh

Particulars	Year ended March 31,	Year ended March 31,
Purchases: -		
Hardware	24,395.80	15,827.91
Software	11,463.13	3,202.18
Total	**35,858.93**	**19,030.09**

Note No. - 26 Employee Benefits Expense

` in Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
Salaries and incentives	1,391.03	1,260.17
Staff Welfare	40.19	34.99
Total	**1,431.22**	**1,295.16**

Note No. - 27 Finance Cost

` in Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
Interest Expenses on Unbinding of Lease Liability	802.36	905.33
Total	**802.36**	**905.33**

Note No. - 28 - Depreciation and amortization Expenses

` in Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
Property, plant and equipment (Refer Note No. 3)	3,602.07	1,269.03
Right of use assets (Refer Note No. 5)	2,787.91	2,626.50
Other Intangible assets (Refer Note No. 6)	1,973.96	3,397.37
Total	**8,363.94**	**7,292.90**

Note No. - 29 Other Expenses

` in Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
Auditor Remuneration (Reference Note No. 40)	10.54	9.76
Bank Charges	24.20	6.69
Books & Periodicals	1.87	1.05
Business Promotion	2.30	2.27
GST (Non-Cenvatable)	35.97	49.03
Conference Seminar W/Shop Expenses	99.43	235.25
Consumable Stores	33.39	49.60
Conveyance Expenses	6.64	3.65
Corporate Social Responsibilities Expenses	302.00	250.00
Diesel for D.G. Set	15.14	39.18
Provision for Doubtful Debts (Refer Note No. 53)	1,136.50	1,233.75
Advances to Suppliers (not adjusted/settled) (Refer Note No. 54)	94.98	37.66
Electricity & Water Charges	1,932.29	996.55
Hire Charges	5.21	4.86
House Keeping & Cleaning Charges	428.83	318.00
Membership & Subscription Charges	1.17	1.09
Interest and Penalty on LF & SUC Charges	413.59	-
Miscelleneous Expenses	13.25	46.21
Office Expenses	2,764.48	2,034.92
Office Rent	16.38	122.42
Printing & Stationery	7.62	4.67
Professional & Consultancy Charges	569.60	487.42
Rent Rates & Taxes	5.49	9.78
Repairs & Maintenance	503.00	493.12
Taxi Hire Charges	281.34	263.89
Telephone Expenses	62.41	43.26
Travelling Expenses	235.93	195.17
Vehicle - Expenses	2.16	2.00
Total	**9,005.71**	**6,941.25**

Note No. - 30 - Earning per Share

` in Lakh

Particulars	Year ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2023
Earning per share		
Surplus attributable to Equity shareholders (A)	19,681.95	14,977.40
Weighted average number of equity shares (B)	200,000.00	200,000.00
Basic earning per share (A/B) (in `)	9,840.96	7,488.70
Diluted earning per share (A/B) (in `)	9,840.96	7,488.70
Face value per share	100.00	100.00

Note No. - 31. Fair values measurements

(i) Financial instruments by category

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
	FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost
Financial assets				
Trade receivables	-	42,095.51	-	46,561.48
Cash and cash equivalents	-	105,381.14	-	76,321.22
Other bank balances	-	158,807.90	-	135,651.57
Interest Accrued (current)	-	5,946.41	-	4,623.05
Security deposits	-	1,366.10	-	1,262.36
Fixed deposits	-	-	-	-
Interest Accrued (non-current)	-	-	-	-
Total financial assets	-	**313,597.06**	-	**264,419.68**
Financial liabilities				
Trade payables	-	45,206.02	-	48,137.29
Other financial liabilities (current)	-	3,053.68	-	3,024.51
Other financial liabilities (non-current)	-	15,740.95	-	17,366.60
Total financial liabilities	-	**64,000.65**	-	**68,528.40**

(ii) Fair value hierarchy

All financial instruments for which fair value is recognised or disclosed are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is insignificant to the fair value measurements as a whole.

Level 1 : quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : valuation techniques for which the lowest level inputs that has a significant effect on the fair value measurement are observable, either directly or indirectly.

Level 3 : valuation techniques for which the lowest level input which has a significant effect on fair value measurement is not based on observable market data.

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities, other than those whose fair values are close approximations of their carrying values.

There have been no transfers between Level 1, Level 2 and Level 3 during the year.

For cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables and other financial liabilities the management assessed that their fair value is approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

The fair values of the Company's long-term interest free security deposits are determined by applying discounted cash flows ('DCF') method, using discount rate that reflects the market borrowing rate as at the end of the reporting period. They are classified as level 3 fair values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

Note No. - 32. Financial risk management objectives and policies

The Company's principal financial liabilities comprise trade payables, security deposits, earnest money deposits and employee liabilities. The Company's principal financial assets include trade receivables, security deposits, fixed deposits, cash and bank balances that derive directly from its operations.The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's management oversees the management of these risks. The Company's senior management is supported by the Board of Directors that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. The board provides assurance to the Company's management that the Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

I. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk. Financial instruments affected by market risk include fixed deposits.

A. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's investment in fixed deposits with banks. The company's fixed deposits are carried at fixed rate. Therefore not subject to interest rate risk as defined in Ind AS 107, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

B. Foreign currency sensitivity

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in exchange rates. Foreign currency risk senstivity is the impact on the Company's profit before tax is due to changes in the fair value of monetary assets and liabilities. The company is not exposed to foreign currency risk as it does not have any foreign currency monetary assets and liabilities.

II. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty fails to discharge its obligation to the Company. The Company's exposure to credit risk is influenced mainly by cash and cash equivalents, trade receivables and financial assets measured at amortised cost. The Company continuously monitors defaults of customers and other counterparties and incorporates this information into its credit risk controls.

Credit risk management

The Company provides for expected credit loss based on the following:

Credit risk	Basis of categorisation	Provision for expected credit loss
Low credit risk	other bank balances	12 month expected credit loss
Moderate credit risk	Trade receivables and other financial assets	Life time expected credit loss or 12 month expected credit loss

Based on business environment in which the Company operates, a default on a financial asset is considered when the counter party fails to make payments within the agreed time period as per contract. Loss rates reflecting defaults are based on actual credit loss experience and considering differences between current and historical economic conditions.

Assets are written off when there is no reasonable expectation of recovery, such as a debtor declaring bankruptcy or a litigation decided against the Company. The Company continues to engage with parties whose balances are written off and attempts to enforce repayment. Recoveries made are recognised in the Income and Expenditure Accounts.

` in Lakh

Credit rating	Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit and other bank	270,135.45	216,595.84
Moderate credit risk	Trade receivables, Loan and other financial assets	43,461.61	47,823.84

Concentration of trade receivables

Trade receivables consist of a large number of customers spread across various states in India with no significant concentration of credit risk.

Credit risk exposure Provision for expected credit losses The Company has provided the lifetime expected credit loss by following simplified approach for follwing Financial assets :-

` in Lakh

Particulars	Gross carrying amount	Expected credit losses	Carrying amount net of expected credit losses
As at 31 March 2024			
Trade Receivables	53,715.51	(11,620.00)	42,095.51
As at 31 March 2023			
Trade Receivables	57,044.98	(10,483.50)	46,561.48

Reconciliation of loss provision – lifetime expected credit losses

` in Lakh

Reconciliation of loss allowance	Trade Receivables
Loss allowance As at March 31, 2022	**9,249.75**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	1,233.75
Amounts written off	
Loss allowance As at March 31, 2023	**10,483.50**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	1,136.50
Amounts written off	
Loss allowance As at March 31, 2024	**11,620.00**

III. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to managing liquidity is to ensure as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due. Management monitors rolling forecasts of the Company's liquidity position and cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows. The Company takes into account the liquidity of the market in which the entity operates.

The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

` in Lakh

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Year ended						
As at March 31, 2024						
Trade payables	45,206.02	-	-	-	-	45,206.02
Other financial liabilities	45.46	838.49	2,169.73	8,126.17	7,614.78	18,794.63
Total	**45,251.48**	**838.49**	**2,169.73**	**8,126.17**	**7,614.78**	**64,000.65**
Year ended						
As at March 31, 2023						
Trade payables	48,137.29	-	-	-	-	48,137.29
Other financial liabilities	34.06	827.70	2,162.74	6,652.19	10,714.41	20,391.11
Total	**48,171.35**	**827.70**	**2,162.74**	**6,652.19**	**10,714.41**	**68,528.40**

Note No. -33 . Capital Management

The objective of the Company's capital management

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Borrowings		
Trade payables	45,206.02	48,137.29
Other payables	285,026.37	219,745.59
Less: Cash & cash equivalents	(105,381.14)	(76,321.22)
Net Debt	**224,851.25**	**191,561.66**
Total equity	**108,936.46**	**89,254.51**
Capital and Net debt	**333,787.71**	**280,816.17**
Gearing ratio (%)	**0.67**	**0.68**

Note No. - 34. Financial ratios

The ratios for the years ended March 31, 2023 and March 31, 2024 are as follows :

` in Lakh

Ratio / Measure	Measured In	Numerator	Denominator	For the year ended		Variance (in %)
				31/3/2024	31/3/2023	
Current ratio	Times	Current assets	Current liabilities	1.26	1.27	-0.63%
Debt – Equity ratio	Times	Total debt*	Shareholder's equity	0.16	0.21	-24.51%
Debt service coverage ratio	Times	EBIT	Total Debt**	1.57	1.11	41.97%
Return on Equity (ROE)	%	Net profits after taxes	Average shareholder's equity	20%	18%	8.24%
Inventory turnover ratio	%	Average Inventory	Revenue	0%	0%	0.00%
Trade receivables turnover ratio	Times	Revenue	Average trade receivable***	5.02	3.96	26.63%
Trade payables turnover ratio	Times	Purchases of services and other expenses	Average trade payables****	4.06	2.90	39.99%
Net capital turnover ratio	Times	Revenue	shareholder's equity	2.04	1.80	13.57%
Net profit ratio	%	Net profit	Revenue	9%	9%	-5.20%
Return on Capital Employed (ROCE)	%	Earning before interest and taxes	Capital employed*	22%	19%	11.97%
Return on Investment(ROI)	%	Interest Income	Fixed Deposit	6%	6%	-4.76%

*Debt represents only lease liabilities

**Total Debt represents only Lease Liability

EBIT - Earnings before interest and taxes.

Capital employed refers to total shareholders' equity and debt

Explanation for variances exceeding 25%

Revenue for Higher Operating margin has been Increases along with increase in other operating sales.

Additional sales may during the year and trade receivable also reduce.

More purchase during the year and trade payable also reduce.

Note No. -35 Leases

As Lessee

(A) Additions to right of use assets

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Right-of-use assets, except for investment property	663.25	1,909.65

(B) Carrying value of right of use assets at the end of the reporting period by class

` in Lakh

Particulars	Class 1	Class 2	Total
Balance at 1 April 2022		**16,035.80**	**16,035.80**
Restatment of earlier Year (Refer Note No. 36)		**383.67**	**383.67**
Additions		**1,909.65**	**1,909.65**
Modification of Rights		-	-
Depreciation charge for the year		2,618.54	2,618.54
Balance at 1 April 2023		**15,710.57**	**15,710.57**
Additions		663.25	663.25
Depreciation charge for the year		2,787.91	2,787.91
Balance at 31 March 2024		**13,585.91**	**13,585.91**

(C) Maturity analysis of lease liabilities

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Opeing Balance	18,899.63	17,843.35
Restatment of earlier Year (Refer Note No. 36)	-	1,098.66
Additions	652.44	1,780.39
Interest	802.36	905.33
Payment of Liabilities	(2,940.21)	(2,737.10)
Closing Balance	**17,414.23**	**18,899.63**

` in Lakh

Maturity analysis – contractual undiscounted cash flows	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Less than one year	3,008.22	2,990.45
One to five years	12,273.01	12,068.85
More than five years	7,614.78	10,714.41
Total undiscounted lease liabilities	**22,896.01**	**25,773.71**

Lease liabilities included in Balance Sheet

` in Lakh

	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Current	1,738.04	1,597.79
Non-Current	15,676.19	17,301.84
Total	**17,414.23**	**18,899.63**

(D) Amounts recognised in profit or loss

` in Lakh

Particulars	**Year ended March 31, 2024**	**Year ended March 31, 2023**
Interest on lease liabilities	802.36	905.33
Variable lease payments not included in the measurement of lease liabilities	-	-
Income from sub-leasing right-of-use assets	-	-
Expenses relating to short-term leases	16.38	122.42
Expenses relating to leases of low-value assets, excluding short-term leases of low value assets	-	-

(E) Amounts recognised in the statement of cash flows

` in Lakh

Particulars	**Year ended March 31, 2024**	**Year ended March 31, 2023**
Total cash outflow for leases	2,940.21	2,737.10

Note No. - 36 Effect of Recalculation in Lease Assest and Lease Lailibity as per IND AS 116.

During the year, the company has recalculated the calculation of lease Assets and Liabilites of earlier years as per IND AS 116, ,the impact and detailed calculation is as follows:

Impact of Prior Period Adjustment on for Leases Assets and Liablity and other Assets

` in Lakh

Particulars	As at March 31, 2023
Impact on Total Assets	
Increase in Other Assets	1,154.28
Increase in Right of use assets	328.39
Net Increase on Right of Use Assets	**1,482.67**
Impact on Lease Liability	
Increase in Lease Liablity for Prior Period	1,391.66
Net Increase in Lease Liablity	1,391.66
Net Increase on Other Equity (Reserve & Surplus)	91.01

Impact of Prior Period Adjustment on Earlier Year and Opening Balance Sheet

` in Lakh

Particulars	As at 01.04.2022			As at 31.03.2023				
	Prior to Adjustment	Opening Adjustment (A)	After Adjustment	Prior to Adjustment	Opening Adjustment	During the Year Adjustment (B)	Net Adjustment	After Adjustment
Non-current assets								
Other Assets	21,912.49	801.69	22,714.18	23,271.65	801.69	352.59	1,154.28	24,425.92
Right of use assets	16,035.80	383.67	16,419.46	15,382.18	383.67	(55.28)	328.39	15,710.57
Current assets	294,767.30	-	294,767.30	317,000.91		-		317,000.91
Total Assets	**332,715.59**	**1,185.36**	**333,900.95**	**355,654.73**	**1,185.36**	**297.31**	**1,482.67**	**357,137.40**
EQUITY AND LIABILITIES								
Equity	74,186.10	86.70	74,272.80	89,163.49	86.70	4.32	91.01	89,254.51
Liabilities								
Non-current Liablity Lease	14,623.63	2,700.11	17,323.74	14,664.68	2,700.11	(63.13)	2,636.98	17,301.86
Non-current liabilities Other	59.46		59.46	64.76				64.76
Current Liablity Lease	3,219.74	(1,601.45)	1,618.29	2,843.11	(1,601.45)	356.13	(1,245.32)	1,597.79
Current liabilities Other	240,626.66		240,626.66	248,918.49				248,918.49
Total Equity and Liabilities	**332,715.59**	**1,185.36**	**333,900.95**	**355,654.73**	**1,185.36**	**297.31**	**1,482.67**	**357,137.40**

Impact on Profit and Loss Account for the Year 2022-23

` in Lakh

Particulars	For the Year 2022-23		
	Prior to Adjustment	Adjustment	After Adjustment
INCOME			
Revenue From Operations	160,418.10		160,418.10
Other Income	9,852.98	(3.63)	9,849.35
Total Income (I+II)	**170,271.08**	(3.63)	**170,267.45**
EXPENSES			
Purchases of Stock-in-Trade	19,030.09		19,030.09
Services Support Expenses	114,770.31		114,770.31
Employee benefits expenses	1,295.16		1,295.16
Finance Cost	905.33	-	905.33
Depreciation and amortization expenses	7,292.90	(7.95)	7,284.95
Other expenses	6,941.25	-	6,941.25
Total Expenses (IV)	**150,235.04**	(7.95)	**150,227.09**
Income/(loss) before tax (III-IV)	20,036.04	4.32	20,040.36
Tax expense	5,058.64		5,058.64
Income/ (Loss) for the year from continuing operations (V-VI)	**14,977.40**	4.32	**14,981.72**
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Income/ (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)	**14,977.40**	4.32	**14,981.72**
Earnings per equity share (Nominal value per share Rs.100):			
(1) Basic	7,488.70	2.16	7,490.86
(2) Diluted	7,488.70	2.16	7,490.86

Note No. 37. Contingent Liabilities

		in Lakhs
Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Claim against the Company not acknowledged as debts*	445.12	382.66
Demand Raised by DoT for Interest and Penalty	0	341.75
Guarantees	1370.57	1638.65
Delhi VAT Demand (September 2005 to November 2008)	678.00	678.00
Income Tax Demand (Assessment Year 2014-15)	206.29	206.29
Income Tax Demand (Assessment Year 2018-19)**	2434.58	2434.58
Income Tax Demand (Assessment Year 2019-20)	42.50	42.50
Income Tax Demand (Assessment Year 2022-23)	2012.89	0
Income Tax Demand (Assessment Year 2020-21)	30.22	0
Interest due and payable for the period of delay in making payment under MSME Act***	1449.51	687.25
Interest under section 16 (2)(d) for delay in payment to vendors under GST Act (subject to utilization of credit balance in Electronic Credit and Cash Ledger)***	1125.29	910.87
Total	9794.97	7322.55

* The above contingent liabilities do not include the 22 cases against the company as the management view that there is no financial impact on the company.

** The above demand is net off after the adjustment of refund claimed in ITR of Rs. 5139.45 Lakh.

*** MSME Interest and GST Interest are disclosed as contingent liability as the same will be recoverable from user department in case where the fund are not available in the project for making payment to vendors. However no demand is outstanding against the MSME and GST interest as on date.

Note No. 38. Commitments

The Company has made commitment to procure the trading goods and to avail the services in the subsequent period based on the purchase orders and agreements made with suppliers. Those commitments can be amended as per the agreed terms. However, the amount of such revenue commitments towards internal projects of the company is Rs.2759.45 Lakh (PY Rs.1356.40 Lakh) as at March 31,2024. In addition, Commitment towards capital expenditure out of "Reserves" is as follows:-

			in Lakhs
Sr.No	Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
1	National Data Centre, Bhubaneswar	10604.88	16862.11
2	2nd Floor in Block-1, Shastri Park, Delhi on Lease Rent from DMRC development of Sheet Work Rs.725.67 (Less Advance Rs. 71.98 and Capitalization for Rs, 478.71) (PY 725.67 Lakhs less Advance 99.67 and Capitlised during the PY for Rs, 451.01 till 2022-23)	174.98	174.98

			in Lakhs
Sr.No	Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
3	Renovation works for 4 No. Toilets Civil & Electric work at 2nd Floor Shastri Park for Rs, 45.04(Less transfer to capital work in progress by Rs. 34.14 lakhs (PY Rs, 45.04Less transfer to capital work in progress by Rs. 34.14 lakhs till 2022-23)	10.90	10.90
4	Renovation works for 6th Floor (Hall No. 2 & 3) at NBBC Tower, 15 Bhikaji Cama Place for Interior work Rs. 138.73 lakh Less Advance Rs. 43.11 lakh and less transfer to capital work in progress Rs. 40.13 lakh (PY Nil)	55.49	-
5	Purchase of Office space at World Trade Tower, Nauroji Nagar, New Delhi (Unit No. A-300) (Total Cost Rs. 11937.69 Lakhs less Rs. 6957.68 Lakhs paid upto 2021-22, Rs. 4251.44 Lakhs in 2023-24, and both excluding taxes and statutory charges)	728.57	4980.01
	Total	11574.82	22028.00

Note No. 39 Information pursuant to Para 5(viii) of the General Instructions for preparation to the Income & Expenditure Account given under schedule III of Companies Act, 2013.

i. Value of Imports on C.I.F Basis: NIL (PY Rs. NIL)

ii. Expenditure in foreign currency (on accrual basis):

		in Lakhs
Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
Travelling - Staff (Foreign)	NIL	NIL
Total	NIL	NIL

iii. Earnings in foreign currency (on accrual basis): Rs. Nil (PY Rs. Nil)

Note No. 40. Auditor Remuneration*

		in Lakhs
Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
Statutory Audit Fees	7.36	7.01
Income Tax Audit	0.98	0.93
For Reimbursement of expenses	2.20	1.82
Total	10.54	9.76

* Exclusive of applicable taxes. Further, Rs. 2.90 Lakh (PY Rs.2.20 Lakh) plus GST as applicable have been paid for certification work for various projects which are directly debited in the respective projects.

Note No. 41. Disclosure pursuant to Ind-As 19 - 'Employee Benefits'

i. Contribution to Provident Fund

The company is not having any Provident Fund scheme as the employees of the company are on deputation from NIC, along-with their posts, as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998. The Provident Fund is deducted from their salary every month as per the rates prescribed for the purpose and government guidelines thereon subsequently, passed on to NIC as its entire account is maintained by them. There is thus, no liability of the company towards any payment to the employees on Provident Fund Account.

ii. Leave Salary

Since the employees are on deputation from NIC as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the leave salary contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of leave salary/encashment.

iii. Pension Contribution

Since the employee are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the pension contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of Pensionery benefits.

iv. **Gratuity**

Since the employees are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the company is not liable to pay any Gratuity, as the same shall entirely be borne by NIC.

Note No. 42. Related Party disclosures

a) List of Related Parties –

List of Directors from 01-04-2023 to 31-03-2024

S. No	Name & Designation of Director	Status on Board	Appointment Date	Relinquishment Date
1	Shri Amit Agarwal IAS, Additional Secretary, MeitY	Chairperson	25/Nov/22	17/Jul/23
2	Shri Bhuvnesh Kumar IAS Additional Secretary, MeitY	Chairperson	17/Jul/23	Continue
3	Shri Rajesh Singh JS & FA MeitY	Director	16/Jun/22	Continue
4	Shri Sushil Pal Joint Secretary , MeitY	Director	25/Nov/22	23/Aug/23
5	Shri Sanket Bhondve Joint Secretary, MeitY	Director	23/Aug/23	Continue

6	Shri S.K. Marwaha, Scientist G and Group Coordinator	Director	31/Dec/21	Continue
7	Smt. Sunita Verma, Scientist G and Group Coordinator	Director	16/Jun/22	Continue
8	Shri Rajiv Rathi, Scientist G, NIC	Director	01/Oct/21	30/Sep/23
9	Ms. Alka Misra, Scientist G, NIC	Director	1/Oct/21	30/Sep/23
10	Dr. Ms. Suchitra Pyarelal Scientist G, NIC	Director	1/Oct/21	30/Sep/23
11	Shri V.T.V. Ramana, Scientist G, NIC	Director	01/Oct/22	Continue
12	Dr. Shubhag Chand, Scientist G, NIC	Director	01/Oct/22	Continue
13	Shri Pramod Kumar Singh Scientist G& SIO (Gujarat) NIC	Director	01/Oct/22	Continue
14	Ms. Jayanthi Srinivasan Scientist G& ASIO (Karnataka), NIC	Director	01/Oct/23	Continue
15	Shri Susheel Kumar , Scientist G, NIC	Director	01/Oct/23	Continue
16	Dr. Vinay Thakur, Scientist G, NIC	Managing Director	13/Aug/22	30/Apr/24

List of Key Managerial Person

S. No	Name & Designation of Key Managerial Person	Status on Board	Appointment Date	Relinquishment Date
1.	Dr. Vinay Thakur, Scientist G, NIC	Managing Director	13/Aug/22	30/Apr/24
2.	Shri Sunny Jain	Company Secretary	28/Jan/20	Continue

Transactions with Related Parties: -

Name of Party Year ended	March 31, 2024 Year Ended	March 31, 2023 Year Ended
1. Managerial Remuneration		
Sh. Prashant Kumar Mittal	-	15.00
Shri IPS Sethi	-	00.00
Sh. Vinay Thakur	50.34	25.48
Sh. Sunny Jain	19.38	12.79
Total Managerial Remuneration	69.72	53.27
2. Sitting Fees to Director	-	-
3. Remuneration to relative of Director	-	-
4. Loans and Advance	-	-
5. Investment in Joint venture	-	-
6. Payable as on Balance Sheet Date		
Sh. Vinay Thakur	3.24	3.06
Sh. Sunny Jain	1.55	1.25

b) Entities under the control of same government:

The company is a Central Public Sector Enterprises (CPSE) controlled by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology (Government of India) by holding majority of the shares. Pursuant to paragraph 25 and 26 of Ind AS 24, entities over which the same government has control or joint control of, or significant influence, then the reporting entity and other entities shall be regarded as related parties. Transactions with these parties are carried out at market terms at arm length basis. The Company has applied the exemption available for government related entities and have made limited disclosures in the financial statements.

Note No. 43. Disclosure pursuant to Ind AS– 108 'Operating Segments'

The company is providing services in 'Information Technology' segment only from a centralized office in Delhi. Considering the same as one segment only, no disclosure according to Ind AS– 108 'Operating Segments' have been made in the financial statements.

Note No. 44. Indian Accounting Standard (Ind AS) 115, Disclosures on Revenue from contracts with customers

a) Significant management judgments on Revenue Recognition:
Recognized amounts of contract revenues and related receivables reflect management's best estimate of each contract's outcome and stage of completion which is determined based on user acceptance/ performance certificate, efforts, cost incurred to date bear to the total estimated cost of the transaction, time spent, service performed or any other method that management considered appropriate.

b) Company has recognized revenue depending upon satisfaction of performance obligation on transferring control of goods or services to customers. Revenue has been recognized by the company on the basis of user acceptance/ performance certificate or at the time of generation of invoices if any one of the following condition is met:

i Customer simultaneously receives the benefit and the right and control on the goods and service are transferred determined on the basis of proof of delivery of goods/services.

ii Company's performance creates or enhances an assets that the customer controls as the assets is created or enhanced

iii Company's performance does not create with alternative use and company has enforceable right to payment for performance completed to date.

c) Disaggregation or revenue

Set out below is the disaggregation of the revenue from contracts with customers:

in Lakhs

Particulars	March 31, 2024 Year Ended	March 31, 2023 Year Ended
Revenue from contracts with customers		
Bases on nature of goods/services	35,980.60	19,707.34
Sale of Traded Goods	185596.58	139901.46
Services income	782.78	809.30
Other Administrative Charges	222,359.96	160,418.10
Total Revenue		

d) Contract Balances

The following table provides information about receivable, contact assets and contract liabilities from contact with customers:

in Lakhs

Particulars	March 31, 2024 Year Ended	March 31, 2023 Year Ended
Receivables	44021.52	45254.53
Trade receivables	9693.99	11790.45
Unbilled revenue for passage of time	(11620.00)	(10483.50)
Less: loss allowance	42095.51	46561.48
Total receivables (a)		
Contract assets	-	-
Unbilled revenue other than passage of time	-	-
Total contract assets (b)		
Contract liabilities	263566.23	197337.49
Advance from customers	263566.23	197337.49
Total contract liabilities ©		
Total (a+b-c)	(221470.72)	(150776.01)

Contract asset is the right to consideration in exchange for goods of services transferred to the customer. Contract liability is the entity's obligation to transfer goods or services to a customer for which the entity has received consideration from the customer in advance. Contract assets are transferred to receivables when the rights become unconditional i.e. only the passage of time is required before payment of consideration is due and the amount is billable. Contract liabilities are recognized as revenue as and when the performance obligation is satisfied.

Significant changes in the contract liabilities balance during the year are as follows:

Particulars	March 31, 2024 Year Ended	March 31, 2023 Year Ended
		in Lakhs
Opening balance	197337.49	192452.00
Amount received	274645.74	186809.52
Performance obligations satisfied in current year	(208417.00)	(181924.03)
Closing balance	263566.23	197337.49

e) Performance Obligation
The company's performance obligation is satisfied on the basis of user acceptance/ performance certificate or at the time of generation of invoices.

f) Reconciling the amount of revenue recognized in the statement of profit and loss with the contracted price

Particulars	31 March 2024 For the year ended	31 March 2023 For the year ended
		in Lakhs
Revenue as per contract	235374.43	164211.26
Adjustments:		
Cash rebate		
Deferred revenue		
Other adjustments	(13014.47)	(3793.16)
Revenue from contract with customers	222359.96	**160418.10**

Note No. 45. Balance Confirmation

The Company has a system of obtaining confirmation of balances from banks and other parties. There are no unconfirmed balances in respect of bank accounts. So far as trade/other payables and advances are concerned, the balance confirmation letters/emails with the negative assertion as referred in the Standard on Auditing (SA) 505 (Revised) 'External Confirmations', were sent to the parties. Some of such balances are subject to confirmation/reconciliation. Adjustments, if any will be accounted for on confirmation/reconciliation of the same, which in the opinion of the management will not have a material impact.

Note No. 46 Non-execution of Conveyance/Title Deed

The Company had purchased Hall No's 2&3 at 6th Floor, NBCC Towers, Bhikaiji Cama Place, New Delhi from M/s. NBCC Limited in the year 2003 and 2001 respectively. However, the Conveyance Deeds / Title Deeds towards the same had got registered on July 18, 2023 by NBCC in the name of NICSI.

Further company was also allotted unit No. A-300 Tower A, 3rd floor world trade centreNauroji Nagar. The execution of the tile deed in the name of NICSI is pending as building is under construction.

Note No. 47. In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances & trade receivable have a value on realization in ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.

Disclosure u/s 22 of the MSMED Act, 2006

in Lakhs

Sr.No	Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
1	The Principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier*.	3959.78	6847.30
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

*The above however, does not include the interest payable if any on the mentioned amount

Note No. 48. Disclosure pursuant to IND AS – 36 'Impairment of Assets'

As per IND AS – 36 'Impairment of Assets',the assessment of impairment of Assets has been carried out during the FY 2023-24 in respect of Data Centre at Laxmi Nagar, National Data Centre at Shastri Park towards investment on "Enhancement of NIC Cloud Services" and Development Centre at Shastri Park locations, which are cash generating units of the company and no impairment loss has been identified thereon. In the opinion of Management there is no indication of any significant impairment of assets during the year as per Ind-AS 36.

Note No. 49. Revenue Generation (GR/ AGR) towards VSAT Projects against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20.11.2009 (surrendered by NICSI on 31.03.2017 and accepted by DoT) and payment of License Fee and Spectrum Charges to DOT thereon.

NICSI had surrendered the DoT License on 31.03.2017 and accepted by DoT. As per the mandate given by DoT, NICSI has since paid entire amount towards License Fee / Spectrum Charges till 31.03.2017 on the revenue related to this activity only. Also, the amounts from MHA/NDRF are received. However, the O/o the Pr. CCA Office, DoT has levied interest / penalty on NICSI by taking revenue of entire company, for which MeitY had taken up the matter with DoT.

O/o the Pr. CCA DoT, vide letter dated 17.07.2020, has withdrawn all Demand Notices against NICSI towards License Fee and Spectrum Usage Charges (based on Hon'ble Supreme Court of India Judgement dated 11.06.2020 and DoT OM No. 12-25/2019-LFP dated 17.07.2020. The F&C Audit Office had accordingly, been informed by NICSI, vide letter no. NICSI / Fin/Insp. F&C Adt./2018-19/289 dated 20.07.2020 & accordingly, that office had admitted / closed the para, vide letter no. AMG-II/NICSI/F-2516/2019-20/323 dated 23.09.2020.

However, NICSI had deposited 4 Bank Guarantees (BG's) to DoT towards the above totaling to Rs. 92 lakh which had been renewed from time to time. NICSI had taken up the matter with DoT to return all these BG's, vide its letter dated 10.08.2020, with reminder dated 09.11.2020. In response there-to, O/o Pr.CCA, DoT, vide letter no. 50-4/2018-Clarification & Rulings / Pr.CCA /Delhi / 1413 dated 05.02.2021, had requested DoT (LFP Divison) to issue the guidelines for re-assessment of LF / SUC in respect to Non-Telecom PSU's, as the demand raised by the DoT had been withdrawn, vide its order no. 12-25 / 2019-LFP dated 13.07.2020. NICSI has further issued reminders to DoT, vide letters dated 11.03.2021, 27.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 09.08.2021, 13.09.2021, 22.11.2021, 08.03.2022 & 21.04.2022 but no progress so far and the BG's are still with DoT.

Further, O/o the Pr.CCA vide letter dated 03.01.2023 intimated that the revised assessment has been carried out and the amount of Rs.341.75 lakhare outstanding against NICSI. The same is shown as contingent liability under the Annual Financial Statement of Financial Year 2022-23. NICSI has requested to waive off the demand raised by the DOT

Howeve/r O/o the Pr.CCA again communicated the revised demand vide latter dated 12.03.2024 & 15.03.2024 for Amount to Rs.413.59 lakhs. Accordingly NICSI has provided the provision under Financial Statement for Financial Year 2023-24.

Note No. 50. Income/Expenditure on National Data Centre Projects

National Data Centre, Shastri Park, Delhi had been set up with financial assistance from MeitY and NIC and had become operational in July, 2011. As per approval by the Standing Finance Committee, NICSI was to bear Operational Expenditure thereon @ Rs.800 Lakh per annum for initial 2 years. To meet its Operational Expenditure, NICSI was to get income from 60 Racks allotted to it. While NICSI continued to meet Operational Expenditure thereon even after 2 years, MeitY had approved that from 01-04-2014 onwards, NICSI would be incurring operational expenditure head-wise on the National Data Centre, Shastri Park, Delhi upto Rs.800 Lakh

on the heads Rent & Maintenance/ Basic Infrastructure Maintenance/ Basic Infrastructure O & M Manpower and NIC would reimburse the expenditure from its Budgetary Provision to NICSI towards Electricity & Diesel Charges/ Physical Security & Housekeeping Charges/ Water Charges/ Logistics Support/ Contingency Charges upto 3% of all these charges, after these expenditure are initially incurred by NICSI. With the setting-up of National Data Centre at Bhubaneswar, NICSI and NIC had worked out an arrangement for operation and management of the same and also, for National Data Centre at Shastri Park, Delhi. NICSI Board of Directors, in its 108th meeting held on 27.12.2018, had considered the same and approved as under with retrospective effect from 01 April 2018: -

- NICSI may create a separate project pool account for Shastri Park and Bhubaneswar Data Centers.
- Income generated through Co-location Services at both these Data Centers shall be pooled under the proposed project heads.
- Income shall be used for meeting the O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure at both these Data Centers.
- In addition to existing 60 Racks being used for co-location service at Shastri Park by NICSI, NIC may add more Racks to generate enough funds to meet O&M expenses for years to come and also for upgrading the basic infrastructure.
- NICSI would not incur Rs. 800 Lakh per annum towards O&M Expenditure at Shastri park from F.Y.2018-19 and onwards. Revenue generated per annum through said 60 Racks and more Racks to be added by NIC, would be utilized for meeting O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure.
- NICSI would charge its 7% Operating Margin and Taxes thereon as per Board approval from F.Y. 2018-19 and onwards on the said O&M Expenditure.

NICSI has accordingly booked its Income & Expenditure in F.Y.2023-24 at National NDC-SP & Bhubaneswar.

NICSI Board of Directors, in its 114th meeting held on 29.07.2020, had requested a Director from NIC to look into and advice on the item related to meeting of deficit between expenditure & income (excluding on Cloud) towards NDC-SP & Bhubaneswar. The matter is still under consideration.

Note No. 51. Interest on Un-utilized fund of Grant in Aid projects and Non Grant in Aid projects.

NICSI has worked out the interest in GIA Projects in FY 2023-24 on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the year and in F.Y.2023-24 as per below:

			in Lakhs
Period	NKN Project	Other GIA Projects	Total
For F.Y.2022-23	8.72	236.82	245.54
For F.Y.2023-24	-	137.25	137.25

NICSI has worked out the interest in other than GIA Projects in the directions of Board of Directors in the 121st meeting held on 26-03-2022 and 122nd Meeting held on 03-06-2022 as per below:

		in Lakhs
Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
Interest on Non –GIA Project	1956.26	335.01

Note No. 52. Trade Receivables

NICSI implements a large number of new projects every year from various Ministries/ Departments / Organizations of the Government of India and States / UTs. As per the provisions in the General Financial Rules (GFRs), they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so, whereas in many cases mainly related to procurement of ICT Hardware, NICSI has to release the work orders to full extent and after delivery / installation of those Items, NICSI has to release the payments to the vendors as per the payment terms in the work orders. This, on many occasions resulted in Trade Receivables, amount of Rs.53715.51 Lakh (PY Rs.57044.98 Lakh) as at March 31, 2024, excluding provision for doubtful debts (disclosed in note no. 10 of the financial statements), which is followed up by NICSI from time to time with the concerned Departments /Organizations to recover the same.

Note No. 53. Provision for Doubtful Debt amounts un-likely to be recovered.

NICSI has been making a "Provision" towards Doubtful Debts in its Accounts continuously since F.Y. 2018-19 considering 100% for the period of more than 10 years, 50% between 5-10 years & 25% between 3-5 years.

A Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations towards making provision in the Accounts for F.Y.2023-24 for the doubtful amounts un-likely to be recovered.

Based on the Committee Recommendations as per the said Policy, the "Provision" has been made in NICSI Accounts for F. Y. 2023-24 towards doubtful amounts un-likely to be recovered as per below: -

				in Lakhs
Duration	Outstanding amount	Provision in %age	Provision in F.Y.2023-24	Provision in F.Y.2022-23
More than 10 years	8300.00	100	8300.00	8064.00
5 to 10 years	2699.00	50	1350.00	1024.00
3 to 5 years	7878.00	25	1970.00	1395.50
Upto 3 years	34838.51			NIL
Total	53715.51		11620.00	10483.00

Note No. 54. Provision for Advances to Suppliers.

F&C Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "Advances to Suppliers amounting to Rs.984.16 Lakh were more than 3 years old. Being more than 3 years old provisioning should have been created in this respect. Non-provision had resulted into overstatement of current assets and understatement of provisions leading to overstatement of profit".

Considering the above observation of F&C Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations to consider and recommend the provision to be made towards Advances to Suppliers un-likely to be settled. The Committee had recommended to make "Provision" in Accounts for amounts towards Advances to Suppliers outstanding for more than 3 years. Accordingly, the Provision had been made in Accounts for F.Y. 2018-19 to 2021-22.

On the above basis, a Committee had been set-up to recommend the provision to be made towards Advances to Suppliers in Accounts for F.Y. 2023-24. On Committee's Recommendations, the Provision amounting to Rs 1026.96 Lakh has been made in F. Y. 2023-24 towards amounts outstanding for more than 3 years as on 31.03.2024 and un-likely to be settled (as against Rs.931.98 lakh in PY 2022-23), except for NKN Project.

Note No. 55. Expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR)

As per the Companies Act, 2013, the company is required to spend at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy. During the year an amount of Rs. 302.00 lakh [(2% of Average Profit Before Tax of immediately previous three years is Rs. 302.00 Lakh. (P.Y Rs. 250.00 lakh, 2% of Average Profit Before Tax of immediately previous three years)] to be spent on CSR during the year. The details of the utilization are as below:

		in Lakhs
Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Total of previous year Shortfall (A)	250.00	112.00
Amount approved by Board (B)	302.00	250.00
Amount spent by the Company for the financial year 2022-23 ©	250.00*	-
Amount spent by the Company for the financial year 2023-24 (D)	146.45	112.00
Excess spend of prior years set off during the year (E)	-	-
Shortfall at the end of the year (F) (A+B-C-D)	155.55	250.00
Reason for shortfall	NICSI has paid advance to implanting agencies against ongoing projects. The fund will be utilized by implementing agencies in the next financial year. Since the project will continue in the next financial year also.	Amount Transfer to CSR Bank Account
Nature of CSR activities	For Health and Nutrition purpose Rs.302.00 Lakhs	For Health and Nutrition purpose Rs.220.00 Lakhs PM CARES Fund Rs. 30.00 Lakhs

* During the financial year 2022-23, the Company could not spend Rs. 250 lakhs towards CSR activities. Consequently, the Company created a liability of Rs. 250 lakhs in the financial statements for the year ended March 31st, 2023 towards expenditure on corporate social responsibility. In FY 2023-24, out of Rs. 250 lakhs, Rs. 220 lakhs were disbursed to CSR implementing agencies, and Rs. 30 lakhs were deposited in a fund specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013. However, while taking approval from the Board for the CSR projects for FY 2022-23, inadvertently, it was mentioned as "Other than ongoing projects" instead of "Ongoing Projects" and CSR return was filed with ROC accordingly. NICSI has taken the approval of the Board to change the category of CSR projects to "Ongoing Projects" and will made the disclosures in the Directors Report of FY 2023-24. Accordingly, will inform the same to ROC while filing the financial statement and CSR return for FY 2023-24. Further, for FY 2023-24, NICSI has taken the approval of the Board to change the category of CSR projects to "Ongoing Projects".

Note No. 56. Provision towards Income Tax & Sales Tax etc.

F&C Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "an amount of Rs. 2,281.03 Lakh on account of TDS/Income Tax recoverable pertaining to FY 2007-08 to 2014-15 is pending from Income Tax Department. The above amount being relating to more than 3 years old, provision in this regard should have been created by the company. However, no provision has been created. Non provision of this amount has resulted into overstatement of current assets and understatement of provision leading to overstatement of income".

Considering the above observation of F&C Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give recommendations on the provision to be made in Accounts for F.Y.2018-19 for the amounts towards Income Tax refund, Sales Tax recoverable and TDS on Work Contract un-likely to be recovered. The provision has been made in NICSI accounts as per detail below: -

		in Lakhs
Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
Income Tax	1835.87	1835.87
Sales Tax/VAT/DVAT	117.91	117.91
TDS on Works Contract	2.54	2.54
Total	1956.32	1956.32

Matter has been taken up with the concerned Tax Authorities regarding refund of Tax and the matter is still under discussion at higher level with their authorities, the refund of the said amount is still awaited.

Note No. 57. Movement of Provision

In reference to compliance for Ind As 37 movements in provision has been disclosed as below:

Particulars	Provision for Supplier Advance	Provision for doubtful debts	Provisions for Stamp Duty	Provision towards Income Tax & Sales Tax etc	Provisions for DOT	Provisions for CSR	Total
As at April 1, 2022	894.32	9,249.75	74.52	1,956.33	-	0	12,174.92
Additions	931.98	10,483.50	-	-	-	0	11,415.48

Write-back/ Transfer'	894.32	9,249.75	46.55	-	-	0	10,190.62
Balance March 31, 2023	931.98	10,483.50	27.97	1,956.33	-	0	13,399.78
Additions	1,026.96	11,620.00	-		413.59	155.55	13216.10
Write-back/ Transfer	931.98	10,483.50	27.97	-	-	0	11443.45
Balance March 31, 2024	1,026.96	11,620.00	-	1,956.33	413.59	155.55	15172.43

Note No. 58. Obsolete Items

While conducting review on NICSI Accounts for F.Y.2017-18, the F&C Audit team had observed that the provision was not made in Accounts for that year towards difference between Depreciated Value of the Obsolete items as on 31st March and Estimated Sale Value against the same. Accordingly, a Committee had been set up in NICSI to examine and recommend the "Provision" to be made in NICSI Accounts for F.Y.2018-19 towards obsolete items as on 31.03.2019 between the Depreciated Value and the Estimated Sale Value. The Committee had recommended that the Depreciated Value of the Obsolete Asset items as on 31.03.2019 be taken as the Estimated Sale value and therefore, no Provision on this account was required to be made in the Accounts for that year. Similarly, no 'Provision' had been thereafter in NICSI Accounts for F.Y. 2021-22 and 2022-23 and also in F.Y. 2023-24. However, based on the physical verification of assets, the estimated value of obsolete asset items as on 31.03.2024 has been worked out at Rs. 10.03 Lakh (PY 10.94 Lakh).

Note No. 59. Provision of Year-end expense and unbilled Revenue

While reviewing the Financial Statement for 2019-20 & 2020-21, P&T Audit (CAG) observed that no provision was being made in books of accounts for invoices pertaining to the expenditure incurred for the preceding previous year for which invoices had been received after the end of the financial year but prior to the date of finalisation of the annual financial statements. The P&T audit had suggested making an appropriate provision against these expenses. Accordingly, from the financial year 2021-22 provision has been made for invoices pertaining to previous financial year and corresponding income from FY 2021-22 has also been be recorded in respective financial year. Based on above unbilled provision has been made in NICSI accounts as per below in financial Year 2023-24 also

		in Lakhs
Particulars	Year Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2023
Provision for Expenses	10308.34	12039.63
Unbilled Revenue	9693.99	11790.45

Note No. 60. Appeal before GST authorities

In November, 2017 the GST of Rs. 473.37 Lakhs was deposited in excess by NICSI on the assumption that many invoices of vendors would be booked in that year but owing to receipt of less invoices, it is resulted in non-settlement of GST to that extent. The claim was rejected by the Assessing officer on 25.09.2020 being time-barred. NICSI had filed an Appeal before the Commissioner (Appeal-II), CGST, Delhi on 18.12.2020 for refund of excess tax deposited but the concerned Commissionrate had rejected the same. NICSI is in process of filing a fresh Appeal with the GST Tribunal but it is held up, as the Tribunal is yet to be constituted by the Government.

Note No. 61. The Company did not have any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of the Companies Act. 1956 during the FY 2023-24.

Note No. 62. Previous year figure reclassification

The company has Re-classified/Re-group/Re-arrange previous year figures to make it comparable with current year classification.

As per our report of even date
For J N Mital & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Manoj Valodi
Partner
Membership No. 560392
UDIN No. 24560392BKMNDU1578

Sd/-
Dr. Rajesh Kumar Mishra
Managing Director
Chairperson
DIN: 10680009

Sd/-
Sh. Bhuvnesh Kumar
Chairperson
DIN: 02780311

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Sh. Jitendra Kumar
FA & CA

Place: New Delhi
Date: 30.07.2024

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of National Informatics Centre Services Inc.
Report on the Audit of the Financial Statements
Qualified Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024, Income and Expenditure account, the Statement of Changes in Equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of material accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "financial statements").
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act 2013 ("the Act") as amended from time to time., in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, ("Ind As") and its excess of income over expenditure, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion
I. We draw attention to the following notes to the financial statements. These balances are subject to reconciliation and confirmation. Pending such conformation and reconciliation, we are not in a position to ascertain and comment on the correctness of the outstanding balances and resultant impact of the same on financial statements.

			in Lakhs
Sr.No	Description	Note No	Balance as at March 2024 (Rs. In Lakhs)
1	Other financial assets (Security Deposit)	Note-7	1,366.10
2	Other non-current assets" (Capital & other advance)	Note-9	12,774.42
3	Trade receivables	Note-10	42,095.51
4	Other current assets" (Advance to suppliers)	Note-15	29,011.05
5	Other financial liabilities (Security deposits payable)	Note-18	64.76
6	Trade Payable	Note-19	45,206.02
7	Other financial liabilities" (Ernest money deposit & retention money deposit)	Note-20	861.09
8			
9	Other current liabilities" (advance from customers)	Note-21	2,63,566.22

ii. Refer Note 37. "Contingent Liabilities". Instead of recognizing interest expense & interest liability in respect of MSME trade payables, the company has disclosed interest liability in respect of MSME trade payable as a contingent liability. This has resulted in overstatement of income by Rs.762.26 Lakhs & understatement of Trade payables by Rs.762.26 Lakhs

iii. Refer Note No 10 "Trade Receivables". As per the requirements of Division II of Schedule III of the Companies Act, 2013, the ageing should be disclosed for the categories: less than 6 months, 6 months - 1 year, 1 - 2 years, 2 - 3 years, and more than 3 years, with the due date of payment taken as the base date. Since ERP accounting software of the company do not generates ageing details, therefore the Company has disclosed ageing of trade receivables using a yearly incremental balance approach.

Further, Company has recognized Rs. 11620 lakhs as provision for doubtful debts. Accounting policy of the company for provision for doubtful debts is given in Note 2 (xvi) states that a "Provision towards Doubtful Debts is recognized considering 100% for the period of more than 10 years, 50% between 5-10 years & 25% between 3-5 years as at the Balance sheet date".

As per accounting policy, provisioning period of 10 year, 5-10 years and 3-5 years should be seen from the due date of payment of invoice. Since ERP accounting software of the company does not generate ageing details, therefore, company has used yearly incremental balance approach for calculating provision of Rs. 11620 Lakhs. In view of non-availability of invoice wise ageing of the trade receivables, we unable to ascertain and comment on the correctness of the ageing disclosed & provisioning amount of Rs. 11620 lakhs.

In the absence of information, the effect of which can't be quantified, we are unable to comment on the possible impact of these items stated in points nos (i) & (ii) on the financial statements of the company for the year ended on March 31st, 2024.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the financial statements

Emphasis of Matter

i. Refer note no 55 "Expenditure on corporate social responsibility". The company has disclosed that in the financial year 2022-23, while obtaining Board approval for CSR expenditure, it inadvertently did not categorize CSR projects of Rs. 220 Lakhs as "ongoing projects". Additionally, the company filed CSR 2 for FY 2022-23, considering these projects as "other than ongoing projects." In its board meeting held on 30.07.2024, the company's Board ratified this error by reclassifying the "other than ongoing projects" category to "ongoing projects."

ii. The company is required to review its accounting policies in respect of revenue recognition given in note 2(vii) & in respect of amortization of computer software and server given in note 2(iv).

Our opinion is not modified in respect of the matters reported in the paragraphs above.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the management discussion and analysis, Board report including annexures to the

Board's report and Shareholder's information, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Board of Director's Responsibilities for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation, and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial Statements, management and board of directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the board of directors either intends to liquidate the Company or to cease operations or has no realistic alternative but to do so.

The Company's Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(I) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. Matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 have not been commented upon since the said order is not applicable to the Company in view of the exemption available to a company licensed to operate under Section 8 of the Companies Act, 2013.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) In our opinion, the Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account.

d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act.

e) The company being a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Act, in respect of director's disqualification, is not applicable to the company, in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses a qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.

g) With respect to the other matters to be included in the auditor's report in accordance with the requirement of section 197(16) of the Act, as amended, we are informed that, company being a Government company, the

provisions of section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the company in terms of Notification No. G.S.R 463(E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial Position in its financial statements (Refer Note no. 37 to the financial statements);

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:

• Directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or

• Provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall:

• Directly or indirectly, lender invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Funding Party or

• Provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause(iv) (a) and (iv) (b) above contain any material mis-statement.

v. Since the Company has been incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 and it cannot declare dividend, reporting under clause

143 (11) (e) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable to the Company.

vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2024, which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of Companies act, 2013 is attached as Annexure B.

For J.N. Mital & Co
Chartered Accountants
FRN003587N

Sd/-
CA. Manoj Valodi
(Partner)
M. No: 560392
UDIN: 24560392BKMDNU1578

Place: New Delhi
Date: 30th July,2024

Annexure 'A' to the independent auditor's report on the Ind AS financial statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended 31st March 2024

(Referred to in paragraph 2(f) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Subsection 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company") as of March 31, 2024, in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to standalone financial statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating

effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the IND AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to financial statements

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the IND AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified in the operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting as at March 31, 2024:

a. The company does not have an appropriate internal control system for ensuring recording of revenue in respect of direct services/managed services. Currently, revenue from these services is recorded at the time the invoice is generated. Invoices are produced only after the project coordinator confirms that the service has been delivered and instructs the billing division to issue the invoice. This method results in a time lag between when the service is actually provided and when the revenue is recorded, as revenue recognition occurs based on the invoice generation rather than the actual performance of the service. This could potentially result in impaired financial reporting.

b. The Company does not have an appropriate internal control system for reconciliation & confirmations of Trade Receivables, Trade Payables, Advance from customer, Ernest Money Deposit, Retention Money, Security deposits, Advances to Suppliers, which could potentially result in some changes in the financial statements. The cases identified by us have been appropriately qualified at various places in our report.

c. The Company does not have an appropriate internal control system for the ageing of trade receivables. Currently, ageing is being done manually in Excel, which may lead to potential inaccuracies and inefficiencies. Consequently, potentially result in impaired financial reporting. The cases identified by us have been appropriately qualified at various places in our report.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described in the report on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as of March 31, 2024, based on the internal control with reference to financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2024, financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the financial statements of the Company. Our opinion is not modified in respect of the above matters

For J.N. Mital & Co
Chartered Accountants
FRN003587N

Sd/-
CA. Manoj Valodi
(Partner)
M. No: 560392
UDIN: 24560392BKMDNU1578

Place: New Delhi

Date: 30th July, 2024

Annexure 'B' to the independent auditor's report on the Ind AS financial statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended March 31, 2024

Report on Directions issued by the comptroller and auditor general of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013

S. No	Directions/Sub directions	Auditor's Comments	Impact on financial statements
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? if yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The Company has an accounting system in place to process all the accounting transactions through an ERP accounting software which was implemented w.e.f. July 01, 2017. However, the ERP software was implemented and is still in operation without being validated by a Systems Audit being carried out by an external independent agency. Further, ERP accounting system of the company do not provide the ageing of trade receivables, trade payables & CWIP. Presently, the ageing of trade receivable, trade payables & CWIP is being done manually on excel and the same is being used for reporting in financial statements. Furthermore, depreciation calculations with respect to opening/addition/ deletion is currently being done manually on excel and thereafter same has been posted into the ERP system as no automation module is available in the ERP.	Unascertainable

2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interests etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	Not applicable, as the company did not have any outstanding loan during the year 2023-24. Accordingly, there was no case of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by any lender to the company due to the company's inability to repay the loan	Nil
3	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.	As per information, explanations & written representations given to us no funds (grants/subsidy) have been received/receivable for any specific schemes from Central/State government or its agencies, during the financial year 2023-24	Nil

For J.N. Mital & Co
Chartered Accountants
FRN003587N

Sd/-
CA. Manoj Valodi
(Partner)
M. No: 560392
UDIN: 24560392BKMDNU1578

Place: New Delhi

Date: 30th July,2024

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL, OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFROMATICS CENTRE SERVICES INC. (NICSI)

The preparation of Financial statement National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) for the year ended 31 March 2024 in according with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor/Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section139 (5) of the Act are/is responsible for expressing opinion of the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30.07.2024.

On behalf of the Comptroller and Auditor General of India. have conducted a supplementary audit of the financial statement of NICSI for the year ended 30 March 2024 under Section 143 (6) (a) of the Act this supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers o f the statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a examination of some of the accounting record.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143 (6) (b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Balance Sheet

Assets

Other Non-Current Assets (Note No 9)

Advance other than Capital Advances -Rs.1450.21 lakh

The above head is overstated by an account of Rs. 453.46 lakh due to inclusion of the advances to the supplier of manpower services outstanding for a period more than three years old. Non provision of these advances is in contravention of the Company's accounting policy in this regard.
This resulted in understatement of the expenditure and overstatement of the profit for the year by this amount.

Comment on the Statutory Auditor's Report
Report on Directions issued by the C&AG of India u/s 143 (5) of the companies Act,
This Statutory Auditor's response to the direction of CAG of India issued under section143 (5) of the Companies Act, 2013, point no 3 (funds received /receivables for specific schemes) is factually incorrect as the Company received funds of Rs.96101.91 Lakh during the year 2023-24 from different Ministries / Departments for specific schemes whereas as per the Report of Statutory Auditors, during the year 2023-24, on such funds were either received/ receivable by the Company from any Central/State agencies.

For and of behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Sd/-
(Purushottam Tiwary)
Director General of Audit
(Finance & Communication

Place: New Delhi
Date: 30th July,2024

National Informatics Centre Services Incorporated
Inspection Report on the audit of office of the NICSI for the year 2023-24 (A/c year 2022-23)

Sr.No.	Report Para No.	Audit Findings	NICSI Reply
1	Para no.1 (Part-II A)	**In-adequate/non-pursuance of debtors and non-existence of proper debt recovery mechanism led to accumulation of dues of Rs.55.65 crore from Government Departments/ agencies in respect of the projects closed during the period from 2012-23 (Reference Number: OBS-1099279)** The National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI), a specialized IT services company, collaborates with various government entities for IT projects. Upon formal agreements or Memoranda of Understanding (MoUs), NICSI issues Proforma Invoices, demanding 100% advance payments to enable NICSI to initiate the procurement of services and goods required for the project and to facilitate project execution. Upon receiving the advance payments from the user departments, NICSI allocates these funds to the procurement of services and goods from its empanelled vendors. This advance payment ensures a smooth flow of resources necessary for project commencement. NICSI, having received the necessary funds, then places work orders with its empanelled vendors. These vendors are carefully selected to meet the specific requirements of the projects and are trusted partners in the successful delivery of IT solutions. On completion of the order, the vendor submits the invoices to the NICSI for release of payments to them as per the conditions of payment in the work orders. On an examination of NICSI's debtor accounts, a concerning pattern emerged. Numerous government departments and agencies failed to fulfill their financial obligations, defaulting on payments for advances and balance dues even after the successful completion of projects. It's crucial to highlight that NICSI, In adherence to its commitment to timely project completion, had already disbursed payments to the vendors. Regrettably, this non- compliance has led to a substantial accumulation of debtors. As of March 31, 2023, NICSI is grappling with a significant cumulative debtor amount of Rs.452.54 crore which	Audio has observed that NICSI collaborates with Government entities for IT project NICSI enters agreements & MOU and issues performa invoices (PI's) NICSI thereafter demands 100% advances, on receiving funds /advances NICSI Place work orders. Vendors submit invoices. For release of payment due to commitments with vendors. NICSI disburses payment to the vendors but government entities defaults payments which lead to accumulation of debtors. As regards to accumulated debtors of Rs. 452.54 crores as 31 March 2023. It is informed that the debtors amounting to Rs. 169.84 crores were settled during the period from 01.04. 2023 to 29.02.2024 **(enclosed as annexure - A)** As regards to outstanding debtors of Rs. 80.64 crores pending for more than 10 years. It inform that the board had approved the following policy for provision of debtors.

<table>
<tr><th>Sr.No.</th><th>Report Para No.</th><th>Audit Findings</th><th>NICSI Reply</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Para no.1 (Part-II A)</td><td>includes more than 10 years old outstanding amounts of Rs.80.64 crore. Out of this, dues of Rs.55.65.24,739/- pertained to 1506 projects which were completed/closed during the period between April 2012 to 31" March 2023 (as detailed in the Annexure-1).

Out of the above outstanding amount, an amount of Rs. 39.21,88,689/- was outstanding in respect of 1216 projects which were found to be closed three years back i.e., prior to 31.03-2020. The possibility of recovery of such old dues turning progressively bleak with the passage of time. The arrangements exist in the NICSI to recover the old outstanding dues are adhoc only. Upon assessing the recovery of dues from vendors in the fiscal year 2022- 23, the status of recovering dues for the period proceeding to 2019-20 is delineated</td><td><table>
<tr><th>S.No.</th><th>Particular</th><th>Provisions Required</th></tr>
<tr><td>1</td><td>From 3 Years to 5 Years</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5 Years to 10 Years</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>More than 10 Years</td><td>100%</td></tr>
</table>
Accordingly NICSI had provided 100% provision against the 80.84 Crore as per the Policy (Copy of policy enclosed for ready reference as Annexure-B)

As regards to dues of Rs.55,65,24,739/- pertaining to 1506 projects which were completed/closed during the period between April 2012 to 31" March 2023, it is informed that the details of the 1506 Projects have been re-checked from the records and found that the amount of Rs. 6,95,92,969/- have been settled/ recovered as on 02.07.2024 (Updated status is enclosed as Annexure-C).
As regards to Rs. 39,21,88,689/- outstanding in respect of 1216 projects, closed three years back i.e. prior to 31.03.2020, it is informed that details of 1216 Projects have been re-checked from the records and found that the amount of Rs. 4,24,59,909/- have been settled/ recovered as on 02.07.2024 (Updated status is enclosed as Annexure-D).
As regards to Internal Mechanism for settlement / recovery of old outstanding debtors, it is informed that persistent actions are being taken in NICSI. Constant</td></tr>
</table>

Amount in Crore

Years	Amount Outstanding as on 31-03-2022	Amount Outstanding as on 3 I - 03-2023	Amount of old outstanding amounts adjusted during the year 2022-23.
Up to 2012-13	81.55	80.64	0.91
2013-14	5.03	4.07	0.96
2014-15	7.29	6.47	0.82
2015-16	6.09	6.09	0.00
2016-17	3.08	3.08	0.00
2017-18	0.77	0.77	0.00
2018-19	14.1	13.78	0.32
2019-20	47.43	42.04	5.39
Outstanding up to 2020	165.34	156.94	8.40

The above data reveals that the quantum of recovery of old dues did not commensurate with the volume of the dues.

Addressing the challenges of inadequate debt recovery requires a comprehensive and strategic approach. By actively engaging with defaulting departments, implementing a systematic debt recovery strategy. and enhancing internal mechanisms, NICSI can mitigate the financial burden caused by accumulated dues. Proactive measures will not only ensure timely recovery but also contribute to the sustained success of future projects. On being pointed out the above and enquired the reasons for non-realisation of these long pending dues, no reply was provided by NICS1.

Further, Despite repeated requests, the project-wise data relating to the projects which were closed during the period between the years 1998 to 31" March, 2012 and carries outstanding dues front different agencies was not provided for verification. Immediate action may be taken to provide this information.

persuasion is being done with the Department/ Organizations/ Ministries. Several letters/ e-mails sent in this regard are (enclosed for ready reference as Annexure-E).

As regards to project-wise data relating to the projects which were closed during the period between the years 1998 to 31" March, 2012, it is informed that 6119 projects were finally closed during the period between the years 1998 to 31" March, 2012. In these accounts, Debit balance is Rs. 21.06 crore and Credit balance is Rs.7.35 crore and details are enclosed as Annexure- F for ready reference.

(In view of above it is requested that the para may be dropped).

2	Para no.2 (Part-II A)	Non-payment of interest on reversal of GST Input TaX Credit in violation of CGST Act, 2017 resulted in substantial loss of Rs. 3.89 Crore. (Reference number: OBS-1097947) The Goods and Services Tax (GST) system, heralded as one of the most significant tax reforms in India, introduced the concept of Input Tax Credit (ITC). This mechanism allows registered taxable persons to offset the taxes paid on inputs (purchases) against the taxes payable on outputs (sales). In essence, it enables a reduction in the tax liability on sales by accounting for the taxes already paid on purchases. In simple words. Input Credit means at the time of paying tax on sales, you can reduce the tax you have already paid on purchases.ITC can be availed by a registered taxable person in a specific manner and within a specified time frame. If a registered person who has availed input tax credit on any inward supply of goods or services or both, but fails to pay the supplier within a period of 180 days, then ITC availed is to be reversed. If part of the invoice is paid then ITC will be reversed on a proportionate basis. As per Rule 37. all registered persons should reverse the ITC claimed on inward supplies for which he has failed to pay consideration to the supplier within 180 days from the date of issue of the invoice. The reversal process is crucial, and these transactions must be reported in the annual tax return, GSTR 9. Furthermore, Section 50(3) of the Central Goods and Services Act, 2017 addresses the aspect of interest on the undue or excess claim of input tax credit. A taxable person who makes an undue or excess claim of input tax credit under sub-section (10) of section 42 or undue or excess reduction in output tax liability under sub-section (10) of section 43, shall pay interest on such undue or excess claim or on such undue or excess reduction, as the case may be, at such rate not exceeding twenty -four per cent..as may be notified by the Government on the recommendations of the Council. On a review of" records provided it was observed that the NICSI has reversed GST Input Tax Credit amounting to Rs 16.227 crore related to the period 2022-23 as detailed below	In this regard, it is informed that NICSI has been regularly providing the services to its user department through its empanelment vendor. Non making the payment to vendors within 180 days are only due to Non-availability of funds in the respective projects which is agreed term of Purchase order/ work order with vendors that the payment will be made subject to availability of fund from user department Further, it is stated that the penal interest and penalty as per the GST act against reversal of input credit for non-payment of vendor with-in 180 days will be charged from the user department under the respective projects, if funds are not available under the project due to non-release of funds by the user department. NICSI had taken the plea previously also in replying to a Audit observations, that the interest would be paid as & when demanded by the GST department and the same would be passed on to the respective users. However, no such demand had been raised by the GST department so far against NICSI. Further CAG Statutory Auditor accepted the plea of NICSI and suggested to disclose the GST interest liability under the contingent Liability in the annual Financial Statement for 2022-23 enclosed as Annexure-G (In view of above it is requested that the para may be dropped)

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td colspan="4">(Amount in Crore)</td></tr>
<tr><th>Financi ul Year</th><th>Total Reversal of SGST</th><th>Total Reversal of CGST</th><th>Total Reversal of IGST</th></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>4,69,10,166</td><td>4,69,10,168</td><td>6,84,51,138</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>162271472</td></tr>
</table>
Despite the ITC reversals. it has been noted that NICSI has not paid the applicable interest as per Rule 50 of the GST Act. The interest, calculated at the rate of 24% on the reversal of Input Credit amounts to a substantial loss ot Rs. 3.89 Crore.
NICSI should promptly addresses this non-compliance by paying the due interest on the reversal of GST Input Tax Credit. This action not only aligns with regulatory requirements but also mitigates financial masses associated with interest liabilities. Timely rectification of this discrepancy is essential to uphold financial prudence and compliance with the GST regulations.
In conclusion it is imperative for NICSI to expeditiously rectify the non-compliance issue by promptly remitting the due interest on the reversal of GST Input Tax Credit. Compliance with the regulatory framework not only aligns with the principles of good governance but also safeguards against financial losses arising from interest liabilities. Timely and decisive action in addressing this discrepancy is crucial for upholding financial prudence and demonstrating a commitment to adherence with GST regulations.
On being enquired the reasons for non-payment of interest, no reply was provided by the NICSI authorities.
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Para no.3

(Part-II A)</td>
<td>
Observations on Issue of purchase orders on empanelled vendors and non-return of balances of Rs. 55.65 to Grantor agencies on closure of the Projects. (Reference Number: OBS-1163029)
Non-adoption of approved Procurement Manual even after 29 years of establishing NICSI.
NICSI plays a crucial role in facilitating the adoption of IT solutions and services across government agencies, central government, and state government
</td>
<td>
Audit has observed that, NICSI was established in year 1995 but it does not have approved Procurement Manual which outlines policies, procedures & guidelines for procurement process within the organization. It serves as a valuable resource for training new employees.
In this regard, it is informed that
</td>
</tr>
</table>

		and public sector undertakings in India. To accomplish this, NICSI is tasked with procuring various information technology (IT) goods and services including hardware, system software, application software, software development, customized software, intra-networking wide area networking, video conferencing, IT training, IT consultancy and IT implementation support. As per para 1.6 of Manual for Procurement of Consultancy & Other Services, 2022 read with GFR 2017 the obligations of Procuring authorities can be grouped into following five fundamental principles of public procurement, which all procuring authorities must abide by and be accountable for. • Transparency principle; • Professionalism principle; • Broader obligations principle • Extrinsic legal principle and • Public accountability principle. Further, as per the manual, the following additional principles shall be considered during Procurement of Consultancy and other services:- Services to be procured should be justifiable. In case of Consultancy Services — well-defined scope of work / Terms of Reference (To description of services) and the time frame for which services are to be availed of should be determined consistent with overall objectives of procuring Entity. In other (non-consultancy services) activity, Schedule (a document covering well-defined scope of work/description of services and the time frame for which services are to be availed of should be consistent with overall objectives of Procuring Entity; • Equal opportunity to all qualified service provider/consultants should be ensured to compete. Engagements should be economical and efficient. • Transparency and integrity in the selection process (i.e. proposed, awarded, administrated and executed according to highest ethical standards). • Additionally, in procurement of consultancy services, Consultants should be high quality. On a scrutiny of records related to the year 2022-23. it was observed that NICSI issued 7620 Purchase/work orders for Rs.1230,07,14.293 to its empanelled agencies for procurement of goods and	NICSI has been following the financial principles / fundamental principles of Public Procurement as prescribed in GFR 2017 & Manual for Procurement of Consultancy & Other Services, 2022 (Ministry of Finance & Department of Expenditure) **(In view of above it is requested that the para may be dropped)**

		services for various government department and PSUs, however, the Company does not have approved procurement manual. The procurement manual being a manual lying down the detailed procedure to be followed for procurement is an essentiality for organization like NICSI.A procurement manual is a document that outlines the policies, procedures and guidelines for the procurement process within an organization. The manual serves as a valuable resource for training new employees and on boarding them into the organization. It provides a comprehensive overview of the procurement policies and procedures, helping employees understand their roles and responsibilities. Though NICSI was established in the year. 1995, the company did not possess an approved procurement manual. On being enquired the reasons for non-possessing or non-preparing an approved procurement manual, no reply was furnished by the NICSI Management. However, in the exit meeting with Audit, NICSI authorities enquired about the necessity of adopting a procurement manual as they are procuring all their services and goods through GeM only and as per the prevailing rules under GFR. As the NICSI plays pivotal role in procuring IT goods and services for various government entities the lack of an approved procurement manual raises concerns about the consistency and transparency of its procurement practices. A procurement manual is integral to an organization's effective functioning providing a structured framework for the procurement process ensuring adherence to principles of transparency professionalism, broader obligations, legal compliance and public accountability. To align with contemporary standards and to enhance operational efficiency, it is imperative for NICSI to expeditiously adopt and implement an approved procurement manual. The Procurement manual should not only encompass the fundamental principles of public procurement but also integrate additional principles specific to the procurement of consultancy and other services as outlined in the Manual for Procurement of	

Consultancy for Other Services 2022. This step will not only institutionalize best practices but also serve as a crucial resource for training and on boarding ensuring that all stakeholders understand their roles and responsibilities in the procurement process.
Therefore, NICSI should prioritize the formulation approval, and implementation of a comprehensive procurement manual. This proactive measure will not only strengthen NICSI's internal governance but will also contribute to the overall efficiency, transparency and integrity of its procurement activities.

4 (B)

Issuance of around 60% of the work orders to four vendors as against the 68 empanelled vendors.

Out of 7620 work orders issued during the year 2022-23 for Rs.1230.07crore. 7530 work orders amounting to Rs. 1132.83 crore (98.73%) where issued in respect of manpower procurements (as detailed in the Annexure-2(a)). For manpower procurements work orders were issued to 68 empanelled agencies by NICSI during the year 2022-23.However, 5 vendors viz., Velocis Systems Pvt. Ltd (18.04%), SISI Infotech Pvt. Ltd (14.84%), Akal Information Systems Ltd (10.39) and Aeologic Technologies Pvt. Ltd (7.62%) were having approx. 60% of the total work orders issued during the year 2022-23 (as detailed in Annexure-2(a) &2 (b)). It was observed that for last 3 years these vendors were only given maximum numbers of the work orders.

Further, as per the CVC guidelines the system of allocation of work should be fair, transparent and equitable however, considering the skewed procurement from these four vendors only equity, fairness and transparency cannot be ensured. As all the agencies were empanelled on the same rates, the justification for providing majority of work to these four vendors may please be elucidated.

Thus, the concentration of work orders, with approximately 60% being awarded to just four vendors out of the 68 empanelled agencies raises concerns about the fairness, transparency and equity in the procurement process at NICSI. While these vendors namely Velocis Systems Pvt. Ltd., SISL Infotech Pvt. Ltd, Akal Information Systems Ltd. and Aeologic Technologies Pvt. Ltd, have consistently received a significant share of work orders over the

Audit has observed that -

7620 work orders were issued during 2022-23 for value of Rs.1230.07 crore.

7530 work orders amounting to Rs.1123.18 crore were issued to 4 vendors. Though 68 agencies were empanelled.

Empanelled Vendors	No. Of WO issued	% of WO issued	Value of WO
Velocis Systems Pvt. Ltd	1358	18.04	170,29,26,498
SISI Infotech Pvt. Ltd	1117	14.84	86,75,68,860
Akal Information Systems Ltd	782	10.39	76,41,35,804

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>past three years, it is essential to ensure that the allocation of work aligns with the principles of fairness and equal opportunity as per CVC guidelines.

NICSI must provide a clear and justifiable explanation for the disproportionate distribution of work orders among these four vendors especially when all empanelled agencies are on the same rate structure. The justification should include specific criteria or considerations that led to such a concentration, ensuring that the procurement process is free from bias and adheres to the principles of transparency and equity.

NICSI Management has not provided any response or clarification regarding this matter.</td>
<td>
<table>
<tr><td>Aeologic Technologies Pvt. Ltd</td><td>574</td><td>7.62</td><td>33,75,28,173</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>3,831</td><td>50.89 %</td><td>367,21,59,335</td></tr>
</table>
Further, Audit has also reported that for the last 3 years these vendors were given only maximum number of work orders.

As regards issue of 60% work orders to 4 vendors, it is informed that it amounts to 50.89% and not 60% as reported by the audit as may be seen from the above table.

During F.Y. 2022-23, NICSI had awarded the manpower procurement work orders to its empanelled agencies, as per the provisions in its SOP's dated 26.04.2016, 15.09.2020 & 24.12.2021 (copies enclosed as Annexure-H).

SoP for Assignment of work to empanelled agencies are as under-

i. On receipt of request from User Department, NICSI would inform the User Department about the empanelled consulting agencies and the GFR compliant procedure followed in the empanelment.
ii. In case the User Department clearly and specifically states in writing the name of a particular agency, NICSI may assign the work to that agency. In such cases, the responsibility for adhering to relevant financial/ procurement rules would be that of the User Department concerned.
iii. In case the User Department does not indicate any particular agency, the work would be awarded</td>
</tr>
</table>

			based on the recommendation of a Committee to be set up by the User Department. The Committee would be chaired by a representative of the User Department or in case it is headed by any NIC/ NICSI officer, it must have a representative from the user Department. iv. All empanelled Consulting Agencies would be invited by the Committee to make presentations regarding the project under consideration. The presentations may be evaluated objectively, based on which the most suitable agency may be assigned the work by NICSI, on the recommendation of the above Committee. v. There should be full participation and involvement of the User Department on the process of selection of agency. The User organization informs its "Preferred Vendor" to NICSI (out of the empanelled agencies) through the Project Execution Form (PEF), It may be seen from the above procedure that the work orders are awarded on the basis of recommendations of the user department. The allocation of maximum work to specify vendors are not done by NICSI, and the same are given work orders on the recommendation by User Departments copy (enclosed as Annexure-I). In view of above, it is informed that the work orders are issued to vendors on the procedures as per SoP's. **(In view of above it is requested that the para may be dropped)**

5	(C)	Non-implementation of Comprehensive ERP. The implementation of ERP accounting software at NICSI with effect from July 01, 2017 without undergoing validation through a system audit by an external independent agency, has revealed certain control weaknesses. These weaknesses pertain to critical aspects of accounting, including the mapping of individual party balances, carry forward of opening balances, ageing schedule, obtaining statements of account directly from the ERP and tracking changes made in statements of accounts. This lack of validation and identified control weaknesses raise concerns about the reliability and accuracy of the financial data managed within the ERP system. The absence of external validation increases the risk of errors in financial reporting and may hinder the NICSI's ability to provide accurate and timely information to the Management and stakeholders. Moreover, the manual process currently employed for fixed Assets accounting, involving additions, deletions, and depreciation, underscores a notable operational gap. As there is no automation module available in the ERP system for Fixed Assets management, this manual approach not only increases the likelihood of errors but also leads to inefficiencies in data processing and reporting. The delayed update of fixed assets records, coupled with the potential for human errors in depreciation calculations, may impact the accuracy of financial statements. The delayed update of fixed assets records, coupled with the potential for human errors in depreciation calculations. may impact the accuracy of financial statements. Further, comprehensive project details were not captured in the ERP portal. The lack of this essential project information may hinder the ability to conduct a comprehensive assessment of the project's progress, performance. and adherence to established guidelines On being enquired the reasons for non-implementing comprehensive ERP system and even after six (6) years of implementing the ERP and reasons for non-conducting the systems audit by an external independent agency from time to time, no reply was furnished by the NICSI Management.	As regards to Comprehensive ERP implementation, it is informed that NICSI implemented ERP in the year 2016 at the cost of Rs.3.02 Cr and they were in handholding for 2 years till 08-11-2018 with M/s Rolta India LTD. The License fees paid to Oracle for perpetual and one time basis, NICSI can use those license upto unlimited time, in case Oracle ERP support required same will be renewable on support license fees. During the audit for FY 2017-18 it was observed that the Accounting Software had not been validated by any third agency. NICSI has taken up the matter with STQC Directorate for validation of Accounting Software. Some discussions & correspondence were held but due to some reasons and Corona epidemics during 2020 the proposal was not finalized. Subsequently, NICSI has invited bids from its empanelled agencies and had finalized L1. NICSI Board of Directors in 120th meeting held on 26.11.2021 has directed to float open tender. For the need of time and volume along with necessary requirement of support from Oracle it was felt by the management for up gradation and the proposal was placed in its 123th Board meeting. Further NICSI management had validated the existing Oracle ERP from M/s Dr. CBS Cyber Security Services LLP and In its Report dated 06.07.2022 finalized by conducting the onsite Audit, the firm has observed that "the application is free from various functional errors as per business requirement. Further the Audit of Oracle EBS Application Software &

			related IT infrastructure shall be carried out at least once a year or at any significant up gradation of process / computer resource. Also, the Application must be updated to the latest version & authentication for additional security of user's personal data". At the time of customizing the ERP Software, the need to include the fixed Asset schedule there-in was not inadvertently brought to the notice of the development team and therefore, it was not incorporated. However, all these details, including working out the depreciation there-on, are worked out manually and are also thoroughly checked by both the Internal Audit Team & Statutory Audit Team and no variation there-in has so far been observed.
6	(D)	**Non-complying with the significant accounting policies and re-returning of un- utilised balance of Rs. 6.22 crore in a test checked 256 Active Projects.** In adherence to NICSI's Significant Accounting Policies, advances received from various Ministries/Departments of the Government for the sales of goods and services are utilized for the execution of respective projects. If a surplus remains with NICSI at the conclusion of a project, it is duly refunded to the Grantor Institution, accompanied by any applicable interest. Despite repeated requests during the audit process, NICSI authorities did not provide the required information on Project-wise balances and the date of the last transaction in each project either by extracting it from the ERP system or through manual submission. In an effort to assess the situation the audit attempted to review Project-wise balances available in the ERP system. Due to ERP constraints, only 1% (approximately 300 projects) of the active projects were reviewed. Out of these, it was identified that in 256 projects, an un-refunded balance of	At the time of customizing the ERP Software, NICSI was not aware about the Embedded Audit Module and therefore, it had not been included in the same. NICSI have developed new ERP with its in-house development team. All the above features will now be implemented, once the new customized ERP put in use. **(In view of above it is requested that the para may be dropped)** As regards to observation that 256 projects are having un-utilized balance of Rs.6,21,76,735/- in spite of the fact that, no transaction has taken place in these projects after year 2019, it is informed that the balance available as on 02.07. 2024 in these projects is Rs. 5,45,01,370.38/- and the amount settled till 02.07.2024 is Rs.76,75,365/- as enclosed in Annexure-J.

		Rs.6,21,76.735/- existed (as detailed in Annexure-2(c). Notably these projects showed no transactions alter the year 2019 and in most cases the last transaction date was noted as 31-03-2016 indicating the date from which previous balances were carried forward in the FRP system. The balance amount available in these 256 projects is ranged between Rs.165/- (Project ID: P150685RLUP) to Rs. 2,22,69,841/- (Project ID: C141558SDND). Further scrutiny revealed that instead of refunding these unutilized balances. NICSI had invested the amounts in Fixed Deposits with various banks at varying interest rates and maturity profiles. Despite the absence of transactions and advances in these projects for several years, NICSI had not taken action to close them in the FRP system or designate them as inactive projects. Further, in the test checked data it was observed that though there were no transactions and no advance amounts available in the projects for the last several years. No action has been initiated by the NICSI either to close the projects in ERP or earmarked under inactive projects. The list of non-refunded advance balances in the active projects where there were no activities since a long time, is illustrative only. During an oral inquiry of audit. NICSI authorities communicated that projects with no transactions over a three-year period would be considered inactive or closed. However, it was observed that several projects were continued under Active status in ERP without any transactions for years together. Thus the above audit observation provides a significant lapse in NICSI's adherence to its own accounting policies regarding the refunding of unutilized balances on the completion of projects. The review of a sample of active projects revealed an alarming number of 256 projects with un-refunded balances totalling 6.21.76,735/-. Despite the absence of transactions and advances in these projects for several years. NICSI has not taken the necessary actions to close or categorize them as inactive in the ERP system. Furthermore, the audit observed that instead of refunding these unutilized balances. NICSI had	As regards to investment in Fixed Deposit, it is informed that as per policy for better utilization of funds the amounts are kept in Fixed Deposits. Although it is not our intent to keep the closed projects amount in the fixed deposits. It is informed that, Projects are closed on receipt of request from User Department/ Coordinators. The details of Expenditure in projects, balance available along with the invoices are sent to User department. NICSI refund the amount and interest on receipt of request from User Department. Sometimes, user departments re-request for opening of projects to meet some other specific requirements. In view of this amount are continued in closed projects and are returned to user department on the request received from them. As directed by audit team, complete data on active projects including Project ID, project details, vendor name, debit/credit balance, and the date of the last transaction are (enclosed as Annexure-K) **(In view of above it is requested that the para may be dropped)**

		invested the amounts in Fixed Deposits with various banks, indicating a departure from the established policy. The lack of transparency and accountability in managing projects without recent activities raises concerns about the integrity of the financial management system at NICSI. The query regarding the rationale for keeping projects open, despite the absence of transactions for an extended period, remains unanswered. NICSI is urged to provide complete data on active projects including Project ID, project details, vendor name, debit/credit balance, and the date of the last transaction for further verification. Addressing these discrepancies and providing clarifications on the reasons for not returning balances in compliance with NICSI's significant accounting policies is imperative. This step will not only ensure accountability but will also contribute to the overall transparency and reliability of NICSI's financial management practices.	
7	(E)	Non-return of un-utilised advance balance of Rs. 55.65 crore to the Grantors in respect of the projects closed during the period from April, 2012 to March, 2023. NICSI, in accordance with its Significant Accounting Policies, utilizes advances received from various Ministries/Departments of the Government for the execution of specific projects. As per the policy, any surplus remaining with NICSI at the completion of a project is to be promptly refunded to the respective Grantor Institution, along with any applicable interest. Upon reviewing the data provided by NICSI concerning closed projects, it has come to attention that an amount of Rs.55,65,24,739/- representing unutilized balances of advances received from different Grantor Agencies has not been returned to the concerned agencies upon the closure of these projects (as detailed in Anneeure-2(d)). These projects were officially closed during the period spanning from April 2012 to March 2023. This non-compliance with NICSI's own Significant Accounting Policies, which mandate the timely refunding of surplus amounts to the respective	Audit team has pointed out that there are un-utilized advances amounting to Rs. 55,65,24,739/- received from different Grantor agencies lying in the 14,945 closed projects during the period from April 2012 to 2023. In this regard, it is informed that the details have been rechecked and it is found that the balance is Rs. 49,72,36,857.64/- as on 31.03. 2023 and Rs. 42,56,03,235.95/- is available balance as on 02.07.2024. Thus it may be seen that the amount of Rs. 7,16,33,621.69/- in 14,945 closed projects is settled during the period from 31.03.2023 to 02.07.2024 (list enclosed as Annexure-L). It is informed that, Projects are closed on receipt of request from User Department/ Coordinators. The details of Expenditure in projects, balance available along

		Grantor Institutions, raises concerns about financial management practices. NICSI is urged to provide detailed reasons for not returning the aforementioned advance balances upon the closure of the projects. A comprehensive explanation is essential for transparency and accountability, addressing concerns about adherence to established policies and ensuring the appropriate utilization of public funds. Taking prompt corrective actions to initiate the refund process and align with the Significant Accounting Policies is imperative. This will not only demonstrate NICSI's commitment to financial accountability but also uphold the principles of good governance in handling advances and surpluses associated with project closures. NICSI Management has not provided any response or clarification regarding this matter.	with the invoices are sent to User department. NICSI refund the amount and interest on receipt of request from User Department. Sometimes, user departments re-request for opening of projects to meet some other specific requirements. In view of this amount are continued in closed projects and are returned to user department on the request received from them. (In view of above it is requested that the para may be dropped)
8	(F)	Repeating the balances under 40 closed projects two to three times with different closure dates. Upon scrutiny of the ERP data provided by NICSI regarding closed projects spanning from April 2012 to March 2023, a notable observation has emerged. Specifically, it has been observed that the balances associated with 40 projects (as detailed in Annexure-2(e) were duplicated, appearing two to three times with varying closing dates. This redundancy in data has led to inflated or overstated credit balances for NICSI. It is imperative to underscore the importance of addressing this discrepancy promptly and conducting a comprehensive verification process to rectify the issue. Accuracy and reliability in financial data are fundamental for transparent and credible financial reporting by NICSI. The corrective measures taken to eliminate these duplications should be communicated to the audit, demonstrating NICSI's commitment to rectifying discrepancies and ensuring the integrity of its financial records. By swiftly addressing and rectifying this data inconsistency, NICSI will not only uphold its commitment to financial transparency but also fortify the credibility of its financial reporting practices.	Audit has observed that balances in 40 project closed during the period from April 2012 to March 2023 are shown 2-3 times. In this regard it is informed that, the Projects are closed on receipt of request from User Department/ Coordinators. The details of Expenditure in projects, balance available along with the invoices are sent to User department. However, Projects are re-opened when User department request again to use the balance available in the project. Therefore, the project is re-opened and there-after closed again. Due to this, the 40 number of projects were closed 2-3 times during the period from 2012 to 2023. In view of this it is informed that there is no discrepancies and the balance shown against the last transaction is considered as outstanding against this project. (In view of above it is requested that the para may be dropped)

9	Para No. 1 (Part-II B)	Non-recovery of Rs. 28.46 lakh paid as Advance to staff during the period from September-2003 to October-2023.(Reference Number: OBS-1151602) Rule 323 of GFR 2017 regarding sanction of Advances for Contingent and Miscellaneous purposes provides that the Head of the Office may sanction advances to a Government Servant for purchase of goods or services or any other special purpose needed for the management of the office, subject to the following conditions:- The amount of expenditure being higher than the Permanent Advance available cannot be met out of it. The purchase or other purpose cannot be managed under the normal procedures, envisaging post procurement payment system. The amount of advance should not be more than the power delegated to the Head of the Office for the purpose. The Head of the Office shall be responsible for timely recovery or adjustment of the advance. The adjustment bill, along with balance if any, shall be submitted by the government servant within fifteen days of the drawl of advance, failing which the advance or balance shall be recovered from his next salary(ies). Contingent advances are typically approved for specific purposes, and subsequent advances are only sanctioned under specific emergency conditions after the submission of bills for the first advance. Upon review of the ERP, it was observed that advances for an amount of Rs. 28.45,606/- was paid to 91 officers of NICSI/NIC during the period from September-2003 to October- 2023 (as outlined in the Annexure-3). Despite the passage of several years. it was observed that some officers have not yet submitted adjustment bills and were allowed subsequent advances, which was a deviation from the established standards of financial propriety. In the disbursement of advances, NICSI failed to adhere to Government of India (GOI) rules and did not formulate internal policies aligned with project requirements. Furthermore, the absence of control registers has limited the scrutiny of the purposes for which these advances were obtained. Thus, the non-recovery of Rs.28.46 lakh advanced to staff between September 2003 and October 2023	Proper follow-ups is being made to adjust the staff advances which were outstanding. It is pertinent to mention here that in the current period, numerous advances has been settled. It may be seen from the statement that the amount of Rs. 20,36,806.00/- out of Rs. 28,45,606/- are settled/ adjusted during the period 31.03.2023 to 16.07.2024 list enclosed as Annexure-M. Further, communication/Email regarding outstanding staff advance is being sent to concerned staff for settlement of their outstanding. However as regards to audit observation, the position of outstanding staff advance will again be reviewed and more follow up will be done in current period for settlement of outstanding staff advance. As regards to Control Register, it is informed that NICSI is maintaining its Accounting on the Oracle Based ERP System. All the Register/ Reports are Maintained in ERP. It is therefore informed that there is no Requirement of Maintaining Physical Register to Control the Advance to Staff. It is also informed that the subsequent Advance are sanctioned to the staff only in very few case for some specific different requirement with the approval of Competent Authority It may be seen from the previous reply that NICSI is having Full Proof System as the accounts are being maintained in Oracle Based ERP

		highlights a deviation from Rule 323 of GFR 2017, demonstrating a failure to adhere to established financial norms and internal policies at NICSI. The absence of control registers has further hindered the scrutiny of the purposes for which these advances were granted. The extended delay in submission of adjustment bills by certain officers, coupled with the approval of subsequent advances, has created a significant financial irregularity. Considering the potential challenges posed by factors such as repatriation to NIC transfer or retirement of the officer's involved urgent action is necessary to recover these advances including the imposition of applicable penal charges to rectify this financial irregularity promptly. Simultaneously, immediate measures should be implemented to establish robust procedures aligned with regulatory guidelines, preventing similar lapses in the future and ensuring financial accountability. On commenting no reply was provided by NICSI Management to the above observation. A comprehensive explanation of the reasons for the prolonged non-recovery of these staff advances may please be furnished.	system. However, as advised by CAG team action for recovery of the pending amount of Rs. 8,08,800/- is being taken. (In view of above it is requested that the para may be dropped)
10	Para No. 2 (Part-II B)	Non-providing Contractors Margin in tire Tender for Empanelment of M/s S.K.Patodia & Associates for maintenance of NICSI Accounts. (Reference Number: OBS-1094802) As per industry practices in Indian Companies. it is common to explicitly outline the contractor's margin in the contract which can enhance transparency and build trust between the contracting parties. Knowing how much of the payment is allocated to the contractor's margin can help in understanding the overall cost structure. Revealing the contractor margin may impact the contractor's competitive advantage. If the margin is a key differentiator, contractors may be reluctant to disclose it, as it could potentially be used by competitors during future bidding processes. On an examination of the File No.10(35)/2017, it was observed that NICSI invited a open tender No. NICSI/MN/ACCOUNTS/2018/10 on 29-11-2018 for Empanelment of Agencies for Maintenance of NICSI Accounts. As per the Financial Bid of the Tender (Annexure-4) bidder has to quote the monthly rates	As regards, contractors margin in the contract/ tender, it is informed that, it is the choice of vendor to make whatever payment they may make to their employees, deployed for an assignment. Rates to be paid to the vendor are fixed as per the empanelment. As regards to 3 year contract expired on 29.09.2022, it is informed that the open tender was issued 29.11.2018 and closing date was 27.12.2018. Tender opening date was 29.12.2018. Due to issue of four corrigendum and mapping errors, the tender was cancelled and refloated with the last date of bid i.e. 05.02.2019 and date of opening of bid being 06.02.2019. Few documents were sought from M/s S K Patodia and M/s Pipara and Company. Financial Bids of M/s KRA and Company and M/s & SK Patodia &

against each of the manpower resources/professionals as per the scope and requirement defined in the tender. The tender was awarded to Mls S.K.Patodia & Associates (CA FIRM) for supply of 35 numbers of manpower resources at the following rates. Accordingly, an agreement dated 04" October, 2019 was entered into with the FIRM

S.No	Resource Category	Total Number of resources required	Monthly rates per resource (Rs.) (Excluding GST)	Total Monthly Rates (Rs.)
I.	Team Leader	1	275000	275000
ii.	Dy. Team Leader	1	225000	225000
	Accounts Manager	7	225000	225000
	Accountants	12	60250	723000
	Account Assistant	14	47500	665000
	Total	35		2448000

As per Clause 2 of the Agreement, it was valid for a period of 3 years in the first instance from the date of empanelment letter i.e., 30-09-2019 and it may be extended for another two years on annual basis depending on the need of NICSI's project requirements with mutual consent. 10 (ten) percent hike in monthly rates based on the last month's gross invoice value (without GST and any deduction/penalty etc. if any) would be admissible per annum. On examination of the contract, the following observations were made.

To ensure transparency in the contract, contractor's margin in monthly rates of the resources would have been incorporated in the Contract. How, there is no-mention in the contract regarding contractor's margin. The three years period of the contract was expired on 29-09-2022. Instead of going for fresh tender. NICSI extended the contract period upto 29-12.2023 vide Lr.No. 10(35)/2017-NICSI dated 18-09-2023. In the scenario of increasing the wages by 10% from year to year as to how the extension of tender beyond 3 years can be justified.

No reply was received from NICSI in respect of the above observations

Associates were opened in FEC meeting on 14.06.2019 at 1530 hrs. GTV of M/s SK Patodia & Associates was Rs. 29,70,000 without taxes and GTV of M/s. KRA and Company was Rs.31,30,000 without taxes. Rates of M/s. SK Patodia & Associates were lower as being L-1. However, finding the rates to be paid for 35 resources on higher side, with the approval of Competent Authority it was decided that the same may be further negotiated.

M/s. SK Patodia & Associates agency revised its rates to Rs.24,48,000 plus taxes. The contract was finalized and the same was awarded to M/s S K Patodia on 30.09.2019 for 3 years up to 29.09.2022.

Since the tender process was scrapped on 18.01.2023 due to administrative reason and since the same was extended further beyond 01.12.2023 to 29.12.2023 on time to time basis, the hike of 10% was allowed.

Further, it is informed that a fresh tender was floated on GeM on 07.07.2023 and the bid was opened on 14.08.2023 and TEC documents were forwarded to the RFP/TEC committee on 14.08.2023.

As regards to extension of contract beyond 29.12.2023, it is informed that the contract with M/s. SK Patodia ended on 29.12.2023 and the new contract materialized through GeM between NICSI & M/s. SK Patodia w.e.f. 29.12.2023, the M/s SK Patodia are empanelled through GeM.

(In **view of above it is requested that the para may be dropped**)

11	Para No. 3 (Part-II B)	Adoption of inconsistent medical re-imbursement policy without any tie up with CGHS empanelled hospitals which has led to the inadvertent reimbursement of medical expenses at higher rates, resulting in payment disparities. (Reference Number: OBS-1102050) The existing medical reimbursement scheme, as approved by NICSI for employees and their families, outlines specific limits for different medical services. Notably, reimbursement for Outpatient Department (OPD), pathological tests/investigations and hospitalization is contingent upon treatment in hospitals recognized by DGHS/CGHS. The entitlements forwards, cosmetic surgery, admissibility of medicines and emergency cases are also defined in adherence to CGHS/government guidelines. On examination of the records and medical bills, it is observed that employees medical bills were being reimbursed without considering CGHS rates for the treatment taken in CGHS approved hospital/ investigation from CGHS approved lab whereas in case of private hospital/private lab the reimbursement has been limited to the rates approved by the CGHS. Details of the test checked cases are enclosed in the Annexure-5. In this regard, it was noticed that despite the policy encouraging employees to seek treatment from DGHS/CGHS recognized hospitals, NICSI has not established tie-ups with CGHS empanelled hospitals. Unless NICSI is tied up with CGHS, the treatment in CGHS recognised hospitals would be provided at the rates prescribed by the concerned hospital for other general public and these hospitals are also private hospitals only. The policy limits reimbursement for treatments in private hospitals to CGHS-prescribed rates and allowing actual rates for the treatment in CGHS recognised hospitals led discrimination. On review of the medical expenses for the last two years, it was observed that substantial amounts were incurred towards medical expenses, in 2021-22 Rs. 29,55,544/- and in 2022 23 Rs. 28,64,441/-. Though considerable amounts were incurred towards medical expenses from year to year, NICSI did not pursue CGHS empanelled hospitals for providing treatment to their employees at CGHS notified rates.	In this regard, it is informed that Medical Policy followed in NICSI is not CGHS Policy. Officers of NICSI are not CGHS beneficiary as they join in NICSI on Deputation after surrendering their CGHS card in their parent office i.e. NIC. Therefore, NICSI is following its own policy. Instructions were again circulated in NICSI as per mail dated 24.01.2023 and it was informed to all the officers in NICSI that: "The claims for expenses incurred in case of OPD shall be reimbursed as per actual in the hospitals/ Clinics recognized by DGHS/ CGHS. In case of Private Hospitals, the reimbursement shall be limited to rates approved or fixed by DGHS/ CGHS". All the NICSI officials were requested to submit their medical claims as per the above provisions and reimbursement of medical claims would be as per above policy. NICSI officers may prefer the treatment in CGHS/DGHS recognized hospitals. In view of Audit observation and in view of our communication dated 24.01.2023, we have started implementing our own policy. Audit team has pointed out that there is disparities in reimbursement of medical expenses incurred for availing medical facilities from CGHS recognized private hospitals or through private hospitals not recognized under CGHS. Further Audit team has stated that tie up with CGHS recognized

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Thus, the absence of tie ups with CGHS empanelled hospitals has inadvertently led to higher reimbursement rates. No treatments in CGHS-approved facilities, resulting in payment disparities.

On being pointed out the above, NICSI authorities replied that Re-imbursement of Medical bills for treatment from CGHS/DGHS recognized hospitals & Private Hospitals are made as per Medical Policy followed in NICSI. Thus there is need to review the current medical policy of NICSI or action needs to be taken to pursue/tie up the CGHS/DGHS recognized hospitals to provide treatment to the employees at notified rates other disparities in payments would be continued.
The action taken in this regard may be intimated to Audit.</td>
<td>private hospitals may be done or CGHS medical policy of NICSI may be reviewed.

As regards to tie up with the Private hospitals recognised by CGHS/ DGHS, it is informed that at present there are 28 Officers working in NICSI on deputation from NIC who are availing the Medical facilities. 15 officers are posted in NICSI Headquarter and 14 officers are posted in different state offices. They are residing in different different locations and it is not feasible to tie up for them for availing Medical Facility from CGHS/ DGHS recognized private hospitals on notified rates.
However, regarding re-view of Medical Policy, it is informed that the directions of the audit shall be complied.

(In view of above it is requested that the para may be dropped).</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Para No. 4

(Part-II B)</td>
<td>Non-existence of proper control mechanism in ERP for recovery of penalties on belated submission of Performance Bank Guarantees (PBG) (Reference Number: OBS-1105610)

As per the Standard Terms and Conditions given under Clause 3 (PBG) of Part-111 of Terms of Empanelment of agencies the agencies are required to ensure submission of Performance Bank Guarantee (PBG) equivalent to 3% (three percent) of the work order value issued by NICSI which should remain valid for a period of 60 days beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier for that project. The Empanelled agency shall be required to give PBG as per the following timelines:

<table>
<tr><th>S.no</th><th>Project Duration</th><th>Time Limit for issuance of PBG</th></tr>
<tr><td>a</td><td>Up to 6 months</td><td>Within 15 days of issuance of the PO by the NICSI.</td></tr>
<tr><td>b</td><td>Greater than 6 months</td><td>Within 30 days of issuance of the PO by the NICSI.</td></tr>
<tr><td colspan="3">In the event of default in submission of PBG within the stipulated time concerned agency shall be liable for a penalty amounting to 0.1 percent of the PO value per day delay/default with a maximum penalty capping of PO Value.</td></tr>
</table>
</td>
<td>Audit has observed that NICSI had received 3003 PBG's during the year 2022-23. There were delay in submission of PBG's by the empanelled agencies; however NICSI had processed belated PBG's. NICSI had also informed audit team that NICSI had recovered Rs.7,48,35,319/- in 696 cases during the year 2022-23 towards penalty towards belated submission of PBG's Annexure-6(a).

NICSI takes Bank Guarantee from every vendor as a security of their performance after placing work orders to respective vendors, if any vendors submit their PBG delay then NICSI levied penalty on it. Proper mechanism is being followed to deduct the penalty for</td>
</tr>
</table>

		On a scrutiny of the PBG register, it was observed that NICSI was in receipt of 3003 PBGs during the year 2022-23. From the register of PBGs, it was observed that there were plenty of cases of delay in submission of PBGs by the empanelled agencies. On being enquired the status of recovery of penalty in the cases of belated submission of PBGs by empanelled agencies, NICSI provided the data revealing that an amount of Rs. 7,48,35,319/- was recovered in 696 cases during the year 2022-23 towards penalty for belated submission of PBGs (as detailed in the Annexure-6(a)). In this regard, it was observed that in ERP Purchase/Work orders were not mapped with the particulars of Bank Guarantee submitted by the concerned vendor. The linkage of bank guarantees with purchase orders is being carried out manually as same were not in the workflow at the time development of ERP system. Due to this the correctness of recovery of penalties for the delayed submissions could not be verified. Due to the absence of proper integration in the ERP system, monitoring, and verification of the correctness of penalty recovery become challenging for NICSI authorities also. Manual processes which are being employed for the linkage of bank guarantees with purchase orders may lead to potential discrepancies and making it difficult to verify the correctness of penalty recovery. The ERP system currently in use lacks integration with the PBG data, particularly in mapping purchase/work orders with the relevant bank guarantees. Immediate action needs to be taken to implement an automated system within the ERP that ensures the linkage of bank guarantees with purchase/work orders in real-time. Further, Empanelled agencies are not consistently meeting the deadlines for submitting Performance Bank Guarantees (PBGs) as per the prescribed timelines which fraught with the risk of non-performing the required work. In conclusion, it is crucial for NICSI to address the existing gaps in the control mechanism within the ERP system for the recovery of penalties on belated submission of Performance Bank Guarantees (PBGs). The reliance on manual processes for linking bank guarantees with purchase/work orders poses a significant risk of potential discrepancies, making it	late submission of PBG. There is not even a single case, where penalty is not deducted. Further, Audit team has stated that ERP Purchase Order/ Work Orders are not mapped with particulars of PBG's submitted by the concerned vendor. In this regard, it is informed that NICSI has developed in-house ERP system which will include mapping of PO/ WO's with particulars of PBG's submitted by the vendors. Automated system in ERP will ensure linkage of Bank Guarantees with PO/ WO in real time.

challenging to verify the accuracy of penalty recovery. The observed lack of integration in the ERP system underscores the need for immediate action to implement an automated system that seamlessly links PBG data with purchase/work orders in real-time.

On commenting the above, no reply was provided by NICSI Management to the above observation.

(B) As per the standard policy of NICSI, once the requisite funds are transferred from the user department/agency to NICSI against the issued Performa Invoice (PI), a work-order will be placed on the selected agency as per the terms and conditions of empanelment and scope of work. The empanelled agency shall not refuse to accept the work-order of NICSI under any pretext. The work-order can be collected from NICSI Office or if convenient to the agency, it can be mailed to them. The selected agency shall start work within seven (7) working days of the date of the work-order. The Empanelled agency shall render the services strictly adhering to the dates in the work-order. Any delay, not condoned by NICSI, on the part of agency in the performance of its obligations shall attract penalty. The penalty shall be charged at the rate of 0.5% of the delayed milestone (or item in default. as applicable) per week of delay or per instance of default subject to a maximum of 10% of the work-order value. Post that NICSI will have the option of getting the work done through alternate sources at the cost and risk of the defaulting agency, which will be realized from pending payments of the empanelled agency or from SD/PBG or by raising claims.

On a test check of the records of NICSI, it was observed that the Performance Bank Guarantees were found issued by the 42 Empanelled agencies with a delay ranging from 42 days to 2607 days (as detailed in the Annexure-6(b)) which inter alia provides that many of the works have not been commenced within 7 working days of issuance of the PO/Work-order.

The delayed issuance of Performance Bank Guarantees by 42 Empanelled agencies ranging from 42 days to 2607 days, reveals a significant lapse in adhering to the stipulated timelines for initiating

		assigned works. The established policy of NICSI emphasizes the importance of timely commencement of services, with a clear directive that the Empanelled agency must start work within seven working days of receiving the work order. The observed delays in obtaining Performance Bank Guarantees indicate a potential non-compliance with the prescribed timelines raising concerns about the agencies' commitment to promptly executing their contractual obligations. Timely initiation of projects is crucial for the effective implementation of projects and meeting the expectations of user departments/agencies. NICSI should take proactive measures to enforce adherence to the policy, ensuring that Empanelled agencies promptly provide the required Performance Bank Guarantees and initiate work within the stipulated time frame. Strict monitoring and enforcement of penalties, as outlined in the policy should be applied in instances of non-compliance to maintain accountability and uphold the efficiency and integrity of NICSI's project execution processes. By reinforcing compliance with established timelines, NICSI can enhance the overall effectiveness and reliability of its procurement and project management practices. Further, the along with the comments of NICSI, the following further information was sought from NICSI. a. Actual date on which works were started in 42 cases mentioned in Annexure-6(b). b. Whether any penalty was recovered from the agencies concerned for the delay in carrying out the Work-orders/Purchase orders. If so, full particulars thereof may please be furnished. c. If any hindrance/Extension of Time registers are being maintained in respect of delay in execution of work-orders. It' so, the registers/record concerned may please be provided. Reasons for allowing the empanelled agencies for execution of works with such an abnormal delays from the date of issuance of PO/WO.	a & b in hardware & network the date of delivery is considered and there is no date of commencement. Actual date of start of work in manpower and website work order is as per period mentioned in each order. It is inform that 10 % penalty has imposed on the PO's at Sr. No. 11, 15, 16, 17 & 30. PO's issued to Tata Consultancy at Sr. No. 19-24 & 31, 32, & 39 & PO's issued to other vendors at Sr. No. 2, 3, 12,13,14, 18, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42 there were no penalty clause on PBG submission. PO's at Sr. No. 33 not issued to Deloitte as reported by audit team, it was in fact issued to Silver Touch BG was submitted on time in this case & no penalty deducted. No penalty was deducted for PO's at Sr. No. 5-10 & 25,26, 27,28 as BG issuance date is considered as submission of BG date at that time. c -Work execution is allowed as per requirement. d-There was no penalty clause applicable in these purchase orders. Therefore the BG were received as they were valid. e-Prior to August 2022 penalty was imposed on the date of issuance of BG by respective bank there on NICSI has started imposing penalty on date of submission of BG by vendor in NICSI. PO's at Sr. No. 1 & 2 no penalty clause mentioned in PO's. PO's at Sr. No. 4,5, & 6 it is informed that the BG were issued within time therefore no penalty was imposed. PO's at Sr. No. 11 it is informed that 10% penalty was deducted. **(In view of above it is requested that the para may be dropped.)**

		d. A test check of the records revealed that in the five(5) cases mentioned in the Annexure-6(c) , though PBGs were found issued on time by the Empanelled agencies,, PBGs were received by NICSI with a delay ranging front 267 days to 400 days. Reasons for allowing such an abnormal delay in submission of PBGs may please be stated. e. On test check of the records, it was observed that in respect of the 11 cases mentioned in Annexure 6(d), it was observed that the penalty amount was not found recovered from the empanelled agencies concerned. The same may please be verified and the recovery status may be intimated. Neither the reply nor the information sought for was provided by the NICSI.	
13	Para No. 5 (Part-II B)	**Non-realisation of Rs. 1.47 crore from DPIIT towards Disaster Recover)' Services provided at Data Centre, NIC, Hyderabad during the period from 2010-2018. (Reference Number: OBS-1143444)** In the year 2008 the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP)(presently renamed as Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)) planned to implement the eBiz Trade (DPIIT)) planned to implement the eBiz Project (a Mission Mode Project under NeGP) which integrates several government services in a single website to facilitate faster delivery of licenses, registrations and clearances for businesses. The project was hosted in a co-location model in Data Centers (DC) of NIC/ NICSI - one at Laxmi Nagar Delhi (NICSI) as Main Data Center and the other at Hyderabad (NIC) which was to be used as Data Centre as well as Disaster Recovery (DR) Centre. Under collocation services NICSI provides Power cooling. Networking and perimeter security and the user is required to place their own servers and systems software for hosting their application. In this regard DIPP conveyed their intention to enter into an agreement with NIC/NICSI for availing DC and DR services before on boarding a vendor for the purpose. However, the SLA In this regard was signed by NICSI on 22-05-2013. The eBiz project v as awarded to M/s Infosys on 28-05-2009 in a public-private partnership (PPP) mode. NICSI provided 2 (two) server racks in DC Laxmi Nagar for	Audit team has observed that DPIIT planned to implement the e-Biz project-a Mission mode project under NeGP. Project was hosted in a co-location module in Data Centre of NIC/ NICSI- one at Laxmi Nagar (Mini Data Centre) & another at Hyderabad which was to be used as Data Centre as well as Data Recovery Centre. NICSI was to provide power cooling, networking and perimeter security. User department were required to place their own servers and systems software's for hosting their applications. e-Biz project was awarded to M/s Infosys on 28.05.2009 in a Public Private Partnership (PPP mode). DPIIT conveyed their intension to enter in to an agreement with NIC/ NICSI for DC & DR services. SLA was signed by NICSI on 22.05.2013. However, reply to the specific queries as raised by Audit team are given below-

		hosting the project and 10 (10* IU) Rack servers of eBiz project were hosted at N IC Hyderabad from August 2010. NICSI issued initial Proforma Invoice (Pi) dated 25-09-2009 towards collocation charges for 2 server racks @ Rs.23,75,000 per annum per rack for the period from 13-11-2009 to 12-11-2020 for the servers located in DC Laxmi Nagar. Thereafter, these co-location charges were continued to be claimed from time to time. However, from the correspondence dated 20-10-2015 with DIPP. it was noticed that though Disaster Recovery (DR) for eBiz Services were being offered from NIC Hyderabad. PI's could not be generated and sent to DIPP till March-2015 due to pendency of approvals from NIC/DietY. Even the NICSI was unaware of the details regarding numbers of server racks deployed for eBiz Project at Hyderabad and date of activation of those servers till 30-december-2014. After obtaining this information bills for Collocation charges is Rs. 1,58.300/- in respect of the 10 server racks at NIC Hyderabad were issued on 12-03-2015 only to collect the dues for the period from 01-09-2010 to 31-03-2015. Subsequently, bills for DR services were raised from time to time and none of these bills were paid by DIPP. On 08-11-2018 DIPP Communicated vide Lr.No. 08-11-2018 that they had decided to discontinue the eBiz portal w.e.f. 09-11- 2018 and requested to stop billing towards servers/rack space charges from the same date. Accordingly. Bills were claimed by the NICSI up to 09-11-2018. The total billed amount towards DR Services at NIC Hyderabad for the period from 01-09-2010 to 09-11-2018 worked out to Rs. 1.47.77.584/- which was inclusive of Service Tax/GST amount of Rs. 18,10.164/- (as detailed in the Annexure 7). Despite repeated pursuance by NICSI for the outstanding balances in respect of DR services at Hyderabad. DIPP did not turned up and in January, 2017 sought for the agreement document and sought for certain information relating to evidence of placement of server racks for eBIZ in NIC. Hyderabad. In spite of providing the required information, DIPP continued to dispute the payments by showing one or other reasons. After so many deliberations DPIIT vide their Memorandum	a. DPIIT vide letter dated 15.09.2020 informed that the invoices raised by NICSI towards DR services are not payable. A letter dated 08.03.2021 from than MD, NICSI was sent to JS, DPIIT requesting for release of Disaster Recovery outstanding dues (copies enclosed as Annexure-N) In this letter it was stated that 10 Servers (10*1U) were deployed for e-Biz project and based on the input received from M/s Infosys team a concessionaire it was stated that e-Biz Servers were hosted activated at NDC-Hyderabad since August, 2010. b. The DR services were started from 01/09/2010 after request from the user vide email dated 30/12/2014 was received by NICSI. The original bills were generated/ sent to all user departments from March 2015 onwards. NICSI had issued the first bill/invoice against DR Services at NDC-Hyd. and sent to the user on 08/04/2015 for the period 01/09/10 to 31/03/15. The PI/invoices for DR site at Hyderabad could not be generated / sent to users on time due to some approvals pending with NIC/MeitY. After obtaining approvals from Competent Authorities, the PIs for the entire period of availed DR services from NDC-Hyd. were generated for the period and sent to the user in Dec 2014/Jan 2015 onwards. Thereafter, the bills for the next period were handed over on time. c. There is no agreement signed between NICSI & e-Biz (DPIIT).

File No. P-25019/20/2017-BE-I dated 28-06- 2019 requested to waiver of DR services charges for the period from 01-09-2010 to 31-03-2014 (amount of Rs. 63,73,531/-) & agreed to pay charges of Rs. 84,04,053/- due from 01-04-2014 to 09-11-2018 and sought justification of the claims with reference to details or resources deployed and details of quantum of backup stored at DRC.

On examination of the Current status o1 recovery of these long outstanding dues, it was noticed from the 126"' Boarding meeting minutes (Held on 29-03-2023) status quo is being maintained and no progress made either in recovery ot agreed balance of Rs. 84.04,053/- or write off of Rs. 63,73.531/-.

Thus, the non-realization of 11.47 crore from DPIIT towards Disaster Recovery Services at NIC Hyderabad for the eBiz Project spanning from 2010 to 2018 remains a persistent challenge. Despite numerous attempts by NICSI to recover the outstanding dues and after several rounds of discussions and correspondences the issue is yet to see resolution. The prolonged nature of this outstanding payment issue underscores the need for a concerted effort to bring about a resolution. The DPIIT's decision to discontinue the eBiz portal and subsequent dispute over payments has contributed to the protracted delay in settling the outstanding balances. Despite DPIIT's agreement to pay Rs. 84,04,053/-, as per the Memorandum dated 28-06-2019, and seeking justification for the remaining Rs. 163,73,531/- no substantial progress has been made.

A proactive approach in facilitating communication and cooperation between NICSI and DPIIT, along with a detailed presentation of the resources deployed and backup storage data can contribute to resolving the matter amicably. This concerted effort is essential to bring closure to the long-standing financial dispute and ensure the recovery or appropriate resolution of the outstanding dues.

Further, the present status of' realisation of DR services charges the following further information was sought for from NICSI.

a. DPIIT requested information on the quantum of

d & e. There were several meetings/discussions held with the department to resolve the issue and finally, NICSI has received an email with attached letter/OM No. P-25019/20/2017-BE-I (copy enclosed as Annexure-O) with Minutes of the Meeting taken by AS(S) of the Department on 20/6/2019 in his Chamber regarding outstanding payments for DR Services under e-Biz Project in NDC-Hyd.

The following decisions were taken in the meeting-- Payment for co-location charges may be made to NICSI only from 2014-15 subject to approval by IFW & competent authority and NICSI reducing their charges owing to fact that the services were never operational and only the space was utilized. Further NICSI needs to justify the claims with reference to details of resources deployed and details of quantum of backup stored at DRC.

f. As per eBiz letter no. 9(2) /2018-BE-I dated 8/11/2018 (copy enclosed as Annexure-P) regarding shut down of Data Centre services and it has been decided to remove the eBiz, DPIIT Servers from Rack to NICSI Store Room. The equipment/servers provided by the DPIIT are lying at LNDC-Laxmi Nagar, NDC-Shastri Park & NDC- Hyderabad. DPIIT had vide letter dated 19.10.2020 (copy enclosed as Annexure-Q) intimated that the equipment/ servers may be either utilized or auctioned by NIC on behalf of this department.

(In view of above it is requested that the para may be dropped)

		backup stored at the Disaster Recovery Centre (DRC). Please state whether the detailed information on the backup stored at DRC was provided to DPIIT. 11 so, the details thereof may please be provided. b. Though the services were being provided from the year 2009, reasons for the delay in entering into an agreement with DPIIT for these services may please be provided. c. The agreement did not explicitly mention the quantity of servers for collocation services and lacked specifics on DR services at NIC. Reasons for not mentioning these details in the agreement. d. Until December 2014. NICSI was unaware of detailed information about the servers used for DR services at NIC, Hyderabad. The lack of comprehensive data was an internal oversight. Reasons for non-maintaining the comprehensive data regarding the project may please be stated. e. eBiz Portal was found to be launched on 28-01-2013. But. DPIIT agreed to pay the dues from 01-04-2014. What was the basis for that. f. As the e-Biz project services at Laxmi nagar and Shastri Bhavan were stopped on 09-11-2018, what was the status of equipment/servers provided by the DPIIT. As per the significant accounting policy of NICSI, the advances received by NICSI for sales of good and service from different Ministries/Departments the amounts are utilised for the purposes of execution of respective projects and if there is any balance available with NICSI at the close of the respective project, the same is refunded to the Grantor Institution along with the interest, if any. However, no condition found exists either in the agreements or in the bills issued to user departments for recovery of penalty on belated payments. NICSI pays interest on un- utilised balances however, NICSI did not recover any interest on the belated payments by the user departments. Reasons for inclusion of such conditions may please be stated. **Neither the reply nor the information sought for was provided by the NICSI.**	

14	Para No. 6 (Part-II B)	**Non-compliance with rules pertaining to Leave Travel Concession (LTC) advances resulted in irregular payment of Rs. 47,292/- and non-recovery of interest in applicable cases. (Reference Number: OBS-1151535)** As per Rule 2 of "Compendium of Rules on Advances"-in cases where the advance is not utilized fully but the adjustment bill is submitted in time, interest @ 2 % (two per cent) over the interest rate which is allowed by the Government on the Provident Fund balances of its employees shall be charged on the unutilized portion of advance from the date of drawal of advance to the date of refund. In case, adjustment bill is not submitted within the prescribed time, the entire amount of advance may be recovered one lump sum immediately on expiry of such time. In such cases also, the interest may be charged as mentioned above on the entire amount of advance from the date of drawal to the date of recovery of amount. As per Rule 14 of CCS, LTC Rule 1988, a claim for reimbursement of expenditure incurred on journey under leave travel concession shall be submitted within three months after the completion of the return journey, if no advance had been drawn. Failure to do so will entail forfeiture of the claim and no relaxation shall be permissible in this regard. As per Rule 15(vi) of CCS, LTC Rule 1988 where an advance has been drawn by a Government servant, the claim for reimbursement of the expenditure incurred on the journey shall be submitted within one month of the completion of the return journey. On a Government servant's failure to do so, he shall be required to refund the entire amount of advance forthwith in one lump sum. No request for recovery of the advance in instalments shall be entertain. On review of records relating to LTC claims for the year 2022-23, following observations were made: During the year 2022-23, total 17 LTC Advance cases were processed out of which in 2 cases (as shown in Annexure 8(a)), the advance was refunded as unutilised advance after the completion of return journey. But, no interest was charged/recovered on	As regards to Recovery of Interest on un-utilized advances in respect of Shri S.Kasi Reddy and Shri Satyesh Kr.Sharma, it is informed that both the officers have been repatriated to their parent department NIC. The amount recoverable from them has been calculated Rs. 142/- and Rs.1181/- are due from Shri Satesh Kumar Sharma & Shri S.Kasi Reddy respectively. A letter (enclosed as Annexure-R) has been sent to them for recovery of the said amount. As regards to LTC availed by Shri Surjeet Singh, GM for the block year 2018-21, it is informed that Shri Surjeet Singh retired on superannuation on 29.02.2024. The action for recovery of amount of Rs.47,292/- has been initiated and a request sent to ex-Retired GM, NICSI to return the said amount. As regards to entry in LTC register regarding date of drawl of advance, date of submission of bills, amount of bill and detail of interest recovered. It is informed that the necessary entries made in LTC register (copy of register enclosed as Annexure-S). (In view of above it is requested that the para may be dropped)

		the unutilized portion of advance which is contravention to the Rule 2 of "Compendium of rules on Advances", which states that interest should be charged on the unutilized portion of advance from the date of drawal of advance to the date of refund. On scrutiny of LTC bills, it was observed that LTC Advance for an amount of T 35.000/- was sanctioned to Shri Surjeet Singh, GM for the Block year 2018-21. The Officer completed his return journey on 21-08-2022 and the claim for an amount of I 47.292/- was submitted on 13-01-2023 (as detailed in the Annexure 8(b)) after 4 months from the date of completion of return journey which is contravention of Rule 14 &15 of CCS, LTC Rule 1988 & Government of India decision (2) below Rule 52 ot Compendium of Rule on Advance. The existing GOI orders/rules provides for forfeiture of the Claim as the claim was not submitted within the prescribed time limit. However, the claim was re-bursed in contravention to the orders ibid. Review of LTC Register revealed that there was no entry i.r.o date of drawal of advance, date of submission of bill, full amount of bill & detail of interest recovered if any, etc. In this regard NICSI needs to Conduct a thorough verification of the identified cases to ascertain the extent of non-compliance, Initiate necessary actions to recover any excess amounts allowed, in adherence to GOI orders, with due intimation to the Audit and Strengthen record-keeping practices in the LTC Register to facilitate transparent monitoring and accountability. On being pointed out the above issues of non-complying with the GOI orders in settlement of the above cases, it was replied that Power to relax of LTC settlement vest with the MD, NICSI the competent authority as per the Annexure-A. Therefore approval of competent authority exists. The reply of the NICSI Management is not acceptable in view of the following; NICSI adheres to the LTC rules of the Government of India (GOI) as outlined in its policy. In line with	

		this, NICSI has identified the Competent Authority, specifying that the Managing Director (MD) of NICSI holds the conclusive decision-making authority regarding disputes or relaxations concerning cases where L7 C bills are not submitted within 30 days of completing travel. However, the Central Civil Services (CCS) LTC rules stipulate the forfeiture of LTC claims it bills are not submitted within the prescribed time, and no exceptions/relaxations are permitted in this regard. Moreover, the directives issued by the MD of NICSI on this matter were not made available for verification. Action may be taken to verify all such cases and interest may be recovered on the un- utilised advances. The compliance may be intimated to Audit.	
15	Para No. 7 (Part-II B)	**Non inclusion of penalty clause in case of early termination of contract to M/s Indraprastha Service for hiring the vehicle,(Reference Number: OBS-I 154034)** NICSI was entered into a contract through GeM with M/s Indraprastha Service for hiring of 62 vehicles. As per the Service Level Agreement with the vendor through GeM contract no. GEMC-511687783629932 dated 07.03.2022 the contract was valid for one year from 01.04.2022 to 31.03.2023. The estimated amount of contract was Rs. 2,10,79,752/- including all duties and taxes. On examination of files related to Hiring of Taxi Services for monthly basis the following observations were made. As per the contract. M/s Indraprastha Services supplied 54 vehicles front 0 1-04-2022 to 03-04-2022 and from 04-04-2022 to 06-04-2022 provided 62 vehicles on 07-04-2022 provided 53 vehicles and from 08-04-2022 onwards provided 51 vehicles on 06-04-2022 the vendor submitted that as the fuel prices are touching sky in view of the same his agency was facing lot of problems in arranging the vehicles at approved rates. As such the vendor submitted a proposal to NICSI either to increase the	Contract for Hiring the Vehicles with M/s Hybrid Fleet Management Pvt. Ltd. was from 01.12.2020 to 30.11.2021. The same was extended on various occasions up to 31.03.2022. Fresh GeM bid no. GEM/ 2021/B/1742806 dated 08.12.2021 for hiring of 62 numbers of vehicles was initiated. GeM contract no. GEMC-511687783629932 dated 07.03.2022 was given to M/s. Indraprastha Services for the period from 01.04.2022 to 31.03.2023. M/s. Indraprastha Services started providing vehicles from 01.04.2022. However, they have requested for increase in rates and

		approved rates of contract or to remove the restrictions for supply of 2019 onwards make models of vehicles or to cancel the agreement with mutual consent. On 08-04-2022 the vendor further requested that they are not able to provide the vehicles and the contract may be cancelled due-to non- fulfilment of contractual obligations. As per the request of the vendor on 08-04-2022. NICSI intimated to the vendor that the contract was terminated by invoking the provisions of clause 11 of the contract which provides for termination of the contact through mutual consent. In this, regard GOI orders on GeM procurements provides that in case of contracts placed following e-Bidding / RA. Performance Security / Performance Bank Guarantee(PBG)(in format provided on GeM) valid for 2 months beyond the date of completion of all contractual obligations including warrantee obligations, will be obtained from the successful Bidder, for ensuring due performance of the contract. GeM recommends quantum of Performance Security @ 2% of the value of contract. The buyer also has the option to select Performance Security between 2% to 10%. While finalizing e- Bid /RA. Buyer shall indicate the % of Performance Security required to be submitted by successful bidders. In case of any extension of contract obligation period the seller shall be liable to suitably extend the validity of the Performance Security. Such Performance Bank Guarantee, in prescribed format from a scheduled commercial bank must be submitted by Seller to the Buyer within 15 days of award of contract on GeM. The payments to the seller shall become due only after receipt to Performance Bank Guarantee by the Buyer and verification of its genuineness. If the Seller fails or neglects to observe or perform any of his obligations under the contract it shall be lawful for the Buyer to forfeit either in whole or in part the Performance Security furnished by the Seller. If the Seller duly performs and completes the contract in all respects the Buyer shall refund the Performance Security to the Seller within 30 days of completion of all contractual obligations by the Seller. Normally, this type of GeM contracts requires to collect PBG @ 10% of the contract value i.e. Rs. 21.08.000/-. However, in the present case Bid document there was a provision for PBG @ 2%.	removal of conditions i.e. providing vehicles from 2019 onwards. With the approval of Competent Authority a decision was taken that the contract may be terminated invoking the provision of Clause-11, mutually accepted by both the parties. A fresh Bid no. Gem/ 2022/ B/2224847 dated 06.06.2022 was floated on GeM with a condition that "the order will be split between the two bidders - M/s Hybrid Fleet Management Pvt. Ltd. & M/s. Indraprastha Services in the ratio of 60:40". The contract was awarded to M/s. Indraprastha Services as M/s. Indraprastha Services were the L2 in the GeM process order. Since NICSI has faced problems in hiring the vehicles, GeM bid was floated with the requirement of NICSI in 60:40 ratios. Accordingly, the work order was awarded to L1 & L2 in said ratio. As per Bid document, PBG @2% were asked required for duration of 14 months. The work was awarded to M/s. IP vide letter dated 07.03.2022, the contract was terminated on 10.04.2022 since the contract lapsed in just 10 days, the PBG was not obtained & encashed. (In view of above it is requested that the para may be dropped)

		Though the vendor failed to provide his contractual obligations. NICSI could not levy any penalty on the vendor or encashed the PBG, Instead NICSI closed the contract with mutual consent. Further, GeM conditions provides that. if the Seller does not perform its obligations within the Deliver' Period/Date mentioned in the contract, the same would constitute the breach of the contract and the Buyer shall have the right to cancel or withdraw the contract for the unsupplied portion after the expiry of the original or re-fixed delivery date or period stipulated in the contract. Such cancellation of contract on account of non - performance by the Seller would entitle the Buyer to forfeit the performance security besides other actions such as downgrading the Seller's rating or debarment from the GeM for specified period as decided by GeM on merits. The absence of a penalty clause for early termination restricted NICSI's ability to enforce consequences for non-compliance, impacting the organization's contractual protections. On being enquired the reasons for non-inclusion of a clause regarding penalty for early termination of contract by vendors and non-recovery of PBG on the failure of the vendor in fulfilling his contractual obligations, NICSI did not provide any reply. Subsequently. a new tender was floated for taxi hiring, and the contract was awarded to Hybrid Fleet Management Pvt. Ltd & M/s Indraprastha Service in a 60:40 ratio front 1.10.2022. Despite M/s Indraprastha Service's failure to provide services in the previous contract year, the company was again awarded a significant portion (40%) of N ICSI's vehicle requirements. However. M/s Indraprastha Service did not respond to this work order either, resulting in the entire work being awarded to hybrid Fleet Management Pvt. Ltd. The decision to re-award a substantial portion of the contract to M/s Indraprastha Service, despite their prior inability to fulfil contractual obligations requires clarification. Understanding the rationale behind this decision is essential for transparency in vendor selection and to ensure that contracts are awarded to vendors with a proven track record of meeting obligations.	

		On being pointed out the above, NICSI authorities replied that as per Bid document 60:40 ratio was asked, M/s Indraprastha Services had applied against open bid and they were empanelled as LI, so M/s Indraprastha Service were awarded the contract as they was not blacklisted /debarred on the date of award of work. However, NICS1's response does not address whether they leave collected the mandated ePBC amount of Rs. 14,21,000 (i.e., 2% of Rs. 12,10,80,000). Furthermore, clarification may be given on the reasons for not encashing the Performance Bank Guarantee (PBG) in the event of the vendor's failure. A comprehensive elucidation, including justification for not blacklisting M/s Indraprastha Services and the repeated awarding o1 the tender to the same vendor, is requested.	
16	Para No. 8 (Part-II B)	**Non adjustment of long pending income tax receivables to the extent of I 128.89 crore and Sales Tax receivables of Rs. 1.20 crore.(Reference Number: OBS-1167689)** To ensure the accuracy of financial statements, it is essential for companies to follow proper accounting procedures and adjust income tax receivables as necessary before the completion of tax assessments. This involves evaluating the tax positions, considering any changes in tax laws, and estimating the ultimate realization of income tax receivables based on the most current information available. If income tax receivables are not adjusted before the completion of tax assessment, it may lead to inaccuracies in the financial statements and misrepresentation of the company's financial position. Adjusting income tax receivables is a crucial step in the financial reporting process to ensure that the financial statements reflect the most accurate and up-to-date information.. On a review of the more than three years old Income Tax recoverable amounts related to NICSI. It was observed that an amount of Rs. 1,28,89,18,652/- was pending towards income tax/TDS recoverable for the years 2005-06 to 2019-20. Year-wise details are appended below.	The refunds from the Income Tax Department is awaited. In connection with the outstanding Income Tax, it is informed that- (i) Provision for income Tax amounting to Rs. 16,46,56,001/- were made in the FY 2018-19 for the amount of Income tax recoverable for the FY from 2005-06, 2006-07, 2009-10,2010-11,2012-13,2013-14. (ii) Rs. 5,77,36,394/- out of Rs. 11,17,65,965/- has been refunded by Income Tax authority for FY 2015-16. (iii) Assessment order for assessment year 2020-21 dated 24.07.2024 has been received. As per Bank statement refund of Rs. 40,83,51,888/- has been received in the NICSI Bank Account. From the above, it may be seen that total refund of Rs. 46,60,88,282/ is received out of the outstanding refund pointed out by audit team out of Rs. 1,28,89,18,652/- **(copy of refund order and bank statements enclosed as Annexure -T)**

Year	Amount Recoverable
Income Tax Recoverable 2005 - 2006	13975
Income Tax Recoverable 2006 - 2007	2198197
Income Tax Recoverable 2009 - 2010	36630214
Income 7 Tax Recoverable 2010-2011	1959589
Income Tax Recoverable 2012-2013	16327550
Income Tax Recoverable 2013-2014	107526476
Income tax Recoverable 2015-2016	111765965
Income Tax Recoverable 2016-2017	167155279
Income Tax Recoverable 2017-2018	513944932
Income Tax Recoverable 2018-201 9	63920050
Income Tax Recoverable 2019-2020	267242508
TDS On Works Contract 2000-2001	233917
Total	1288918652

It was observed that there is no progress in recovery of these balances for the last several years in nominal course these recoverable amounts should have been adjusted on finalisation of respective assessments. On completion of the assessments these balances need to be written off.

The assessment year up to which Income Tax assessment has been completed by the IT authorities may please be furnished.

NICSI in process of requesting the concerned departments to refund the amounts at the earliest. With major outstanding amount being refundable by the Income Tax Department, NICSI has again taken up the matter, vide its letters dated 03.03.2023 & 12.12.2023 **(copy enclosed as Annexure-U).** Refund of Rs. 43,65,63,362/- & Rs. 36,61,83,957/- for the FY 2021-22 & 2022-23 respectively.

Assessment of NICSI is complete up to AY 2022-23.

As regards outstanding amount of Sales Tax, it is informed that the Provision had been made in NICSI for Sales Tax/ VAT/ DVAT/ TDS on works contract. Provisions are as under-Year 2018-19 Particulars - Sales Tax/ VAT/ DVAT Rs.117.70 in lakhs.

TDS on work contract Rs. 2.34 in Lakhs Year 2019-20
TDS is Rs.20,238/-Sales Tax/ VAT is Rs. 20,741/-

(In view of above it is requested that the para may be dropped)

While furnishing the reasons for non-adjustment/ non-recovery of the above long pending recoverable amounts. Justification for continuation of these balances may please be provided.

Similarly, an amount of Rs. 1,19,80,886/- was pending recoverable towards Sales Tax/TDS for the years from 1997-98 to 2016-17. Year-wise details are appended below.

Year	Amount Recoverable
DVAT Refund Receivable (2013-14)	52415
Sales Tax Recoverable 97-98	447500
Sales Tax Recoverable 98-99	2352225
Sales Tax Recoverable 99-00	1099926
Sales Tax Recoverable 2000-2001	839958
Sales Tax Recoverable 2001-2002	1185581
Sales Tax Recoverable 2002-2003	2323270
Sales Tax Recoverable 2003-2004	933474
Sales Tax Recoverable 2004-2005	1400000
Sales Tax on Work Contract 8% Recoverable 2001-2002	832211
Sales Tax on Work Contract Recoverable 2004-2005	829
Sales Tax On Works Contract 4% Recoverable 2003-04	2804
Sales Tax on Works Contract 8% Recoverable 2002-03	75606
Sales Tax on Works Contract Recoverable 2000-2001	7000

Sales Tax on Works Contract Recoverable 99-2000	1000
VAT Input Receivable	172849
TDS On Works Contract 2000-2001	233917
TDS on WCT Receivable (16-17)	20321
Total	11980886

On being pointed out the above NICSI authorities agreed that the pending Income Tax/TDS/Sales TAX/VAT amounts are long recoverable and NICSI had made provision in its account for F.Y. 2018-19 to F.Y. 2022-23 towards those long outstanding tax refund Further, it was informed that NICSI was in process of requesting the concerned department to refund the amount at the earliest. With major outstanding amount being refundable Income Tax Department. NICSI has again taken up the matter, through various letter dated 06-03-2023, personal meeting and affidavit dated 24-11-2023 and recent reminder sent on 12-12-2023 (copy enclosed). Recently, meeting by NICSI officials for the refund has been made with Income Tax Department. As regards, Sales Tax amounts outstanding more than 20 years. NICSI has assigned the task to its VAT Consultant and would act accordingly.

NICSI Management's response appears insufficient in justifying the situation creating provisions year after year may not offer an effective remedial solution context. Thus, it is imperative for NICSI to address the long-standing issue adjustment of income tax and sales tax receivables. The current state of pending totalling Rs.128.89 crore in income tax and Rs.1.20 crore in sales tax poses accuracy of financial statements and may misrepresent the company's financial. The following actions and recommendations can be considered;

NICSI should expedite the adjustment process for the long pending income tax receivables by collaborating closely with the Income Tax Department. This involves finalizing the respective assessments, writing off balances, and ensuring that adjustments are made up to the most recent financial year.

		Establish a system for regular monitoring and reporting of income tax and sales tax receivables to identity any discrepancies promptly. This will help in maintaining accurate financial records and ensuring timely adjustments Continue engaging with the Income Tax Department and Sales Tax authorities through written communications, personal meetings, and affidavits, as demonstrated by NICSI'S efforts so far. This proactive approach demonstrates the commitment to resolving the issue and expedites the refund process. Regularly review and update internal policies related to income tax and sales tax adjustments to align them with the latest regulations. Ensure that the company stays compliant with tax laws and is proactive in addressing outstanding issues. Implement a structured follow-up mechanism with both the Income Tax Department and Sales Tax authorities to track the progress of refund requests. Regular follow-ups through reminders and personal meetings will reinforce NICSI's commitment to resolving the matter Maintain comprehensive documentation of all actions taken communications made, and agreements reached with tax authorities. This documentation will serve as evidence of NICSI's efforts to rectify the long-pending receivables. Communicate the progress and steps taken to the board and stakeholders. Transparency in addressing financial concerns is essential for maintaining trust and confidence. Treat this situation as an opportunity for continuous improvement in financial management processes. Learn from past challenges and implement measures to prevent the recurrence of similar issues in the future. The progress made in this regard may please be intimated to Audit.	

1. Details of RTI matters disposed off during F.Y. 2023-24.	Total 114 Cases inclusive of RTI, Appeal and CIC cases.
2. Details of RTI matters pending as on 31-03-2024.	7 cases which were disposed off after 31.03.2024 (within the stipulated time frame)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE
SERVICES INCORPORATED
Empowering Digital India Since 1995

NATIONAL INFORMATICS CENTRE
SERVICES INCORPORATED

CIN : U74899DL1995NPL072045